FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 17

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2002

21 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 54
Date 3/7/03

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 17, गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2002/21 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल में पुलिस की गोलीबारी में तीन किसानों की कथित मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के बारे में	1–9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 341	9–47, 365–391
अतारांकित प्रश्न संख्या 3493 से 3722	47–364
सभा पटल पर रखे गए पत्र	391–398
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	398
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन	398–399
(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	399
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
(एक) एक सौ तेईसवां और एक सौ चौबीसवां प्रतिवेदन	399–400
(दो) साक्ष्य का अभिलेख	400
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति के सभापति द्वारा टिप्पणी	
प्रारंभिक प्रतिवेदन	400–401
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दाभोल विद्युत परियोजना को आरंभ किए जाने में हुए विलंब के कारण उत्पन्न स्थिति	401–412
श्री किरीट सोमैया	401–402, 406–408
श्री अनन्त गंगाराम गीते	402–406, 411–412
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	409
श्री वरकला राधाकृष्णन	410–411

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	412–417
(एक) गरीबों के लाभार्थ चंडीगढ़ में पुनर्वास कॉलोनियों के लिए अलग से भवन उपनियम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	412–413
(दो) छत्तीसगढ़ की अरपा भैसाझाल सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	413
(तीन) मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड के सुचारू कार्यकरण के लिए उसके प्रबंधन को राजस्थान सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	413–414
(चार) झांसी तथा बरमान बरास्ता सागर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रख-रखाव की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	414
(पांच) कर्नाटक में चीनी उद्योग के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	414–415
(छह) तमिलनाडु के मदुरै में यात्री निवास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	415
(सात) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली स्टेशनों को जोड़ते हुए सर्क्यूलर रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.वी. राव	416
(आठ) उड़ीसा में हस्तकरघा उद्योग को पुनरूज्जीवित करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	416–417
(नौ) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
कुंवर अखिलेश सिंह	417
सरकारी विधेयक—*पारित*	417–426
(एक) सम्पत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक	417–426
विचार करने के लिए प्रस्ताव	417–418
श्री के. जना कृष्णामूर्ति	417–418, 425–426
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	419–422
डा रघुवंश प्रसाद सिंह	422–424

विषय	कॉलम
श्री सुरेश कुरूप	424
खण्ड 2, 3 और 1	426
पारित करने के लिए प्रस्ताव	426
(दो) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	426–472
विचार करने के लिए प्रस्ताव	427
श्री के. जना कृष्णामूर्ति	426–427, 464–469
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	427–430
प्रो. रासासिंह रावत	430–433
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	433–440
श्री के. मलयसामी	440–443
श्री मुलायम सिंह यादव	444–448
श्री सोमनाथ चटर्जी	450–455
श्री जी.एम. बनातवाला	455–460
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	460–462
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	462–464
खण्ड 2 और 1	470–472
पारित करने के लिए प्रस्ताव	472
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आंतरिक सुरक्षा	472–489
श्री प्रबोध पण्डा	472–478
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	478–489
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गन्ना किसानों द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए आंदोलन	489–502
श्री शरद यादव	489–491, 499–502
श्री रामजीलाल सुमन	491–493
श्री मुलायम सिंह यादव	493–494
श्री प्रभुनाथ सिंह	495–496
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	496–497
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	497–498
कुंवर अखिलेश सिंह	498
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	498–499
श्री अवतार सिंह भडाना	499

लोक सभा

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2002/21 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल में पुलिस की गोलीबारी में तीन किसानों की कथित मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइये, मैं आपकी बात सुनूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप अपनी जगह पर रहिये, मैं आपको चांस दूंगा।

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में मुझे आपकी सूचना मिली है। कृपया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूँगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है, तीन किसान मरे हैं और 100 से ज्यादा घायल हो गये हैं, रोज किसान परेशान हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइये।

कुंवर अखिलेश सिंह : हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना जुल्म किसानों पर कभी नहीं हुआ।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृन्तान्त में यह कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दे रहा हूं। आपका एडजर्नमेंट मोशन मुझे मिला है। आपको मैं दो मिनट दे दूँगा, आप अपनी जगह पर जाइये। मैंने आपका नोटिस देखा है। आप अपनी जगह पर जाइये, मैं आपको चांस दे दूंगा।

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मैं चांस दे रहा हूँ, आप अपनी जगह पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप अपनी जगह पर जाइये। मुझे आपका 'काम रोको प्रस्ताव' मिला है, मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं। आप इस तरह से नहीं करें। यह क्वश्चन ऑवर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ व्यवस्था बनायी रखी जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी का भी 'काम रोको प्रस्ताव' मिला, अखिलेश जी का भी है और आपका भी, तीनों का काम रोको प्रस्ताव मिला है, इसलिए मैंने कहा कि मैं दो मिनट दे रहा हूं। अखिलेश जी, प्लीज, ऐसा मत करिये।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हमने एडजर्नमेंट मोशन ही नहीं, क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए भी लिखा है। वहाँ तीन लोग मारे गये हैं। सरकार किसानों पर हमला कर रही है। किसानों की रोज हत्याएं हो रही हैं। ...*(व्यवधान)* आपको प्रश्नकाल का निलंबित करना चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : वहां तीन लोग मरे हैं और दर्जनों लोगों के मरने की संभावना है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : प्रश्नकाल स्थगित करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : वहां किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : ऐसी स्थिति में इस सदन के चलने का कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप दो-तीन लोगों को, जिनका एडजर्नमेंट मोशन है, चांस दे रहा हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसान मर रहा है और सरकार सो रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइये, मैं आपको चांस दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरी आपसे विनम्र विनती है कि सम्पूर्ण सभा की कार्यवाही स्थगित कर दें और किसानों के सवाल पर चर्चा कराएं। ...*(व्यवधान)* प्रश्न काल का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानों को मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* हरियाणा में जब 110 रुपए का भाव गन्ना किसानों को दिया जा रहा है और मिलें घाटे में नहीं चल रही हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मैं उनको बोलने के लिए मौका दूंगा। लेकिन पहले आप अपनी जगह पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर प्रदेश में तीन किसानों की गोली से मृत्यु हो गई है और गई घायल हुए हैं ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में इस तरह का आचरण नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस मामले पर दो बार बाद-विवाद होने के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर मौन क्यों है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसानों की समस्या पर यहां बहस हुई, लेकिन कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी जगह पर वापस जाएं। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया पहले अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा बंद किए जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा भी बंद है और रिकार्ड पर भी कुछ नहीं जा रहा है। कृपया आप सब अपने-अपने स्थानों पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी बात सुनूंगा। किंतु कृपया पहले आप अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : हमें भी किसानों के हितों की उतनी ही चिंता है। *...(व्यवधान)* कम से कम आप मुझे बोलने तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मुझे स्थगन प्रस्ताव की चार सूचनाएं मिली हैं, मैं उन सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं किंतु वे मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। इस स्थिति में मैं सभा की कार्यवाही कैसे चला सकता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप वैल में आकर सदन का अपमान कर रहे हैं। आप काम-रोको-प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस संबंध में कुछ कहने के लिये तैयार है। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं किंतु आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं आप सब लोगों की बात सुनने के लिए तैयार हूं किंतु इस तरह नहीं। पहले आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह का आचरण कर आप सभा का अपमान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को चलाने के नियम हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं। आपका यह बर्ताव ठीक नहीं है। आप अपनी सीट पर जाकर बात कहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन की अवहेलना कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जायेंगे, तो मैं आपको सुन पाऊंगा। इस तरह से नहीं। ऐसे नहीं सुना जा सकता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपनी जगह पर जाना होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं। बिलकुल नहीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी बात हो लेकिन इस तरह से तो नहीं सुनी जाएगी। प्रश्नकाल भी स्थगित करना हो तो भी इस तरह से नहीं होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। *...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन इस तरह से सदन की अवहेलना करना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : आप एक बात हमारी भी सुन लें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये। सदन की कार्यवाही में आपकी बात नहीं जा रही है। आप अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ इंफोर्मेशन है। तीन किसानों की गोली लगने से जिन माननीय सदस्य के संसदीय क्षेत्र में हत्या हुई है, उनकी भी बात सुनी जाए और जो आस-पास के लोग हैं उनकी बात भी सुनी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : आप माननीय राम नगीना मिश्र जी की बात को सुनने तो दीजिए। वे भी अपनी बात रखना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि माननीय राम नगीना मिश्र जी को सुनने के बाद सदन में उस पर चर्चा हो। *...(व्यवधान)* किसानों के साथ जो घटना घटी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। *...(व्यवधान)* देश में सभी जगह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका गला घोंटा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : आप महाराष्ट्र की बात भी सुनिये। महाराष्ट्र में पुलिस वालों ने घर में घुसकर किसानों पर हमला किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा ऐसे ही निकल गया है। अब तक आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करा सकते थे। अब पूर्वाह्न 11.30 बज चुके हैं। या तो आप चर्चा कराइए या प्रश्नकाल आरंभ कराइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अपने-अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कह रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : हम सभा में कार्य करना चाहते हैं। अब तक इस पर चर्चा की जा चुकी होती। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : ऐसे हल्ला करने से किसानों की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुन सकता हूं किंतु कोई भी बात तभी सुनी जा सकेगी जब वे अपने-अपने स्थान पर जाएं। अथवा मैं सभा की कार्यवाही कैसे संचालित कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : आप प्रश्नकाल का निलंबन कर चर्चा करा सकते हैं। यह समय व ऊर्जा की बर्बादी है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब वे अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं। कोई नहीं जानता कि सभा में क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मसले को बातचीत से हल कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एडजर्नमैंट मोशन ला सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात भी सुन सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और केन्द्र में इनकी मिली-जुली सरकार है। फिर भी यह कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आमान-परिवर्तन कार्य में क्षेत्रीय असंतुलन

***322. श्री के. मलयसामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइनों और आमान परिवर्तन कार्य का काम आरंभ करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) विचलन के कोई मामले यदि हैं, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) निधियों के आबंटन और आमान परिवर्तन की परियोजनाओं के काम में क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण हैं;

(घ) तमिलनाडु में कितनी मीटर लाइनों को बदला जाना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) द्वारा प्रतिपादित नीति के अनुसार नई परियोजनाओं का कार्य, परियोजना उन्मुख लाइनों, टूटी कड़ियों को जोड़ने, सामरिक कारणों की दृष्टि से अपेक्षित लाइनों और नए विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए अथवा दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित लाइनों के रूप में शुरू किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा मीटर आमान/छोटे आमान की लाइनों को बड़े आमान की लाइनों में परिवर्तित करने का कार्य, वैकल्पिक बड़े आमान के मार्गों का विकास करने, नए बड़े आमान के संपर्कों को स्थापित करने, यानांतरण स्थलों की संख्या को न्यूनतम करने और पत्तनों, औद्योगिक केन्द्रों तक संपर्क मुहैया कराने और सामरिक दृष्टिकोण से अपेक्षित लाइनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1992 में, "एक आमान परियोजना" के अंतर्गत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों, अल्प विकसित और दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत सी नई लाइनों और आमान परिवर्तन की परियोजनाओं का काम शुरू किया गया है।

निधियों का न्यायसंगत तरीके से विभाजन करने के लिए, जिसके लिए सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी कई बार चिंता जताई गई है, वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों में नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण की व्यवस्था करने के लिए इन योजना शीर्षों के अंतर्गत निधियों को एक स्पष्ट और पारदर्शी फार्मूले के आधार पर, जैसाकि बजट भाषण में उल्लेख किया गया था, आबंटित किया गया है। ये निधियां राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या और राज्य में बकाया पड़ी परियोजनाओं की मात्रा के आधार पर आबंटित की गई हैं।

1.4.2002 को वर्तमान स्थिति के अनुसार आंशिक/पूरे तौर पर तमिलनाडु में स्थित बदली जाने वाली मीटर आमान की लाइनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1.4.2002 को वर्तमान स्थिति के अनुसार आंशिक/पूरे तौर पर तमिलनाडु में स्थित बदली जाने वाली मीटर आमान की लाइनों का विवरण

मीटर आमान की वे लाइनें जहां आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है:

1. कटपडी-विषुपुरम
2. त्रिची-मानमदुरै
3. विषुपुरम-तंजावुर
4. मदुरै-रामेश्वरम
5. क्विलोन-तेन्कासी-तिरूचन्दूर एवं तेन्कासी-विरुदुनगर
6. त्रिची-नागौर
7. विषुपुरम-पांडिचेरी

8. सेलम-कुड्डालोर

9. कटपडी-पकाला-तिरूपति

10. चेन्नै बीच-ताम्बरम-चेंगलपट्टु (महानगर परिवहन परियोजना के अंतर्गत)

अन्य मीटर आमान लाइनें:

1. मानमदुरै-विरुदुनगर

2. दिंडीगुल-मदुरै

3. दिंडीगुल-पोल्लाची

4. पोल्लाची-पालघाट

5. ताम्बरम-विषुपुरम

6. माइलादुतुराई-कराइकुडी

7. मदुरै-बोदीनायक्कनूर

8. मेट्टूपालयम-उदगमंडलम

9. पोल्लाची-कोयम्बतूर

10. तिरुतुराईपुन्डी-अगस्तियमपल्ली।

[हिन्दी]

प्रशिक्षुओं के लिए मार्ग

***323. श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से लड़ाकू विमानों की प्रशिक्षण उड़ानों के मार्गों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो आवासीय क्षेत्रों में विमान दुर्घटनाओं की घटनाओं को रोकने के लिए वायुसेना द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने से बचने के लिए भारतीय वायुसेना में पर्याप्त अनुदेश मौजूद हैं। भारत सरकार ने हवाई क्षेत्रों (मैदानों) के आस-पास विनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए जनवरी, 1988 में एक अधिसूचना भी जारी की है। तथापि, कुछ वर्षों में हवाई क्षेत्रों के चारों तरफ बहुत से भवन तथा अन्य विनिर्माण कार्य हुए हैं। वायुयान के उड़ान भरने, पहुंचने तथा उतरने के समय इन क्षेत्रों के ऊपर से गुजरना अपरिहार्य है। किसी खराब वायुयान को छोड़ देने की स्थिति में बल इस बात पर दिया जाता है कि इसमें से बाहर निकलने से पूर्व विमान को आवासीय एवम् निषिद्ध क्षेत्रों से दूर सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया जाए।

आवासीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं सहित सभी प्रकार की हवाई दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भारतीय वायुसेना में अनवरत तथा बहु-आयामी प्रयास हमेशा तैयार रहते हैं। पायलटों के कौशल स्तर में सुधार करने, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने तथा उनमें परिस्थिति के अनुरूप जागरूक होने की योग्यता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं। सुरक्षित उड़ान परिवेश सुनिश्चित करने के लिए पक्षी-रोधी व्यापक उपाय किये जा रहे हैं। किन्हीं तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ निरंतर बातचीत भी की जाती है।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा नियोजित अपतटीय आपूर्ति पोत

***324. श्री विनय कुमार सोराके:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 के लिए अपनी रिपोर्ट में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के मुम्बई हाई में ''मैरीन लागिस्टिक्स सपोर्ट सर्विसेस'' की कड़ी निंदा की है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई हाई के लिए लगाए गए अपतटीय आपूर्ति पोत (ओएसवी) के संबंध में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा क्या चूक हुई है और इसके कारण कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) क्या एक शिपिंग कंपनी लिमिटेड से किराए पर लिए गए दो अपतटीय आपूर्ति पोतों के संबंध में अधिकतम सीमा दरों के गलत आवेदन के परिणामस्वरूप 4.86 करोड़ रुपये की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 13 मार्च,

2002 की अपनी रिपोर्ट में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) की समुद्री संभारतंत्रीय सहायता सेवा की समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रतिकूल टिप्पणी की:

(1) सहायक ड्यूटी पर अपतटीय आपूर्ति पोतों (ओ एस वी) की अत्यधिक तैनाती।

(2) आपूर्ति-ड्यूटी और कार्गो साज-संभाल कर अपतटीय आपूर्ति पोतों के फेरे।

(3) प्लेटफार्मों और रिगों को पेय जल का परिवहन।

(4) कम समय के कारण अपतटीय आपूर्ति पोतों की गैर उपलब्धता।

उपर्युक्त रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह भी टिप्पणी की कि मैसर्स एस्सार शिपिंग के क-श्रेणी के दो ओ एस वी की दैनिक दर, स्वामी के अंशदान के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी लेकिन ओ एन जी सी ने जुलाई, 1984 से जुलाई, 1989 और जुलाई, 1994 से जुलाई, 1996 की अवधि के लिए, ऋण हिस्से सहित, सकल नियोजित पूंजी के आधार पर दैनिक दर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 7 वर्ष से अधिक समय में 4.86 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

तथापि, दिनांक 10.10.2001 की ओ एन जी सी से संबंधित प्रारूप लेखा परीक्षा समीक्षा के संगत बिन्दुओं पर ओ एन जी सी के प्रत्युत्तर, जिसे मंत्रालय ने सी एंड ए जी को 31.1.2002 को सूचित किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ प्रचालनात्मक पृष्ठभूमि दी गई है और यह कहा गया कि ओएसवी लगाने या तैनात करने में कोई बड़ी अवसन्नता नहीं हुई और यह कि उपर्युक्त 4.86 करोड़ रुपये के भुगतान सहित ओ एन जी सी को कोई भी क्षति नहीं हुई।

गोर्शकोव सौदा

*325. **श्री रघुनाथ झा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विमान वाहक पोत 'एडमिरल गोर्शकोव' की खरीद संबंधी सौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसकी आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर हो पाएगी;

(ख) क्या यह पोत 1985 में एक भीषण अग्निकांड झेल चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस पोत को कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या इस विमान वाहक पोत को छोटी-मोटी मरम्मत के लिए भी सिंगापुर ले जाना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) 'एडमिरल गोर्शकोव' के लिए बातचीत चल रही है। ऐसे बड़े अधिग्रहण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) स्टीम पाइप के फटने के परिणामस्वरूप 1994 में पोत के बोइलर रूम में आग लग गई थी। इससे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के लिए दक्षेस की सिफारिशें

*326. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संबंधी दक्षेस तकनीकी समिति ने बांग्लादेश, भारत, भूटान और नेपाल को जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) ऊर्जा संबंधी सार्क तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की है कि संबंधित सदस्य राज्यों के साथ मामले पर और चर्चा की जाए। तकनीकी समिति की रिपोर्ट का संबंधित उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत ने विद्युत के आदान-प्रदान हेतु भूटान और नेपाल के साथ द्विपक्षीय मसझौता किया है। यद्यपि, भारत ने बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया है फिर भी भारत ने इस पर चर्चा करने के प्रति अपनी इच्छा बांग्लादेश को इंगित कर दी है। भारत ने यह भी इंगित किया है कि ग्रिड संयोजन हेतु द्विपक्षीय समझौते करने के लिए विस्थापन के जरिए भारतीय ग्रिड के माध्यम से विद्युत का देश के बाहर अंतरण करने के संभावित समझौतों पर पूर्व सोच-विचार करने की आवश्यकता है। सीमापार पारेषण लिंकों का सृजन एवं विकास भी वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य विद्युत अंतरण को अभिज्ञात किए जाने पर निर्भर करता है।

ऊर्जा संबंधी सार्क तकनीकी समिति की बैठक में भारतीय मत की जानकारी दी गई थी।

विवरण

ऊर्जा संबंधी तकनीकी समिति की प्रथम बैठक की रिपोर्ट से उद्धरण (ढाका 17-18 नवम्बर, 2002)

''भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के मध्य एक क्षेत्रीय पवर ग्रिड का सृजन''

भारत से आये प्रतिनिधिमण्डल ने बताया है कि सीमा पार पारेषण लिंकों का सृजन और विकास विद्युत उत्पादन स्टेशनों से भार केन्द्रों को किये जाने वाले विद्युत अंतरण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को अभिज्ञात किये जाने पर निर्भर करता है। भारतीय ग्रिड के जरिए अंतरण ग्रिड विस्थापन के माध्यम से हो सकता है।

बैठक में सिफारिश की गई है कि इस संबंध में उपर्युक्त व्यवस्थायें तैयार करने की दृष्टि में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आदि देशों के बीच मामले पर और चर्चा की जाए।

'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' की स्थापना

***327. श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2002 तक 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' की स्थापना नहीं करने वाले राज्यों को चेतावनी दी है कि उक्त कार्य के लिए आबंटित निधियों में कटौती कर दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अब तक राज्य-वार कुल कितने 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' स्थापित किए गए हैं;

(घ) शेष 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' को कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को भी मानवाधिकारों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान करने के लिए कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो न्यायालयों में लंबित पड़े ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इन मामलों का निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी नहीं। तथापि, राज्यों को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करने के लिए लगातार कहा जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्थापित/अधिसूचित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या विवरण के अनुसार है।

(घ) सरकार, संबंधित राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और वित्त मंत्रालय के निकट सहयोग से त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्य में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार, राज्य सरकारों से लगातार यह अनुरोध करती रही है कि वे शेष त्वरित निपटान न्यायालयों को शीघ्रताशीघ्र कार्य करने योग्य बनाए और साथ ही उनका ध्यान ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य, 2001 की टी.सी. सं. 22 के मामले में तारीख 6 मई, 2002 के निर्णय में दिए गए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की ओर भी दिलाती रही है। उच्चतम न्यायालय ब्रिज मोहन लाल के मामले के अनुसार त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण को मानीटर भी कर रहा है।

(ङ) मामलों का, जिनके अंतर्गत मानव अधिकार संबंधित मामले भी हैं, निपटारा करना न्यायपालिका के सारवान कृत्य के अंतर्गत आता है। तथापि, त्वरित निपटान न्यायालय, लंबे समय से लंबित सेशन मामलों और ऐसे विचारणाधीन कैदियों के मामलों का, जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं, शीघ्रतापूर्वक निपटान करके मानव अधिकारों के उद्देश्य को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटारे के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में उपबंधित किए गए अनुसार ''मानव अधिकार न्यायालय'' अधिसूचित किए हैं।

(च) विभाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित/अधिसूचित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	20

1	2	3
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	36
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू-कश्मीर	43
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	13
13.	केरल	27
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	104
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	39
21.	पंजाब	6
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	45
27.	उत्तर प्रदेश	206
28.	पश्चिमी बंगाल	59
	योग	1234

दिल्ली दूरदर्शन पर जनजातीय बोलियों में समाचार बुलेटिन

*328. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के स्थानीय केन्द्रों से जनजातीय बोलियों में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी केन्द्र-वार, बोली-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय जनसंख्या को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने और उनके लिए चलाई जा रही सरकार की कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जनशक्ति और संसाधनों की कमी के कारण दूरदर्शन जनजातीय बोलियों में समाचार बुलेटिन प्रसारित कर पाने में समर्थ नहीं है।

(घ) विशेषरूप से पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र, रांची, सम्बलपुर, जगदलपुर एवं रायपुर आदि में स्थित दूरदर्शन केन्द्र नियमित रूप से गीत एवं नृत्य, लोक वार्ता और रिवाज परम्परा और जीवन शैली सहित जनजातीय जीवनी के समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक छटा दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। जहां तक व्यवहार्य होता है, जनजातीय लोगों के लाभ की सरकारी कल्याणकारी स्कीमों पर आधारित कार्यक्रम उनकी बोली में प्रसारित किये जाते हैं। जनजातीय कलाकारों को भी दूरदर्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विद्युत वित्त निगमों का कार्यनिष्पादन

*329. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) के कार्यनिष्पादन की उसकी परियोजनाओं और कार्यक्रम के संबंध में गहन समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत वित्त निगम द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कुल निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान प्रत्येक राज्य को वस्तुत: जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-03 के लिए कितना आवंटन किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। पीएफसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है जिसमें कार्यनिष्पादन लक्ष्यों जैसे स्वीकृति, संवितरण, वसूली, संसाधन जुटाना, सकल मार्जिन, निवल लाभ और नियोजित पूंजी का अनुपात, प्रचालन अनुपात इत्यादि को निर्धारित किया जाता है। इन कार्यनिष्पादन लक्ष्यों और राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पीएफसी की वित्तीय सहायता का विद्युत मंत्रालय द्वारा तिमाही कार्य निष्पादन बैठकों में तिमाही समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। एमओयू के अंतर्गत उपलब्धियों के आधार पर पीएफसी के कार्यनिष्पादन और वार्षिक लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा पीएफसी का दर्जा निर्धारण किया जाता है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार समीक्षित किए जाने वाले पैरामीटरों और विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए पीएफसी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किए गए दर्जा निर्धारण का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान पीएफसी द्वारा किए गए निवेशों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। पीएफसी द्वारा किसी राज्य को वित्तीय सहायता का पूर्व आवंटन नहीं किया गया है, और विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली संभावित वित्तीय सहायता इन परियोजनाओं हेतु निधियों की आवश्यकताओं; उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता; और राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पीएफसी द्वारा निर्धारित स्वीकृति/आहरण संबंधी शर्तें व निबंधनों का अनुपालन किए जाने पर निर्भर करता है। वर्ष 2002-03 (नवम्बर, 2002 तक) के दौरान प्रत्येक राज्य को वास्तविक रूप से जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

1. एमओयू/वार्षिक योजना लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन

पैरामीटर्स	योजना लक्ष्य (एमओयू-उत्कृष्ट) 2001-02	वार्षिक योजना (एमओयू-बहुत अच्छा) 2001-02	वास्तविक अप्रैल-मार्च 2002
स्वीकृतियां	6650	6300	8506
संवितरण	4030	3840	5150
संसाधनों को जुटाया जाना	2400	2285	5016
वसूली	955	945	98.05
एजी एंड एसपी संवितरण	1680	1600	3128
एपीडीपी स्वीकृति	600	570	651
सकल मार्जिन	610	575	1004
अंतिम निवल मूल्य की तुलना में एनपी	13.42	12.68	18.6
ओपी अनुपात (%) (ओपीव्यय/सहित)	69.8	71.02	52.1

2. एमओयू लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के आधार पर सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. को निर्दिष्ट वार्षिक रेटिंग

1993-94	उत्कृष्ट
1994-95	उत्कृष्ट
1995-96	उत्कृष्ट
1996-97	उत्कृष्ट
1997-98	उत्कृष्ट
1998-99	उत्कृष्ट
1999-2000	उत्कृष्ट
2000-2001	उत्कृष्ट
2001-2002	उत्कृष्ट

विवरण II

1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को किया गया संवितरण

(धनराशि करोड़ रुपये में)

राज्य जहां परियोजनाएं स्थित हैं	राज्य विद्युत यूटिलिटियां	निजी विद्युत यूटिलिटियां	केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियां	संयुक्त क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियां	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	311.26	1.47	0.00	0.00	312.73
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	100.36	0.00	100.36
असम	1.198	0.00	0.00	0.00	11.98
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
दिल्ली	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
गोवा	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
गुजरात	190.21	57.00	0.00	0.00	247.21
हरियाणा	84.12	0.00	295.58	0.00	379.70
हिमाचल प्रदेश	106.35	25.00	0.00	0.00	131.35
जम्मू-कश्मीर	23.65	0.00	0.00	0.00	23.65
झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	227.85	0.00	0.00	0.00	227.85
केरल	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43
मध्य प्रदेश	188.21	0.00	0.00	0.00	188.21
महाराष्ट्र	353.80	0.00	0.00	0.00	353.80

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52
उड़ीसा	0.34	0.00	80.87	0.00	81.21
पंजाब	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
राजस्थान	1276.66	0.00	0.00	0.00	1276.66
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	658.08	8.62	0.00	0.00	666.70
उत्तर प्रदेश	113.43	0.00	419.48	0.00	532.91
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी बंगाल	75.0	0.00	0.00	25.59	104.67
कुल	4131.49	92.09	896.29	85.59	5149.46

विवरण III

1 अप्रैल, 2002 से 30 नवम्बर, 2002 तक विभिन्न विद्युत यूटलिटियों को किया गया संवितरण

(करोड़ रुपये में धनराशि)

राज्य जहां परियोजना स्थित है	राज्य विद्युत यूटिलिटियां	निजी विद्युत यूटिलिटियां	केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियां	संयुक्त क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियां	राज्य विद्युत यूटिलिटियों को उपस्कर की आपूर्ति के लिए उपस्कर निर्माता को ऋण	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	585.27	0.00	0.00	0.00	1.67	586.94
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
असम	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.09

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
गुजरात	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
हरियाणा	400.27	0.00	377.67	0.00	0.00	777.74
हिमाचल प्रदेश	139.92	15.00	0.00	0.00	0.00	154.92
जम्मू-कश्मीर	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	119.87
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	77.57
महाराष्ट्र	221.36	0.00	0.00	0.00	6.33	227.69
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
उड़ीसा	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
पंजाब	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
राजस्थान	1083.97	0.00	0.00	0.00	4.75	1088.72
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	37.52	8.62	0.00	0.00	0.00	37.52
उत्तर प्रदेश	185.35	5.50	251.00	0.00	0.00	441.85
उत्तरांचल	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
पश्चिमी बंगाल	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40.46
कुल	3099.51	20.50	628.67	0.00	12.75	3761.43

1000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

*330. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:**
श्री राजो सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 1000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर अनुमानित कितनी लागत आएगी और किन-किन राज्यों में स्थानवार और राज्य-वार इन संयंत्रों को वरीयता के आधार पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रकार की परियोजनाओं को शुरू किए जाने की औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ङ) 1000 मेगावाट क्षमता के चार ताप विद्युत संयंत्र वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन हैं और 10वीं योजना के दौरान लाभ के लिए इन्हें प्रस्तावित किया गया है। इनके संबंध में स्थिति निम्नवत है:

(1) 3451.97 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के रिहन्द सुपर ताप विद्युत स्टेशन-2, यूनिट-3 व 4 (2 × 500 मेगावाट) के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है और परियोजना की यूनिट-3 को अगस्त, 2005 तक चालू किये जाने और यूनिट-4 को मई, 2006 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

(2) एनटीपीसी के विन्ध्याचल ताप विद्युत स्टेशन-3 (2 × 500 मेगावाट), जिसकी अनुमानित लागत 4201.50 करोड़ रुपये है, के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) अगस्त, 2002 में प्रदान कर दी गई है।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल) के अनपरा "सी" ताप विद्युत स्टेशन (2 × 500 मेगावाट) में 4216.42 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए दी गयी पर्यावरण स्वीकृति को अभी पुन: वैधीकृत बनाना है। इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) अभी तक प्रदान नहीं की गयी है।

(4) 4368.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले मैथॉन राईट बैंक ताप विद्युत स्टेशन (4 × 250 मेगावाट) को मैथॉन पावर लि. दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) और बॉम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (बीएसईसी) का एक संयुक्त उद्यम कम्पनी) द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिकी अनुमोदन सभी अनिवार्य सूचनाएं/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के बाद प्रदान किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के एन्नौर में एक 1000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए दिनांक 12.7.2002 को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। इस परियोजना की क्रियान्वयन सूची परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय समापन पर निर्भर करता है।

तेल विपणन कंपनियों की पट्टा भूमि संबंधी शर्तें

*331. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा आशय-पत्र (एलओआई) धारकों से पट्टे पर भूमि लेने के लिए किन निबंधन और शर्तों का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) क्या उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के बाजार मूल्य को देखते हुए लीज किराया दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर कंपनी को भूमि का हस्तान्तरण करना आशय-पत्र धारकों के लिए अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो कंपनी अधिकारियों के उत्पीड़न से बचने के लिए ऐसे डीलर के पास क्या उपचार उपलब्ध होता है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे मामलों की जांच कराने का प्रस्ताव है, जो ऐसी घटनाओं के कारण पिछले तीन वर्षों से लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों के डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों

की स्थापना के लिए आशय-पत्र धारकों से भूमि की अधिप्राप्ति के लिए अपने स्वयं के आंतरिक दिशा-निर्देश हैं। वे आशय-पत्र धारकों द्वारा उन्हें प्रस्तावित भूमि के विशेष खंड की उपयुक्तता निर्धारित करती हैं। यदि भूमि उपयुक्त पाई जाती है, पट्टा किराए का निर्धारण सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद पट्टे के किराए सहित पट्टा करार के निबंधनों और शर्तों को तेल विपणन कंपनियों द्वारा और आशय-पत्र धारकों के साथ चर्चा करने और परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) ऊपर भाग (क) से (ग) के संदर्भ में दिए गए उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायिक सुधार

*332. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबों को त्वरित और आसान न्याय सुलभ कराने के लिए न्यायिक सुधार किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रणाली से क्या लाभ मिलेंगे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सभी व्यक्तियों को, जिनके अंतर्गत निर्धन भी हैं, शीघ्र और सहज उपलभ्य न्याय प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। न्यायिक सुधार एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। न्यायिक सुधारों में कार्यवाहियों के विभिन्न प्रक्रमों पर समय-सीमाओं का उपबंध करने के लिए विधियों में संशोधन करना, स्थगनों पर निर्बंधन लगाना, निर्णयों का तत्परतापूर्वक दिया जाना, त्वरित निपटान न्यायालयों जैसे नए न्यायालयों की स्थापना करना और मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सम्मिलित है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और 2002 में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी वाद के विभिन्न प्रक्रमों पर समय-सीमाएं नियत किये जाने, वाद के किसी पक्षकार को तीन से अनधिक स्थगन मंजूर करने, आयुक्त द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने, मामले की सुनवाई के पश्चात् 60 दिन के भीतर निर्णय दिये जाने से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायाधीशों की रिक्तियां भरे जाने, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पदसंख्या में वृद्धि करने, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करने, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने, आदि जैसे अनेक अन्य उपाय किये गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में निर्धन व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सेवाओं के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की प्रथम वार्षिक बैठक में अंगीकृत किये गये संकल्प के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 25,000 रुपए से अधिक नहीं है, उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों की बाबत नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में यह सीमा 50,000 रुपए की है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, महिलाओं, बालकों, विकलांग व्यक्तियों, आदि की दशा में आय से संबंधित सीमा लागू नहीं होती है।

तारीख 30.6.2002 तक देश के विभिन्न भागों में लगभग 1,39,172 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें लगभग 1.42 करोड़ मामले निपटाए गए हैं। मोटर यान दुर्घटना दावों के लगभग 7.3 लाख मामलों में 3615.93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रतिकर दिया गया है। तारीख 30.6.2002 तक, पूरे देश में विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से लगभग 43.68 लाख व्यक्तियों ने फायदा प्राप्त किया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में रसोई यान

*333. **श्री राम सजीवन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी घाटे के बावजूद रेलगाड़ियों में रसोई-यान एक आवश्यक यात्री सुविधा के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घाटों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में रसोई-यान की भांति चल पुस्तकालय-सह-बुकस्टॉल गैर-वाणिज्यिक आधार पर आवश्यक यात्री सुविधा के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में चलने वाली लंबी दूरी की विभिन्न रेलगाड़ियों में ऐसी सुविधा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) लम्बी दूरी की चुनिंदा गाड़ियों में रसोई यान की सुविधा, एक यात्री सुविधा के रूप में सुलभ कराई जाती है, न कि लाभ कमाने के प्रयोजन से। वित्तीय क्षमता को सुधारने के लिए विभागीय रसोई यानों की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाने और अलाभप्रद सेवाओं का निजीकरण करने के लिए उपाय किए गए हैं। लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रसोई यानों के मामले में अक्तूबर, 2000 से तकनीकी और वित्तीय बोलियों की दो पैकेट वाली प्रणाली शुरू की गई है।

(ग) और (घ) 1986 में समीक्षा के बाद यह विनिश्चय किया गया था कि भारतीय रेलों पर लम्बी दूरी की गाड़ियों में पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि को फेरी वालों द्वारा बेचे जाने सहित चल पुस्तकालय एवं बुकस्टॉलों को और गाड़ियों में न चलाया जाए क्योंकि यात्रियों ने इनके प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दर्शाया है। तथापि, रेलगाड़ियों में पहले से चल रहे पुस्तकालय एवं बुकस्टॉल की मौजूदा चल सेवाओं को जारी रहने दिया जाएगा, बशर्ते कि उनका काम-काज संतोषजनक हो।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं

***334. श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री अरुण कुमार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 'भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं' और 'पुनर्वास प्रशिक्षण' के अंतर्गत लागू की जा रही योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इन योजनाओं को ऋण अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है और इसमें राज्य सरकारों का योगदान/भागीदारी कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा 1 अप्रैल, 1998 से कार्यान्वित की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार, योजनावार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

I. पुनर्वास योजनाएं:

(1) *पुनर्नियोजन:* भूतपूर्व सैनिकों को सिविलियन विभागों में पुनर्नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। रक्षा सुरक्षा कोर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक भी समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में आरक्षण उपलब्ध कराते हैं।

(2) *प्रशिक्षण:* पुनर्वास महानिदेशालय, भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों के पुनर्नियोजन में सुधार लाने के प्रयोजनार्थ उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण शामिल हैं।

(3) *स्व-रोजगार योजनाएं:* भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्व-रोजगार उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

(i) *सेम्फेक्स-1*—इस योजना के तहत परिवहन (केवल हैवी ड्यूटी), यात्रा और पर्यटन संबंधी कार्यकलापों, होटल तथा रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम/क्लिनिक/निदान केन्द्र और अन्य सेवा-कार्यकलापों सहित छोटे, लघु उद्योग, लघु सेवा और कारोबार (उद्योग संबंधी) उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत परियोजना की लागत सीमा 15 लाख रुपए है और 60 वर्ष की आयु तक के पात्र सभी भूतपूर्व सैनिक/विधवाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर कुल परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक की सोफ्ट सीड पूंजीगत सहायता भी उपलब्ध है। यह वित्तीय सहायता राज्य वित्त निगमों के माध्यम से उपलब्ध है।

(ii) *सेम्फेक्स-2:* इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत रक्षा कार्मिकों की विधवाओं तथा निशक्त सैन्य कार्मिकों को कृषि तथा इससे संबद्ध क्रियाकलाप शुरू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-फार्म यूनिटों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऋण संबंधी उपायों के व्यापक पैकेज की व्यवस्था की परिकल्पना है। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

फार्म सेक्टर के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है। तथापि, गैर-फार्म सेक्टर के लिए ऋण सहायता 15 लाख रुपए तक सीमित है।

(iii) *सेम्फेक्स-3:* इस योजना के तहत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, खादी उद्योगों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को नाममात्र की 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण मुहैया कराता है। भूतपूर्व सैनिक सहकारी सोसाइटी/संस्था के मामले में अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रुपए है जबकि एकल उद्यमी 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

(iv) *राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना (सेना से लघु उद्योग):* इस योजना का उद्देश्य छोटे/लघु उद्योग सेक्टर में नई परियोजनाएं स्थापित करने अथवा मौजूदा छोटे/लघु उद्योगों तथा सेवा उद्यमों में विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन करने तथा नये उत्पाद शुरू करने के लिए उद्यमियों को इक्विटी किस्म की सहायता मुहैया कराना है। इस स्कीम के तहत अधिकतम परियोजना-लागत 50 लाख रुपए है तथा प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए की शर्त के साथ परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से सॉफ्ट ऋण सहायता मुहैया कराई जाती है। प्रवर्तक का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है। सॉफ्ट ऋण अंश पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। तथापि, 5 प्रतिशत वार्षिक सेवा प्रभार लिया जाता है, इस योजना के अंतर्गत ऋण वापसी की अवधि सात वर्ष निर्धारित की गई है (तीन वर्ष तक ऋण स्थगन-काल सहित)।

विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन यूनिटें स्थापित किए जाने के लिए स्वीकृत मामलों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा, स्वीकृत ऋण की राशि तथा ऋण का वास्तविक वितरण

(राशि लाख रुपये में)

योजना	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02*
सेम्फेक्स-1						
मामलों की सं.	10	12	12	9	शून्य	शून्य
स्वीकृत राशि	13.75	5.50	15.49	5.63	शून्य	शून्य
वितरित	10.41	5.50	14.97	5.61	शून्य	शून्य
सेम्फेक्स-2						
मामलों की सं.	415	359	468	297	4679	496
स्वीकृत राशि	289.16	179.76	379.17	274.51	2828.16	277.95
वितरित	192.87	171.04	266.94	265.98	2574.37	261.64
सेम्फेक्स-3						
मामलों की सं.	39	45	13	83	703	36
स्वीकृत राशि	119.39	57.13	27.24	135.54	581.22	20.4
वितरित	105.47	48.84	25.19	100.79	380.36	20.4

*वर्ष 2001-02 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं। सभी राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा एजेंसियां और कोयला परिवहन कंपनियां चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्वास महानिदेशक भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा एजेंसियों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रायोजित करते हैं। कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही परिवहन कंपनियों को कोयला परिवहन से संबंधित संविदाएं देती हैं।

(5) मरणोपरांत वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, आदि को आबंटित किये जाने के लिए आठ प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आरक्षित की गई हैं।

(6) भूतपूर्व सैनिक, सेना के निपटान योग्य अधिशेष वाहनों के आबंटन के लिए पात्र हैं।

II. कल्याणकारी योजनाएं:

चिकित्सा सुविधाएं:

(1) किसी भी प्रकार की पेंशन आहरित करने वाले भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और दिवंगत सैन्य कार्मिकों के परिवार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित 24 औषधालयों सहित 127 सैन्य अस्पतालों और 1000 से अधिक चिकित्सा निरीक्षण कक्षों में नि:शुल्क बहिरंग उपचार करवाने के हकदार हैं। बिस्तरों की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें अंतरंग उपचार भी मुहैया कराया जाता है।

(2) जो भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं वे डाक्टरी उपचार के लिए प्रतिमाह 100 रुपए आहरित करने का विकल्प चुन सकते हैं।

(3) गंभीर बीमारियों से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों को सिविल/प्राधिकृत अस्पतालों में इलाज पर किए गए कुल खर्च के सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से 90 प्रतिशत तक की (जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों, अन्य रैंकों के मामले में) और 75 प्रतिशत तक की (अफसर स्तर के मामले में) आर्थिक सहायता दी जाती है बशर्ते उन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराई गई हो। इन बीमारियों में बाइपास सर्जरी, एनजियोप्लास्टी, एनजियोग्राफी, गुर्दा/वृक्क प्रत्यारोपण, कैंसर/स्पास्टिक पैराप्लेजिक उपचार, कारोनरी आर्टरी सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व बदलना, पेसमेकर लगाना शामिल हैं। भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों को कतिपय गंभीर बीमारियों के लिए सिविल/प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार हेतु पैकेज दर पर सेना सामूहिक बीमा से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना:

भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं:

(1) युद्ध में मारे गए अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को मुफ्त शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं।

(2) रक्षा कार्मिकों की कतिपय श्रेणियों के आश्रितों/बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से एम बी बी एस में 25 सीटें, बी डी एस (दंड शल्य-चिकित्सा स्नातक) में 2 सीटें और इंजीनियरी में 2 सीटें उपलब्ध हैं।

(3) सेवारत कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

(4) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कालेजों/आई टी आई/पोलीटेकनिकों में सीटों का आरक्षण किया है।

यात्रा रियायत:

(1) *रेल यात्रा रियायत:* चक्र शृंखला के वीरता पुरस्कार विजेता, श्रेणी-1/2 ए सी श्रेणी में यात्रा करने के लिए मुफ्त रेल पास प्राप्त करने के हकदार हैं।

(2) *हवाई यात्रा रियायत:* कतिपय श्रेणी के वीरता पुरस्कार विजेता और उनकी विधवाएं इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में हवाई यात्रा करने के लिए किराए में 50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं।

अन्य सुविधाएं:

(1) भूतपूर्व सैनिक, नजदीकी सी एस डी कैंटीनों से कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपूर्ण देश में सैनिक भवन/विश्राम गृह स्थापित किए गए हैं।

III. भूतपूर्व सैनिकों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

(1) जिन बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार द्वारा चालित किसी अन्य पुनर्वास योजना का लाभ नहीं उठाया है वे स्वरोजगार

योजना (सेम्फेक्स-1, 2 तथा 3 और राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना) के अंतर्गत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।

(2) जिन भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे डाक्टरी उपचार, पुत्रियों के विवाह, घरों की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

IV. सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि

(1) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना (सेना से लघु उद्योग) के सिवाय सभी पुनर्वास और कल्याण योजनाएं पहली अप्रैल, 1998 से पहले लागू थीं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए न तो किसी विशिष्ट बजट का आबंटन किया जाता है और न ही इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

एनटीपीसी का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम

***335. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी को निजी कम्पनियों और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते): (क) से (घ) 10वीं योजना अवधि में कुल 41,110 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि में से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के लिए इसकी अपनी परियोजनाओं के जरिए निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 9160 मेगावाट रखा गया है।

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने संयुक्त उद्यम के जरिए विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं:

(1) 2000 मे.वा. तक के विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए 18 फरवरी, 2002 को रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जहां स्थल का निर्धारण व्यावहारिक स्थल के चयन तथा व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) तमिलनाडु में एन्नोर में 1000 मे.वा. के विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए 12 जुलाई, 2002 को तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-सूची तय किया जाना शेष है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी चैनलों द्वारा दुष्प्रचार

***336. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषत: संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारतीय प्रसारण के कमजोर सिगनल और विदेशी चैनलों के ट्रांसमीटरों से होने वाले बेहतर प्रसारण के कारण उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, और उनके दुष्प्रचार का शिकार बन जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शक्ति वाले विदेशी ट्रांसमीटरों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) दूरदर्शन अपनी विस्तार योजनाओं में सीमावर्ती क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज के विस्तार को प्राथमिकता दे रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 1347 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं और इनमें से 271 ट्रांसमीटर सीमावर्ती जिलों में हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की प्राप्ति की गुणवत्ता सामान्यतया सन्तोषजनक है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में सीमापार से टी.वी. संकेत प्राप्य हैं।

जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए, सरकार ने दूरदर्शन की हार्डवेयर परियोजनाओं के लिए 234.44 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले एक विशेष पैकेज को अनुमोदित किया था जिसके अंतर्गत 86 ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं और जम्मू और कश्मीर में शेष 6 ट्रांसमीटरों के चालू वित्त वर्ष के अंत में स्थापित हो जाने की आशा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप से एक विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस पैकेज के अंतर्गत स्कीमों के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाना है। तथापि, इस पैकेज के एक हिस्से के रूप में टी.वी. कवरेज के विस्तार के लिए 160 केबल शीर्ष छोर (सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक में 20) की स्थापना के अतिरिक्त 5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के उन्नयन (1 किलोवाट से 10 किलोवाट), शिलांग और आइजोल में भू-केन्द्रों की स्थापना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 (आठ) राजधानी केन्द्रों में उपग्रह विडियो फोनों (प्रत्येक केन्द्र में 2) के प्रावधान संबंधी स्कीमों को स्वीकृत कर दिया गया है और ये कार्यान्वयनाधीन हैं।

जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में टी.वी. सेवा के विस्तार और सुधार के लिए 40 ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

त्वरित विद्युत परियोजनाएं

***337. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) सरकार ने नौवीं योजना के दौरान कितनी त्वरित (फास्ट ट्रैक) विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) इन प्रत्येक विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन त्वरित विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में मुकदमेबाजी की कुछ समस्याएं थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की मौजूदा स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त पायी 8 प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारन्टी देने का निर्णय वर्ष 1994 में लिया था। विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय के लिए ही काउंटर गारंटी स्कीम है। भारत सरकार द्वारा अभिनिर्धारित इन 8 (आठ) परियोजनाओं को ही 'फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट'' का नाम दिया गया है, क्योंकि इन्हें ही अग्रणी परियोजना माना गया है जिनसे निजी-निवेश का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इन 8 (आठ) अभिनिर्धारित परियोजनाओं में से जिन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 9वीं योजना के दौरान वर्ष 1998 में अंगीकृत संशोधित कार्यविधि के तहत काउंटर गारन्टी दी गई है, वे इस प्रकार हैं:

(1) महाराष्ट्र में मेसर्स सेंट्रल इंडिया पावर कम्पनी की 2×536 मेगावाट क्षमता की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना;

(2) आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि. की 2 × 250 मेगावाट क्षमता की विशाखापट्टनम ताप विद्युत केन्द्र;

(3) तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कम्पनी की 1 × 250 मे.वा. क्षमता की नेवेली ताप विद्युत केन्द्र (शून्य यूनिट)।

उपर्युक्त तीन परियोजनाओं के अतिरिक्त 9वीं योजना के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए भी संशोधित कार्यविधि के अनुसार काउंटर गारन्टी की स्वीकृति दी गई है:

(4) उड़ीसा में मै. एईएस ''ईब'' वैली कारपोरेशन की 2×250 मेगावाट क्षमता की इब वैली ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट 5 और 6)

(5) कर्नाटक में मै. मैंगलोर पावर कम्पनी की 4 × 252.3 मेगावाट की मैंगलोर ताप विद्युत परियोजना (कोजेन्ट्रिक्स)

(ग) और (घ) *भद्रावती ताप विद्युत परियोजना:*

विभिन्न आधार पर भद्रावती पावर प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच में वर्ष, 1998 में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। उच्च न्यायालय में यह याचिका स्वीकार कर ली गई है। न्यायालयों ने अपने 26 मार्च, 2002 के आदेश में इस बात पर अमल किया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अब इस परियोजना को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक विद्युत क्रय करार तथा दाभोल पावर कंपनी के साथ के मतभेदों का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हो जाता है तथा राज्य में विद्युत की मांग इतनी अधिक हो गई है कि दाभोल पावर प्रोजेक्ट के अलावा

अन्यत्र से बिजली लेनी पड़ेगी। इसलिए न्यायालय ने अपने अगले आदेशों तक इस परियोजना के कार्य को आगे न बढ़ाने का निदेश दिया है। परियोजना के नियामकों द्वारा दायर विशेष याचिका भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय के साथ खारिज कर दी गई है कि पार्टी उच्च न्यायालय की शरण में जाने को स्वतंत्र है ताकि उनकी सुनवाई हो सके।

मैंगलोर पावर कंपनी:

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर्नाटक राज्य, कर्नाटक विद्युत बोर्ड तथा अन्य के विरुद्ध एक जनहित याचिका मै. कोजेन्ट्रिक्स (मै. मंगलोर पावर कंपनी) को परियोजना कार्य की सुपुर्दगी के मामले पर दायर करते हुए समुचित एजेंसियों से जांच की मांग की गई है। भारत सरकार ने इस मामले में किसी को प्रतिवादी नहीं बनाया है। इस मामले के तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जाए। कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया है।

एडवोकेट श्री सबा रहमान ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर्नाटक राज्य, 8 अन्य और भारत सरकार के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर कर कर्नाटक सरकार के दिनांक 8.5.2000 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें मै. कोजेन्ट्रिक्स एनर्जी इंक. का नाम बदलकर मै. मैंगलोर पावर कंपनी रखने की अनुमति दी गई है। यह जनहित याचिका खारिज हो गई है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में मैंगलोर प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय आधार पर विरोध करते हुए दो और याचिकाएं दायर की गई थी। ये याचिकाएं भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह निर्देश देते हुए खारिज कर दी गई कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा अन्य द्वारा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर दिए गए रिपोर्ट पर बिचार किया जाए और उनका समाधान किया जाए।

(ङ) उपर्युक्त उल्लिखित 5 परियोजनाओं में से नेवेली ताप विद्युत परियोजना को तमिलनाडु राज्य के ग्रिड से सबद्ध किया गया है। भद्रावती ताप विद्युत परियोजना और विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना के नियामकों को वित्तीय बन्दी करनी है तथा निर्माण कार्य भी शुरू किये जाने हैं। इसी बीच, काउंटर गारंटी में निर्धारित शर्तों को नियामकों द्वारा पूरा न किए जाने के कारण उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए काउंटर गारन्टी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिए निर्धारित शर्तों को स्वीकार किए जाने की सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं को भी अभी वित्तीय बन्दी करनी है और निर्माण कार्य भी शुरू करने हैं।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

***338. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की तर्ज पर स्वर्णिम चतुर्भुज रेल नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग/वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी;

(ङ) क्या तीनों वित्तपोषण एजेंसियों—जापान, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने लाइन क्षमता में वृद्धि करके स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों को, जो उच्च घनत्व वाले नेटवर्क के अंग हैं और जिनका अधिकांश भाग संतृप्त हैं, अपग्रेड करने का विनिश्चय किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज चार महानगरों अर्थात् चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। इस मार्ग को अतिरिक्त लाइनें बिछाकर, टर्मिनलों में सुधार करके, चुनिंदा खंडों का विद्युतीकरण करके और मालगाड़ियों की गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिघंटा करके, सिगनलिंग व्यवस्था को अपग्रेड करके तथा ऐसी ही अन्य विधियों की व्यवस्था करके सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे इस मार्ग की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी।

पहले से स्वीकृत कुछ निर्माण कार्यों को इस परियोजना का भाग बना दिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए जहां कहीं अपेक्षित था, योजना आयोग/विस्तारित बोर्ड/आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, नई उप-परियोजनाओं को भी चिन्हित किया गया है। इस समय इन उप-परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो, योजना आयोग/विस्तारित बोर्ड/आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति से अपेक्षित अनुमोदन

प्राप्त किए जाएंगे। इस कार्यक्रम पर आने वाली कुल लागत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, अनुमान है कि यह राशि लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास होगी।

(ङ) एशियाई विकास बैंक ने इसमें गहरी रुचि दर्शाई है और एक खण्ड ऋण, जिसमें ऋण का पहला भाग 313.6 मिलियन अमरीकी डालर होगा, अंतिम चरण में है। विश्व बैंक ने भी इसमें अपनी रुचि दर्शाई है और उनसे बातचीत शुरू कर दी गई है। जापान ने इस परियोजना के लिए अपनी विशिष्ट रुचि नहीं दर्शाई है।

(च) परियोजना के कुछ स्वीकृत भागों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पुल निरीक्षण प्रणाली

*339. **श्री सुनील खां:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग द्वारा पुलों की जांच करने के लिए क्या प्रणालियां अपनाई जाती हैं;

(ख) क्या मौके पर निरीक्षण और व्यक्तिनिष्ठ आकलन में व्यक्ति-दर-व्यक्ति अंतर आ जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल विभाग डिफेक्शन, स्कर, कम्पन या गतिज विशेषताओं, हिस्सों की मजबूती या सकल मजबूती या हिस्से या पुल ढांचे की शेष उपयोगिता अवधि के आकलन के निरीक्षण रिकार्ड रखता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) संहिताओं और नियमावली में उल्लिखित पुलों के निरीक्षण की प्रणाली के अनुसार रेलवे पुलों के (1) नेमी निरीक्षणों, एवं (2) विशेष निरीक्षणों के दौरान व्यापक निरीक्षण किये जाते हैं, रेलवे पुलों की वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु से पहले सैक्शन इंजीनियर (रेलपथ/निर्माण) द्वारा और वर्षा ऋतु के बाद सहायक इंजीनियर द्वारा व्यापक जांच की जाती है। मंडल इंजीनियर वर्ष में एक बार सभी प्रमुख पुलों का निरीक्षण करता है और उसके द्वारा बताए गए अन्य सभी पुलों का सहायक इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। सभी निरीक्षणों को पुल निरीक्षण रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उसे क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियर के समक्ष उसके द्वारा बताए गए पुलों के निरीक्षण और संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पुल के विभिन्न भागों की दशा से संबंधित रेटिंग अंक प्रदान किये जाते हैं। थकानग्रस्त पुलों की विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण की बारंबारता बढ़ाई जाती है और नियमावलियों में उसका उल्लेख किया जाता है। पुलों के इस्पाती बाहरी ढांचे की 5 वर्ष में एक बार विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है। प्रारंभिक इस्पात के गर्डरों की आधार प्रणाली की वर्ष में एक बार जांच की जाती है। बाढ़ के दौरान और/अथवा भारी वर्षा के कारण अपेक्षित होने पर, जब कभी आवश्यक होता है, विशेष जांचें भी की जाती हैं।

(ख) दुनिया में कहीं भी बाहरी तौर से देख-परखकर जांच करने की प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन का तत्व रहना अवश्यम्भावी है। किसी विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए भारतीय रेलों पर पुल निरीक्षण की प्रणाली में वर्ष में एक बार पुलों का निरीक्षण और विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षण की प्रणाली लागू की गई है। पुल के गैर-विनाशक परीक्षण की प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा शुरू किया जा चुका है।

(ग) से (ङ) विस्तृत तकनीकी जांचों के दौरान 12.2 मीटर से अधिक के स्पैन वाले पुलों के इस्पाती बाहरी ढांचे के कैम्बर की रिकार्डिंग की जाती है, जिसके लिए एक निर्धारित अनुसूची है। वर्षा ऋतु के दौरान पुलों की साफ-सफाई दर्ज की जाती है। जहां आवश्यक होता है, वहां पुलों की मजबूती या पुल की सकल मजबूती का आकलन दशा के आधार पर किया जाता है। इस्पाती बाहरी ढांचे की मजबूती की दशा का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं और यह वार्षिक निरीक्षणों के दौरान पता चलने वाली दशा के आधार पर भी किया जाता है।

आकाशवाणी के अभिलेखागारों का संरक्षण

*340. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "व्हाट इज द फ्यूचर फॉर ए आई आर'स आरकाइव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन अभिलेखागारों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अभिलेखीय सामग्री की उपेक्षा नहीं की जा रही है। वास्तव में, एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक पृथक इकाई अभिलेखीय टेपों की देखभाल कर रही है इन टेपों को वातानुकूलित कक्षों में रखा जाता है इसके अतिरिक्त आकाशवाणी ने अपने अभिलेखों के संरक्षण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) चुम्बकीय टेपों पर उपलब्ध पुरानी रिकार्डिंग को डिजिटल बनाने के लिए नवम्बर, 2001 से 3 करोड़ रु. की एक परियोजना शुरू की गई है।

(2) अभिलेखों में चुम्बकीय टेपों की विषय-वस्तु को इलेक्ट्रानिक फोर्मेट में बदला जा रहा है जिनकी टूट-फूट नहीं होती।

(3) डिजिटल किए गए अभिलेख सामग्री के भंडारण के लिए विशेष अभिलेखीय कपबोर्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं और सं.रा.वि.का. की सहायता से आकाशवाणी भवन में एक अत्यधिक परिष्कत रिफर्बिशिंग मेकेनिज्म की स्थापना की गई है। 13000 घंटों के अभिलेख रिकार्डिंगों को पहले ही डिजिटल बनाया जा चुका है।

रेल कार्यशालाएं

*341. **श्री रामदास आठवले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत कार्यरत कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंबई की मतुंगा और पारेल कार्यशालाएं और शोलापुर स्थित कुरदवारी रेल कार्यशाला बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य रेल कार्यशालाएं भी इसी स्थिति का सामना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त कार्यशालाओं के पुनरुद्धार हेतु क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) भारतीय रेलें ग्यारह जोनों में बंटी हुई हैं। इन रेलवे जोनों की प्रमुख कार्यशालाओं की सूची निम्नलिखित है:

यांत्रिक मरम्मत कार्यशालाएं: (कुल संख्या - 43)

मध्य रेलवे	-	परेल, कुर्दुवाडी, माटुंगा, भोपाल, झांसी, सिथौली
पूर्व रेलवे	-	जमालपुर, कांचरापाड़ा, लिलुआ
पूर्व मध्य रेलवे	-	समस्तीपुर
उत्तर रेलवे	-	चारबाग, आलमबाग, जगाधरी, अमृतसर, कालका
पूर्वोत्तर रेलवे	-	गोरखपुर, इज्जतनगर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	-	डिब्रूगढ़, न्यू बोंगाइगांव, लामडिंग, तीनधारिया
उत्तर पश्चिम रेलवे	-	अजमेर, बीकानेर, जोधपुर
दक्षिण रेलवे	-	पेरम्बूर (लाको) पेरम्बूर (कैरिज), गोल्डन रॉक, मैसूर
दक्षिण-मध्य रेलवे	-	लालागुडा, गुंतापल्ली, तिरूपति, हुबली
दक्षिण-पूर्व रेलवे	-	खड़गपुर, नागपुर, रायपुर, मंचेश्वर
पश्चिम रेलवे	-	दाहोद, लोअर परेल, महालक्ष्मी, कोटा, जूनागढ़, भावनगर, प्रतापनगर

सिविल इंजीनियरी कार्यशाला : (कुल संख्या - 10)

मध्य रेलवे	-	मनमाड
पूर्व रेलवे	-	मुगलसराय (1.4.03 से यह कार्यशाला पूर्व मध्य रेलवे को स्थानांतरित कर दी जाएगी)
उत्तर रेलवे	-	जालंधर, लखनऊ
पूर्वोत्तर रेलवे	-	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	-	बोंगाइगांव
दक्षिण रेलवे	-	आरक्कोणम
दक्षिण-मध्य रेलवे	-	लालागुडा
दक्षिण-पूर्व रेलवे	-	सिनी
पश्चिम रेलवे	-	साबरमती

सिगनल एवं दूर संचार कार्यशाला : (कुल संख्या - 9)

मध्य रेलवे	-	भायखला
पूर्व रेलवे	-	हावड़ा
उत्तर रेलवे	-	गाजियाबाद
पूर्वोत्तर रेलवे	-	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	-	पांडु
दक्षिण रेलवे	-	पोदानूर
दक्षिण-मध्य रेलवे	-	मेट्टुगुडा
दक्षिण-पूर्व रेलवे	-	खड़गपुर
पश्चिम रेलवे	-	साबरमती

बिजली इंजीनियरी कार्यशाला : (कुल संख्या - 2)

मध्य रेलवे	-	भुसावल, नासिक

(ख) जी नहीं। मुंबई में माटुंगा और परेल कार्यशालाएं तथा शोलापुर स्थित कुर्डुवाडी कार्यशाला बंद होने के कगार पर नहीं हैं। इन कार्यशालाओं में डीजल रेल इंजनों, बड़े आमान के सवारी डिब्बों, वातानुकूल सवारी डिब्बों, इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों और छोटे आमान के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग का काम किया जाता है। बड़े आमान के सवारी डिब्बों का दुर्घटना राहत गाड़ियों के रूप में परिवर्तन, ब्रेक ब्लॉकों का निर्माण और क्रेनों की आवधिक ओवरहालिंग जैसे कुछ अन्य कार्य भी इन कार्यशालाओं में किये जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, कार्यशालाओं के कार्यभार की रेलवे बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इन समीक्षाओं तथा रेल यातायात के बदलते हुए स्वरूप के आधार पर ही किसी कार्यशाला को बंद करने का निर्णय लिया जाता है।

महानगर गैस में ब्रिटिश गैस और गेल की हिस्सेदारी

3493. श्री किरीट सोमैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश गैस और गेल महानगर गैस में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 35% करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो महानगर गैस में अंशधारिता का वर्तमान स्वरूप क्या है; और

(ग) महानगर गैस में सरकार का कुल निवेश कितना है और इस संबंध में सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) अन्ततः गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा ब्रिटिश गैस, दोनों की हिस्सेदारियों का प्रतिशत 35 प्रतिशत पर पहुंचना है।

(ख) और (ग) मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड (एम जी एल) गेल (इंडिया) लिमिटेड, ब्रिटिश गैस तथा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। सरकार द्वारा एम जी एल के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं हुआ है। मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड का वर्तमान अंशधारिता प्रतिमान नीचे दिया गया है:

गेल	-	49.75 प्रतिशत (इक्विटी 44.45 करोड़ रुपए)
ब्रिटिश गैस	-	49.75 प्रतिशत (इक्विटी 44.45 करोड़ रुपए)
महाराष्ट्र सरकार	-	0.5 प्रतिशत (इक्विटी 0.4416 करोड़ रुपए)

[हिन्दी]

नेशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन की कार्य योजना

3494. श्री सुबोध राय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर क्षेत्र में विद्युत समस्या का समाधान करने के लिए नेशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन की कोई कार्य योजना सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) के सबौर (भागलपुर) स्थित 132 के.वी. उप-केन्द्र, जो 132 केवी सिंगल सर्किट (एस/सी) लाइन के जरिए कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र से जुड़ा हुआ है, के द्वारा की जाती है। सबौर 132 के.वी. एस/सी लाइन के जरिए ललमटिया (झारखंड) से जुड़ा हुआ है, जो पुनः फरक्का से तथा 132 के.वी. डबल सर्किट (डी/सी) लाइन के जरिए सुल्तानगंज से जुड़ा हुआ है। बीएसईबी ने राज्य में उप-पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एक ठोस योजना भी तैयार की है। उक्त

योजना, जिसे पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, के अंतर्गत कहलगांव स्थित सबौर-ललमटिया 132 केवी लाइन के लूप-इन-लूप-आउट के द्वारा तथा सबौर से बांका तक नई 132 के.वी. लाइन के निर्माण के जरिए सबौर को विद्युत आपूर्ति प्रबंध के सुदृढ़ीकरण का विचार है। बीएसईबी ने उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग से अनुदान मुहैया कराने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति

3495. श्री ए. नरेन्द्र: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में चालू जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में की गई प्रगति की समीक्षा का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) पता लगाई गई जल विद्युत संभावनाओं और अंतिम रूप दी गई नई जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी अवस्थिति तथा क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य में और विशेषरूप से आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में प्रस्तावित निवेश की राशि कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास पर एक नीति की घोषणा की थी। नीति में इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये थे:

(1) केन्द्रीय क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र की हाइडल परियोजनाओं को पर्याप्त निधि मुहैया कराना है।

(2) नई जल संभाव्य स्थलों का बेसिन-वार विकास

(3) सघन सर्वेक्षण एवं जांच के जरिए परियोजना का शेल्फ और विश्वसनीय डीपीआर तैयार करना।

(4) संयुक्त उद्यम प्रबंध के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा।

(5) हाइडल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक कोष तैयार करना।

(6) हाइड्रो टैरिफ का यौक्तिकरण।

(7) भू-वैज्ञानिक जोखिमों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना।

(8) अंत: राज्यीय मामलों में लिप्त या निधियों के अभाव में लंबित परियोजनाओं को शुरू करना।

(9) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर अधिक बल देना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की जाने वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के परियोजना-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) देश की जल संभाव्यता 1,48701 मे.वा. आंकी गई है। अभिज्ञात की गई राज्य-वार जल शक्यता विवरण-II में दर्शाई है। वर्तमान में 10वीं योजना एवं इसके आगे की अवधि में देश में कुल 14,344 मे.वा. की 35 स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं तथा इनकी अनुमानित लागत 58,778.85 करोड़ रु. है। विभिन्न राज्यों समेत आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल में स्थल, क्षमता एवं निवेश दर्शाते हुए परियोजना-वार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भौतिक कार्यनिष्पादन		वित्तीय कार्यनिष्पादन	
		लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)	आवंटन (करोड़ रुपए)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
		1999-2000			
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	दोयांग (नीपको) (नागालैंड) (3×25 मेगावाट)	50.0	शून्य	110.00	190.00

1	2	3	4	5	6
2.	रंगित-3 (एनएचपीसी) (सिक्किम) (3×20 मेगावाट)	20.0	60.0	106.55	104.49
राज्य क्षेत्र					
3.	सेवा-3 (जम्मू व कश्मीर) (3×3 मेगावाट)	9.0	शून्य	4.60	3.39
4.	चेनानी-3 (जे एंड के) (3×2.5 मेगावाट)	7.5	शून्य	5.80	4.82
5.	अपर सिंध-2 (जम्मू व कश्मीर) (2×35 मेगावाट)	शून्य	35.0	9.09	35.68
6.	रंजीत सागर बांध (पंजाब) (4×150 मेगावाट)	300.00	शून्य	145.00	208.39
7.	राजघाट (म.प्र.) (3×15 मेगावाट)	45.0	45.0	19.69	7.60
8.	दूधगंगा (महाराष्ट्र) (2×12 मेगावाट)	24.0	24.0	3.09	3.53
9.	कोयना चरण-4 (महाराष्ट्र) (4 × 250 मेगावाट)	500.0	750.0	113.00	61.85
10.	सिंगुर (आ.प्र.) (2×7.5 मेगावाट)	15.0	15.0	6.57	3.78
11.	काक्कड़ (केरल) (2×25 मेगावाट)	50.0	50.0	1.10	9.84
12.	कालीनदी-2 (कर्नाटक) कोडासल्ली (3×40 मेगावाट)	40.0	40.0	21.22	14.79
13.	पार्सन्स वैली (तमिलनाडु) (1×30 मेगावाट)	30.0	30.0	9.11	12.26
14.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा) (4×150 मेगावाट)	450.0	300.0	94.65	148.79
15.	तीस्ता नहर प्रपात (पश्चिम बंगाल) (3×3×7.5 मेगावाट) चरण-3	22.5	22.5	16.10	23.02
	जोड़ (अखिल भारत)	1563.0	1371.5		
			2000-01		
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	दोयांग (नीपको) (नागालैंड) (3×25 मेगावाट)	75.0	75.0	70.85	49.83

1	2	3	4	5	6
राज्य क्षेत्र					
2.	घानवी (हि.प्र.) (2×11.25 मेगावाट)	22.50	22.50	5.60	17.54
3.	अपर सिंध-2 (जम्मू व कश्मीर) (2×35 मेगावाट)	35.0	शून्य	–	–
4.	अपर सिंध विस्तार (जम्मू व कश्मीर) (3×13 मेगावाट)	35.0	शून्य	30.60	18.62
5.	सेवा-3 (जम्मू व कश्मीर) (3×3 मेगावाट)	9.0	शून्य	4.26	4.58
6.	चेनानी-3 (जम्मू व कश्मीर) (3×2.5 मेगावाट)	7.5	7.5	5.57	2.04
7.	पहलगांव (जम्मू व कश्मीर) (2×1.5 मेगावाट)	1.5 1.5		एमएनईएस के अधीन	
8.	रंजीत सागर बांध (पंजाब) (4×150 मेगावाट)	600.0	600.0	101.37	244.76
9.	श्रीसेलम एलबीपीएच (आं.प्र.) (6×150 मेगावाट)	150.0	150.0	228.10	251.33
10.	शरावती टेलरेस (कर्नाटक) (4×60 मेगावाट)	60.0	60.0	74.00	67.53
11.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा) (4×150 मेगावाट)	300.0	300.0	70.00	37.67
12.	बाणसागर टोंस चरण-3 (म.प्र.) (3×20 मेगावाट)	शून्य	20.0	92.00	65.19 (चरण-1, 2 व 4 सहित)
13.	कुटियाडी विस्तार (केरल) (1×50 मेगावाट)	शून्य	50.0	6.50	30.92
	जोड़ (अखिल भारत)	1297.0	1285.0		
		2001-02			
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी) (उत्तरांचल) (4×250 मेगावाट)	250.0	शून्य	1081.93	993.88

1	2	3	4	5	6
2.	रंगानदी (नीपको) (अरुणाचल प्रदेश) (3×135 मेगावाट)	405.0	405.0	214.31	174.84
राज्य क्षेत्र					
3.	अपर सिंध-2 (जम्मू व कश्मीर) (2×35 मेगावाट)	35.0	35.0	अनुपलब्ध	103.89
4.	अपर सिंध विस्तार (जम्मू व कश्मीर) (1×35 मेगावाट)	35.0	35.0	–	–
5.	सेवा-3 (जम्मू व कश्मीर (3×3 मेगावाट)	9.0	9.0	8.89	18.25
6.	पहलगांव (जम्मू व कश्मीर) (2×1.5 मेगावाट)	1.5 1.5		एमएनईएस के अधीन	
7.	बाण सागर चरण-3 (म.प्र.) (3×20 मेगावाट)	40.0	20.0	44.41	61.87 (चरण-1, 2 व 4 सहित)
8.	श्रीसेलम एलबीपीएच (आ.प्र. (6×150 मेगावाट)	450.00	300.0	126.48	129.79
9.	शरावती टेलरेस (कर्नाटक (4×60 मेगावाट)	180.0	180.0	42.57	9.93
10.	कलपोंग (अंदमान व निकोबार) (3×1.75 मेगावाट)	5.25	5.25	28.36	3.50
11.	चांडिल एलबीसी (झारखण्ड) (2×4 मेगावाट)	8.0	शून्य	6.00	2.42
12.	पोत्तेरू चरण-1 व 2 (उड़ीसा) (1×3 + 1 × 3 मेगावाट)	6.0	शून्य	3.00	2.25
13.	लिकिम-रो (नागार्जुन) (3×8 मेगावाट)	24.0	16.0	24.72	24.89
14.	बाणसागर टॉस चरण-2 म.प्र. (2×15 मेगावाट)	शून्य	15.0	44.41	61.87 (चरण-1, 2 व 4 सहित)
निजी क्षेत्र					
15.	मलाना (हि.प्र.) (2×43 मेगावाट)	86.0	86.9	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	जोड़ (अखिल भारत)	1536.25	1106.25		

विवरण II

1.11.2002 की स्थितिनुसार जल विद्युत शक्यता विकास की स्थिति
(3 मेगावाट से ऊपर की स्कीमें)

क्षेत्र/राज्य	पुनःमूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिज्ञात क्षमता	विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित क्षमता+ विकासाधीन (चरण-2 परियोजना को छोड़कर)		क्षमता जिसे अभी विकसित किया जाना है	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	%	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	(%)	(मे.वा.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी									
जम्मू व कश्मीर	14146	1473	10%	840	5.9%	3713.3	26.2%	10432.8	73.8%
हि.प्र.	18820	3668	19%	3896	20.7%	7564.5	40.2%	11255.6	59.8%
पंजाब	971	1296	100%	168	17.3%	1463.5	100.0%	0.0	0.0%
हरियाणा	64	48	75%	14	22.5%	62.4	97.5%	1.6	2.5%
राजस्थान	496	430	87%	0	0.0%	430.0	86.7%	66.0	13.3%
उत्तरांचल	18175	1109	6%	3134	17.2%	4242.9	23.3%	13932.2	76.7%
उत्तर प्रदेश	723	501	69%	0	0.0%	501.0	69.3%	222.0	30.7%
उप जोड़ (उ.क्षे.)	53395	8525	16%	8052	15.1%	17977.5	33.7%	35417.6	66.3%
पश्चिमी									
म.प्र. एवं छत्तीसगढ़	4485	969	22%	1460	32.6%	2428.5	54.1%	2056.5	35.9%
गुजरात	619	405	65%	150	24.2%	555.0	89.7%	64.0	10.3%
महाराष्ट्र	3769	2594	69%	0	0.0%	2594.3	68.8%	1174.7	31.2%
गोवा	55	0	0%	0	0.0%	0.0	0.0%	55.0	100.0%
उप जोड़ (द.क्षे.)	8928	3968	44%	1610	18.0%	5577.8	62.5%	3350.2	37.5%
दक्षिणी									
आंध्र प्रदेश	4424	2018	46%	0	0.0%	2017.5	45.6%	2406.5	54.4%
कर्नाटक	6602	2909	44%	12	0.2%	2921.4	44.3%	3680.6	55.7%
केरल	3514	1800	51%	30	0.9%	1829.8	52.1%	1684.3	47.9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	1918	1580	82%	150	7.8%	1730.5	90.2%	0.0	0.0%
कुल जोड़ (द.क्षे.)	16458	8307	50%	192	1.2%	8499.1	51.6%	7958.9	38.4%
पूर्वी									
झारखण्ड	753	234	31%	32	4.2%	266.0	35.3%	487.0	64.7%
बिहार	70	45	64%	0	0.0%	44.9	64.1%	0.0	0.0%
उड़ीसा	2999	1844	61.3%	60	2.0%	1903.5	63.5%	1095.5	36.5%
पश्चिम बंगाल	2841	157	6%	0	0.0%	156.5	5.5%	2684.5	94.5%
सिक्किम	4286	84	2%	510	11.9%	594.0	13.9%	3692.0	86.1%
उप जोड़ (पू.क्षे.)	10949	2363	22%	602	5.5%	2964.9	27.1%	7984.1	72.9%
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
मेघालय	–	185	8%	84	3.5%	269.2	11.2%	2124.8	88.8%
त्रिपुरा	15	15	100%	0	0.0%	15.0	100.0%	0.0	0.0%
मणिपुर	1784	105	6%	90	5.0%	195.0	10.9%	1589.0	89.1%
असम	680	250	37%	145	21.3%	395.0	58.1%	285.0	41.9%
नागालैंड	1574	99	6%	0	0.0%	99.0	6.3%	1475.0	93.7%
अरुणाचल प्रदेश	50328	416	1%	0	0.0%	3015.5	6.0%	47312.5	94.0%
मिजोरम	2196	0	0%	60	2.7%	60.0	2.7%	2136.0	97.3%
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	58971	1070	2%	379	0.6%	4048.7	6.9%	54922.3	93.1%
अखिल भारत	148701	24232	16%	10836	7.3%	39068.0	26.3%	109633.1	73.7%

विवरण III

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना

निर्माणाधीन परियोजनाएं—(अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र/राज्य	अधिष्ठापित क्षमता	चालू होने का कार्यक्रम (मेगावाट)	अद्यतन लागत	03/2002 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	2004-05	1578.31	647.75
2.	चमेरा चरण-2 (एनएचपीसी)	हि.प्र.	300.00	2004-05	1684.02	1064.62

1	2	3	4	5	6	7
3.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जे. एंड के.	390.00	2003-04	355.97	3275.61
4.	पुरुलिया पीएसएस (एनएचपीसी)	प. बंगाल	900.00	2006-07	3188.90	232.49
5.	तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी)	सिक्किम	510.00	2006-07	2198.04	341.00
6.	लोकतक (डी/एस (एनएचपीसी)	मणिपुर	90.00	2008-09	578.62	16.48
7.	पार्वती चरण-2 (एनएचपीसी)	हि.प्र.	800.00	2009-10	3919.59	148.70
8.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	म.प्र.	1000.00	2004-06	3527.51	1289.21
9.	नाथपा-झाकड़ी (एनजेपीसी)	हि.प्र.	1500.00	2003-04	7666.1	6440.25
10.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	2002-04	5690.64	4201.34
11.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	400.00	2005-06	1301.56	72.65
12.	तुरियल (नीपको)	मिजोरम	60.00	2006-07	448.19	59.80
13.	कोपिली चरण-2 (नीपको)	असम	25.00	2003-04	99.35	55.20
14.	कोलडैम (एनटीपीसी)	हि.प्र.	800.00	2008-10	4527.15	137.22
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)		8055.00		36764.19	17982.35
राज्य क्षेत्र						
	उत्तर क्षेत्र					
15.	बगलीहार	जे. एंड के.	450.00	2004-05	3810.00	1260.00
16.	लारजी	हि.प्र.	126.00	2004-05	908.64	381.60
17.	मनेरी भाली-2	उत्तरांचल	304.00	2005-06	1249.18	165.15
18.	लखवर व्यासी	उत्तरांचल	420.00	ग्यारहवीं योजना	1446.00	246.09
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)		1300.00		7413.82	2052.84
	पश्चिमी क्षेत्र					
19.	सरदार सरोवर	गुज./म.प्र./ महाराष्ट्र	1450.00	2002-07	3267.25	2422.58
20.	मुदीखेड़ा	म.प्र.	40.00	2004-05	169.17	3.60
21.	बाण सागर टोंस-4	म.प्र.	20.00	2004-05	84.97	8.65
22.	घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	2004-05	1184.60	502.42
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)		1760.00		4705.99	2937.25

1	2	3	4	5	6	7
	दक्षिणी क्षेत्र					
23.	प्रियदर्शिनी जुराला	आ.प्र.	235.00	2006-07 (दो इकाई) और ग्यारहवीं योजना में चार इकाई	547.00	अनुपलब्ध
24.	श्रीसेलम एलबीपीएच	आं.प्र.	900.00	2000-04	2482.00	2414.17
25.	अलमट्टी बांध	कर्नाटक	290.00	2004-06	674.38	65.76
26.	पाइकारा अल्टीमेट	तमिलनाडु	150.00	2003-04	373.06	211.91
27.	भवानी बैराज 1 से 3	तमिलनाडु	90.00	2004-05	241.82	19.06
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)		1665.00		4318.26	2711.44
	पूर्वी क्षेत्र					
28.	बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	150.00	2005-07	200.09	21.58
29.	बालीमेला टीपीएच	उड़ीसा	60.00	ग्यारहवीं योजना	69.30	शून्य
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)		210.00		269.39	21.58
	पूर्वोत्तर क्षेत्र					
30.	कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	2004-05	267.27	142.35
31.	मिंत्दू	मेघालय	84.00	2006-07	363.08	2.68
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		184.00		630.35	145.03
	कुल (राज्य क्षेत्र)		5119.00		17337.81*	7868.14
	निजी क्षेत्र					
32.	बास्पा चरण-2	हि.प्र.	300.00	2003-04	949.23	1310.41
33.	धामीवाड़ी सुण्डा	हि.प्र.	70.00	2006-07	139.96	4.10
34.	विष्णुप्रयाग	उ.प्र.	400.00	2006-07	1614.66	407.00
35.	महेश्वर	म.प्र.	400.00	2005-07	1673.00	588.92
	कुल (निजी क्षेत्र)		1170.00		4676.85	2310.43
	कुल (अखिल भारत)		14344.00		58778.85	28160.91
	उपरोक्त में जल विद्युत क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है		700.00			
	निष्पादनाधीन निवल हाइड्रो क्षमता		13644.00			

मूलभूत सुविधा और मौजूदा सुविधा में सुधार करना

3496. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर स्थित इतपारी रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस स्टेशन के नजदीक रहने वाले नागरिकों से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) इतवारी 'बी' कोटि का स्टेशन है तथा 'बी' कोटि के स्टेशन के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, सायबान, टोटियां, शौचालय, मूत्रालय, शीटें आदि पहले ही इतवारी स्टेशन पर मौजूद हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा मिस्र में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण

3497. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने मिस्र में पता लगाए गए दो अपतटीय तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हो रही बातचीत अंतिम दौर में है;

(ग) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सौदे से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल), इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (आई सी आई सी आई) और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन (एच डी एफ सी) के संयुक्त उद्यम मैसर्स प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के साथ मैसर्स डेवन एनर्जी, यू एस ए से संबंधित, स्वेज, मिश्र अपतटीय खाड़ी में दो अन्वेषण और उत्पादन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 13.8.2002 को नान वाईडिंग निविदा प्रस्तुत की। सूचीबद्ध और अध्यवसाय के कारण यह ओ आई एल द्वारा किया गया। तथापि, जोखम प्रतिलाभ परिप्रेक्ष्य में कोई भी ठोस निविदा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में नेशनल ईरानियन आयल कंपनी का हिस्सा

3498. श्रीमती प्रभा राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल ईरानियन आयल कंपनी ने इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ बने रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में नेशनल ईरानियन आयल कंपनी की कितनी इक्विटी है और क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में नेशनल इरानियन आयल कंपनी के हिस्से को खरीद लेने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो नेशनल ईरानियन आयल कंपनी से उसका हिस्सा प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि अदा की जानी आवश्यक है और इसके द्वारा इससे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को कितना फायदा होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एन.आई.ओ.सी.) ने चेन्नै पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) में अब भी अपने शेयरों को धारण किया हुआ है। एन.आई.ओ.सी. ने सी.पी.सी.एल. से अलग होने की मंशा प्रकट नहीं की है।

(ख) एन.आई.ओ.सी. के पास सी.पी.सी.एल. के 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 2,29,32,900 शेयर हैं जोकि कंपनी की

अभिदत्त पूंजी का 15.38% है। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने एन.आई.ओ.सी. से, सी.पी.सी.एल. में उनके शेयर खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान की परियोजनाओं को धनराशि

3499. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा देश में विशेष रूप से राजस्थान में वित्तपोषित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक मंजूर की गई और जारी की गई धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा वित्त पोषित निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं। पीएफसी द्वारा राजस्थान राज्य में स्वीकृत एवं संवितरित राशि के ब्यौरे (परियोजना-वार) विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पीएफसी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत यूटिलिटियों को दी गई राशि स्वीकृति एवं संवितरण
(आरंभ से 30 नवम्बर तक के आंकड़े)

राज्य	स्कीमों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	189	5735.13	3659.80
अरुणाचल प्रदेश	3	261.55	231.84
असम	16	280.41	69.88
बिहार	16	257.35	180.39
छत्तीसगढ़	19	482.11	155.07
दिल्ली	1	700.00	390.09
गोवा	8	45.43	29.22
गुजरात	98	3069.63	1308.27
हरियाणा	76	3865.18	1981.66
हिमाचल प्रदेश	46	1062.78	720.99
जम्मू-कश्मीर	7	98.36	82.35
झारखंड	1	0.10	0.00
कर्नाटक	149	3329.19	2188.87
केरल	23	359.62	276.26
मध्य प्रदेश	103	3121.10	1707.22

1	2	3	4
महाराष्ट्र	162	3714.17	2743.37
मणिपुर	1	4.50	4.05
मेघालय	4	180.03	0.03
मिजोरम	5	37.79	37.79
नागालैंड	23	240.56	234.60
उड़ीसा	72	1797.49	1264.85
पंजाब	46	2071.63	1557.52
राजस्थान	154	5653.88	4562.40
सिक्किम	7	12.50	12.50
तमिलनाडु	151	3872.53	2231.50
उत्तर प्रदेश	111	4659.77	1601.32
उत्तरांचल	2	170.19	50.00
पश्चिमी बंगाल	55	1609.79	762.02
कुल	1548	46692.77	28043.86

विवरण II

30 नवम्बर, 2002 तक राजस्थान राज्य में स्थित विद्युत परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
खेतड़ी रतन गढ़	5.08	5.08
कोटा चरण-2	10.00	10.00
199 एमवीएआर केपेसिटर	5.00	5.00
अन्ता कोटा लाइन 320 केवी	2.75	2.75
कोटा चरण-2	30.00	30.00
कोटा-बीवर-जोधपुर 220केवी	11.90	11.90
बुहना 132 केवी ग्रिड एस/एस	0.61	0.61
रानीवाडा 133 केवी	0.81	0.81

1	2	3
220 केवी रतनगढ़-सूरतगढ़	10.77	10.77
98 एमवीएआर केपेसिटर	2.99	2.99
हीरापुर एस/एस	2.33	2.33
कोटा 8वीं योजना	29.06	26.15
भाखरा राइट	9.44	9.44
कोटा एसटीपी चरण-3	30.00	30.00
150 एमवीएआर	1.00	1.00
पीलीबंगा	0.95	0.95
300 एमवीएआर	12.40	11.16
डब्ल्यू बी-लोन 3436-इन	0.02	0.02
हिन्डौन 220/132	10.20	10.20
पिपलियाकलां	2.66	2.66
उदयपुरवती	2.51	2.51
मोदक 220 केवी	7.99	7.99
भिलवाडी 1×100 एमवीए सब-स्टेशन	13.72	13.72
रामगढ़ जीपीपी 1×35.5 मे.वा. जीटी	36.00	36.00
डब्ल्यू-भीनमल	11.56	11.56
बिलारा 220/132	5.49	5.49
डब्ल्यू-बलोरता	15.53	15.53
डब्ल्यू-जयपुर सिटी	18.63	18.63
डब्ल्यू-जोधपुर सिटी	16.60	16.60
डब्ल्यू-सरदारशहर	3.10	3.10
डब्ल्यू-तीनवारी	9.09	9.09
डब्ल्यू-उदयपुर सिटी	15.35	15.35
डब्ल्यू-कोटा सिटी	16.14	16.14
डब्ल्यू-बीकानेर सिटी	17.45	17.45
100 एमवीए, 220 केवीएस/एस चोमु	4.37	4.37
220/132 केवी एस/एस हनुमानगढ़	8.31	8.31

1	2	3
300 एमवीएआर सीएपी बैंक	12.24	12.24
डब्ल्यू-220 केवी एस/एस बीकानेर	40.09	40.09
220/132 केवीएस/एस मेरटा	7.66	7.66
डब्ल्यू-अजमेर सिटी	18.18	18.18
1×12.5 एमवीए, अमरपुरा (टिहरी)	2.52	2.52
1×12.5 एमवीए, 132/33 केवी बनसुर	2.52	2.52
1×100 एमवीए, 220/132 एस/एस बाली	6.03	6.03
1×12.5 एमवीए 132/23 केवी सेलोमबर	1.99	1.99
132 केवी लाइन-जैसलमेर-बारमेर	9.03	9.03
अलवर सिटी	10.08	10.08
सिकर सिटी	9.45	9.45
भरतपुर सिटी	4.84	4.84
भीलवाड़ा सिटी	12.16	12.16
पाली सिटी	6.75	6.75
सवाई माधोपुर सिटी	3.79	3.79
बरन सिटी	3.18	3.18
बीवर सिटी	3.76	3.76
चित्तौरगढ़ सिटी	5.28	5.28
किशनगढ़ सिटी	2.70	2.70
जयपुर सिटी एससीएडीए सिस्टम	2.40	2.40
श्रीगंगानगर सिटी	10.57	10.57
टोंक सिटी	3.68	3.68
जयपुर-एलटी लेस सिस्टम	61.30	61.30
400 केवी एस/सी सूरतगढ़ टीपीएस-रतन	49.00	49.00
गंगुवाल एचपीएस यूनिट-3 का आर एण्ड यू	2.02	2.02
कोटला एचपीएस यूनिट-3 का आर एण्ड यू	2.02	2.02
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-1	125.00	125.00
300 एमवीएआर शन्ट कैपेसिटर्स	6.67	6.67

1	2	3
कोयला व रेल भाड़ा	50.00	50.00
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×210 मे.वा.) यू. 2	300.00	300.00
कोयला व रेल भाड़ा	20.00	20.00
कोयला व रेल भाड़ा	10.00	10.00
कोयला व रेल भाड़ा	50.00	50.00
गंगुवाल यूनिट-3 का आरएम एण्ड यू	2.66	2.66
कोटला का आरएम एण्ड यू	2.66	2.66
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोटा टीपीएस चरण-1 और 2 का आरएण्ड एम	5.83	5.83
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×7.2 मे.वा.)	400.00	400.00
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोयला, तेल और अन्य	20.00	20.00
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×250 मे.वा.)	400.00	392.37
वर्किंग कैपिटल लोन-आरएसईबी	35.00	35.00
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोयला, रेल भाड़ा इत्यादि	100.00	100.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	0.00	0.00
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.98	7.27
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.57	3.83
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.98	7.60
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	50.00	50.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	40.00	40.00

1	2	3
विद्युत खरीद	15.00	15.00
विद्युत खरीद	15.00	15.00
विद्युत खरीद	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	35.00	35.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	5.00	5.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	40.00	40.00
उपभोक्ता स्तर पर मीटर व्यवस्था	46.96	46.96
उपभोक्ता स्तर पर मीटर व्यवस्था	36.90	36.90
डब्ल्यू-सरदारशहर	3.10	3.10
डब्ल्यू-तीनवारी	9.09	9.09
डब्ल्यू-उदयपुर सिटी	15.35	15.35
डब्ल्यू-कोटा सिटी	16.14	16.14
डब्ल्यू-बीकानेर सिटी	17.45	17.45
100 एमवीए, 220 केवी एस/एस चोमु	4.37	4.37
220/132 केवी एस/एस हनुमानगढ़	8.31	8.31
300 एमवीएआर सीएपी बैंक	12.24	12.24
डब्ल्यू-220 केवी एस/एस बीकानेर	40.09	40.09
220/132 केवी एस/एस मेरटा	7.66	7.66
डब्ल्यू-अजमेर सिटी	18.18	18.18
1 × 12.5 एमवीए, अमरपुरा (टिहरी)	2.52	2.52
1 × 12.5 एमवीए, 132/33 केवी बनसुर	2.52	2.52
1 × 100 एमवीए, 220/132 एस/एस बाली	6.03	6.03

1	2	3
1 × 12.5 एमवीए 132/23 केवी सेलोमबर	1.99	1.99
132 केवी लाइन-जैसलमेर-बारमेर	9.03	9.03
अलवर सिटी	10.08	10.08
सिकर सिटी	9.45	9.45
भरतपुर सिटी	4.84	4.84
भीलवाड़ा सिटी	12.16	12.16
पाली सिटी	6.75	6.75
सवाई माधोपुर सिटी	3.79	3.79
बरन सिटी	3.18	3.18
बीवर सिटी	3.76	3.76
चित्तौरगढ़ सिटी	5.28	5.28
किशनगढ़ सिटी	2.70	2.70
जयपुर सिटी एससीएडीए सिस्टम	2.40	2.40
श्रीगंगानगर सिटी	10.57	10.57
टोंक सिटी	3.68	3.68
जयपुर-एलटी लेस सिस्टम	61.30	61.30
400 केवी एस/सी सूरतगढ़ टीपीएस-रतन	49.00	49.00
गंगुवाल एचपीएस यूनिट-3 का आर एण्ड यू	2.02	2.02
कोटला एचपीएस यूनिट-3 का आर एण्ड यू	2.02	2.02
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-1	125.00	125.00
300 एमवीएआर शन्ट कैपेसिटर्स	6.67	6.67
कोयला व रेल भाड़ा	50.00	50.00
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×210 मे.वा.) यू. 2	300.00	300.00
कोयला व रेल भाड़ा	20.00	20.00
कोयला व रेल भाड़ा	10.00	10.00
कोयला व रेल भाड़ा	50.00	50.00

1	2	3
गंगुवाल यूनिट-3 का आरएम एण्ड यू	2.66	2.66
कोटला का आरएम एण्ड यू	2.66	2.66
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोटा टीपीएस चरण-1 और 2 का आर एण्ड एम	5.83	5.83
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×7.2 मे.वा.)	400.00	400.00
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोयला, तेल और अन्य	20.00	20.00
सूरतगढ़ टीपीएस यूनिट-2 (2×250 मे.वा.)	400.00	392.37
वर्किंग कैपिटल लोन-आरएसईबी	35.00	35.00
कोयला, तेल और अन्य	50.00	50.00
कोयला, रेल भाड़ा इत्यादि	100.00	100.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
विद्युत खरीद	30.00	30.00
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	0.00	0.00
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.98	7.27
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.57	3.83
11 के.वी. तक के फीडरों की स्थापना	9.98	7.60
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	50.00	50.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	40.00	40.00
विद्युत खरीद	15.00	15.00
विद्युत खरीद	15.00	15.00
विद्युत खरीद	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	35.00	35.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	20.00	20.00

1	2	3
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	5.00	5.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	40.00	40.00
उपभोक्ता स्तर पर मीटर व्यवस्था	46.96	46.96
उपभोक्ता स्तर पर मीटर व्यवस्था	36.90	36.90
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	45.00	45.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	45.00	45.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	45.00	45.00
सीसीपीपी विस्तार रामगढ़ (78.825 मे.वा.)	115.00	115.00
सूरतगढ़ चरण-3 यू-5 (210 मे.वा.)	448.00	254.25
उपभोक्ता बाजार के लिए 11 के.वी. फीडर्स	39.36	39.36
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	50.00	50.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	75.00	75.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	75.00	75.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	40.00	40.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	45.00	45.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	45.00	45.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीयूएनएल	40.00	40.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉन	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
कोटा टीपीएस का आर एण्ड एम	5.40	0.00
पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन-जोधपुर सर्किल	36.57	0.00

1	2	3
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीयूएनएल	25.00	25.00
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	35.00	35.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू यूपीपीसीएल	150.00	150.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल आरवीपीएनएल	50.00	50.00
डब्ल्यूसीएल टू जोधपुर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू अजमेर डिकॉम	15.00	15.00
डब्ल्यूसीएल टू जयपुर डिकॉम	15.00	15.00
कोटा टीपीएस यूनिट 6 (1×195 मे.वा.)	445.00	148.80
400 केवी जोधपुर-मेतरा लाइन	143.12	18.34
डब्ल्यूसीएल टू आरवीपीएनएल	20.00	20.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीयूएनएल	40.00	40.00
सभी उपभोक्ताओं के लिए 100% मीटरिंग	43.62	0.00
सभी उपभोक्ताओं के लिए 100% मीटरिंग	46.04	0.00
एसटीएल टू जेडीवीवीएनएल	35.00	35.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीयूएनएल	50.00	50.00
डब्ल्यूसीएल टू एवीवीएनएल	15.00	0.00
हुडको ऋण के लिए ऋण पुन:वित्तपोषण	82.50	0.00
ऋण पुन: वित्तपोषण-सूरतगढ़ एस-1	100.00	0.00

1	2	3
डब्ल्यूसीएल टू एवीवीएनएल	15.00	0.00
डब्ल्यूसीएल टू एवीवीएनएल	15.00	0.00
डब्ल्यूसीएल टू जेडीवीवीएनएल	15.00	0.00
डब्ल्यूसीएल टू जेवीवीएनएल	15.00	0.00
डब्ल्यूसीएल टू आरआरवीपीएनएल	50.00	0.00
डब्ल्यूसीएल जेडीवीवीएनएल	15.00	0.00
कुल	5653.87	4562.40

डब्ल्यूसीएल-गतिशील पूंजी ऋण
एटीएल: अल्पकालिक ऋण

जाफा समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

3500. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जाफा समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जाफा समिति की सिफारिशों का सैन्य इंजीनियरिंग सेवा तथा गुणता आश्वासन महानिदेशालय के कार्य, उनकी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं और सिविलियनों तथा रक्षा कार्मिकों के मिले-जुले रूप पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशा है। इन सिफारिशों के व्यापक प्रभाव के कारण अंतिम राय केवल गहन जांच के बाद ही संभव हो पाएगी।

झारसुगन्दा-रायपुर रेल लाईन सर्वेक्षण

3501. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरंजगढ़ के बरास्ते झारसुगन्दा से रायपुर तक एक नई रेल लाईन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सर्वेक्षण के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

वीरता पुरस्कार

3502. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकार द्वारा अलग-अलग कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं;

(ख) कितने जवानों को उक्त पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए; और

(ग) इन बहादुर सैनिकों के परिवार के सदस्यों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में 124 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। इनमें से जिन जवानों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या को कोष्ठकों में दिखाया गया है:

वीरता पुरस्कार	2000	2001	2002
अशोक चक्र	–	–	3(3)
महावीर चक्र	1	–	–
कीर्ति चक्र	2(2)	1	7(6)
वीर चक्र	11(6)	1	–
शौर्य चक्र	22(13)	40(11)	36(11)

(ग) इन जांबाज सैनिकों के परिवार के सदस्यों को मुहैया कराई गई सुविधाएं निम्नवत् हैं:

(1) भारत सरकार द्वारा 850.00 रुपए प्रति माह का भत्ता।

(2) वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को टेलीफोन पंजीकरण तथा साधारण किराया प्रभार से मुक्त किया गया है। वीर चक्र प्राप्तकर्त्ता की पत्नी को केवल साधारण किराया प्रभार में 50% की छूट है।

(3) पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा उसकी विधवा को (एक अन्य साथी सहित) प्रथम श्रेणी/द्वितीय एल सी स्लीपर मानार्थ कार्ड पास जारी करना।

(4) इंडियन एअर लाइंस पी वी सी, एसी, एम वी सी तथा के सी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को नार्मल इकॉनोमी क्लास आईएनए किराए में 75% छूट देती है।

(5) वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं/उनकी विधवाओं की पेंशन पर आयकर की छूट है।

(6) समय-समय पर राज्य सरकारों के निर्णयों के अनुसार एक बारी नकद अनुदान, जमीन/जमीन के बदले में नकद, वार्षिक/मासिक भत्ते, राज्य सरकार की बसों में निःशुल्क बस पास, शैक्षणिक संस्थाओं में कोटा आदि जैसे विभिन्न लाभ भी प्रदान किये जाते हैं।

[अनुवाद]

चेन्नमा एक्सप्रेस के परिचालन में परिवर्तन

3503. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दक्षिण मध्य रेल मार्ग पर चेन्नमा एक्सप्रेस के मीरज से बंगलौर के स्थान पर कोल्हापुर से बंगलौर के बीच परिचालन में परिवर्तन से मीरज-शागली के लोगों को अब तक प्राप्त सुविधाएं कम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी के परिचालन में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त रेलगाड़ी के परिचालन में परिवर्तन को टालकर मीरज-सांगली के लोगों को सुविधा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत कब्जा

3504. श्री रमेशचंद तोमर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निजामुद्दीन से ग्वालियर जाने वाली ताज एक्सप्रेस में अनारक्षित टिकटधारक व्यक्ति सभी आरक्षित डिब्बों में आरक्षित टिकटधारक व्यक्तियों के लिए असुविधा और उत्पीड़न उत्पन्न करते हुए मटरगश्ती करते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई शुरू करके इस व्यवहार को नियंत्रित करने का है ताकि आरक्षण प्राप्त यात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें और इस रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा को और ठेस न पहुंचे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कुछ घटनाएं नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। टिकट जांच कर्मचारियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकार यात्रा पर अंकुश लगाने तथा उन्हें दंडित करने के लिए पहले ही अनुदेश दिए गए हैं। टिकट जांच कर्मचारियों की आरक्षित सवारी डिब्बों में तैनाती करने के अलावा, रेलें पुलिस के सहयोग से आरक्षित कंपार्टमेंट में अप्राधिकृत यात्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए गहन अभियान भी चलाती है। जो पकड़े जाते हैं, उन्हें रेल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाता है।

मार्कर सिस्टम की खरीद

3505. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 18 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच पी डी ए ने मार्कर सिस्टम की प्रस्तावित खरीद में गैर-कानूनी कमीशन प्राप्त करने संबंधी घोटाले में कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों सहित एफ ए टी पी टी के अध्यक्ष के शामिल होने के बारे में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिकायत के तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एएसी ने इस मार्कर सिस्टम की लागत का सत्यापन पहले ही कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो मार्कर सिस्टम की खरीद में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा कितनी लागत का भुगतान किया गया और अत्यधिक लागत का भुगतान करने का क्या कारण है; और

(च) ऐसी मशीनों की खरीद में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (च) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

कोको कन्ट्रैक्टरों के पारिश्रमिक में संशोधन

3506. श्री नरेश पुगलिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तेजी से हुई वृद्धि के बावजूद गत तीन वर्षों से कोको कन्ट्रैक्टरों के पारिश्रमिक में संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कन्ट्रैक्टर वे सभी कार्य कर रहे हैं जो नियमित डीलरों द्वारा किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे कोको कन्ट्रैक्टरों को संतोषप्रद ढंग से काम करने वाले तदर्थ नियमित डीलरों में बदलने के लिए तेल कंपनियों पर रोक लगा दी है जिससे कि ऐसे कोको बिक्री केन्द्रों पर तैनात श्रमिकों को सेवा लाभ मिल सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. तथा आईबीपी कं. लि. ने कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों के श्रमिक ठेकेदारों के पारिश्रमिक में संशोधन क्रमश: जुलाई, 2001, सितम्बर, 2000, दिसम्बर, 2000 तथा जून, 2001 में किया था।

(ख) कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र का श्रमिक ठेकेदार तेल कंपनी के उस अधिकारी को, जिसके समग्र कार्यभार के अधीन कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र का प्रचालन किया जाता है, केवल श्रमिक सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) विद्यमान नीति के तहत नियमित डीलरों के रूप में श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित आधार पर प्रचालन केवल निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित डीलरों का चयन होने तक किया जाता है।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं

3507. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूटरों के कर्मचारी/ डिलीवरी करने वाले कर्मचारी विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में इस कारण से असमर्थ होते हैं कि

सभी प्रकार की अनियमितताओं के लिए और उन अनियमितताओं के लिए भी जो उनकी सहमति के बगैर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरों को उत्तरदायी बनाने वाले नियमों और दिशा-निर्देश विद्यमान हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दिशा-निर्देशों में कुछ ऐसे प्रावधान आदि हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूटरों का बचाव हो सकता है और दोषी कर्मचारियों/डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) की जानकारी में आया है कि ओ एम सीज के वितरकों द्वारा तैनात किया गया स्टाफ/डिलीवरी मैन उत्पाद बेचते समय कभी-कभी अनियमितताएं बरतते हैं। तथापि, ये लोग स्वयं वितरकों द्वारा दायित्वों को निभाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिसके लिए वितरक हस्ताक्षरित डिस्ट्रीब्यूटर करार के अधीन अपना कार्य निभाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके आलोक में वितरक, शिकायतों के सही पाए जाने पर, अपने कर्मचारियों (स्टाफ) के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम हैं तथा सरकार/ओ एम सीज को वितरकों के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किन्हीं दिशानिर्देशों को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

युद्ध संबंधी इतिहास

3508. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युद्ध संबंधी इतिहास की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने 1962 में एनइएफए ऑपरेशन्स पर हन्डरसन ब्रुक की रिपोर्ट के प्रकाशन की विशेष रूप से सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) युद्ध संबंधी इतिहास पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) उक्त समिति को हन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट के प्रकाशन की पुनरीक्षा करने का काम नहीं सौंपा गया था।

मराठवाड़ा रेल विकास निगम

3509. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए अलग रेल विकास निगम स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। रेल मंत्रालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मराठवाड़ा में अलग से रेल विकास निगम स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

रेल मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो सकता है यदि ये प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं तथा एक पैटर्न पर तैयार किये जाते हैं, कर्नाटक राज्य में अर्थक्षम योजनाएं शुरू कराने के लिए रेल मंत्रालय कर्नाटक सरकार के साथ है।

[अनुवाद]

पर्यटन को प्रोत्साहन

3510. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यटन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पर्यटक सर्किटों की पहचान की गई है और ये किन-किन रेलवे जोनों के अंतर्गत आते हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से कोई विशेष टूर पैकेज तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से विशेष पर्यटन रेलगाड़ियां चलाने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे के माध्यम से आंध्र प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रेलें पर्यटन को बढ़ाने के लिए मांग के अनुसार विशेष गाड़ियां/सवारी डिब्बे चलाकर, लक्जरी गाड़ियां जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएण्ट एक्सप्रेस, विदेशी पर्यटकों के लिए इंडरेल पास मुहैया कराना, आरक्षण कोटा, सुविधा केन्द्र आदि जैसे कदम उठाती हैं। रेलों द्वारा मूल्य संवर्धित पर्यटन पैकेज मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम नामक एक नई कम्पनी भी स्थापित की गई है तथा यह रेल द्वारा पर्यटन को बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इस उद्देश्य के लिए किसी पर्यटक सर्किटों की पहचान नहीं की गई है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम केरल पर्यटन विकास निगम तथा तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के सहयोग से भ्रमण पैकेज बनाती है।

(घ) भारतीय रेलों ने "पैलेस ऑन व्हील्स" गाड़ी चलाने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ एक करार किया है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश में विशेष गाड़ियां तथा पैलेस ऑन व्हील्स किस्म की गाड़ी चलाने संबंधी प्रस्ताव अभी तक अर्थक्षम नहीं पाए गए।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री

3511. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1.1.2002 से आज तक की अवधि के दौरान गुजरात में पश्चिम रेलवे के राजकोट और भावनगर रेल मंडलों में ओरखा, पोरबन्दर और भावनगर स्टेशनों से मुम्बई, बड़ोदरा और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों तक बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री गिरफ्तार किए गए;

(ख) प्रत्येक उक्त रेलवे स्टेशन पर कितना जुर्माना वसूला गया;

(ग) बिना टिकट और नि:शुल्क रेलवे पासों से यात्रा करने वाले कितने रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और उनके रिश्तेदारों को पकड़ा गया;

(घ) उन पर कितना जुर्माना लगाया गया; और

(ङ) बिना टिकट यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों सहित बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए रेलवे विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 1.1.2002 से 31.10.2002 तक की अवधि के दौरान, गुजरात में पश्चिम रेलवे के राजकोट और भावनगर मण्डलों में ओखा, पोरबंदर तथा भावनगर स्टेशनों से मुंबई, वड़ोदरा तथा अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों तक बिना टिकट के यात्रा करते हुए 1757 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनसे 1,03,901 रु. की रकम वसूल की गई।

(ग) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस के सहयोग से बगैर टिकट/ अनियमित यात्रा की जांच के लिए बार-बार नियमित तथा अचानक जांचें की जाती हैं।

[अनुवाद]

फाफामऊ में रेल पुल में दरार

3512. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाफामऊ, इलाहाबाद में गंगा नदी पर रेल पुल में दरार आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने पुल और यातायात की सुरक्षा हेतु खतरनाक दरारों को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही शुरू की है या शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। मैन बाक्स गर्डर के अंदर तथा समीपवर्ती गर्डरों के बीच

अंतर को पाटने के लिए बनाए गए केंटिलीवर पोर्शन की ढलाई में मामूली सी दरारें आ गई हैं। बहरहाल, निरीक्षणों के बाद यह अनुमान लगाया गया है कि ये दरारें पुल की संरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं।

(ख) विभेदी संकुचन के कारण कुछ स्थानों पर सतह पर मामूली दरारें आ गई हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि, अभी तक दरारों से संरक्षा को खतरा नहीं हो रहा है, तथापि भरपूर मात्रा में एहतियाती उपाय के रूप में केंटिलीवर पोर्शन को सुदृढ़ किया जा रहा है।

वायु सीमा निगरानी क्षमता

3513. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक देश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में वायु सीमा का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें से दुश्मन का कोई भी जहाज प्रवेश कर भोपाल की वायु सीमा तक पहुंच सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वायुसेना की निचले स्तर की विमान निगरानी संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में विमान यातायात मार्ग पर यातायात की सघनता तथा खतरे की संभावना कम है। तथापि, भारतीय वायुसेना के पास इस क्षेत्र में किसी विमान के घुस आने से रोकने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा उपाय मौजूद हैं।

(ग) वायु निगरानी क्षमता के आधुनिकीकरण तथा इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

[हिन्दी]

बालाघाट में आकाशवाणी निर्माण केन्द्र

3514. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित आकाशवाणी केन्द्र के पास कार्यक्रम संबंधी निर्माण विभाग और स्टूडियो होने के बावजूद वह कार्यक्रम निर्माण कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, नहीं। बालाघाट स्थित स्थानीय रेडियो स्टेशन लगभग 5 घंटे के घरेलू कार्यक्रमों का तीन ट्रांसमिशनों में प्रसारण कर रहा है। यह केन्द्र मध्य प्रदेश के राजधानी केन्द्र आकाशवाणी भोपाल के एक आकाशवाणी मनोरंजन चैनल विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को भी रिले करता है।

रेलगाड़ियों को चलाने के लिए वनस्पति तेल

3515. श्री रामशकल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों को वनस्पति तेल से चलाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहरहाल, बायो-डीजल (खाद्य तेल से बना) की विशेषताओं और अन्य देशों के अनुभव के आधार पर, बायो-डीजल के रेल इंजन चलाने की संभाव्यता विद्यमान है। भारतीय रेल डीजल रेल इंजनों में ईंधन के रूप में बायो-डीजल के परीक्षण के लिए भारतीय तेल निगम के साथ संयुक्त रूप से पायलट परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया में है। फिलहाल ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान टेस्ट बेड पर प्रयोगशाला परीक्षण संतोषजनक ढंग से आयोजित किया गया है और फील्ड परीक्षण शीघ्र ही किया जाएगा।

यात्री टिकटों पर सुरक्षा संबंधी प्रभार

3516. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा कोष में धन का संग्रह टिकटों के माध्यम से सभी स्तर के यात्रियों से किया जा रहा है;

(ख) रेलवे के सुरक्षोपाय हेतु इस कोष का किस तरह उपयोग किया जाएगा;

(ग) क्या राज्य सरकारों को उस कोष से लाभांश की प्राप्ति हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सभी दर्जे के यात्रियों से टिकटों के जरिए एकत्रित किया गया ''संरक्षा अधिभार'' विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2001-2002 के दौरान 304.86 करोड़ रु. की राशि एकत्रित की गई थी तथा 2002-2003 (सितम्बर, 2002 तक) के दौरान 295.41 करोड़ रु. एकत्रित किए गए हैं।

(ख) विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना छः वर्षों की निर्धारित समय अनुसूची में रेलों पर परिसंपत्तियों के बदलाव तथा नवीकरण संबंधी बकाया कार्यों को खत्म करने के लिए की गई है। इस अवधि में निधि में केन्द्र सरकार से 12000 करोड़ रु. तथा रेलों से 5000 करोड़ रु. का अंशदान किया जाएगा। इस निधि का इस्तेमाल रेलपथ नवीकरण, पुल संबंधी कार्य, सिगनलिंग, मशीन एवं संयंत्र, बिजली संबधी अन्य कार्य, अन्य विनिर्दिष्ट कार्य तथा कतिपय संरक्षा संवर्धन कार्य के योजना शीर्षों के अंतर्गत पहचाने गए कार्यों पर किया जाना है। इन कार्यों को 2002-2003 के निर्माण, मशीन एवं चल स्टाक कार्यक्रम, भाग-3 (ग्रीन बुक) शीर्षक वाले बजट प्रलेख में सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को विशेष रेल संरक्षा निधि से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जा रहा है?

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीपोर्टों की स्थापना

3517. डा. ए.डी.के. जयशीलनः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीपोर्टों की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वी.एस.एन.एल. का देश में विशेषकर दिल्ली और मुम्बई में टेलीपोर्टों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन निजी टी.वी. चैनलों की संख्या कितनी है जिनके अपने टेलीपोर्ट हैं और जो अन्य निजी एवं क्षेत्रीय चैनलों के साथ जोड़ने हेतु सेवा प्रदाता उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) कोई भी कम्पनी जो भारत में निगमित हो तथा जिसकी एन.आर.आई./ओ.सी.बी./पी.आई.ओ. समेत विदेशी इक्विटी होल्डिंग 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, भारत में अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना हेतु पात्र है।

(ख) और (ग) वी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इसके चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा मुम्बई में अपलिंकिंग डिजिटल टी.वी. हेतु एम.सी.पी.सी. (मल्टीपल चैनल पर कैरियर) प्लेटफॉर्म से सुसज्जित टेलीपोर्ट हैं।

(घ) आज की तारीख तक सोलह (16) कम्पनियों को सत्रह (17) टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिनमें से नौ (9) चालू हो गए हैं। ग्यारह (11) कम्पनियों को उनके टेलीपोर्टों से उनके चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दे दी गई है। 25 जुलाई, 2000 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई उदारीकृत अपलिंकिंग नीति के अनुसार, सेवा प्रदाता न सिर्फ अपने चैनलों को बल्कि अन्य कम्पनियों के चैनलों को भी अपलिंक कर सकते हैं। तथापि, इन सभी चैनलों को भारत से अपलिंक करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित/स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होता है।

सैनिक स्कूल खोलना

3518. श्री विष्णु पद रायः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17.50 लाख रु. की राशि स्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सैनिक स्कूल खोलना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन का विषय है बशर्ते कि वे स्कूल खोलने (अनुमानित व्यय 20 करोड़ रु.) और स्कूल के सुचारू संचालन (लगभग 1.5 करोड़ रु. प्रतिवर्ष) के लिए जमीन, भवनों, उपकरणों, छात्रवृत्ति और सहायता अनुदान उपलब्ध कराने पर सहमत हों।

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सैनिक स्कूल खोलने संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी करने वाला कोई प्रस्ताव अंडमान व निकोबार

प्रशासन की ओर से सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है हालांकि अंडमान व निकोबार प्रशासन ने इस निमित्त नौवीं पंचवर्षीय योजना में बजट प्रावधान किया था।

[हिन्दी]

सैनिक वाहन का उपयोग

3519. श्री भेरूलाल मीणा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस प्रभाव की शिकायत प्राप्त हुई है कि शालीमार बाग, दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विद्यालय परिसर में सादे पोशाक में सुरक्षा गार्ड रखे हैं और अनधिकृत रूप से लगातार सैनिक वाहन का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस मामले में कब तक जांच अथवा कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस मामले के तथ्यों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय, शालीमार बाग की प्रधानाचार्य, जो एक रक्षा सेवा अफसर की पत्नी हैं, वे, उक्त स्कूल के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनहीनता के कारण निलम्बन आदेश जारी किया गया था, की ओर से हिंसक कार्रवाई की आशंका को देखते हुए, कुछ मौकों पर कुछ रक्षकों के साथ सरकारी वाहन में उस स्कूल में गई थीं।

[अनुवाद]

विकास निधि का उपयोग

3520. श्री कमल नाथ: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली छावनी में प्राधिकारियों ने वर्ग ए-1 रक्षा भूमि पर विकास कार्य के लिए छावनी बोर्ड निधियों के उपयोग की अनुमति दी है जबकि उसी भूमि पर संसद सदस्य/विधायक विकास निधि के उपयोग की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली छावनी में संसद सदस्य/विधायक विकास निधि के उपयोग हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद दिल्ली छावनी में ए-1 श्रेणी की रक्षा भूमि पर विकास कार्यों के लिए छावनी बोर्ड की निधियों का इस्तेमाल किया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि ए-1 श्रेणी की रक्षा भूमि का इस्तेमाल सशस्त्र बलों के विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाना होता है, इसलिए स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना ए-1 श्रेणी की रक्षा भूमि पर विकास कार्यों के लिए सांसद/विधायक निधि का उपयोग वांछनीय नहीं होगा।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में गैस का उत्पादन

3521. श्री सुरेश चन्देल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के ज्वालामुखी में ज्वलनशील गैस की खोज की जा रही है और बाद में यह संकेत है कि बड़ी मात्रा में गैस निकल सकती है जिसके कारण स्थानीय लोगों में अफरातफरी मची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने आम लोगों में अफरातफरी को दूर करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्थान में गैस का व्यावसायिक उत्पादन कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) अपनी स्थापना के बाद से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और वेधन के माध्यम से ज्वालामुखी क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश राज्य में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण करता रहा है। 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी ने हिमाचल प्रदेश में कुल 3608 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जी एल के) द्विआयामी सर्वेक्षण किया है। राज्य में छह अन्वेषणात्मक कूपों और पांच संरचनात्मक कूपों का वेधन किया गया जिनमें से पांच कूपों का ज्वालामुखी संरचना में वेधन किया गया था। एक कूप का वेधन किया जा रहा है। 10.7.2002 को एक कूप ज्वालामुखी 7, जिसका पहले वेधन किया गया था, के बारे में यह सूचित किया गया कि यह थोड़ी गैस और जल के रिसाव के साथ सक्रिय हो गया है। रिसाव की सूचना मिलने पर ओ एन जी सी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ वेदन स्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय प्राधिकारियों और स्थानीय जनता के साथ सम्पर्क किया, उन्हें स्थिति के बारे में बताया और यह स्पष्ट किया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कूप क्रिया को जल्दी ही नियंत्रित कर लिया जाएगा और पर्यावरणीय प्रदूषण यदि कोई हो, को न्यूनतम करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। इसके बाद ओ एन जी सी के अधिकारियों ने कूप को ढकने के उपाय किए और फिलहाल वहां कोई क्रिया नहीं है। बहरहाल, कूप को निरीक्षण के तहत रखा गया है और क्षेत्र की ''चौबीसों घंटों'' की सुरक्षा के अंतर्गत घेराबन्दी की गई है।

वर्तमान में ओ एन जी सी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा-मण्डी क्षेत्र में अन्वेषण कर रहा है और गैस के उत्पादन की व्यवहार्यता का क्षेत्र में किसी खोज और गैस भण्डागारों की वाणिज्यिक मात्रा का पता लगने के बाद ही निर्धारण किया जा सकता है जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

5 किग्रा० के सिलेंडर का शुरू किया जाना

3522. श्री पी.आर. किन्डिया:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 किग्रा० के रसोई गैस का सिलेंडर शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के रसोई गैस सिलेंडर शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के लिए ऐसे रसोई गैस सिलेंडर कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने प्रथम चरण में देश के कुछ राज्यों के पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर 5 कि०ग्रा० वाले सिलेन्डरों के विपणन की शुरुआत कर दी है।

(ग) और (घ) ओ एम सीज ने उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में प्रायोगिक आधार पर 5 कि० ग्रा० वाले सिलेन्डरों का विपणन आरम्भ कर दिया है। इन राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के पश्चात 5 कि०ग्रा० वाले सिलेन्डरों का विपणन शेष उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आरम्भ किया जाएगा।

रामगढ़ विस्तार परियोजना, राजस्थान के लिए गैस का आबंटन

3523. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में रामगढ़ विस्तार परियोजना के लिए अतिरिक्त गैस के आबंटन हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) रामगढ़ विस्तार परियोजना के लिए गैस की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान सरकार से रामगढ़ विद्युत संयंत्र के लिए, वर्तमान 0.50 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की आपूर्ति के अलावा 0.20 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) अतिरिक्त गैस की आपूर्ति हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। 0.20 एम. एम. एस. सी. एम. डी. तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आयल इंडिया लिमिटेड को चल रहे प्रचालन कार्य के अलावा 9 कूपों का वेधन करना होगा जिसके

लिए 2 वर्ष का समय और लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। निवेश का यह निर्णय आनुपातिक वसूली दर पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं में प्रदूषण

3524. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) प्रचालन के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों से सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर (एसपीएम), राख, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं जल अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण फैल सकता है।

सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर निस्सरण, वायु की गुणता एवं जल गुणवत्ता मानकों हेतु सीमा तय की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों की अनुपालना की मॉनीटरिंग एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है ताकि निस्सरण एवं अपशिष्ट सरकार द्वारा निर्धारित विनियामक मानकों के भीतर रहें।

[अनुवाद]

दक्षिण मध्य रेलवे को नए डिब्बों का आबंटन

3525. श्री ए.ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न जोनों के लिए नए रेल डिब्बों के आबंटन हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो रेल डिब्बों के आबंटन हेतु उसी प्रणाली को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2002-2003 में दक्षिण मध्य रेलवे को कितने नए रेल डिब्बे प्रदान किए गए;

(ङ) क्या दक्षिण मध्य रेलवे को और नए डिब्बे प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) आबंटित संसाधनों के तहत योजनानुसार नई सेवाएं चालू करने/संवर्द्धन करने के लिए और यथासंभव गतायु वाले स्टॉक के बदलाव के लिए सवारी डिब्बे क्षेत्रीय रेलों को आबंटित किए जाते हैं:

(घ) से (च) 2002-2003 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे को 26 नए सवारी डिब्बे आबंटित किए गए हैं। इस समय, दक्षिण मध्य रेलवे को अतिरिक्त सवारी डिब्बे आबंटित करने की कोई योजना नहीं है।

कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु अनुबंध

3526. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकार ने कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु दीर्घकालिक अनुबंध किया है; और

(ख) उसका आयात करने हेतु कौन सी मूल्य प्रणाली अपनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों ने साऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया तथा लीबिया की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं।

(ख) आवधिक अनुबंधों के अधीन कच्चे तेल हेतु भुगतान किये गये मूल्य, निर्यातक राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर घोषित संबंधित कच्चे तेल के सरकारी विक्रय मूल्य हैं।

त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक ओ.एन.जी.सी. की पाइप लाइन

3527. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. त्रिपुरा गैस को पश्चिम बंगाल तक लाने के लिए 345 किमी० लंबी अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइप लाइन स्थापित करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

3528. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2000 से बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना हेतु संस्थानों और आंध्र प्रदेश को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों/राज्य सरकार द्वारा किये गये पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कंपनियों/संस्थानों पर क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने जनवरी, 2000 से ऋण राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना—राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, जिसे अब राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी नामत: आंध्र प्रदेश अपारंपरिक ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को जनवरी, 2000 से स्वीकृत निधियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	स्वीकृत राशि
1999-2000 (जनवरी-मार्च, 2000)	3.15 करोड़ रु.
2000-2001	6.16 करोड़ रु.
2001-2002	4.68 करोड़ रु.
2002-03 (अप्रैल-नवम्बर, 2002)	शून्य

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और एक गैर-सरकारी संगठन नामत: ससटेनेबल डेवलपमेंट एजेंसी को निधियां दी गई हैं।

(ख) पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक परिवारों को निश्चित राशि दी जाती है, संस्थाओं और कंपनियों को नहीं। केन्द्रीय सब्सिडी की दर सामान्य श्रेणी के लिए 1,800 रुपये और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/छोटे और सीमांत कृषकों/भूमिहीन श्रमिकों के लिए 2,300 रुपये हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण नहीं दिए जाते हैं और इसलिए किसी पुनर्भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

सेना के जवानों के लिए यात्रा सुविधा

3529. डा. बी.बी. रमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पश्चिमी सीमा से सेना की टुकड़ियों को वापस बुलाए जाने के समय सेना के जवानों को यात्रा सुविधा प्रदान करने में समर्थ नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सौर ऊर्जा का उपयोग

3530. श्री दिलीप संघाणी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा का उपयोग उपलब्ध क्षमता की तुलना में बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) गुजरात राज्य के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सौर ऊर्जा का प्रयोग दो मुख्य विधियों से किया जा सकता है अर्थात् तापीय विधि और प्रकाश वोल्टीय विधि। भारत के लिए दोनों ही विधियां प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। सौर ऊर्जा पर भारतीय कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़े

राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई सौर युक्तियों का विकास किया गया है और सम्पूर्ण देश में इनकी स्थापना की जा रही है। देश में अब तक कुल 4,31,271 सौर लालटेन, 2,06,997 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियाँ, 41776 सौर सड़क रोशनियाँ, 5113 सौर जल पंप, पानी गरम करने के लिए 6,50,000 वर्गमीटर सौर संग्राहक क्षेत्र, 5,26,250 सौर कुकर और 3.5 मेवा. क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। फिर भी यह सच है कि देश में अब तक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल संभाव्यता की तुलन में बहुत कम है। इसके प्रमुख कारण हैं:-

(1) सौर ऊर्जा एक अत्यधिक प्रकीर्ण संसाधन है और केवल दिन के समय ही उपलब्ध रहता है। इसके इस्तेमाल के लिए कुशल युक्तियों की जरूरत होती है, अनेक में रात्रि में प्रयोग के लिए ऊर्जा के भंडारण का प्रावधान होता है।

(2) पारंपरिक ऊर्जा युक्तियों की तुलना में अधिकांश सौर युक्तियों की आरंभिक लागत अधिक है। यह उपयोगकर्त्ताओं के लिए एक बाधा है, यद्यपि कई सौर उत्पाद जीवन चक्र आधार पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

(3) विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्त्ताओं के बीच जागरूकता का अभाव।

(4) सौर ऊर्जा उत्पादों के वितरण, बिक्री और सर्विसिंग के लिए अपर्याप्त अवसंरचना।

(ग) मंत्रालय सब्सिडी, उदार ऋण, 100% त्वरित अवमूल्यन, रियायती शुल्क पर आयात और कुछ युक्तियों एवं प्रणालियों पर उत्पाद शुल्क से छूट जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर देश में विभिन्न सौर ऊर्जा युक्तियों के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता और सहायता हेतु कई कार्यक्रमों का कार्यान्वन कर रहा है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और कुछ बैंकों के माध्यम से उदार ऋण योजनाएं आरंभ की गई हैं।

(2) प्रकाशवोल्टीय निर्माण कार्यकलापों की सहायता के लिए एक उदार ऋण योजना आरंभ की गई है। चालू वर्ष के दौरान सोलर जनरेटरों और भवन एकीकृत प्रकाशवोल्टीय पर नई योजनाएं आरंभ की गई हैं।

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उपयोगकर्त्ताओं को अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) नए अनुप्रयोग क्षेत्रों में तथा नए बाजारों के विकास के लिए विशेष प्रदर्शन परियोजनाओं को अनुदानों के माध्यम से निधियाँ दी जा रही हैं।

(5) कई श्रेणियों के भवनों में सौर की सहायता से चलने वाली जल तापन प्रणालियों को अनिवार्य बनाने हेतु आदर्श भवन नियमों को तैयार किया गया है और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(6) सामुदायिक रसोइयों में कंसट्रेटिंग सौर कुकरों की स्थापना के लिए एक प्रदर्शन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(7) दूरवर्ती क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए सौर विद्युत संयंत्रों और सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(8) देश के प्रमुख शहरों में सौर उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए आदित्य सौर दुकानों की स्थापना की योजना प्रचालन में है।

(9) मंत्रालय विज्ञापनों, ब्रोशरों, प्रदर्शनियों, मोबाइल वाहनों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार और जागरूकता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

(10) सौर उत्पादों की कुशलता, विश्वसनीयता और आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है।

(घ) गुजरात राज्य में इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसी नामत: गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा योजनाओं के अंतर्गत जीईडीए को मंजूर की गई परियोजनाएं विभिन्न प्रकार के सौर कुकरों की बिक्री और संवर्धन, राज्य के कुछ शहरों में आदित्य सौर दुकानों की स्थापना और सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, सौर सड़क रोशनियां, सौर जल पंप, सौर विद्युत संयंत्र, आदि जैसी सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों की स्थापना करने से संबंधित हैं। गुजरात राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 31603 सौर लालटेन, 2552 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 1764 सड़क रोशनियां, 43 जल पंप, 19615 सौर कुकर और 14 किवा. क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान मंजूर की गई तीन आदित्य सौर दुकानें भी

स्थापना की प्रक्रिया में हैं। दुग्ध संग्रहण केन्द्रों के लिए बीस लघु विद्युत प्रणालियाँ भी स्थापित की गई हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान अब तक जीईडीए को 2000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां और 200 सौर सड़क रोशनियां मंजूर की गई हैं।

भंडारण टैंकरों पर विलंबन शुल्क

3531. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों के विभिन्न विपणन टर्मिनलों और डिपों पर रख-रखाव और मरम्मत के लिए भंडारण टैंकर खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन भंडारण टैंकरों पर दिन-ब-दिन विलंबन शुल्क बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे विलंबन से होने वाले घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विपणन टर्मिनलों और डिपुओं में स्थित भंडारण टैंकों को कुछ समय बाद उनकी सफाई, पुन:अंशाकन और मरम्मत/अनुरक्षण के लिए खाली करने की आवश्यकता होती है। तथापि, ऐसे मामलों पर इंडस्ट्री लाजिस्टिक्स प्लान (आई एल पी) की बैठकों के दौरान पहले ही विचार-विमर्श कर लिया जाता है और तदनुसार संबंधित स्थानों की उत्पादन प्राप्तियाँ विनियोजित की जाती हैं तथा बाजार मांग को पूर्णत: पूरा करने के लिए अन्य तेल उद्योग सदस्यों के साथ उत्पाद/कमी सहयोग का निर्णय लिया जाता है।

(ख) चूंकि आई एल पी बैठकों के दौरान अग्रिम तौर पर उत्पाद इनपुट और सहयोग का निर्णय ले लिया जाता है, अत: उत्पाद प्राप्तियों को विनियोजित किया जाता है और इस प्रकार विलम्बन को रोका जाता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, जी नहीं।

विज्ञापनों से सेवा कर

3532. श्री मंजय लाल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से विज्ञापनों से 5 प्रतिशत सेवा कर के रूप में 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसारकों और विज्ञापकों के बीच इस मामले को लेकर कोई विवाद है कि सेवा कर की देयता 'सेवा प्रदाताओं' पर हो;

(ग) यदि हां, तो ऐसी नीति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिससे सरकार को भारी घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे की भूमि को पट्टे पर देना

3533. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पार्किंग भूमि और ऐसी अन्य सुविधाओं को पट्टे पर देकर अपनी आय में वृद्धि कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनसाधारण के लाभ हेतु ऐसी सुविधाएं देने के संबंध में विभिन्न जोनों को रेलवे बोर्ड द्वारा कोई मार्ग-निर्देश जारी किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे स्टेशनों के बाहर विभिन्न स्थानों और सुविधाओं को पट्टे पर देकर धनराशि खर्च करने के कोई विशेष उद्देश्य बताए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड से क्षेत्रीय रेलों को संभाव्यता के आधार पर स्टेशन परिसरों पर पार्किंग स्थान को पट्टे पर देने, चुनिंदा स्थानों पर भूमि/नभ क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग सहित भूमि/स्थानों के विभिन्न उपयोगों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेशन परिसरों का पार्किंग स्थान को खुली निविदा के माध्यम से उच्चतम बोलीदाता को पट्टे पर दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रेलों पर व्यय रेलवे राजस्व से किया जाता है। व्यय करते समय राजस्व के स्रोत के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

डीवीसी के ताप विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3534. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से ताप विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण और इसके लाभदायक जीवन-काल को पूरा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत संचालित किये जा रहे ताप विद्युत केन्द्रों के उपस्कर पर्यावरण मानक के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने दस (10) पुराने एवं प्रमुख ताप विद्युत यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार हेतु कार्य योजना तैयार की है। ये यूनिट हैं-

बोकारो 'ए' ताप विद्युत केन्द्र का यूनिट 1, 2 और 3 (3×45 मे.वा.) चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र का यूनिट 1 से 6 (3×130 मे.वा. + 3×120 मे.वा.) तथा दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र का यूनिट 3 (1×140 मे.वा.)।

(ख) से (ङ) दामोदर वैली कारपोरेशन का बोकारो ताप विद्युत केन्द्र 'ए' संयंत्र (3×45 मे.वा.) पर्यावरण मानक पूरा नहीं करता है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था न करने के कारण यह संयंत्र जुलाई, 2000 से बंद पड़ा है। इस संयंत्र को पुन: चालू करने का कार्य डीवीसी की प्राथमिकता पर है। इस केन्द्र के यूनिट 1, 2 और 3 (3×45 मे.वा.) को पुन: चालू करने के लिए मुख्य संयंत्र और उपस्करों को मरम्मत के बाद दुरुस्त करना होगा और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपिटेटर लगाने होंगे तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी करने होंगे। इस आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्य की तकनीकी आर्थिक व्यहार्यता के आकलन और इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एनटीपीसी से अनुरोध किया गया है। तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने पर ही उक्त आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने सम्बन्धी निर्णय लिया जा सकेगा।

[अनुवाद]

बंगलौर-जोधपुर और बंगलौर-अजमेर एक्सप्रेस का चलाया जाना

3535. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर-जोधपुर और बंगलौर-अजमेर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां सप्ताह में तीन दिन चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की औसतन संख्या कितनी है; और

(ग) सप्ताह में तीन दिन चलने वाली इन रेलगाड़ियों को प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ियों में तब्दील करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस समय, 6507/6508 बैंगलोर-जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 6509/6510 बैंगलोर-अजमेर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची की स्थिति न केवल दिन-प्रतिदिन बदलती हैं बल्कि एक ही दिन में भी अलग-अलग समय पर अलग होती है।

(ग) 6507/6508 बैंगलोर-जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 6509/6510 बैंगलोर-अजमेर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) के फेरों में वृद्धि कर इन्हें चलाने की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रक्षा विभाग की भूमि

3536. श्री अमर रायप्रधान: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रक्षा विभाग की भूमि का राज्यवार कुल कितना क्षेत्रफल है;

(ख) विभिन्न उद्देश्यों हेतु रक्षा विभाग की भूमि को पट्टे पर देने अथवा बिक्री करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष से अधिगृहीत की गई भूमि और राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को बिक्री की गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) हाल के वर्षों में रक्षा विभाग की अप्रयुक्त भूमि को जारी करने हेतु विचाराधीन संशोधित नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रक्षा विभाग की भूमि के आबंटन की मांग के संबंध में प्रस्तावों का औचित्य क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) रक्षा भूमि पर राज्य-वार कब्जों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

2. वर्तमान रक्षा भूमि नीति के अनुसार कोई रक्षा भूमि अधिशेष घोषित नहीं की जाती है और यदि कोई जमीन छोड़नी ही पड़े तो ऐसा उसके समतुल्य मूल्य के आदान-प्रदान के आधार पर किया जाता है। तथापि, नीति में राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, समाज सेवी संगठनों आदि को रक्षा भूमि के अंतरण/पट्टे पर दिए जाने के अनुरोध पर प्रत्येक मामले में मेरिट के अनुसार विचार किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1997 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मंत्रिमंडल के पूर्वानुमोदन के बिना रक्षा भूमि का अंतरण/अन्य संक्रामण नहीं किया जाएगा।

गत तीन वर्ष में अर्जित भूमि और राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को अंतरित भूमि के ब्यौरे विवरण-II में दिए जा रहे हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उनके कब्जे में कुल जमीन (एकड़ में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35042
2.	अरुणाचल प्रदेश	4156
3.	असम	24548
4.	बिहार/झारखण्ड	15893
5.	दिल्ली	11423
6.	गोवा	3095
7.	गुजरात	23248
8.	हरियाणा	33698
9.	हिमाचल प्रदेश	5973
10.	जम्मू-कश्मीर	16216
11.	कर्नाटक	29183
12.	केरल	5228
13.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	219927
14.	महाराष्ट्र	137317
15.	मणिपुर	1284
16.	मेघालय	5294
17.	मिजोरम	114
18.	नागालैंड	1646
19.	उड़ीसा	23226
20.	पंजाब	78411
21.	राजस्थान	827787
22.	सिक्किम	2520
23.	तमिलनाडु	20954
24.	त्रिपुरा	1782
25.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	152709
26.	पश्चिमी बंगाल	39498
27.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8374
28.	चंडीगढ़	2679
29.	दीव और दमन	202
	कुल	17,31,427
	अर्थात्	17,31,430

विवरण II

राज्य का नाम	वर्ष	रक्षा प्रयोजनों के लिए अर्जित जमीन (एकड़ में)	राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को अंतरित जमीन (एकड़ में)
1	2	3	4
गुजरात	2000	59.875	...
	2001	343.529	
	2002	500.880	
हरियाणा	2000	5.51875	
	2001	...	
	2002	...	...
हिमाचल प्रदेश	2000	...	...
	2001	6.000	...
	2002	10.620	...
जम्मू-कश्मीर	2000	161.4305	
	2001	828.9552	...
	2002	194.6750	
कर्नाटक	2000		
	2001	2.667	...
	2002	...	
राजस्थान	2000	472.560	
	2001		
	2002	102.080	...
महाराष्ट्र	2000	...	...
	2001	...	42.675**
	2002		
तमिलनाडु	2000	1.830	
	2001	45.310	...
	2002	...	...

1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल	2000	...	
	2001		4.82**
	2002		
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	2000		
	2001	12.68125	
	2002	...	...

**अदला-बदली आधार पर राज्य सरकारों को अंतरित की गई।

कच्चे तेल के मूल्यों में उछाल

3537. श्री वी. वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उछाल के कारण कच्चे तेल के आयात पर सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रभाव को रोकने हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित है अथवा क्या उपाय किये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) अप्रैल-अक्तूबर, 2001 के साथ अप्रैल-अक्तूबर, 2002 की अवधि में कच्चे तेल के आयात की मात्रा और मूल्य की तुलना नीचे की गई है:

अप्रैल-अक्तूबर, 2002		अप्रैल-अक्तूबर, 2001	
मात्रा (टीएमटी*)	मूल्य (रुपए करोड़ में)	मात्रा (टीएमटी*)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
49,294	44,368	45,714	38,197

*टी एम टी: हजार मीट्रिक टन

चालू वर्ष की बकाया अवधि के लिए कच्चा तेल आयात बिल वास्तविक आयात और शेष अवधि में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य प्रणाली (ए पी एम) की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपभोक्ता कीमतों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के मामले में सरकार घरेलू कीमतों में ऐसे उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए अंशत: हस्तक्षेप कर सकती है।

नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण

3538. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री थावरचंद गेहलोत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत नौवीं योजनावधि के दौरान नई रेल लाइनों को बिछाने हेतु किन-किन रेल मार्गों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) उक्त रेल लाइनों हेतु प्रशासनिक मंजूरी और धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या चालू योजनावधि में नई रेल लाइनों को बिछाने हेतु संसाधनों के आबंटन में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने नई रेल लाइनों को बिछाने हेतु केन्द्र सरकार और योजना आयोग से धनराशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए गए मार्गों की सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान कुल 226 नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया गया है जिनमें से 44 परियोजनाएं बजट में शामिल कर ली गई हैं। इन 44 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 13000 करोड़ रु. है।

(ग) से (च) इसका दसवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पता चलेगा।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
(क)	*नौवीं योजना में पूरे किए गए नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण और आंशिक रूप से/पूर्णतया शुरू की गई परियोजनाएँ*
1.	मुनीराबाद-महबूब नगर
2.	गिरडीह-कोडरमा
3.	मुंगेर पुल
4.	अबोहर-फाजिल्का
5.	इटावा-मैनपुरी
6.	कालका-परवानू
7.	डेरा बाबा जयमल सिंह-ब्यास
8.	पटना में गंगा पुल
9.	बोगीबील पुल
10.	डिफू-करोंग (1-चरण)
11.	ललित पुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो
12.	बारामती-लोनाड
13.	दौरंधा-महाराजगंज लाइन की पुनर्बहाली
14.	कोट्टायम-इरुमली
15.	गुलबर्गा-बीदर
16.	मछेरला-नलगोंडा
17.	बिश्रामपुर-अंबिकापुर
18.	पुंटबा-शिरडी
19.	तरनतारन-गोइंदवाल
20.	चंडीगढ़-लुधियाना
21.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी
22.	बंगलौर-सत्यमंगलम
23.	धर्मावरम-पेन्नुकोंडा
24.	अंगामली-सबरीमाला
25.	आरा-सासाराम
26.	गढ़वाल-रायचूर
27.	रांची-कोडरमा
28.	देवगढ़-दुमका
29.	राजगीर-तिलैया
30.	फतुआ-इस्लामपुर (पुनःबहाली)
31.	काकीनाडा-पीठापुरम
32.	आगरा-इटावा वाया फतेहाबाद
33.	कोट्टिपल्ली-नरसापुर
34.	जोगीघोपा-नई मैनागुड़ी
35.	रामगंज मण्डी-भोपाल
36.	तारकेश्वर-बिष्णुपुर वाया आरामबाग
37.	सुल्तानगंज-देवगढ़
38.	अजमेर-पुष्कर
39.	गांधीनगर-अदरेज-मोती कलोल
40.	अंगुल-सुकिंदा रोड
41.	कोडरमा-तिलैया
42.	बोंगांव-पैट्रापोल
43.	आजिमगंज-जियागंज-नासीपुर
44.	कोलायत-फलौदी

1	2

ख. नई लाइनों के लिए किए गए ऐसे सर्वेक्षण जिन्हें नौंवी योजना के दौरान पूरा कर लिया गया था परन्तु कार्य बजट में शामिल नहीं किया गया।

1. पुणे-नासिक
2. हमीरपुर-हमीरपुर रोड
3. वर्धा-पुसाड़-नान्देड़
4. ईदगाह और फतेहपुर के बीच बाई पास लाइन
5. कल्याण से अहमदनगर वाया मुरबाद
6. धुले-नरदाना-सिरपुर
7. धौलपुर-सिरमुत्रा-गंगापुर
8. आगरा क्षेत्र में बाईपास लाइन की व्यवस्था
9. कोपरगांव से शिरड़ी
10. ब्यावर-राजगढ़-सिरोंग और बीना
11. मन्मांड-धुले वाया मालेगांव
12. बाद को भैंसा से जोड़ना
13. बंका-नवादा
14. मुर्शिदाबाद-कंडी वाया खगराघाट और बेहरामपुर
15. देहरी-ऑन-सोन से बंजारी
16. बेहरामपुर-कंडी
17. बज बज से फल्टा
18. बर्धवान से तारकेश्वर
19. गया से डाल्टनगंज वाया गुरा शेरघाटी और इमामगंज
20. देहरी-ऑन-सोन-अकबरपुर
21. दनकुनी से सियाख्ला
22. चुनार से सासाराम
23. दानीवान, पुनपुर के रास्ते दानापुर-फतुआ
24. बकरेश्वर-सियूरी
25. गया-छत्रा
26. सोनबरसराज-आलमनगर के रास्ते कोपरिया-बिहारीगंज
27. बदलाघाट-आलमनगर-भवानीपुर-पूर्णिया-दलखोला
28. टनकपुर-पूर्णागिरी
29. सोनबरसा के रास्ते सीमामढ़ी से जयनगर
30. त्रिवेणीगंज और रानीगंज के रास्ते सुपौल-अररिया
31. प्रतापगंज-भीमनगर-बथनाहा
32. सिंघेश्वर और त्रिवेणीगंज के रास्ते मधेपुरा से प्रतापगंज
33. मुरली गंज के रास्ते बिहारीगंज-छत्तरपुर रोड़
34. कुरसेला-रुपोली-सहरसा
35. महुआ के रास्ते हाजीपुर-समस्तीपुर
36. हसनपुर से बरौनी
37. देवरिया सदर-पदरौना
38. घुगली-फरेंदा
39. कुश्वेश्वर स्थान के रास्ते दरभंगासे सहरसा
40. लहेरिया सराय से कुश्वेश्वरस्थान
41. मुक्तपुरी से कुश्वेश्वरस्थान
42. सिमरी-बख्तियारपुर से बिहारीगंज
43. वैशाली के रास्ते हाजीपुर और सगौली
44. खलीलाबाद से नौगढ़
45. किच्छा-सितारगंज-नानकमाता-खटीभा
46. सलौना (बखरी) से अलौली
47. कोपरिया/सिमरी बख्तियारपुर आलमनगर, बिहारीगंज
48. मधुबनी के रास्ते जनकपुर रोड से जयनगर
49. लहरपुर-तंबौरे और महिरपुवा के रास्ते सीतापुर से बहराइच
50. शिवहर के रास्ते मोतीहारी से सीतामढ़ी

1	2
51.	हाजीपुर-मोतीपुर
52.	निर्मली-सरायगढ़
53.	मुरकोंगसेलख से पासीघाट
54.	बेलोनिया के रास्ते अगरतला से सबरूम
55.	माकुम से सैखोवाघाट
56.	डांगरी से धोला
57.	गिलेखोले और सिंगटम के रास्ते सिवोक से गंगटोक
58.	सरथाबाड़ी से चंगासारी
59.	अररिया-फारबिसगंज-गलगलिया (ठाकुरगंज)
60.	बरपेटा रोड से तिहु
61.	लेखापानी-खरसांग
62.	डिगरू-बिर्नीहाट
63.	तेजनाराणपुर के साथ भालुखरोड विस्तार-कटिहार
64.	करीमगंज-महीसाशन
65.	साहनेवाल-लोडावाल
66.	बोडावाल-साहनेवाल
67.	कोलायत-पोखरण-बाड़मेर
68.	होशियारपुर से ऊना
69.	ऋषिकेश से देहरादून
70.	जालौर-फालना
71.	फतेहाबाद और अगरोहा के रास्ते सिरसा-हिसार
72.	बहुना-रतिया के रास्ते जाखल-फतेहाबाद
73.	चुरू से तारानगर
74.	कैरना के रास्ते पानीपत-मुजफ्फर नगर
75.	जींद-सोनीपत
76.	पनकी से मंढाना
77.	मरीपेट-तुगलकाबाद

1	2
78.	हस्तिनापुर को रेल से जोड़ना
79.	हस्तिनापुर के रास्ते मेरठ के समीप दौराला और बिजनौर
80.	रुड़की के रास्ते मुजफ्फरनर से हरिद्वार
81.	देहरादून और सहारनपुर
82.	रिवाड़ी से रोहतक
83.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग
84.	सरदारशहर के रास्ते हनुमानगढ़ से रतनगढ़
85.	लक्सर से बक्सर
86.	सामना के रास्ते पटियाला से जाखल/नरवाना
87.	मेड़ता सिटी से ब्यावन
88.	चोला से बुलंदशहर
89.	घुम्मनखेड़ा-हसनपुर-जफरपुर के रास्ते बिजवासन से बहादुरगढ़
90.	अखनूर-राजौरी के रास्ते जम्मू से पुंछ
91.	बड़-बिलारा
92.	कपूरथला से ब्यास
93.	नागौर से फलौदी
94.	पानीपत से मेरठ
95.	जहीराबाद-सिकंदराबाद
96.	हैदराबाद-रायचूर
97.	पाटनचेरू-आदिलाबाद
98.	तलवाड़े के रास्ते कोंकण रेलवे पर कोल्हापुर से रत्नागिरी
99.	बगलकोट-कुदाची
100.	बीजापुर-अथानी-शेडबल
101.	बेलहोंगल और कित्तूर के रास्ते धारावाड़-बेलगांव
102.	चिकोडी के रास्ते निपानी-रायबाग
103.	पाटनचेरू-जोगीपेट

1	2
104.	पांडुरंगपुरम-भद्राचलम
105.	चंद्रमपलेम-सरपावरम
106.	ओंगले-दोनाकोंडा
107.	घटनंदूर-अंबाजोगई
108.	बीड-जालना
109.	येलबर्गा के रास्ते गडग-वाडी
110.	कुड्डपाह से मदनापल्ली
111.	काचीगोडा से चित्तयाल
112.	मदनापल्ली के रास्ते कुड्डपाह से बांगरपेट
113.	अरमूर से आदिलाबाद
114.	चित्तूर से बांगरपेट
115.	बडवेल, अटमाकुर के रास्ते कुड्डपाह से नैल्लोर
116.	पाटनचेरू से अक्कानापेट
117.	कुरनूल-कमलापुरम
118.	मोटूमारी-जगियापेट बड़ी लाइन से मिरयालगुडा
119.	भद्राचलम रोड़ (कोठागुडम) और विशाखापत्तनम
120.	कोव्वूर से भद्राचलम
121.	अलमाटी से यादगिर
122.	करेमपुडी, कानीगिरी, कोडिली और दारसी के रास्ते नाडीकुडी से श्रीकलाहस्ती
123.	गुलबर्गा से होसपेट
124.	पुलिवेंडला के रास्ते येरागुंटला से धर्मावरम
125.	पुरी-कोणार्क
126.	सियाख्ला के रास्ते दानकुनी-चंपाडांगा और सियाख्ला से बरगाछिया
127.	बिमलागढ़ से तालचेर
128.	वडासा-गडचिरोली

1	2
129.	झरग्राम-पुरुलिया
130.	खड़गपुर-दानकुनी-सियालदह
131.	जीपोरे-कोटामेट्टा
132.	कंटकापल्ली-अन्कापल्ली
133.	जोलरपेट्टई से होसुर के रास्ते कृष्णागिरी
134.	टिंडीवनम से कुड्डालोर के रास्ते पांडिचेरी
135.	गुंडी-पून्नामल्ली के रास्ते काटपाड़ी-चेन्नई से टिंडीवनम
136.	डुड्डा-तिप्तूर
137.	तकाझी-तिरुवल्ला-पथनमथिट्टा
138.	अड्डूर और कोटराकर्रा के रास्ते कायमकोलम से त्रिवेंद्रम
139.	मांजेरी और मवूर के रास्ते नीलाबूर रोड और फेरोक
140.	सबरीमल्ला से डिंडिगुल
141.	वालजापेट के रास्ते अराकोणम से टिंडिवनम
142.	रानीपेट और आरकोट
143.	आवड़ी-श्रीपेरम्बदूर
144.	बैंगलोर सिटी-बेलूर-मुडीगेरे-श्रृंगेरी
145.	गुरुवायूर-इडापल्ली
146.	मेडीकेरे-चेननारायपतना
147.	कन्नौर के रास्ते कुशालनगर से चेननारायपतना
148.	दावनगेरे-भद्रावती
149.	पोर्ट ब्लेयर से एरियल बे-अंडमान द्वीप समूह
150.	पांडवपुरा से श्रवणबेलगोला
151.	मनमदुरै से तूतीकोरिन
152.	एडापल्ली से त्रिरूर
153.	तंजावूर से पोटुकोट्टई
154.	तालगुप्पा से होन्नावर
155.	तुमकुर से दावणगेरे

1	2
156.	मैटूर से कामराजनगर
157.	वित्री-पूझी-हितोढ़ के रास्ते नान्जनगोड़ और बड़ागरा
158.	पुनालुर से त्रिवेंद्रम
159.	बिस्नातम से मरीकुप्पम
160.	गडग-हरिहर
161.	तेल्लिचेरी-मैसूर
162.	रामगंज मण्डी के रास्ते आगार, सुसनेर झालावाड़-उज्जैन
163.	बारन-शिवपुरी
164.	इंदौर और बुधनी
165.	धानु रोड-नासिक रोड
166.	वेरावल से कोडिनर
167.	कोडिनर से पीपावह तट रेखा
168.	पोरबंदर से पोरबंदर पोर्ट
169.	अजमेर-मेडता रोड
170.	पलवल से अलवर
171.	जयपुर-टोंक
172.	वैकम-वैकम रोड
173.	जबलपुर-पन्ना-दामोह
174.	जालना-खामगांव
175.	फिरोजपुर-तरनतारन
176.	सरना-माधोपुर
177.	हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर
178.	संभल-गजरौला
179.	नोखा-सीकर
180.	ख्वासा, सियानी और धुमा के रास्ते गोटेगांव-रामटेक
181.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा
182.	कुरसेला-बिहारी गंज-सहरसा

निर्वाचन क्षेत्र का सीमा-निर्धारण

3539. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लोक सभा और राज्य विधान सभाओं दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण का कार्य पूरा करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यवार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सीमा-निर्धारण का कार्य किस तिथि तक पूरा हो जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) जी हां। संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 और परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार एक परिसीमन आयोग का गठन तारीख 12.7.2002 को कर दिया गया है, जिसने वर्ष 1991 में की गई जनगणना में अभिनिश्चित जनगणना आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में प्रारूप प्रस्ताव पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं और नागालैंड तथा मेघालय से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन आयोग को तारीख 12 जुलाई, 2002 से दो वर्ष के भीतर कार्य पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने का अनुरोध किया गया है।

301 अप रेलगाड़ी पर बम फेंका जाना

3540. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता दिवस को हावड़ा मंडल के पाकुड़ जिले में कोटालपुरद्वार रेलवे स्टेशन के निकट 301 अप राजपुर हाट-बरहरवा पैसेन्जर रेलगाड़ी पर बम फेंका गया था;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बहरहाल, हावड़ा मंडल के तिलभीटा और कोटलपुकुर रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 803

अप (रामपुरहाट-साहेबगंज पैसेंजर) में 15.8.2002 को बम विस्फोट की घटना हुई थी।

(ख) बिना किसी हताहत के 11 यात्री घायल हुए थे।

(ग) और (घ) राजकीय रेल पुलिस, बरहरवा ने धारा 324/307 आई पी सी और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और जांच की।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत का उपयोग

3541. श्री जे. एस. बराड़: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो अनुपूरक विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख)) विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं हैं और उनकी क्षमता कितनी है और किस दर पर विद्युत/बिजली मिलती है; और

(ग) सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए पवन विद्युत, सौर विद्युत, बायोमास और खोई आधारित सह-उत्पादन, बायोमास गैसीफायर, लघु जलविद्युत तथा अपशिष्ट से ऊर्जा जैसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 30 सितम्बर, 2002 के अनुसार 3636 मेगावाट की कुल संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 400 मेगावाट की क्षमता के संयोजन की परिकल्पना है। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की औसत लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय समूचे देश में सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी तथा जल पंपन प्रणालियों; सौर कुकरों, सौर तापीय जल तापन प्रणालियों और सौर विद्युत उत्पादन जैसी सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें केन्द्रीय वित्तीय सहायता; 80% त्वरित अवमूल्यन; सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर में राहत; उदार शर्तों पर ऋण; और बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग; वापसी-खरीद, तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए राज्य नीतियां शामिल हैं।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की औसत लागत का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की औसत लागत (रुपयों में)
1.	पवन विद्युत	2.25 - 2.75
2.	बायोमास विद्युत	2.00 - 3.00
3.	सौर विद्युत	9.00 - 20.00
4.	बायोमास गैसीफायर	2.25 - 2.75
5.	लघु पनबिजली	2.00 - 3.50
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा	1.75 - 3.50

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में नई रेल लाइनें

3542. श्री राधा मोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम ने जम्मू और कश्मीर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

''लेजर पॉइंट्स'' के उड़ान परीक्षण

3543. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेजर संचालित ''पॉड्स'' के उड़ान परीक्षणों में विलम्ब के कारण जगुआर लड़ाकू विमानों का प्रयोग केवल प्रकाश में होने तक सीमित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्र की सुरक्षा तैयारियों के प्रति जोखिम को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) लेजर डिजिग्नेटेड पॉड ने जगुआर विमान का प्रचालन केवल दिन में प्रकाश रहने तक सीमित नहीं किया है। जगुआर विमान रात और दिन दोनों में प्रचालन के लिए अनुमोदित किया गया है। मिशन कंप्यूटर की सीमित क्षमता के चलते मौजूदा जगुआर विमान में एलडीपी लगाने में कुछ विलंब हुआ है। अब उन्नत किए गए जगुआर में एलडीपी लगाने का फैसला किया गया है। उन्नयन कार्यक्रम प्रगति पर है।

''गार्डन रीच शिपबिल्डर्स'' में आग

3544. श्री सुनील खां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''गार्डन रीच शिपबिल्डर्स'' में 5 नवम्बर, 2002 को लगी भयंकर आग के पीछे क्या कारण थे;

(ख) उससे जान और माल का कितना नुकसान हुआ; और

(ग) भविष्य में सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) गार्डन रीच शिप बिल्डिर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने यह प्रमाणित किया है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन केंद्र के साथ वाले कमरे में अवस्थित अबाधित बिजली आपूर्ति के भीतर एक शार्ट सर्किट से आग लगी।

(ख) इस आग में कंप्यूटर तथा इसके हार्डवेयर, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग, वातानुकूलन, वायु संवातन प्रणाली तथा इस्पात का ढाँचा, जिस पर केंद्रीय अभिकल्प कार्यालय कंप्लेक्स की छत टिकी हुई थी, नष्ट हो गए। इस आग में अनुमानत: 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ। किसी की जान नहीं गई थी।

(ग) अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित आवश्यक अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। गार्डन रीच शिप-बिल्डिर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंपनी को एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

केबल शुल्क में वृद्धि

3545. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न शहरों के केबल संचालकों ने हाल में उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क में मनमाने ढंग से वृद्धि करनी शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वृद्धि को कम करके उपयुक्त स्तर पर लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार को केवल शुल्क प्रभारों में मनमानी तथा बारंबार वृद्धि किए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं, रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों तथा लोगों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक शुल्क प्रभारों को विनियमित करने के लिए सरकार के पास कोई विधिक प्रावधान नहीं था। इसलिए, सरकार ने संबोधन प्रणाली के जरिये पे चैनलों को अनिवार्य रूप से दिखाने की व्यवस्था करने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को लोक सभा में 15 मई, 2002 को तथा राज्य सभा द्वारा 10 दिसंबर, 2002 को पारित कर दिया गया है। इस कानून के द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के चैनलों को देखने तथा उनके लिए भुगतान करने में सहायता मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प, एल पी जी और सी एन जी एजेंसियों का आबंटन

3546. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितने पेट्रोल पंप, एल पी जी और सी एन जी एजेंसियां आबंटित की गईं; और

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान ऐसे कितने बिक्री केन्द्र आबंटित किए जाने का लक्ष्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में 1561 खुदरा बिक्री केन्द्र और 2038 वितरण केन्द्र आबंटित किए गए।

चालू योजना अवधि के दौरान आबंटित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी वितरण केन्द्रों की संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी वितरण केन्द्रों के आबंटन की प्रक्रिया को विज्ञापन, डीलरों का चयन आदि जैसे विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है।

इस समय दिल्ली और मुंबई में 137 सी एन जी स्टेशन प्रचालन में हैं। ये संबंधित कंपनियों अर्थात् दिल्ली में मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई में मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड द्वारा स्वयं चलाए जा रहे हैं। जून, 2003 तक सी एन जी स्टेशनों की संख्या बढ़कर 173 हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन

3547. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस आयोग की वृहत रूपरेखा तैयार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से यह अनुरोध किया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति करने और न्यायधीशों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना किए जाने के विषय में तथा इसकी संरचना के बारे में भी अपने विचार भेंजे।

[हिन्दी]

भारतीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना

3548. डा. अशोक पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता हेतु राजधानी दिल्ली में एक भारतीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर के पैटर्न पर एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में इसके तीन राष्ट्रीय केंद्रों सहित, स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए अभी तक कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

त्रुटिपूर्ण फ्यूजों की खरीद

3549. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1995-99 के दौरान एक विदेशी फर्म से 60.86 करोड़ रुपए के 9000 त्रुटिपूर्ण फ्यूज खरीदे थे;

(ख) क्या संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उक्त फ्यूजों की सुपुर्दगी वायुसेना द्वारा शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण के बिना ही प्राप्त की गई थी;

(ग) क्या भुगतान अनधिकृत रूप से किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच/परिवीक्षा की है तथा देश को अपूर्णीय वित्तीय हानि पहुंचाने

के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा मंत्रालय ने कुल 60.86 करोड़ रुपए मूल्य के 9000 प्रयोज्य फ्यूजों की अधिप्राप्ति की थी। तथापि, फ्यूज की बैटरी में कुछ तकनीकी खामियां देखी गई थीं तथा इन्हें विक्रेता द्वारा अब बिना किसी लागत के बदला जा रहा है।

(ख) फ्यूजों की पहली खेप का स्वीकृति संबंधी निरीक्षण किया गया था और उसे तकनीकी तथा संक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप पाया गया था। अत: दूसरी खेप का निरीक्षण नहीं किया गया था। यह कार्रवाई संविदागत शर्तों के अनुरूप थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सामान के स्वीकृति संबंधी निरीक्षण को अनिवार्य कर दिया है, चाहे खेपों की संख्या कितनी भी हो। हथियार अधिग्रहण की सभी संविदाओं में स्वीकृति-निरीक्षण संबंधी कार्यकलापों को व्यापक बना दिया गया है।

पंजाब में रेल दुर्घटनाएं

3550. श्री भान सिंह भौरा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) मृत व्यक्तियों के कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दुर्घटनाओं के आंकड़े जोनवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार. उत्तर रेलवे पर विगत तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, जिसमें पंजाब राज्य भी शामिल है, नीचे दी गई है:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1999-2000	80	60
2000-2001	66	105
2001-2002*	79	70
2002-2003 (नवम्बर, 2002 तक)*	49	52

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को 756.74 लाख रु. का भुगतान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कम पी.एल.एफ. वाले विद्युत संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपना

3551. श्री बीर सिंह महतो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कम प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) वाले विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार और नवीनीकरण हेतु उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन में सड़क ऊपरि पुल का निर्माण

3552. श्री पी. एच. पांडियन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन स्थित तीसरे रेलवे फाटक के निकट एक सड़क ऊपरि पुल के निर्माण की आधारशिला गत वर्ष रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थित क्या है; और

(ग) नए सड़क ऊपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक आरंभ और समाप्त हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सड़क यातायात के लिए अस्थायी डायवर्सन चल रहा है। पुल खास (रेलपथ पर) पर कार्य शुरू किया जा रहा है। बहरहाल, सड़क ऊपरि पुल का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण पर निर्भर करता है। रेलवे के भाग (रेलपथ पर) का कार्य राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले पहुंच मार्गों के कार्य से पूर्व या साथ-साथ पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3553. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों में किन-किन स्थानों पर इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इनका उत्पाद-वार का मूल्य कितना है और 1 जनवरी, 1999 से आज तक प्रत्येक स्थान पर कितने पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया है; और

(ग) वर्ष 2003 के दौरान उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालक गुजरात राज्य में 50 से अधिक क्षेत्रों से पेट्रोलियम (कच्चे तेल) और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहे हैं जो 10 से अधिक जिलों अर्थात् अहमदाबाद, गांधी नगर, मेहसाणा, कादी, खेड़ा, पाटन, भरुच, सूरत, वडोदरा और आनन्द में फैले हुए हैं। जामनगर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

(ख) ओ एन जी सी के हजीरा (जिला सूरत) और अंकलेश्वर और गांधार (जिला अंकलेश्वर) स्थित अपने प्रचालनों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए 1 जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए ओ एन जी सी और निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा उत्पादन और औसत मूल्य संलग्न विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2002-03 के लिए ओ एन जी सी और निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य निम्नानुसार हैं-

	ओ एन जी सी (समझौता ज्ञापन लक्ष्य)	निजी/संयुक्त उद्यम (बजट अनुमान)	योग
कच्चा तेल (टी एम टी)	6,126	3,600	9,726
प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)	2,463	933	3,396

ब.अ.	-	बजट अनुमान
एमएमएससीएम	-	मिलियन मानक घन मीटर
एम ओ यू	-	समझौता ज्ञापन
टी एम टी	-	हजार मीट्रिक टन

विवरण I

(1) जनवरी 1999 से सितम्बर, 2000 तक गुजरात में ओएनजीसी द्वारा तेल और गैस का उत्पादन

मद	औसत मूल्य	उत्पादित मात्रा				
		अहमदाबाद	अंकलेश्वर आस्ति	मेहसाणा अस्ति	कैम्बे परियोजना	हजीरा परियोजना
कच्चा तेल	रु. 5,447.46/एमटी	5,389 टीएमटी	8,428 टीएमटी	7,745 टीएमटी	290 टीएमटी	-
प्राकृतिक गैस (उत्पादक मूल्य)	रु. 2,192.73/एमसीएम	1,741 एमएमएससीएम	8,138 एमएमएससीएम	641 एमएमएससीएम	16 एमएमएससीएम	-
एलपीजी	रु. 9,363.74/एमटी	-	232 टीएमटी	-	-	2,322 टीएमटी
एसकेओ	रु. 5,193.67/केएल	-	-	-	-	841 टीएमटी
एनएलजी	रु. 5,265.25/एमटी	-	34 टीएमटी	-	-	191 टीएमटी
नाफ्था	रु. 10,126.76/एमटी	-	55 टीएमटी	-	-	4,847 टीएमटी
हैवीकट	रु. 8,020.79/केएल	-	-	-	-	139 टीएमटी

आस्ति/परियोजना	जिला
अहमदाबाद आस्ति	गांधी नगर, मेहसाणा, अहमदाबाद, खेदा और खादी
मेहसाणा आस्ति	मेहसाणा, अहमदाबाद, पटना और खादी
अंकलेश्वर आस्ति	भड़ूच, सूरत, वडोडरा
कैम्बे परियोजना	आनंद, खेदा और वडोडरा

केएल	-	किलो लीटर
एलपीजी	-	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एमटी	-	मीट्रिक टन
एमसीएम	-	मिलियन घन मीटर
एमएमएससीएम	-	मिलियन मानक घन मीटर
एनजीएल	-	प्राकृतिक गैस तरल
टीएमटी	-	हजार मीट्रिक टन
यूएसडी/बीबीएल	-	अमरीका डालर प्रति बैरल

विवरण II

(2) जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2002 तक गुजरात में निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा तेल और गैस उत्पादन

क्षेत्र/ब्लाक	तेल का उत्पादन	अवधि के लिए औसत मूल्य (अमरीकी डालर/बीबीएल)	गैस का उत्पादन (एमएमएससीएम)	अवधि के लिए औसत मूल्य (रुपए/000 एससीएम)
1	2	3	4	5
असजोल	12.62	21.02	नगण्य	*
बकरोल	29.02	22.16	0.67	*
बोला	-	-	2.79	3,750

1	2	3	4	5
भंडट	3.32	20.96	नगण्य	*
कैम्बे	0.37	10.51	नगण्य	*
ढोलका	66.37	19.43	26.16	*
हजीरा**	1.23***	10.51	1,632.22	5,282
इन्दौरा	2.87	22.28	0.13	*
लोहार	3.08	22.28	0.05	*

*गैस की कोई बिक्री नहीं
**क्षेत्र का भाग उपतट में है
***कंडेनसेट का उत्पादन इंगित करता है
यूएसडा/बीबीएल : अमरीकी डालर
एमएमएससीएम : मिलियन मानक घन मीटर
एससीएम : मानक घन मीटर
टीएमटी : हजार मीट्रिक टन

ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय

3554. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों की तुलना में ग्रामीण विद्युतीकरण पर हो रहा व्यय कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या है;

(ग) क्या योजनागत व्यय में कमी से राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) योजना आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए वास्तविक व्यय के आंकड़ों में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि जैसे उप क्षेत्रों के ब्यौरे शामिल नहीं हैं। तथापि, 9वीं योजना के लिए विभिन्न उपक्षेत्रों के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र परिव्यय का किया गया आबंटन वर्ष-वार आधार पर नीचे दिया गया है:-

योजना/वर्ष	कुल विद्युत क्षेत्र परिव्यय (करोड़ रु. में)	ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु परिव्यय (करोड़ रु. में)	कुल विद्युत क्षेत्र परिव्यय में ग्रामीण विद्युतीकरण परिव्यय का प्रतिशत
वार्षिक योजना 1997-98	20831.00	1179.03	5.66
वार्षिक योजना 1988-99	25746.00	1341.37	5.21
वार्षिक योजना 1999-2000	26825.00	1563.90	5.83
वार्षिक योजना 2000-2001	26618.00	2677.77	10.06
वार्षिक योजना 2001-02	27843.00	अभी तक अप्राप्त	-

8वीं योजना के दौरान 79589.32 करोड़ रुपये के कुल विद्युत क्षेत्र आबंटन में से 4000 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु रखी गई थी। यह कुल विद्युत क्षेत्र परिव्यय का 5.03% बैठती है। इसलिए 9वीं योजना की वार्षिक योजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु आबंटन 8वीं योजना की तुलना में अधिक है।

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है और वर्ष 2001-02 से इसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों को 412.236 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। पुन: वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण समेत सभी छ: घटकों के लिए पीएमजीवाई के अंतर्गत 2747.00 करोड़ रुपये के आबंटन के तुलना में सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को प्रथम किस्त (50%) के रूप में 1369.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। 600 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के तहत राज्यों को किस्त (50%) के रूप में 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड (आर आई डी एफ) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, ताकि राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु इन निधियों तक पहुंच रखने की अनुमति प्रदान की जा सके। वित्त मंत्रालय ने प्रणाली सुधार और जल विद्युत समेत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 30.09.2002 की तिथिनुसार 114.35 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की है।

[अनुवाद]

एन.पी.जी.सी.आई. की संयुक्त उपक्रम वाली परियोजनाएं

3555. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम ने दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 71.000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम ने निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं में निवेश की स्वीकृति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं में निवेश करने हेतु उक्त निगम इच्छुक है उनका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (पीजीसीआईएल) ने 76450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास हेतु विभिन्न पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) पीजीसीआईएल ने "ताला जल विद्युत परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली, पूर्वोत्तर इंटरकनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली" नामक परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित पारेषण लाइनों को पीजीसीआईएल और मै. टाटा पावर की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित किया है:

(1) 400 केवी डबल सर्किट (डी/सी) सिलीगुडी-पूर्णिया पारेषण लाइन (टीएल)

(2) 400 केवी डी/सी पुर्णिया-मुजफ्फरपुर (टीएल)

(3) 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर (टीएल)

(4) 400 केवी डी/सी गोरखपुर-लखनऊ (टीएल)

(5) 400 केवी डी/सी बरेली-मंडोला (टीएल)

(6) 220 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (न्यू)-मुजफ्फरपुर (बीएसईबी)

विवरण

पावर ग्रिड द्वारा पारेषण परियोजनाओं की अनंतिम सूची 10 और 11वीं योजना

(निवेश करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	पारेषण स्कीम	चरण-1 (10वीं योजना में पूरा करने हेतु)	चरण-2 (11वीं योजना में पूरा करने हेतु)	कुल
1	2	3	4	5
1.	ताला पारेषण प्रणाली, पूर्वोत्तर अंत: संयोजन एवं उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण	2760	-	2760

1	2	3	4	5
2.	ताला पारेषण प्रणाली के लिए अनुपूरक स्कीम	450	–	450
3.	आई.पी.टी.सी. माध्यम के अंतर्गत प्रस्तावित बीना-नागदा एवं नागदा-देहगांव लाइन अंश	550	–	550
4.	बाढ़, कहलगांव 2 एवं उत्तरी करनपुरा के लिए संयुक्त पारेषण प्रणाली	12650	–	12650
5.	सिपत 1 और 2 से वृहत् विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	1950	–	1950
6.	10वीं योजना की निर्माणाधीन पारेषण स्कीमों में निवेश	5300	–	–
7.	10वीं योजना में उत्तरी क्षेत्र/प.क्षे/द.क्षेत्र/पू. क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम	2120	–	2120
8.	अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन अधिशेष के उपयोग के लिए पू.क्षे.-उ.क्षे.- उ.क्षे./प.क्षे./द.क्षे. राष्ट्रीय लिंक स्कीम	4250	–	4250
9.	पू.क्षे. अधिशेष को द.क्षे. को भेजने में वृद्धि करने के लिए गाजुवाका 2 पारेषण प्रणाली	850	–	850
10.	10वीं योजना उत्पादन सम्बद्ध पारेषण प्रणाली एवं 11वीं योजना की अग्रिम कार्रवाई	5450	–	5450
11.	रिहंद 2 के लिए पारेषण प्रणाली	1120	–	1120
12.	पू.क्षे.-उ.क्षे. एच.वी.डी.सी. बाइपोल लिंक एवं हिरमा की 765 के.वी. की लाइन	–	6300	6300
13.	पूलिंग स्टेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र-डी.ई. पूलिंग स्टेशन उ.क्षे./प.क्षे. एच.वी.डी.सी. बाइपोल 1 और 2	–	8700	8700

1	2	3	4	5
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना से निकासी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	–	2000	2000
15.	11वीं योजना में अंत:क्षेत्रीय पारेषण सुदृढ़ीकरण	–	5400	5400
16.	12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लिए अग्रिम कार्रवाई	–	2000	2000
17.	11वीं योजना के दौरान और 10वीं योजना के बाहर की उत्पादन सम्बद्ध पारेषण परियोजनाएं	–	14600	14600
	कुल	37450	39,000	76,450

[हिन्दी]

बायोगैस संयंत्र की स्थापना

3556. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यशील और गैर-कार्यशील बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाजार में गैस स्टोव उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) गैर-कार्यशील संयंत्रों संबंधी सूचना सहित बायोगैस संयंत्रों के विस्तृत विवरण का ब्यौरा ब्लॉक/जिला स्तर पर राज्य नोडल विभागों/एजेंसियों द्वारा; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जिला कार्यालयों में और संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के मुख्यालयों में रखा जाता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2000-2001 में 19 राज्यों में किए गए एक नमूना अध्ययन में बताया गया कि अखिल भारतीय औसत आधार पर सर्वेक्षण किए गए संयंत्रों में से लगभग 81 प्रतिशत संयंत्र चालू पाए गए और शेष 19% संयंत्र अपूर्ण निर्माण, चालू न किए जाने, विखंडन आदि के कारण बंद पड़े हैं। राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना संबंधी किए गए नैदानिक नमूना सर्वेक्षण अध्ययन में बताए गए नमूना आकार, चालू और अपूर्ण, चालू न किए गए और विखंडित संयंत्रों की संख्या

राज्य	नमूना आकार (संयंत्रों की संख्या)	चालू संयंत्रों की संख्या	अपूर्ण, चालू न किए गए, विखंडित आदि संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	60	34 (57%)	26 (43%)
अरुणाचल प्रदेश	20	14 (70%)	6 (30%)

1	2	3	4
असम	20	17 (85%)	3 (15%)
बिहार	20	20 (100%)	शून्य
गुजरात	50	45 (90%)	5 (10%)
हरियाणा	20	17 (85%)	3 (15%)
हिमाचल प्रदेश	20	12 (60%)	8 (40%)
कर्नाटक	60	57 (95%)	3 (5%)
केरल	20	17 (85%)	3 (15%)
मध्य प्रदेश	50	44 (88%)	6 (12%)
महाराष्ट्र	50	38 (76%)	12 (24%)
मेघालय	20	17 (85%)	3 (15%)
उड़ीसा	30	30 (100%)	शून्य
पंजाब	20	20 (100%)	शून्य
राजस्थान	20	13 (65%)	7 (35%)
सिक्किम	20	18 (90%)	2 (10%)
तमिलनाडु	20	12 (60%)	8 (40%)
उत्तर प्रदेश	50	33 (66%)	17 (34%)
पश्चिमी बंगाल	45	43 (95%)	2 (5%)
कुल	615	501 (81%)	114 (91%)

[अनुवाद]

घोलवाड स्टेशन पर लूप लाईन का निर्माण

3557. श्री चिंतामन वनगा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे में घोलवाड स्टेशन पर लूप लाईन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लूप लाइन को प्लेटफार्म सं. 1 से हटाकर प्लेटफार्म सं. 4 पर ले जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) प्लेटफार्म सं. 1 के पश्चिम की ओर एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत और मलेशिया के बीच समझौता

3558. श्री रामपाल सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के कब से लागू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस का आयात और निर्यात

3559. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने तथा घरेलू मांग की पूर्ति हेतु ओ एन जी सी/ भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से गैस खरीदने और इसका दक्षिण एशियाई देशों को निर्यात करने हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन लि. को निर्देश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल पिणन कंपनियां घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) के पूरे उत्पादन का उपयोग कर रही हैं। इस समय सरकार की ओ एन जी सी और गेल के उत्पादन से दक्षिण एशियाई देशों को एल पी जी का निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

प्लेटफार्म और रेल लाइनों की सफाई हेतु योजना

3560. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 बिलियन रु. की लागत से प्लेटफार्म और रेल लाइन की सफाई हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के साथ समन्वय हेतु एक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारतीय रेल ने गाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई एवं स्वच्छता में सुधार लाने के लिए 'ऑपरेशन क्लीनलीनेस' योजना लागू की है। एक बहुअनुशासनिक कार्यदल पहले ही बनाया गया है, जिन्होंने समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की है तथा कतिपय निवारक उपाय सुझाए हैं। इस कार्य योजना में तकनीकी में सुधार करने उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने, कर्मचारियों के कौशल में उन्नयन करने तथा बेहतर उपस्करों की व्यवस्था करने संबंधी बहु-उद्देश्य शामिल हैं। विभिन्न गतिविधियों में किए गए खर्च के ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विभिन्न कार्यों के संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू की गई है। यह एक सतत प्रक्रिया होगी, जिसमें शनै: शनै: बड़ी संख्या में गाड़ियों तथा स्टेशनों को शामिल किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3561. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में जल विद्युत उत्पादन पर बल देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दसवीं योजना के लिए तैयार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) भारत सरकार द्वारा देश की पन विद्युत परियोजनाओं के विकास कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) उड़ीसा राज्य में 600 मे.वा. क्षमता की इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 9वीं योजना के दौरान शुरू की गई थी।

(ग) 10वीं योजना के दौरान (2 × 3 मे.वा.) क्षमता की पोत्तेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द्वारा 30.6.2002 से कार्य करना शुरू कर दिया गया है तथा उड़ीसा राज्य में (2×75 मे.वा.) क्षमता की बालीमेला एक्सटेंशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द्वारा वर्ष 2005-07 में कार्य शुरू किया जाना निर्धारित है।

ऊर्जा संरक्षण संबंधी सम्मेलन

3562. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के लिए नीति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए तैयार की गई नीति और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) "स्ट्रेटजी फोर इनर्जी कन्जर्वेशन इन द न्यू मिलेनियम" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 अगस्त, 2002 को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गठित ब्यूरो आफ इनर्जी इफेसिएन्सी नामक सांविधिक निकाय की कार्य योजना जारी की गई थी जिसमें ऊर्जा संरक्षण संबंधी नीतियों का विशेष उल्लेख है। कार्य योजना में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

* ऊर्जा संरक्षण के लिए इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम (आईआईपीईसी)।
* मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।
* स्टैंडर्ड एण्ड लेबलिंग प्रोग्राम।
* भवनों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता।
* ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड्स।
* व्यावसायिक प्रमाणीकरण और मान्यता प्रदान करना।
* मैनुअलों और संहिताओं की तैयारी।
* इनर्जी इफिसिएन्सी पालिसी रिसर्च प्रोग्राम।
* स्कूली शिक्षा।
* ऊर्जा दक्षता सेवाओं के लिए डिलीवरी तंत्र।

उपर्युक्त के मद्देनजर यह आशा है कि आगामी पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 30% ऊर्जा की बचत की जा सकेगी। निजी क्षेत्र से भी ऐसी ही अपेक्षा की गई है ताकि उनके द्वारा भी आगामी पांच वर्षों के दौरान 20% ऊर्जा की बचत की जा सके।

राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासकों को भी यह सलाह दी गई है कि ऊर्जा दक्षता अधिनियम के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्य रूप दें। विद्युत उत्पादक क्षेत्र के चुनिन्दा उद्योग समूह के साथ भी बातचीत शुरू की गई है तथा उनके उत्पादों की न्यूनतम खपत मानकों के निर्धारण के लिए तथा उत्पादों पर उचित उल्लेख के लिए एक कार्य दल का भी गठन किया गया है।

चुनिन्दा प्रसंस्करण उद्योग के साथ भी संवाद शुरू किया गया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बचत के उपायों की अनुशंसा के लिए कार्यदल का गठन किया जा सके।

टी.वी. पर जानवरों का उपयोग

3563. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि टी.वी. पर दिखाए जाने वाले अनेक धारावाहिकों तथा विज्ञापनों में जानवरों के उपयोग से अन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों का उल्लंघन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) दूरदर्शन पर कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा विनियंत्रित होते हैं। दूरदर्शन दिशा-निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापनों में पशुओं/पक्षियों आदि को परेशान करने या उन्हें आपत्तिजनक रूप से प्रस्तुत/चित्रित नहीं किया जाना चाहिए तथा विज्ञापनों में पशुओं के प्रति क्रूरता निषेध अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए। जहां तक निजी टी.वी. चैनलों का संबंध है निजी टी.वी. चैनलों, केबल नेटवर्क के माध्यमों से प्रसारित और पुन: प्रसारित विज्ञापनों में

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ केबल सेवा से प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होने चाहिए।

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

3564. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के विद्युत बोर्ड द्वारा कितना घाटा उठाया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अनुमानित वाणिज्यिक हानि एवं राज्य विद्युत बोर्डों की सब्सिडी के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इन हानियों के मुख्य कारण अविवेकपूर्ण टैरिफ संरचना, अकुशल प्रचालन, बृहत् पारेषण एवं वितरण हानियां अधिक कार्मिक तथा राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का भुगतान नहीं होना है।

(ग) सरकार ने रा.वि.बो. की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं हानियों को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक रणनीति तैयार की है। उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:

(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम का अधिनियमन, जिससे राज्य सरकारों को विद्युत टैरिफ के यौक्तिकरण तथा दक्षता, मितव्ययिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने में मदद मिल सके।

(2) मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि प्रबंधन एवं सुधारों की मुख्य चुनौती वितरण क्षेत्र में है, और अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प किया गया कि:

(i) 11 के.वी. के सभी फीडरों पर ऊर्जा ऑडिट को अगले 6 महीने में प्रभावी बनाया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

(ii) इस उद्देश्य से एक कारगर सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) चालू की जाएगी।

(iii) उक्त के आधार पर आगामी 2 वर्षों में बिजली चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया है।

(iv) सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग।

(v) दो वर्षों में सम स्थिति प्राप्त करने और उसके बाद सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हेतु वितरण में वर्तमान तारीकों की जरूरत होगी।

(vi) निम्नांकित में से एक अथवा सभी के माध्यम से वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करनी होगी:

- पूर्ण दायित्व के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन।
- पंचायतों/स्थानीय निकायों/फ्रैचाइजों/प्रयोक्ता संघों को आवश्यकतानुसार स्थानीय वितरण की जिम्मेवारी देना।
- वितरण का निजीकरण।
- अथवा कोई अन्य उपाय।

(3) भारत सरकार समयबद्ध तरीके से सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ समझौता करार (एमओए) पर हस्ताक्षर कर रही है, इनमें केन्द्र तथा राज्यों की प्रतिबद्धताएं व्यक्त हुई हैं। इसके लिए राज्यों को एसईआरसी के गठन, पूर्ण मीटरिंग के जरिए ऊर्जा आडिट, पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने की जरूरत है। तय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों के प्रयासों के क्रम में भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादक इकाईयों के अनावंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन, विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों आदि के अंतर्गत निधियों की सहायता हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एमओयू को अब और अधिक स्पष्ट तरीके और लक्ष्यों के साथ करार ज्ञापनों में शामिल किया जा रहा है क्योंकि राज्यों के सुधार कार्यक्रम सही आकार प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रयास के माध्यम से अब तक 25 राज्यों को कवर किया गया है।

(4) शीघ्र परिणाम तथा उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन हेतु अभिज्ञात वितरण सर्किलों में विशिष्ट परियोजनाओं में वित्त व्यवस्था हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक नकद हानि में कमी की दृष्टि से प्रोत्साहन स्कीम शामिल हैं।

विवरण

रा.वि. बोर्डों के वाणिज्यिक लाभ/हानियां
(सब्सिडी के साथ)

(करोड़ रु. में)

	एसईबी	1999-2000 अनंतिम	2000-2001 (संशोधित अनुमान)	2001-2002 (एपी)
1.	आंध्र प्रदेश एपीएसईबी/एपीट्रांसको	-53	-932	-1194
2.	असम	-214	-379	-370
3.	बिहार	-511	-670	-753
4.	दिल्ली (डीवीबी)	-1103	-1055	-1092
5.	गुजरात	-2501	-2604	-2135
6.	हरियाणा	-835	-1548	-1537
7.	हिमाचल प्रदेश	-206	-92	-48
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर	-793	-990	-1141
9.	कर्नाटक	76	76	86
10.	केरल	-181	-348	-445
11.	मध्य प्रदेश	-2718	-2800	-3183
12.	महाराष्ट्र	605	-1404	-3527
13.	मेघालय	-43	-34	-38
14.	उड़ीसा (एसईबी/ग्रीडको)	-187	-212	-230
15.	पंजाब	-1709	-1477	-1633
16.	राजस्थान (ट्रांसको)	-133	615	-2412
17.	तमिलनाडु	-1192	-1197	-2260
18.	उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन	-2596	-1734	-1887
19.	पश्चिमी बंगाल	-793	-1009	-1036
	कुल	-15088	-17794	-24837

स्रोत : योजना आयोग के अभिलेख

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य

3565. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कराधान से पूर्व पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत और उपभोक्ताओं को उनके विक्रय मूल्य में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 में पेट्रोल, डीजल, नाफ्था, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, प्राकृतिक गैस इत्यादि की अनुमानित उत्पादन लागत क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के लिए उपर्युक्त प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय मूल्य कितना है; और

(घ) उक्त वस्तुओं की उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य दोनों में अंतर के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) बहु उत्पादों के उत्पादन के साथ तेल शोधन एक सतत प्रक्रिया उद्योग है, इसलिए उत्पादन की उत्पादवार लागत का आकलन नहीं किया जाता। उन विभिन्न घटकों, जो उपभोक्ताओं को अंतिम बिक्री से पहले उत्पादों के रिफाइनरी तक के मूल्य में जुड़ जाते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ भाड़ा, विपणन लागत, शुल्क, कर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन आदि सम्मिलित है। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण में हैं।

12.12.2002 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल पी जी और सा. वि. प. मिट्टी तेल का खुदरा बिक्री मूल्य

पेट्रोल (रु./लीटर)	डीजल (रु./लीटर)	घरेलू एल.पी.जी (रु./सिलेन्डर)	सा.वि.प्र. मिट्टी तेल (रु./लीटर)
28.91	18.06	241.21	8.92

क्षमता से कम उत्पादन कर रही ऊर्जा परियोजनाएं

3566. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र की अनेक विद्युत परियोजनाएं अपने अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विद्युत परियोजनाओं का नाम क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष के लिए कम विद्युत का उत्पादन किया है;

(ग) इन परियोजनाओं द्वारा कम विद्युत उत्पादन करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) कम विद्युत उत्पादन के कारण इन विद्युत परियोजनाओं को कितनी धनराशि का घाटा हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) ताप विद्युत केन्द्रों का निष्पादन विभिन्न घटकों जैसे जेनरेटिंग यूनिटों की आयु, सुनियोजित अनुरक्षण, उपस्कर त्रुटि के कारण जबरन बंदी, ईंधन आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता, उपस्कर की क्षमता और लोड पैटर्न आदि पर निर्भर करता है। ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन स्तर का सबसे अधिक प्रयुक्त सूचक संयंत्र भार घटक (पी एल एफ) है जिसे वर्ष में प्रतिशत वास्तविक क्षमता उत्पादन प्रति घंटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल विद्युत केन्द्रों का विद्युत उत्पादन मुख्यत: बहुद्देशीय परियोजनाओं से जल का विनियमित आबंटन और रन-ऑफ-रिवर स्टेशनों के मामले में उपलब्ध प्राप्ति पर निर्भर है, जिसका नियंत्रण आवाह क्षेत्र में वर्ष के पैटर्न द्वारा होता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के लिए तथा चालू वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर, 2002 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों/युटिलिटियों की संस्थापित क्षमता एवं संयंत्र भार घटक संलग्न विवरण I से IV में दर्शाए गए हैं।

(घ) प्रणाली एवं केन्द्र उपस्कर अड़चनों के कारण कम विद्युत उत्पादन के बावजूद, जो जैसा कि भाग (क) से (ग) के उत्तर में बताया गया है, अपरिहार्य है, अप्रैल-अक्टूबर, 2002 की अवधि में प्राप्त पीएलएफ 68.7% के कार्यक्रम की तुलना में 70.2% था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

	कार्यक्रम	वास्तविक
केन्द्रीय क्षेत्र	72.0%	74.1%
राज्य क्षेत्र	66.0%	66.9%

हालांकि केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र में कुछ संयंत्र उपरोक्त (क) के उत्तर में वर्णित कारणों से निर्धारित लक्ष्य से नीचे चल रहे हैं (संदर्भ अनुबंध 1 से 4) जो उत्पादन केन्द्रों के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे गैस केन्द्रों के मामले में ईंधन का अभाव, हाइडल केन्द्रों में जल अनुपलब्धता, तरल ईंधन संयंत्रों के मामले में ऊर्जा की उच्च लागत, पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों के मामले में अल्प मांग आदि। अत: कम विद्युत उत्पादन की वजह से हुई हानियों का आकलन करना संभव नहीं है।

विवरण I

सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन कारक
(अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 के दौरान)

	मॉनीटर क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)	पीएलएफ (%)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र	24625.0	146115	73.8
एनटीपीसी	19555.0	123647	79.7
एनएलसी	2070.0	13308	73.2
डीवीसी	2625.0	7699	35.9
नीपको	375.0	1461(*)	
राज्य क्षेत्र	38159.5	203513	63.7
डीवीबी	678.5	2533	49.9
जम्मू व कश्मीर	175.0	0(*)	
एचजीपीसी	815.0	3792	53.0
आरइसईबी	1388.5	8176	82.3
पीएसईबी	2120	13837	74.7
यूपीएसईबी	4449.0	19096	49.8
जीईबी	3996.0	22129	63.4
जीएसईसीएल	420.0	2137	74.0
एमएसईबी	6888.0	41530	71.7
एमपीईबी	3512.5	20152	69.4
एपीएसईबी	2942.5	21500	83.2
एपीगैस पावर कार.	265.0	2001(*)	

1	2	3	4
टीएनईबी	3100.0	19076	72.30
केपी कारपोरेशन	1260.0	7764	82.1
केएसीबी	120.0	708 (*)	
केरल एसईबी	248.0	579 (*)	
पांडिचेरी	32.5	132 (*)	
बीएसईबी	1300.0	2246	19.7
तेनुघाट-5	420.0	1169	31.7
उड़ीसा-न्पी	420.0	3159	85.6
डब्ल्यूबीएसईबी	1110.0	3543	39.8
प.बंगाल पावर डेव.कार.	1470.0	6235	56.2
डीपीएल	390.0	848	24.8
एएसईबी	574.5	920	18.2
त्रिपुरा	64.5	251 (*)	
कुल : राज्य एसईबी	38159.5	203513	63.7
बदरपुर	705.0	5022	81.1
आईपी स्टेशन	247.5	845	35.3
राजघाट	135.0	942	79.4
फरीदाबाद	165.0	955	65.9
पानीपत	650.0	2837	49.7
भटिण्डा	440.0	2659	68.8
जीएचटीपी (लेहरा मुहब्बत)	420.0	2971	83.4
रोपड़	1260.0	8207	74.2
कोटा	850.0	6313	84.6
सूरतगढ़	500.0	1635	74.4
ओबरा	1482.0	4856	38.3
हरदुआगंज बी	425.0	596	17.6
पनकी	242.0	825	37.2

1	2	3	4
परीचा	220.0	558	28.9
अनपारा	1630.0	11494	80.3
टाण्डा	440.0	767	19.8
ऊंचाहार	840.0	3631	85.5
सिंगरौली	2000.0	16460	93.7
रिहन्द	1000.0	7605	86.6
दादरी थर्मल	840.0	7093	96.1
धुव्रण	534.0	2358	50.3
उकाई	850.0	4444	59.5
गांधीनगर	660.0	3110	53.6
गांधी नगर-5	210.0	1293	70.1
वनाकबोरी	1260.0	9105	82.3
वनाकबोरी-7	210.0	844	83.4
सिक्का	240.0	960	45.5
कच्छ लिग्नाइट	215.0	964	51.0
सतपुड़ा	1142.5	7716	76.9
अमरकंटक	290.0	1297	50.9
कोरबा (ईस्ट)	400.0	2345	66.7
कोरबा (वेस्ट)	840.0	5021	68.1
संजय गांधी	840.0	3773	67.3
कोरबा एसटीपीएस	2100.0	15780	85.6
विन्ध्याचल एसटीपीएस	2260.0	9897	88.4
नासिक	910.0	5866	59.8
कोराडी	1080.0	5668	67.2
खापरखेड़ा	420.0	2479	67.2
पारस	58.0	347	68.1
भुसावल	478.0	3367	80.2

1	2	3	4
पारली	690.0	4128	68.1
चन्द्रपुर	2340.0	15770	76.7
रामागुण्ड एसटीपीएस	2100.0	16649	90.3
कोठागुडम	1170.0	7816	76.1
रामागुण्डम बी	62.5	427	77.8
नैल्लोर	30.0	129	49.0
विजयवाड़ा	1260.0	9625	87.0
रायलसीमा	420.0	3503	94.9
एन्नौर	450.0	1293	32.7
तूतीकोरिन	1050.0	7449	80.8
मेत्तूर	840.0	5782	78.4
नैवेली	600.0	3747	71.1
नैवेली-2	1470.0	9561	74.0
उत्तर मद्रास	630.0	4334	78.3
रायचूर	1260.0	7764	82.1
फरक्का एसटीपीए	1600.0	6792	48.3
पतरातू	770.0	1569	23.2
बरौनी	310.0	330	12.1
मुजफ्फरपुर	220.0	347	18.0
तेनुघाट	420.0	1169	31.7
कहलगांव	840.0	4284	58.1
चन्द्रपुरा	750.0	1734	26.3
दुर्गापुर	350.0	1533	49.9
बोकारो	805.0	2293	32.4
मेजिया	630.0	2118	52.8
तालचेर	460.0	2327	57.6
तालचेर एसटीपीएस	1000.0	5322	60.6

1	2	3	4
इबवैली	420.0	3159	85.6
बाण्डेल	530.0	2182	46.9
संथाल डीह	480.0	1349	32.0
कोलाघाट	1260.0	6216	56.2
बक्रेश्वर	210.0	19	(नई यूनिट)
डीपीएल	390.0	848	24.8
नामरूप	133.6	340	29.0
चन्द्रपुर	60.0	34	6.4
बोंगईगांव	240.0	134	6.4

टिप्पणी–''(*)'' गैस आधारित स्टेशन, पीएलएफ गणना में शामिल नहीं।

विवरण II

सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन कारक
(अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 के दौरान)

	मॉनीटर क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)	पीएलएफ (%)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र	25209.0	159617	74.3
एनटीपीसी	20139.0	135373	79.5
एनएलसी	2070.0	14677	80.9
डीवीसी	2625.0	7911	36.0
नीपको	375.0	1656 (*)	
राज्य क्षेत्र	38845.8	211726	65.6
डीवीबी	678.5	2800	49.5
जे एंड के	175.0	5 (*)	
एचपीजीसी	1025.0	3551	49.7
आरएसईबी	1388.5	9896	85.0

1	2	3	4
पीएसईबी	2120.0	14458	77.8
यूपीआरवीयूएनएल	4009.0	19582	57.0
जीईबी	3996.0	22898	66.9
जीईएससीएल	420.0	2883	78.4
एमएसईबी	7308.0	42188	72.6
एमपीईबी	3512.5	20417	66.3
एपी जेनको	2942.5	21928	85.1
एपी गैस पावर कार.	272.3	1978 (*)	
टीएनईबी	3169.0	19682	74.8
केपी कारपोरेशन	1260.0	8904	81.3
वीवीएनएल करना	120.0	658 (*)	
केरल एसईबी	248.0	779 (*)	
पांडिचेरी	32.5	233 (*)	
बीएसईबी	1300.0	2116	18.6
तेनुघाट-5	420.0	1333	36.2
उड़ीसा पीजीसी	420.0	3006	81.7
डब्ल्यूबीएसईबी	1110.0	3189	36.0
प.बंगाल पावर डेव.कार.	1890.0	7507	55.9
डीपीएल	390.0	597	17.5
एएसईबी	574.5	932	18.5
त्रिपुरा	64.5	242 (*)	
बदरपुर	705.0	5181	83.9
इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	247.5	866	39.9
राजघाट	135.0	792	67.0
फरीदाबाद	165.0	822	56.9
पानीपत	860.0	2729	47.9
भटिण्डा	440.0	2794	72.5

1	2	3	4
जीएचटीपी (लेहरा मुहब्बत)	420.0	3225	87.7
रोपड़	1260.0	8439	76.5
कोटा	850.0	6437	86.4
सूरतगढ़	500.0	3195	82.0
ओबरा	1482.0	5913	46.8
हरदुआगंज बी	425.0	709	21.0
पनकी	242.0	864	40.8
परीचा	220.0	598	31.0
अनपारा	1630.0	11498	80.5
टांडा	440.0	1189	30.9
ऊंचाहार	840.0	5375	78.1
सिंगरौली	2000.0	16408	93.7
रिहन्द	1000.0	7720	88.1
दादरी थर्मल	840.0	6886	93.6
धुव्रण	534.0	2350	50.2
उकाई	850.0	5382	72.3
गांधी नगर	660.0	3330	57.6
गांधी नगर-5	210.0	1348	73.3
वनाकबोरी	1260.0	8916	80.8
वनाकबोरी-7	210.0	1535	83.4
सिक्का	240.0	1098	52.2
कच्छ लिग्नाइट	215.0	965	51.2
सतपुड़ा	1142.5	7201	71.9
अमरकंटक	290.0	1152	45.3
कोरबा (ईस्ट)	400.0	2184	62.3
कोरबा (वेस्ट)	840.0	4957	67.4
संजय गांधी	840.0	4923	66.6

1	2	3	4
कोरबा एसटीपीएस	2100.0	16254	88.4
विन्ध्याचल एसटीपीएस	2260.0	14199	81.6
नासिक	910.0	5842	73.3
कोराडी	1080.0	5958	63.0
खापरखेड़ा	840.0	3492	75.3
पारस	58.0	382	75.2
भुसावल	478.0	2928	69.9
परली	690.0	4547	75.2
चन्द्रपुर	2340.0	15558	75.9
रामागुण्डम	2100.0	16422	89.3
कोठागुण्डम	1170.0	7639	74.5
रामागुण्डम	62.5	443	80.9
नैल्लोर	30.0	171	65.1
विजयवाड़ा	1260.0	10199	92.4
रायलसीमा	420.0	3476	94.5
एन्नौर	450.0	753	19.1
तूतीकोरिन	1050.0	7931	86.2
मेत्तूर	840.0	6423	87.3
नैवेली I	600.0	4158	79.1
नैवेली II	1470.0	10519	81.7
उत्तर मद्रास	630.0	4358	79.0
रायचूर	1260.0	8904	81.3
फरक्का एसटीपीएस	1600.0	8238	58.8
पतरातू	770.0	1400	20.8
बरौनी	310.0	319	11.8
मुजफ्फरपुर	220.0	397	20.6
तेनुघाट	420.0	1333	36.2

1	2	3	4
कहलगांव	840.0	4826	65.6
चन्द्रपुर	750.0	1469	22.4
दुर्गापुर	350.0	1473	48.0
बोकारो	805.0	2249	31.9
मेजिया	630.0	2701	51.8
तालचेर	460.0	2494	61.9
तालचेर एसटीपीएस	1000.0	5248	59.9
इबवैली	420.0	3006	81.7
बाण्डेल	530.0	2130	45.9
संथालडीह	480.0	1055	25.1
कोलाघाट	1260.0	6250	56.6
बक्रेश्वर	630.0	1257	51.3
डीपीएल	390.0	597	17.5
नामरूप	133.5	477	40.8
चन्द्रपुर	60.0	0	.0
बोंगाईगांव	240.0	84	4.0

टिप्पणी–''(*)'' गैस आधारित स्टेशन, पीएलएफ गणना में शामिल नहीं।

विवरण III

सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन कारक
(अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 के दौरान)

	मानीटरिकृत क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)	पीएलएफ (%)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र	**25709.0**	**162325**	**74.3**
एनटीपीसी	20639.0	138497	80.0
एनएलसी	2070.0	14463	79.8

1	2	3	4
डीवीसी	2625.0	7492	33.7
नीपको	375.0	1873 (*)	
राज्य क्षेत्र	**39726.1**	**221609**	**67.0**
डीवीबी	873.7	2677	45.1
जम्मू व कश्मीर	175.0	0 (*)	
एचपीजीसी	1025.0	5082	60.6
आर.आर.वी.यू.एन.एल.	1888.5	10714	85.2
पी.एस.ई.बी.	2120.0	14695	79.1
यूपी.आर.वी.यू.एन.एल.	4009.0	20510	59.7
जी.ई.बी.	3969.0	22646	66.3
जीएसईसीएल	420.0	3136	85.2
जीएसईजी लि.	156.1	171 (*)	
एमएसईबी	7308.0	45324	74.5
एमपीईबी	2272.5	12524	62.9
सीएसईबी	1240.0	7756	71.4
ए.पी.जेनको	2942.5	22254	86.3
ए.पी. गैस पावर कारपो.	272.3	1950 (*)	
टीएनईबी	3207.0	21197	78.1
के.पी.कारपोरोशन लि.	1260.0	8952	81.1
वीवीएनएलकेएआरएनए	120.0	772 (*)	
केरल रा.वि.बोर्ड	248.0	424 (*)	
पांडिचेरी	32.5	250 (*)	
बीएसईबी	530.0	673	14.5
झारखंड	770.0	1422	21.1
तेनुघाट वी	420.0	1157	31.5
उड़ीसा पीजीसी	420.0	2598	70.6

1	2	3	4
प.बं.रा.वि.बो.	100.0	844 (*)	
प.बं.विद्युत विकास निगम	2900.0	11777	51.8
डीपीएल	390.0	1041	30.5
एएसईबी	574.5	842	16.7
त्रिपुरा	64.5	221 (*)	
मनिपुर	18.0	0 (*)	
विद्युत केन्द्र			
बदरपुर	705.0	5275	85.4
आई पी स्टेशन	247.5	815	37.6
राजघाट	135.0	697	58.9
फरीदाबाद	165.0	808	55.9
पानीपत	860.0	4274	61.6
भटिंडा	440.0	2766	71.8
जीएचटीपी	420.0	3072	83.5
रोपड़	1260.0	8857	80.2
कोटा	850.0	6354	85.3
सूरतगढ़	1000.0	4237	85.0
ओबरा	1482.0	5693	45.1
हरदुआगंज ख	425.0	715	21.2
पांकी	242.0	948	44.7
परिच्छा	220.0	1030	53.5
अनपारा	1630.0	12124	84.9
टांडा	440.0	2103	54.6
ऊँचाहार	840.0	6563	89.2
सिंगरौली	2000.0	15478	88.3
रिहन्द	1000.0	7677	87.6
दादरी ताप विद्युत	840.0	6673	90.7

1	2	3	4
धुव्रन	534.0	1791	38.3
उकाई	850.0	4753	63.8
गांधीनगर	660.0	3806	65.8
गांधीनगर-5	210.0	1489	80.9
वनाकबोरी	1260.0	9352	84.7
वनाकबोरी-7	210.0	1647	89.5
सिक्का	240.0	1140	54.2
कच्छ लिग्नाईट	215.0	980	52.0
सतपुड़ा	1142.5	7316	73.1
अमरकंटक	290.0	989	38.9
कोरबा (पूर्व)	400.0	2220	63.4
कोरबा (पश्चिमी)	840.0	5536	75.2
संजय गांधी	840.0	4219	57.3
कोरबा एसटीपीएस	2100.0	16592	90.2
विन्ध्याचल एसटीपीएस	2260.0	15589	78.7
नासिक	910.0	5660	71.0
कोराडी	1080.0	6104	64.5
खापरखेड़ा	840.0	5511	76.6
पारस	58.0	364	71.6
भुसावल	478.0	3362	80.3
परली	690.0	4423	73.2
चन्द्रपुर	2340.0	16224	79.2
रामागुंडम एसटीपीएस	2100.9	15850	86.2
सिम्हाद्री	500.0	15	(नई इकाई परिकलन में शामिल नहीं है)
कोठागुदेम	1170.0	8036	78.4
रामागुंडम ख	62.5	426	77.8

1	2	3	4
नेल्लौर	30.0	155	59.0
विजयवाड़ा	1260.0	10225	92.6
रायलसीमा	420.0	3412	92.7
इन्नौर	450.0	1150	29.2
तुतीकोरण	1050.0	8108	88.2
मेट्टूर	840.0	6396	86.9
नेवेली I	600.0	4195	79.8
नेवेली II	1470.0	10268	79.7
नार्थ मद्रास	630.0	4672	84.7
रायचुर	1260.0	8952	81.1
फरक्का एसटीपीएस	1600.0	8421	60.1
पतरातु	770.0	1422	21.1
बरौनी	310.0	319	11.8
मुजफ्फरपुर	220.0	354	18.4
तेनुघाट	420.0	1157	31.5
कहलगांव	840.0	4513	61.3
चन्द्रपुरा	750.0	1507	22.9
दुर्गापुर	350.0	1077	35.1
बोकारो	805.0	2253	32.0
मेजिया	630.0	2636	47.8
तलचेर	460.0	2468	61.3
तलचेर एसटीपीएस	1000.0	6238	71.2
आई बी वैली	420.0	2598	70.6
बंदेल (01/07...)	530.0	1386	39.8
संथालडिह (01/07...)	480.0	843	26.7
कोलाघाट	1260.0	6375	57.8

1	2	3	4
बारकेश्वर	630.0	3173	64.7
डोपीएल	390.0	1041	30.5
नामरूप	133.5	416	35.7
चन्द्रपुर	60.0	0	.0
बोंगाइगांव	240.0	46	2.2

टिप्पणी-''(*)'' गैस आधारित स्टेशन होने के कारण पीएलएफ परिकलन में शामिल नहीं है।

विवरण IV

सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन कारक
(अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 के दौरान)

	मानीटरिकृति क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)	पीएलएफ (%)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र	**26415.0**	**95572**	**74.1**
एनटीपीसी	21135.0	81937	79.7
एनएलसी	2280.0	8100	76.2
डीवीसी	2625.0	4774	36.6
नीपको	375.0	761 (*)	
राज्य क्षेत्र	**39646.4**	**132372**	**66.9**
*डीवीबी	769.1	1819	41.1
जम्मू व कश्मीर	175.0	0 (*)	
*एचपीजीसी	1025.0	3351	63.7
*आरआरवीयूएनएल	1926.0	7519	82.6
पीएसईबी	2120.0	8429	77.4
यूपीआरवीयूएनएल	4009.0	12370	61.5
*जीईबी	3930.0	12739	63.6
जीएसईसीएल	420.0	2050	95.0

1	2	3	4
जीएसईजी लि.	156.1	492 (*)	
*एमएसईबी	7308.0	24527	67.9
एमपीईबी	2272.5	8095	69.4
सीएसईबी	1240.0	4130	64.8
ए.पी.जेनको.	2942.5	13343	88.3
ए.पी.गैस पावर कारपोरेशन	272.3	1132 (*)	
*टीएनईबी	3207.0	12894	80.3
के.पी.कारपोरेशन लि.	1260.0	5842	90.3
वीवीएनएल कर्नाटक	120.0	443 (*)	
केरल रा.वि.बोर्ड	235.4	262 (*)	
पांडिचेरी	32.5	155 (*)	
बीएसईबी	530.0	320	11.8
झारखंड	770.0	674	17.0
तेनुघाट V	420.0	768	35.6
उड़ीसा पीजीसी	420.0	1469	68.1
प.बं.रा.वि.बो.	100.0	0 (*)	
प.बं. पावर विकास निगम	2900.0	8137	54.6
डीपीएल	390.0	868	43.3
एएसईबी	574.5	407	13.8
त्रिपुरा	85.5	137 (*)	
मनिपुर	36.0	0 (*)	
विद्युत केन्द्र			
बदरपुर	705.0	3204	88.5
आई.पी.स्टेशन	247.5	335	26.4
राजघाट	135.0	473	68.2
फरीदाबाद	165.0	546	64.4
पानीपत	860.0	2805	63.5

1	2	3	4
भटिंडा	440.0	1507	66.7
जीएचटीपी एलईएच.एमओएच.	420.0	1865	86.7
रोपड़	1260.0	5057	78.1
कोटा	850.0	3569	81.8
सूरतगढ़	1000.0	3847	83.4
ओबरा	1482.0	3832	51.7
(पुरानी इकाई होने की वजह से 40 मे.वा. की यूनिट 1 परिकलन में शामिल नहीं है)			
हरदुआगंज ख	425.0	485 47.8 13.1 39.1	24.5
(पुरानी इकाई होने की वजह से 40 मे.वा. की यूनिट-1 परिकलन में शामिल नहीं है)			
पांकी	242.0	488	39.3
परिच्छा	220.0	624	55.2
अनपारा	1630.0	6941	82.9
टांडा	440.0	1385	61.3
ऊँचाहार	840.0	3506	81.3
सिंगरौली	2000.0	9227	89.8
रिहन्द	1000.0	4289	83.5
दादरी ताप विद्युत	840.0	3577	82.9
धुव्रन	534.0	621	22.6
उकाई	850.0	2919	66.9
गांधीनगर	660.0	2323	68.5
गांधीनगर-5	210.0	1031	95.6
वनाकबोरी	1260.0	5116	79.1
वनाकबोरी-7	210.0	1019	94.5
सिक्का	240.0	708	57.4
कच्छ लिग्नाइट	215.0	587	53.2
साबरमति	330.0	1621	95.6

1	2	3	4
सतपुरा	1142.5	4262	72.6
अमरकंटक	290.0	906	60.8
कोरबा (पूर्व)	400.0	1189	57.9
कोरबा (पश्चिम)	840.0	2941	68.2
संजय गांधी	840.0	2927	67.8
कोरबा एसटीपीएस	2100.0	9113	84.5
विन्ध्याचल एसटीपीएस	2260.0	10043	86.5
नासिक	910.0	2671	57.2
कोराडी	1080.0	3425	61.8
खापरखेड़ा	840.0	3533	81.9
पारस	58.0	108	36.3
भुसावल	478.0	1751	71.3
परली	690.0	2621	74.0
चन्द्रपुर	2340.0	8198	68.2
रामागुंडम एसटीपीएस	2100.0	9695	89.9
सिम्हाद्री	1000.0	1947	91.6
नई इकाई होने की वजह से 500 मे.वा की इकाई-2 परिकलन में शामिल नहीं है)			
कोठागुदेम	1170.0	4936	82.1
रामागुंडम ख	62.5	254	79.1
नेल्लौर	30.0	85	55.2
विजयवाड़ा	1260.0	6105	94.3
रायलसीमा	420.0	1963	91.0
इन्नौर	450.0	1073	46.4
तुतीकोरण	1050.0	4945	91.7
मेट्टूर	840.0	3839	89.0
नेवेली I	600.0	2575	83.6
नेवेली II	1470.0	5525	73.2

1	2	3	4
नेवेली विस्तार	210.0	0	(नई इकाई)
नार्थ मद्रास	630.0	2387	73.8
रायचुर	12600	5842	90.3
फरक्का एसटीपीएस	1600.0	4671	56.8
पतरातु	770.0	674	17.0
बरौनी	310.0	145	9.1
मुजफ्फरपुर	220.0	175	15.5
तेनुघाट	420.0	768	35.6
कहलगांव	840.0	2590	60.0
चन्द्रपुरा	750.0	630	16.4
दुर्गापुर	350.0	662	36.8
बोकारो	805.0	1748	42.3
मेजिया	630.0	1727	53.4
तलचेर	460.0	1238	52.4
तलचेर एसटीपीएस	1000.0	3547	69.1
आईबी वैली	420.0	1469	68.1
बंदेल (01/07...)	530.0	1308	48.0
संथालडिह (01/07...)	480.0	736	29.9
कोलाघाट	1260.0	3781	58.4
बारकेश्वर	630.0	2312	71.4
डीपीएल	390.0	868	43.3
नामरूप	133.5	221	32.2
चन्द्रपुर	60.0	0	0
बोंगाईगांव	240.0	0	0

टिप्पणी–"(*)" गैस आधारित स्टेशन होने के कारण पीएलएफ परिकलन में शामिल नहीं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर शीतल पेयों का विज्ञापन

3567. **श्री सी. श्रीनिवासन :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन/प्रसार भारती द्वारा विज्ञापनों विशेषकर शीतल पेयों के विज्ञापनों से वर्ष-वार और ब्रांड-वार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) शीतल पेयों के कारण होने वाली गम्भीर बीमारियों को देखते हुए क्या प्रसार भारती ने स्वास्थ्य के खतरों को व्यापक कवरेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच शीतल पेयों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा उत्पादवार राजस्व आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि विकसित देशों में उपभोग पद्धतियों पर किए गए कुछ अध्ययन यह दर्शाते हैं कि शीतल पेयों के अत्यधिक उपभोग तथा दूध, फलों व सब्जियों के रसों के कम सेवन या बिल्कुल सेवन न करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति शीतल पेयों का उपभोग नगण्य होने के कारण भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है।

पारादीप-हल्दिया पाइप लाइन परियोजना

3568. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारादीप-हल्दिया पाइप लाइन परियोजना पर कार्य किस तिथि को शुरू किया गया था;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड पारादीप-हल्दिया क्रूड आयल पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के लिए सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

3569. **श्री के. येरननायडू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेलवे के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफारमेशन टेक्नोलाजी, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के किसी केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी), गाची बोवली, हैदराबाद रेलवे को सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान करने के लिए आईआईआई टी में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित केन्द्र में एक अथवा एक से अधिक अंत: अनुशासनिक दल होंगे और प्रत्येक दल में आई आई आई टी के फैक्टरी अनुसंधान स्टाफ तथा विद्यार्थी और रेलवे के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, जो इसमें भाग लेंगे, शामिल होंगे। केन्द्र को चलाने की समग्र लागत रेलों द्वारा मुहैया कराई गई निधियों को प्रभारित की जाएगी और वित्त पोषण जारी रखना केन्द्र की उपलब्धियों के नियमित रूप से किए गए मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करेगा। केन्द्र रेलवे की आई टी आवश्यकता के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करेगा। आरंभिक लागत लगभग 3 करोड़ रु. होगी और आवर्ती लागत प्रतिवर्ष लगभग 1.2 करोड़ रु. होगी।

(ग) रेलवे के एक दल ने आई आई आई टी का दौरा किया और वहां विचार-विमर्श किया। उसके बाद उपरोक्त प्रस्ताव की रेल मंत्रालय द्वारा आई टी पर गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने जांच की। इस मामले में समिति ने अपनी सिफारिश दे दी है जो रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धनराशि

3570. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के घोसी स्थित अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि

आबंटित की गई और वर्ष 2002-03 में कितनी धनराशि के आबंटन का प्रावधान है;

(ख) उपर्युक्त धनराशि किन मदों पर खर्च की गई;

(ग) उक्त स्टेशन द्वारा वांछित लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए और उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय इसके द्वारा मऊ की सदी सराय में संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मऊ में सदी सराय स्थित सौर ऊर्जा स्टेशन बेकार हो गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त सौर ऊर्जा स्टेशन की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय जिलावार आधार पर निधियां आबंटित नहीं करता है। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय द्वारा प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वरीयता आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 1.69 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई। इन निधियों का उपयोग सौर पैसिव डिजाइन पर आधारित केन्द्र का निर्माण, 5 किवा. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने, प्रशिक्षण एवं कार्यालय सहायक सुविधाओं और प्रचालन एवं रखरखाव के लिए राज्य नोडल एजेंसी अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा), द्वारा किया गया। यह परियोजना पूरी हो चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आगे कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं अथवा चालू वर्ष 2002-03 के दौरान कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (छ) नेडा ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ मऊ जिले में सदी सराय गांव में एक 100 किवा. सौर विद्युत संयंत्र की भी स्थापना की है। ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए 25 किवा. की अभिष्ट क्षमता के साथ गांव में घरेलू रोशनी, सड़क रोशनी और पंपों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु 75 किवा. क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

यह विद्युत संयंत्र स्टैंड एलोन और प्रचालन की ग्रिड इंटरएक्टिव विधि में पावर कंडीशनिंग यूनिटों हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास-सह-प्रदर्शन परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। अन्य उपलब्धियों में देश में पहली बार स्थापित ऐसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का डिजाइन, संस्थापना कमीशनिंग एवं प्रचालन तथा रखरखाव के लिए स्थानीय विशेषज्ञता के साथ-साथ सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियों के लिए उच्च वोल्टेज मोडयूलों का विकास करना था।

[अनुवाद]

मंगलगढ़ किले पर कब्जा

3571. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिले में चरखारी तहसील में स्थित मंगलगढ़ किला, जो कि एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, पर सेना द्वारा बलात् कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मंगलगढ़ किले को खाली कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख), जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चरखारी स्थित किला संचार परीक्षणों के लिए 25-05-93 को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को पट्टे पर सौंप दिया है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3572. श्री हरिभाई चौधरी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम और संख्या क्या है जो लाभ नहीं कमा रहे है;

(ख) गत तीन वर्षों के इस प्रकार के कितने उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनको अलग-अलग वर्ष-वार कितना घाटा हुआ है;

(ग) इस प्रकार लगातार घाटे में चल रहे उपक्रमों में सरकार के निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये उपक्रम व्यर्थ के व्यय और प्रबन्धन तंत्र की लापरवाही के कारण घाटे में चल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000-2001, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, के अनुसार 31.3.2001 तक की अवधि के सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 111 उपक्रम ऐसे थे, जिन्होंने लाभ अर्जित नहीं किया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात फूड कारपोरेशन ऑफ

इण्डिया लिमिटेड ने न लाभ अर्जित किया है तथा न ही घाटा उठाया है। विगत 3 वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 111 उपक्रमों में से 84 उद्यम लगातार घाटा उठाते रहे हैं। लगातार घाटा उठाने वाले उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम व घाटे की राशि लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 (खण्ड 1) के विवरण 7 ख में दर्शाई गई है।

(ग) दिनांक 31.3.2001 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लगातार घाटा उठाने वाले 84 उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी तथा दीर्घावधिक ऋण के रूप में सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के खण्ड 1 के विवरण संख्या 17 तथा 18 ख में दिया गया है।

(घ) और (ङ) घाटा उठाने के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारणों में पुराने तथा अप्रलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त कर्मचारी, कार्याचालन पूंजी का अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा, निम्न क्षमता उपयोग तथा उच्च ब्याज भार इत्यादि शामिल।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग समय-समय पर उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के उपाय करते हैं, जिनमें कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा, व्यापार एवं वित्तीय पुनर्गठन, लागत नियंत्रण उपाय, नए सिरे से धनराशि लगाना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

बिहार में मिनी पावर ग्रिड की स्थापना

3573. श्री सुकदेव पासवान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के अररिया, बासमरा और फरासगंज में एक मिनी पावर ग्रिड की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पावरग्रिड ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) के परामर्श से 365.79 करोड़ रु. की लागत से बिहार राज्य में उप-पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। व्यापक स्कीम में अररिया क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है, जो निम्नानुसार है:

* फरबिसगंज (जिला अररिया) में 132/33 के.वी. 2×20 एम वी ए सब स्टेशन का निर्माण।

* किशनगंज-फारबिसगुज-कटय्या 132 के.वी. एस/सी लाइन (डी/सी टावर पर)

फरबिसगंज अररिया जनपद में है। फरबिसगंज में 132/33 के.वी सब-स्टेशन की स्थापना के माध्यम से अररिया जनपद में एक ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जाएगा।

व्यापक स्कीम के वित्तपोषण हेतु बिहार सरकार/बीएसईबी ने केन्द्रीय अनुदान हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है। योजना आयोग की विकास व सुधार सुविधा सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से स्कीम को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। बी.एस.ईबी. ने भी डिपाजिट वर्क आधार पर स्कीम के निष्पादन के लिए पावरग्रिड से अनुरोध किया है।

बिजवासन और बहादुरगढ़ के बीच नयी रेल लाइन

3574. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिजवासन और बहादुरगढ़ के बीच एक नई रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिजवासन से बहादुरगढ़ (36 किमी.) के बीच नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण मार्च 2000 में आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की दर (-) 6.94% के साथ 111.58 करोड़ रुपए आंकी गयी है। भारी ध्रो फारवर्ड और संसाधनों की सीमित उपलब्धता की दृष्टि से कार्य शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में निवेश

3575. श्रीमती रीना चौधरी :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं में कितना निवेश किया गया; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 9वीं योजना के दौरान 1999-2000, 2000-01 और

2001-02 के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए राज्य-वार निवेश तथा व्यय के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए टीएचडीसी एवं एनजेपीसी के संयुक्त उद्यम में राज्य सरकार के हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

	एनजेपीसी (हिमाचल प्रदेश सरकार का हिस्सा)	टीएचडीसी (उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा
1999-2000	355.04	288.50
2000-01	212.15	305.72
2001-02	416.76	293.50

विवरण

परियोजना का नाम	राज्य	9वीं योजना के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	1999-2000 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	2000-2001 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	2001-2002 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन					
टनकपुर	उत्तरांचल	11.53	2.64	–	8.83
धौलीगंगा	उत्तरांचल	612.89	132.67	164.98	241.08
चमेरा-1	हि.प्र.	39.88	6.83	–	27.65
चमेरा-2	हि.प्र.	1053.47	288.30	334.58	420.80
पार्बती-2	हि.प्र.	139.54	18.68	52.19	67.10
दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर	1706.24	299.60	380.92	386.64
रंगित	सिक्किम	262.70	104.49	7.73	8.14
तीस्ता-5	सिक्किम	336.94	29.23	124.33	177.54
लोकतक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	16.50	2.22	6.06	4.01
इंदिरा सागर	म.प्र.	209.56	–	79.56	130.00
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन					
विन्ध्याचल-2 (1000 मेगावाट)		2429.30	297.53	217.65	114.15
ऊंचाहार-2 (420 मेगावाट)		1264.54	203.96	70.67	9.03
कायमकुलम (350 मेगावाट)		1138.99	107.52	51.08	44.65
फरीदाबाद (430 मेगावाट)		862.21	326.13	124.76	28.04
सिम्हाद्री (1000 मेगावाट)		2667.25	624.16	896.88	767.98
तालचेर-2 (2000 मेगावाट)		2128.83	366.73	653.81	1106.82
रिहंद-2 (1000 मेगावाट)		296.14	0.38	1.70	294.06

1	2	3	4	5	6
रामागुण्डम-2 (500 मेगावाट)		183.23	0.23	0.42	182.58
टाण्डा (440 मेगावाट)		1000.00	–	1000	–
नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन					
असम गैस आधारित परियोजना (291 मेगावाट)	असम	275.97	26.40	19.53	11.53
कोपिली एचईपी चरण-1 विस्तार (100 मेगावाट)	असम	17.10	0.87	2.89	6.53
कोपिली एचईपी चरण-2 (25 मे.वा.)	असम	55.20	9.62	29.83	15.75
अगरतला गैस टरबाइन पावर प्रोजेक्ट (84 मे.वा.)	त्रिपुरा	102.96	18.40	14.33	5.54
तुरियल एचईपी (60 मेगावाट)	मिजोरम	59.81	14.35	17.76	22.22
रंगानदी एचईपी (405 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश	840.19	200.16	235.88	165.57
दोयांग एचईपी (75 मेगावाट)	नागालैंड	447.55	152.32	73.15	20.39
सतलुज विद्युत निगम लि. (नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन)					
नाथपी झाकड़ी एचइपी (1500 मेगावाट)	हि.प्र.	4184.09	753.76	681.15	1100.13
टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन					
टिहरी बांध एवं एचपीपी चरण-1 (1000 मेगावाट)	उत्तरांचल	1838.24	318.00	336.00	111.26
कोटेश्वर बांध (400 मेगावाट)	उत्तरांचल	–	–	50.00	50.00
दामोदर वैली कारपोरेशन					
मेजिया टीपीएस	पश्चिम बंगाल	538.89	97.59	64.12	110.48

राजनीतिज्ञों पर टी.वी. धारावाहिक

3576. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टी.वी. चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले टी.वी. धारावाहिकों को सेंसर बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजनीतिज्ञों के निजी जीवन पर बनाए जाने वाले टी.वी. धारावाहिक इतने भद्दे तरीके से उनका चित्रण करते हैं कि वे उनके राजनीतिक एवं लोक जीवन के अनुरूप नहीं होते;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार के टी.वी. धारावाहिकों के लिए कोई दिशानिर्देश बनाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) निजी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को जब केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित किया जाता है तो उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। सरकार ने किसी चैनल के किसी भी कार्यक्रम के निर्धारित संहिता के अनुरूप न होने पर अपने आप अथवा विशेष शिकायत मिलने पर संज्ञान लेने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयीय समिति गठित की है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन इस बारे में सभी सावधानी बरतता है कि राजनीतिज्ञों या अन्य व्यक्तियों पर किसी भद्दे कार्यक्रम का निर्माण या प्रसारण न किया जाए। जहां तक निजी उपग्रह चैनलों का संबंध है, कार्यक्रम संहिता अन्य बातों के साथ-साथ केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण का निषेध करती है जो किसी व्यक्ति विशेष या कुछ समूहों, वर्गों या देश के सार्वजनिक व नैतिक जीवन की आलोचना, निन्दा अथवा अपमान करते हों अथवा उनमें मानहानिकारक विषय-वस्तु शामिल हों।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों में बिना बारी के पदोन्नति

3577. श्री सुरेश पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य तेल कंपनियों में अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. सहित कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना बारी को पदोन्नति दी गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारियों और अधिकारियों विशेषकर अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. को उनके अच्छे कार्यनिष्पादन और उत्कृष्ट रिपोर्ट के बावजूद बिना बारी को पदोन्नति नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक समान नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड सहित तेल क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अलावा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को बिना बारी की पदोन्नतियों का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैदल चलने वालों की तलाशी पर रोक

3578. श्री राम मोहन गाइडे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवंबर, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रमजान रिप्रीव इन जे एण्ड के : नो फ्रिसकिंग नो नाइट कर्फ्यू' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के संबंध में तथ्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री से भी इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। रमजान की अवधि में लोगों की आवा-जाही को अपेक्षाकृत सुगम बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने जामा-तलाशी तथा सिविलियन वाहनों की तलाशी जैसी नियमित संक्रियाएं कम कर दी थीं। रमजान के पवित्र महीने के दौरान कर्फ्यू के समय में भी ढील दी गई थी ताकि लोग मस्जिदों में सुबह तथा शाम की नमाज अदा कर सकें। समय में दी गई इस तरह की ढील को विशिष्ट जरूरतों तथा जन-सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आधार पर समन्वित किया गया था। तथापि, विशिष्ट सूचनाओं अथवा आतंकवादी गतिविधि का शक होने पर तलाशी अभियान चलाया जाना जारी रखा गया। अत: इससे आतंकवाद विरोधी आक्रामक संक्रियाएं प्रभावित नहीं हुई थीं और ये पहले की तरह ही जारी रहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूसन

3579. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजाल्यूसन (आई.सी.ए.डी.आर.) अपना क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र खोलने वाला है जिसमें इसकी सेवा कर्नाटक के सभी लोगों को उपलब्ध होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या आरबिट्रेशन एंड कांसलिएशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत स्थापित इसके क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय, मध्यस्थता और विवाचन संबंधी सुविधाएं एवं प्रशासनिक तथा अन्य सेवाएं मिल सकेंगी; और

(ग) यदि हां, तो आई.सी.ए.डी.आर. सेन्टर के कब तक कार्य करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और वह माध्यस्थम्, सुलह और मध्यक्ता कार्यवाहियां आयोजित करने के लिए प्रशासनिक और अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।

[हिन्दी]

सादुलपुर, चुरू और रतनगढ़ जंक्शन पर निर्माण कार्य

3580. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल के सादुलपुर, चुरू-रतनगढ़-जंक्शन पर निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या सरकार को निर्माण कार्य से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 2000-01 से सादुलपुर, चुरू और रतनगढ़ में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए गए हैं:

1. चुरू में बुकिंग कार्यालय में सुधार, प्लेटफार्म सायबान का विस्तार और चार-दीवारी का निर्माण आदि।
2. रतनगढ़ में प्लेटफार्म सायबान का विस्तार।
3. सादुलपुर में बुकिंग कार्यालय में सुधार, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना, मालखाने, अमानती सामान गृह की व्यवस्था आदि।

(ख) उपरोक्त कार्यों पर लगभग 43.11 लाख रु. खर्च हुए हैं।

(ग) और (घ) चुरू की स्थानीय जनता/निवासियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बाउंड्री रेलवे की सीमा से बाहर है। शिकायत पर कार्रवाई की गई और यह वस्तुत: गलत पायी गई।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

3581. श्री राजो सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बिहार सरकार ईंधन ऊर्जा सैल और सौर ऊर्जा तंत्रों के उत्पादन हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने पर्याप्त अपारंपरिक पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए उपकरणों के उत्पादन हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (घ) बिहार में राज्य सरकार की सक्रिय सहायता से अपारंपरिक ऊर्जा उपकरण का निर्माण आरंभ किया गया है। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास विभाग, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों एवं प्रणालियों के एसेम्बली में लगी हुई है। निजी क्षेत्र में चार विनिर्माताओं द्वारा जलपंपन पवन चक्कियों का निर्माण आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों में सौर कुकरों, बायोगैस संयंत्रों और उन्नत चूल्हों का स्थानीय निर्माण भी आरंभ किया जा रहा है। तथापि चूंकि ईंधन सैल प्रौद्योगिकी अभी बिल्कुल नए चरण में है, ईंधन सेलों का वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि

3582. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने तमिलनाडु में अपनी संयंत्र/परियोजनाएं स्थापित की हैं और किन-किन स्थानों पर;

(ख) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना हेतु कितने किसानों से और किस दर पर भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में नौकरियां देने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन तथा भू-स्वामियों के बीच कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो भूमि खोने वालों को किस सीमा तक नौकरियां प्रदान की गई;

(ङ) सभी भूमि खोने वालों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपना वचन पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जिन सरकारी उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, उनकी सूची दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के खण्ड-I के विवरण पृष्ठ संख्या 280 में दी गई है।

(ख) से (च) भूमि अधिग्रहण, रोजगार देने आदि से सम्बन्धित मामलों पर संबद्ध सरकारी उपक्रम के प्रबन्धन द्वारा विचार किया जाता है और इस सम्बन्ध में आंकड़े एक स्थान पर नहीं रखे जाते हैं।

पेट्रोलियम उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं

3583. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के नमूनों का परीक्षण करने हेतु कई प्रयोगशालाएं अधिसूचित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय पेट्रोलियम उत्पादों के नमूनों का परीक्षण करने हेतु राज्य-वार कुल कितनी प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया गया है;

(ग) क्या ये प्रयोगशालाएं वर्तमान मांग पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की पेट्रोल पंपों के निकट ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) जी, हां। सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा कदाचार निवारण) आदेश, 1998 तथा उसके संशोधनों में पेट्रोलियम उत्पाद के नमूनों के परीक्षण हेतु कई प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है।

(ख) से (च) देश में ईंधन के परीक्षण हेतु चल प्रयोगशालाओं के अलावा तेल कंपनियों ने अपनी रिफाइनरियों/संस्थापनों में अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। तेल कंपनियां आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करती रहती हैं। इसके अलावा, विभिन्न अन्य एजेंसियों और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम फारेंसिक विभाग, रक्षा प्रयोगशालाओं आदि में भी ईंधन के परीक्षण हेतु व्यवस्था है।

महुल, मुम्बई के निकट सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम

3584. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेम्बूर, मुम्बई के सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने चेम्बूर के निकट अपनी रिफायनरियों हेतु वैकल्पिक खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और केन्द्र सरकार ने अनेक पंजरापुर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनिक-पंजरापोल बाई पास मार्ग के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार का विस्तृत प्रस्ताव अभी तक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कहलगांव परियोजना

3585. श्री सुबोध राय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहलगांव में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु 1320 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना की 29 अप्रैल, 2002 को आधारशिला रखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) बिहार राज्य के भागलपुर जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-1 का शिलान्यास 29.4.2002 को किया गया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5069 करोड़ रु. है तथा इसके लाभ 10वीं योजना से मिलने हेतु निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. के पास अपतटीय सेवा पोतों का बेड़ा

3586. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. के पास अपतटीय सेवा पोतों का बेड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. के पास कितने पोत हैं और इन पोतों से किस सीमा तक आवश्यकता की पूर्ति होती है;

(ग) क्या इन पोतों के अनुरक्षण से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. का प्रस्ताव न केवल अपने पोतों का ही अनुरक्षण और परिचालन

अपितु अतिरिक्त पोतों की अपनी आवश्यकता पूरी करने हेतु भी एक पोत परिवहन कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के स्वामित्व में 32 अपतट सर्विस/सप्लाई वेस्सलस (ओ.एस.वीज) हैं जो कि ओ.एन.जी.सी. की संभार-तंत्र आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु कुल तैनात बेड़ा का लगभग 60% बैठता है।

(ग) इन 32 ओ.एस. वीज के रख-रखाव पर वार्षिक व्यय रुपए 58 करोड़ है जो कि वर्ष 2001-02 हेतु मुंबई क्षेत्र की कुल वार्षिक प्रचालन व्यय का लगभग 1.35% है। जिसे औचित्यपूर्ण माना है।

(घ) और (ङ) ओ.एन.जी.सी. अपनी प्रचालनगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रगति के आधार पर विभिन्न विकल्पों पर अमल करता है ताकि अपने प्रचालन की क्षमता में सुधार कर सके तथा व्यय में कमी कर सके।

दुर्घटना स्थलों पर लाशों के लिए ताबूत/कफन

3587. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दुर्घटना स्थल पर लाशों के लिए पर्याप्त संख्या में ताबूत/कफन तथा बर्फ की शिलाएं प्रदान नहीं करती है और लाशें दुर्घटना स्थल पर पड़ी रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या दुर्घटना स्थलों पर लाशों को गंदी तथा फटी हुई चादरें दी जाती है;

(घ) क्या बचावकर्ताओं को कोई पैसा नहीं दिया गया था और कोई भोजन भी नहीं दिया गया था;

(ङ) क्या दुर्घटना के शिकार लोगों के संबंधियों को भोजन प्रदान किया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (छ) प्रत्येक दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर गाड़ी (ए.आर.एम.ई.) में 40 अदद कफन मुहैया कराये जाते हैं जिन्हें दुर्घटना स्थल पर शवों को ढकने के काम में लाया जाता है। मैली-कुचैली और फटीचादरों को उपयोग में नहीं लाया जाता है, अपितु शवों को ढकने के लिए केवल स्वच्छ कफनों का ही इस्तेमाल किया जाता है।

ए.आर.एम.ई. में बर्फ शिलाएं नहीं मुहैया कराई जाती हैं क्योंकि इनका सुस्पष्ट कारणों से भंडारण नहीं किया जा सकता। इनकी खरीद स्थानीय रूप से की जाती है।

ए.आर.एम.ई. में कफ़न भंडारण की मद नहीं है जिनकी आवश्यकतानुसार, स्थानीय अथवा नजदीक के बाजारों से खरीद कर ली जाती है।

बचाव कार्य के लिए भुगतान तथा इस कार्य में लगे कार्मिकों के लिए भोजन दुर्घटना स्थल पर ही मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा, दुर्घटना के शिकार लोगों के संबंधियों को भी व्याप्त स्थिति के मद्देनजर भोजन मुहैया कराया जाता है।

एम.ई.एस. में असैनिक अधिकारी

3588. श्री एन.आर.के. रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीन वायुसेना मुख्यालय सेवा, आयुध इत्यादि जैसे अन्य संगठनों के लिए पहले से निर्धारित समानता के अनुसार एम.ई.एस. के सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के बीच युक्तिपूर्ण तथा तर्कसंगत समानता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का एम.ई.एस. के असैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने हेतु उपर्युक्त समानता कब तक निर्धारित करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सैन्य इंजीनियरिंग सेवा सुव्यवस्थित सैन्य इंजीनियरिंग सेवा स्थापना के साथ एक सुस्थापित संगठन है जो एम.ई.एस. के सैन्य तथा असैनिक

अधिकारियों को नियुक्ति तथा समानता प्रदान करती है। तथापि, एम.ई.एस. के सैन्य कार्मिकों की तुलना में असैनिक कार्मिकों की समकक्षता को युक्तियुक्त बनाने के लिए सेना मुख्यालय को गहनता से मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। किन्तु इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु आशय पत्र

3589. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा विक्रय केन्द्र पर कोई वितरक एक ही आशय पत्र पर अपनी सुविधानुसार तथा इच्छानुसार दो अथवा तीन विभिन्न स्थानों पर मशीने लगाकर पेट्रोल बेच सकता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. के ऐसे कितने वितरक हैं जो एक ही आशय पत्र पर दो अथवा तीन विभिन्न स्थानों पर पम्प लगाकर पेट्रोल बेच रहे हैं; और

(ग) उक्त वितरकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) विद्यमान नीति के अनुसार किसी स्थान विशेष पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप की स्थापना के लिए जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई.) का उपयोग, आशय पत्र धारक द्वारा किसी अन्य स्थान पर डीलरशिप की स्थापना के लिए नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

ए.टी.एफ. की चोरी

3590. श्री अधीर चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा कर्मियों तथा प्राप्ति स्थानों पर उत्पाद प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत कंपनी अधिकारियों की मिली भगत/सहमति से ट्रांसपोर्टर माफिया परिवहन के दौरान लाखों लीटर ए.टी.एफ. की चोरी कर रहा है;

(ख) क्या ऐसी चोरी से परिवहन अवधि के दौरान उत्पादों में मिलावट हो सकती है और उड़ान के दौरान दुर्घटना हो सकती है;

(ग) क्या सरकार इस कार्य में लगे हुए ट्रांसपोर्टरों/परिचालकों के उन समूहों जो अचानक संपन्न हो गए हैं, की जांच कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो जांच कब तक कराई जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। अब तक सरकार की जानकारी में ए.टी.एफ. की हानि का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तेल कंपनियों को भारतीय वायुसेना रिफ्यूलर अथवा वायुयानों को प्रत्यक्षत: सुपुर्द ए.टी.एफ. के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ख) वायुसेना को सुपुर्द किया जा रहा ईंधन गुणता नियंत्रण एजेंसियों द्वारा परखा जाता है और ईंधन के संदूषण की किसी घटना की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अशांत क्षेत्रों में तैनात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को लाभ

3591. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों, जो अशांत/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा असम, जम्मू और कश्मीर में विशेषकर श्रीनगर और जम्मू में तैनात हैं को विशेष लाभ देती है;

(ख) यदि हां, तो विशेष लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लाभ सभी सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों पर लागू होती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिमाह अपने मूल वेतन के 12.5% की दर पर अधिकतम 1,000 रुपए की सीमा तक पूर्वोत्तर भत्ते और 40 रुपए और 200 रुपए की श्रेणी में विभिन्न दरों पर दूरस्थ स्थान भत्ते जैसे विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं। तथापि गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के मामले में त्रिपुरा के दूरस्थ स्थान भत्ता प्रतिमाह 150 रुपए और 1,050 रुपए के बीच है। उपर्युक्त लाभों के अलावा संबंधित सा.क्षे.उ. पूर्वोत्तर में अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश यात्रा छूट, पीछे रह गए परिवार के लिए आवास/मकान किराया भत्ता, रियायती आवासीय मकान, कठिनाई भत्ता और पूर्वोत्तर से स्थानांतरण पर अपनी पसन्द की तैनाती जैसे अन्य लाभ उपलब्ध कराते हैं।

जम्मू और कश्मीर में संबंधित सा.क्षे.उ. पीछे रह गए परिवारों के लिए अतिरिक्त मकान किराया भत्ता और जम्मू और कश्मीर से स्थानान्तरण पर अपनी पसन्द की तैनाती के अलावा विशेष बीमा कवरेज और दैनिक भत्ते के 3/4 के बराबर विशेष भत्ता उपलब्ध कराते हैं।

वितरण इकाइयों का सही-सही आकलन

3592. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अधिष्ठापित वितरण इकाइयों के सही-सही आकलन का दावा निर्माणकर्तावार तथा कंपनीवार उनके उत्पादन विशेष के रूप में निर्माता वितरण इकाइयों द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या किसी भी निर्माता के दावे उनकी वितरण इकाइयों में शत-प्रतिशत नहीं होते;

(ग) यदि हां, तो क्या आयातित मशीने शत-प्रतिशत सही होती है;

(घ) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत सही मशीनें प्राप्त करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वितरण इकाइयों का सही-सही आकलन निम्न के दौरान किया जाता है:

(1) तेल विपणन कंपनियों द्वारा नियुक्त जांच एजेंसियों द्वारा तृतीय पक्ष के माध्यम से प्राप्त करते समय

(2) तेल विपणन कंपनियों के विक्रय दल द्वारा फील्ड निरीक्षण के दौरान

(3) माप तौल विभाग द्वारा सरकार के विनियमन के अनुसार वार्षिक केलीब्रेशन के दौरान

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं, आयातित मशीनों से भी शत-प्रतिशत सुपुर्दगी सही नहीं होती है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

आई.जी.एल. में विद्युत की प्रतिपूर्ति की लागत

3593. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 18 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में आईजीएल 100 कि.ग्रा. सीएनजी वितरण हेतु 15 इकाई विद्युत की लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है जबकि मुंबई में एमजीएल 100 कि.ग्रा. सीएनजी वितरण हेतु 20 से 24 इकाई की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एम.जी.एल. की तुलना में आई.जी.एल. द्वारा कम विद्युत लागत की प्रतिपूर्ति करने के क्या कारण है;

(ग) क्या एम.जी.एल. द्वारा असाधारण क्षमता वाले कम्प्रेसर पंप और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो आईजीएल द्वारा उसी प्रकार के उपकरण प्रयोग न करने के क्या कारण हैं और पंप मालिकों पर घाटा उठाने के लिए दबाव डाला जा रहा है; और

(ङ) भेदभाव/विसंगति कब तक दूर की जाएगी और आईजीएल की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क), (ख) और (ङ) जब कि मुंबई महानगर गैस लि. (एम.जी.एल.) तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों को विद्युत प्रभारों के वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति कर रही है, वहीं इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आई.जी.एल.) दिसंबर, 2001 में ओ.एम.सीज तथा आई.जी.एल. के प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर आन-लाइन स्टेशनों के लिए 0.79 रुपया प्रति कि.ग्रा. की दर से विद्युत खपत के नियत मूल्य पर ओ.एम.सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों/डीलरों को भुगतान कर रही है।

आगे, तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों को आई.जी.एल. द्वारा विद्युत प्रभारों की प्रतिपूर्ति का युक्तिकरण करने के लिए एक उद्योग स्तरीय बैठक में इस विषय में सहमति हुई थी कि पहले किए गए अध्ययन की तृतीय पक्षकार की सहायता से पुन:अभिपुष्टि की जाएगी जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गई है।

(ग) और (घ) एम.जी.एल. तथा आई.जी.एल. दोनों द्वारा उपयोग किए गए संपीडक पंप तथा अन्य उपस्कर मानक अच्छी गुणवत्ता वाले है परन्तु सी.एन.जी. भार जरूरत के अनुसार इनकी क्षमता अलग-अलग है।

[हिन्दी]

द्वितीय श्रेणी के स्लीपर

3594. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में जालना रेलवे स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस (2715-16) में नई दिल्ली के लिए कितने द्वितीय श्रेणी के स्लीपर होते हैं;

(ख) क्या सरकार को जालना रेलवे स्टेशन पर इस रेलगाड़ी में और द्वितीय श्रेणी के स्लीपरों की मांग की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी के स्लीपरों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) गाड़ी सं. 2715 नांदेड़-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस में 72 शायिकाओं वाले ग्यारह शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे हैं। जालना स्टेशन में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा उपलब्ध है और इस प्रकार यह स्टेशन गाड़ी का प्रारंभिक स्टेशन होने के कारण इस स्टेशन पर समग्र आरक्षित शयनयान श्रेणी के स्थान उपलब्ध होते हैं। यात्री इस गाड़ी में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कितनी ही शायिकाएं बुक करा सकते हैं। चूंकि गाड़ी नांदेड़-मनमाड खंड में 11 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित 18 कोचों के अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही है, अत: गाड़ी में नियमित आधार पर शयनयान श्रेणी के अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

समपार का निर्माण

3595. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज-लातूर रेलवे लाइन पर कदमबाड़ी के निकट मानव रहित रेलवे समपार स्थापित करने का प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेना के भ्रष्ट न्यायाधीश

3596. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितंबर, 2002 में 'नवभारत टाइम्स' में 'न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं सेना के दागदार जज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक किन-किन अधिकारियों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की गई है। संदर्भाधीन समाचार में उल्लिखित जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के प्रथम दो अफसरों ने मध्य कमान के जी.ओ.सी.-इन-सी की पत्नी द्वारा खरीदी गई संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पर गवाहों के रूप में हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि आरोप लगाया गया है, उक्त मामले में किसी भी समय सेना का कोई कार्मिक शामिल नहीं था।

दक्षिणी कमान जे.ए.जी. ब्रांच के बिग्रेडियर के विरुद्ध शिकायत, जैसा कि अखबार में छपा था, की जांच करने वाली जांच अदालत ने भी उन्हें दोषी नहीं पाया।

पश्चिमी कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर, जो वैधानिक ढांचे के मुखिया हैं, के विरुद्ध उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई मामला नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जालसाजी/रिकार्डों में हेराफेरी के मामले

3597. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय में उसी न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिये गये निर्णयों के संबंध न्यायालय रिकार्डों में हेराफेरी जालसाजी करके उसी न्यायालय में अपील दायर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रैकेट के दुष्प्रभावों की जांच करने का आदेश दिया गया है और क्या इसमें न्यायालय के कर्मचारियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों की संलिप्तता पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो वादकारियों सहित संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता वाली पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने वर्ष 2002 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 859 में पारित तारीख 8 अगस्त, 2002 के आदेश द्वारा न्यायालय के महारजिस्ट्रार को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायपीठ ने तारीख 22 अक्तूबर, 2002 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 11 के अधीन संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल करने के लिए भी कहा है।

(घ) यह आशा की जाती है कि समयबद्ध कार्यवाही, जैसी इस मामले में की गई थी, भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकेगी।

समुद्री डकैती और लूटपाट

3598. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री अनन्त नायक :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ती हुई समुद्री डकैती और लूटपाट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री डकैती और लूटपाट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या समुद्री मार्गों में विध्वंसकारी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर समुद्री गश्त को मजबूत करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत-जापान सहयोग स्थापित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) समुद्री डकैती और लूटपाट से निपटने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (छ) समुद्री डकैती और लूटपाट रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) डकैती/लूटपाट की घटनाओं के खतरे वाले क्षेत्रों में तटरक्षक द्वारा आकस्मिक गश्त लगाना।

(2) सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

(3) ऐसी घटनाओं की जानकारी देने के लिए तटरक्षक के सभी संचालन केन्द्रों में करमुक्त सामान्य टेलीफोन नं. 1718 उपलब्ध है।

(4) तटीय पत्तन प्राधिकारियों के सहयोग से भारतीय पत्तनों के लंगरगाहों की गश्त लगाना।

(5) पत्तन न्यासों को रेडियो निगरानी रखने और डकैतीरोधी निगरानी करने के लिए लंगरगाहों में व्यापारिक पोतों को सलाह देने और ऐसी घटनाओं की जानकारी तटरक्षक को देने के लिए कहा गया है।

(6) सूचित की गई ऐसी किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए तटरक्षक संचालन केन्द्र चौबीस घंटे काम करते हैं।

तटरक्षक ने समग्र सुरक्षा परिदृश्य का पूरा मूल्यांकन किया है और एक योजना बनाई है जिसमें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में और निगरानी बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं।

तटरक्षक विदेशी पोतों सहित सभी पोतों के लिए इंडसार (आई.एन.डी.एस.ए.आर.) नामक ऐसी स्थिति सूचना प्रणाली चलाने की प्रक्रिया में है जिसमें भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र में दाखिल होते ही पोतों को अपनी स्थिति बतानी होगी।

जापानी तटरक्षक और भारतीय तटरक्षक के बीच संयुक्त अभ्यास चलाए गए हैं। तीसरा भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास 6 से 10 नवंबर, 2002 तक चेन्नई में चलाया गया था।

केनिंग रेलवे स्टेशन

3599. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में केनिंग रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन घोषित किए जाने के बावजूद भी वहां लंबी दूरी का आरक्षण तथा उचित शौचालय सुविधाओं की कमी के कारण रेल मंत्रियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन के उन्नयन/विकास तथा सुविधाएं प्रदान करने हेतु कितनी निधियों निर्धारित की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्टेशन के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कैनिंग स्टेशन उपनगरीय खंड के अंतर्गत आता है, जहां कोई मेल/एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती है। बहरहाल सोनारपुर जं. में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई है तथा कैनिंग स्टेशन के यात्री सोनारपुर, जो ई.एम.यू. गाड़ी सेवाओं में भली भांति से जुड़ा हुआ है, से आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक शौचालय संबंधी सुविधाओं का संबंध है, कैनिंग स्टेशन में दो शौचालयों तथा नौ मूत्रालयों की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) कैनिंग स्टेशन में सुविधाओं की व्यवस्था तथा उसे मॉडल स्टेशन में उन्नयन करने के लिए 52.36 लाख रु. की लागत वाले कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

(ग) कैनिंग स्टेशन के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

(1) यात्री सुविधाओं में सुधार। इसें शामिल है:-

1. 2 अदद अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबान।

2. प्लेटफार्म फर्श तथा परिचालन क्षेत्र में सुधार।

3. पानी की टंकी तथा पाइप लाइंनों की व्यवस्था।

4. नल द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्था।

5. पानी के बूथ में सुधार।

(2) पम्पघर सहित गहरे नलकूपों की व्यवस्था।

(3) प्रतीक्षाहाल तथा बुकिंग कार्यालय का निर्माण।

बांग्लादेश को रसोई गैस का निर्यात

3600. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश को रसोई गैस के निर्यात के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांग्लादेश को रसोई गैस के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने मार्च 2003 तक इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.) को सार्क देशों को एल.पी.जी. का निर्यात करने की अनुमति दी है बशर्ते कि केवल आयातित एल.पी.जी. का पुन: निर्यात किया जाएगा और यह भी कि घरेलू मांग पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। चालू वर्ष में आई.ओ.सी. ने बांग्लादेश को 270 मीट्रिक टन एलपीजी का निर्यात किया है। आईओसी ने अब तक इस तरह के निर्यातों से 84,000 अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन क्षमता

3601. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 में सितम्बर तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से कुल कितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है;

(ख) इन स्त्रोतों के माध्यम से कुल उत्पादित ऊर्जा में पवन, सौर और ज्वारीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है;

(ग) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से बढ़ाई गई कुल ऊर्जा उत्पाद क्षमता में निजी और ऊर्जा उत्पादकों का हिस्सा कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) वर्ष के दौरान 1 जनवरी और 30 सितम्बर, 2002 के बीच विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से लगभग 325 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है।

(ख) इन स्त्रोतों के माध्यम से कुल 3636 मेगावाट ग्रिड विद्युत उत्पादन में से 1702 मेगावाट क्षमता पवन से और लगभग 2 मेगावाट सौर विद्युत से प्राप्त हुई है। देश में अब तक कोई ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित नहीं की गई है।

(ग) निजी निवेशों के माध्यम से लगभग 2300 मेगावाट की कुल क्षमता स्थापित की गई है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में निजी भागीदारिता को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता, अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे 80% त्वरित अवमूल्यन और रियायती शुल्क तथा कर उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अपारंरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए अनेक राज्य सरकारों ने भी संवर्धनात्मक नीतियों की घोषणा की है।

''के-राइड'' परियोजनाएं

3602. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **रेल मंत्री** कर्नाटक में आधारभूत संरचना के विकास करने वाली कंपनी के बारे 7 मार्च, 2002 के प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एस.पी.वी. स्थापित करने हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति लेने हेतु प्रबंध किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्षित निधि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	नवीनतम प्रत्याशित लागत	2001-02 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	2002-03 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
हुबली-अंकोला नई लाइन	997.58	14.65	20.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। आंशिक लंबाई (47.75 किमी.) के लिए भूमि अधिग्रहण नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 1.8 कि.मी. की लंबाई में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो चुका है जहां किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शामिल नहीं है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद शेष खंड पर कार्य शुरू किया जाएगा। 20 रीचों के लिए मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों के निर्माण कार्य के लिए निविदाएं दी जा चुकी हैं।
सोलापुर-गडग आमान परिवर्तन	262.05	136.61	20.00	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर-होतगी (16 किमी.) तथा होतगी से बीजापुर (94 कि.मी.) तक कार्य पूरा हो चुका है। बीजापुर से गडग तक शेष खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी तथा गिट्टी संग्रहण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के शीघ्र समापन हेतु के-राइड के जरिए वित्त पोषण करने का प्रयास किया जा रहा है।
हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन	325.93	168.66	45.00	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर का कार्य पूरा हो चुका है। शेष खंड की लंबाई पर कार्य प्रगति पर है। काकानाडी से कबकपुत्तूर तक 44 किमी. के टुकड़े को रेलपथ से जोड़ने के लिए खंड तैयार है। 2002-03 के दौरान मंगलोर-कबकुपुत्तूर (40 कि.मी.) को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्य शीघ्र समापन के लिए के-राइड के जरिए वित्त पोषण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गुंतकल-होसपेट दोहरीकरण	159.10	25.13	38.35	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 113.6 कि.मी. लंबाई पर मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण के लिए ठेके दिए जा चुके हैं और कार्य शुरू हो चुका है।

(ख) और (ग) "रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड" (के-राइड) नामक विशेष प्रयोजन गाड़ी (एस.पी.वी.) के निर्माण के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। के-राइड को परिचालित करने के लिए एक शेयर होल्डर करार पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथियों का निर्धारण धनराशि जुटाने में एस.पी.वी. के सामर्थ्य पर निर्भर है।

[हिन्दी]

रसोई गैस डीलरों और पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई

3603. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री शिवाजी माने :
डा. चरण दास महंत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले रसोई गैस और पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों के अधिकारियों और बेनामी संचालकों के बीच कोई सांठ-गांठ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस नापाक सांठ-गांठ को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने देश में ऐसे 20 एलपीजी वितरण केंद्र तथा 77 खुदरा बिक्री केन्द्र समाप्त कर दिए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप करार के प्रावधानों का अतिक्रमण करते पाए गए हैं।

(ग) से (ङ) बेनामी प्रचालनों के प्रभावित मामलों में सरकार/ओएमसीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप करार के अनुसार कार्यवाही नहीं करती है। ओ.एम.सीज ने अपने अधिकारियों तथा बेनामी प्रचालकों के बीच किसी सांठ-गांठ की रिपोर्ट नहीं की है।

[अनुवाद]

जैसलमेर-कांदला और पोखरन-बाड़मेर के बीच नई रेल लाइन

3604. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरन-बाड़मेर और जैसलमेर-बाड़मेर-कांदला बरास्ता अहमदाबाद के बीच नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। बहरहाल, यह अहमदाबाद के रास्ते नहीं गुजर रही है। जहां तक पोखरण से बाडमेर तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का संबंध है, एक अद्यतन सर्वेक्षण मार्च, 2002 में पूरा कर लिया गया है। अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 131 कि.मी. लम्बी नई लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 268 करोड़ रुपए आंकी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इन प्रस्तावों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने/अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

लोक अदालतें

3605. श्री अनन्त नायक :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में और अधिक लोक अदालतों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक राज्य में कितनी लोक अदालतों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) लोक अदालतों का आयोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लोक अदालतों के आयोजन के प्रयोजनों की प्रकृति के अनुसार इनका आयोजन आवश्यकता पर आधारित है और इसलिए लोक अदालतों की विनिर्दिष्ट संख्या उपदर्शित नहीं की जा सकती।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को, मुकदमा पूर्व सुलह और समझौते के लिए तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से संशोधित किया गया है। संशोधित अधिनियम ऐसी स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अनुबंध करता है, जो परिवहन सेवा, डाक, संचार, आदि जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेंगी। किसी ऐसी लोक उपयोगिता सेवा के साथ विवाद के किसी पक्षकार को संशोधित अधिनियम के अधीन स्थापित की जाने वाली ऐसी स्थायी लोक अदालत को आवेदन करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें मामले का विनिश्चय करने की अधिकारिता और एक ऐसा आबद्धकर पंचाट पारित करने की शक्तियां निहित की गई हैं, जिसे सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और जो अंतिम होगा।

तारीख 30.6.2002 तक, देश के विभिन्न भागों में लगभग 1,39,172 लोक अदालतों का आयोजन किया गया है जिनमें लगभग 1.42 करोड़ मामले निपटाए गए हैं। मोटर यान दुर्घटना दावों के लगभग 7.3 लाख मामलों में 3615.93 करोड़ रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में दी गई है।

[हिन्दी]

राज्यों में रसोई गैस कनैक्शनों का वितरण

3606. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में रसोई गैस कनैक्शनों के वितरण में क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितने रसोई गैस कनैक्शन आवंटित किए गए हैं; और

(ग) देश में आज की तिथि तक राज्यवार आवंटित रसोई गैस कनैक्शनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा देश भर में एलपीजी कनेक्शन मौजूदा बाजार में मांग के आधार पर दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ओ.एम.सीज द्वारा दिए गए एलपीजी कनेक्शनों (घरेलू) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया या है। देश में 1.10.2002 को ओएमसीज के ग्राहकों की कुल संख्या लगभग 6.68 करोड़ है।

विवरण

देश के विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी नई एलपीजी कनेक्शनों का विवरण

(आंकड़े लाख में)

राज्य	2001-02	2000-01	1999-00
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	1.16	1.36	3.37
बिहार	1.96	4.14	2.06
छत्तीसगढ़	0.71	0.31	0.00
दिल्ली	1.11	1.21	3.94
गोवा	0.16	0.46	0.41
गुजरात	2.21	3.85	5.21
हरियाणा	2.20	2.63	4.74
हिमाचल प्रदेश	0.55	0.48	1.03
जम्मू-कश्मीर	1.14	0.84	1.06

1	2	3	4
झारखंड	0.57	0.25	0.00
कर्नाटक	3.84	3.73	5.84
केरल	2.59	11.97	2.11
मध्य प्रदेश	2.25	5.23	4.00
महाराष्ट्र	7.81	8.80	10.27
मणिपुर	0.14	0.24	0.17
मेघालय	0.06	0.07	0.10
मिजोरम	0.08	0.22	0.17
नागालैंड	0.12	0.13	0.12
उड़ीसा	0.91	1.42	1.09
पंजाब	3.82	6.13	4.03
राजस्थान	2.35	5.42	3.22
सिक्किम	0.07	0.13	0.06
तमिलनाडु	5.56	17.56	7.37
त्रिपुरा	0.15	0.15	0.56
उत्तर प्रदेश	5.74	10.89	10.04
उत्तरांचल	0.57	0.21	0.00
पश्चिमी बंगाल	2.31	4.83	6.22
उप-योग	60.52	106.86	89.41
संघ राज्य क्षेत्र			
अंदमान और निकोबार द्वीप	0.02	0.07	0.06
चंडीगढ़	0.09	0.11	0.31
दादरा और नागर हवेली	0.01	0.02	0.06
दमन और दीव	0.01	0.01	0.04
लक्षदीप	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.10	0.13	0.37
उप-योग	0.23	0.34	0.84
अखिल भारत योग	60.75	107.20	90.25

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना

3607. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने एथलीटों को विभिन्न खेल तैयार कैंपों और 13 दिसंबर से 22 दिसंबर 2002 तक हैदराबाद और विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से रोकने के लिए अपने सभी मुख्यालयों और संबद्ध इकाइयों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड को किन परिस्थितियोंवश ऐसे निर्देश जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा; और

(ग) इन खेलों में भाग लेने के अवसर से कितने रेलवे एथलीटों के वंचित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेल खिलाड़ियों को 13 से 22 दिसम्बर, 2002 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में अपने राज्यों की ओर से भाग लेने के लिए अनुमति न देने के लिए अनुदेश पहले जारी किए गए थे। रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड को ऐसी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड को भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध करने के बारे में बार-बार आग्रह करने पर कोई उत्तर न मिलने और रेलवे टीम को राष्ट्रीय खेल में भाग लेने की अनुमति न मिलने के कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी। बहरहाल, आयोजकों से प्राप्त आग्रह और राष्ट्रीय खेलों के विकास के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, रेल खिलाड़ियों को अपवादिक रूप से इन खेलों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए संशोधित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा में रेलगाड़ियों में शौचालयों एवं अन्य सामान्य सुविधाओं का न होना

3608. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा से लघु से मध्यम दूरी तय करने वाली कुछेक रेलगाड़ियों में शौचालय एवं अन्य सामान्य सुविधाएं नहीं है;

(ख) क्या ऐसी यात्री सुविधाओं वाले डिब्बों को बदलने के लिए बहुत से अनुरोध किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दक्षिण मध्य रेल ने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त सुविधाओं वाले डिब्बों तथा रेल गाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार विजयवाड़ा से गुजरने वाली कम दूरी की दैनिक यात्री गाड़ियों में जो 4 घंटे अथवा 160 कि.मी. तक सफर तय करती है, शौचालय नहीं होते हैं। अन्य सभी सुविधाएं गाड़ियों में यात्रा की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानकों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) डा. बी.बी. रमैया, संसद सदस्य से दि. 7.9.2002 का केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और कम दूरी की गाड़ियों में शौचालय की व्यवस्था के बारे में रेलवे की उल्लिखित नीति के अनुसार उत्तर दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) दक्षिण मध्य रेलवे पर शौचालय रहित तथा शौचालय वाले दोनों किस्म के सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं। इनका उपयोग विभिन्न गाड़ियों में यात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं मुहैया कराने के लिए किया जाता है जो कि इनकी मियाद तथा चालन मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है।

विश्व बैंक द्वारा पी.जी.सी.आई.एल. को ऋण रद्द करना

3609. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) विभिन्न मार्गों में आप्टिकल फाइबर संपर्क उपलब्ध करा रहा है और वह अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की टेलीफोनों, लैडिंग स्टेशनों और डाटा सेंटर इत्यादि में प्रवेश करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने पी.जी.सी.आई.एल. को संचार परियोजना के लिए 560 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ऋण को रद्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) ने अवसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनायी है। इसके लिए पूरे संचारतंत्र को लीज (पट्टे) पर लिया जाना है। पी.जी.सी.आई.एल. की पारेषण लाइनों का संजाल देश भर में फैला है इसलिए पूरे भारत भर में व्यापक संचार हेतु आप्टिक फायबर नेटवर्क की स्थापना का कार्य सुगम हो सकेगा। पी.जी.सी.आई.एल. की लगभग 14000 कि.मी. का ''टेलीकाम बैकबोन नेटवर्क'' के विकास की योजना है जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न महानगरों, प्रमुख नगरों/शहरों को संचार नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। पावरग्रिड ने एकीकृत लोड डिस्पैच और संचार केन्द्रों के अतिरिक्त विद्युत के सदुपयोग से दिल्ली-चंडीगढ़ और दिल्ली-जयपुर लाइनों के कार्य को वाणिज्यिक रूप से संचालित कर दिया है। पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा दिल्ली-मुम्बई लाइन का कार्य भी अक्टूबर, 2002 से शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में पावर ग्रिड कारपोरेशन की लम्बी दूरी की टेलीफोन, लैंडिंग स्टेशन और डाटा सेंटर्स में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) पावर ग्रिड का. 'बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क' कार्ययोजना सहित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए (पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-II) विश्व बैंक से 450 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण हेतु 13 जून, 2001 को बैंक से समझौता किया है। विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से सम्बद्ध योजनाएं एक और जहां कार्यान्वयनाधीन है, वहीं दूसरी ओर 'बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क' स्कीम के लिए निवेश अनुमति मिलनी ही शेष रह गयी है। इस बीच, विश्व बैंक ने पावर ग्रिड का. को सूचित किया है कि 31 जनवरी, 2003 तक निवेश अनुमति न मिलने पर तथा टेलीकाम कम्पोनेंट हेतु करार न होने पर विश्व बैंक बोली की वैधता को और विस्तार नहीं दे सकेगा अर्थात् विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से वित्तीय प्रबन्ध नहीं किया जाएगा तथा ऋण की शेष राशि भी रद्द मानी जाएगी।

एल.पी.जी. कनेक्शन

3610. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास इस समय एलपीजी कनेक्शन है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत जनसंख्या को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है; और

(ग) देश में एलपीजी कनेक्शन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) देशभर में सभी विद्यमान बाजारों में एल.पी.जी. कनैक्शन मांग पर उपलब्ध करा रही है। 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार देश में एल.पी.जी. उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 36 प्रतिशत है। तेल विपणन कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1,247 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें से 260 ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आरंभ होने के बाद यह आशा की जाती है कि पर्याप्त संख्या में ग्रामीण जनता को एल.पी.जी. उपलब्ध हो जाएगी।

[हिन्दी]

समाचार वाचकों को न्याय

3611. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अगस्त, 2002 को 'नवभारत टाइम्स' के श्रीनगर दूरदर्शन से समाचार वाचकों की बर्खास्ती के संबंध में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस संबंध में समाचार वाचकों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/की जा रही है;

(घ) समाचार वाचकों को सेवा से बर्खास्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि समाचारपत्र की रिपोर्ट में वर्णित ग्यारह (11) व्यक्ति नैमित्तिक आधार पर

काम पर लगाये गए थे और इसलिए उनकी बर्खास्तगी और पुनर्नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। इन ग्यारह (11) व्यक्तियों में से चार (4) व्यक्ति जो कि न्यूज मॉनीटर के रूप में कार्य कर रहे थे, श्रीनगर के क्षेत्रीय समाचार एकांश में नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे हैं। शेष सात (7) ने न्यूज़ कास्टर के रूप में काम किया था उनमें से कुछ व्यकित अन्य संगठनों/स्थानों में चले गए हैं। एक नीति के रूप में, दूरदर्शन नैमित्तिक आधार पर नैमित्तिक कर्मियों को एक माह में 10 दिनों से अधिक कार्य पर नहीं रखता है।

नई आटो नीति

3612. श्री रामशकल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आटो नीति-2002 बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार ने आटो नीति को अनुमोदित कर दिया है और 7 मार्च, 2002 को सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य विशेषताएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

रेवाड़ी और सराय रोहिल्ला के बीच नई पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ करना

3613. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराह रोहिल्ला स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार का विचार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच बड़ी लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, दिल्ली-रेवाड़ी खंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 2002-2003 के दौरान दिल्ली सराय रोहिल्ला और रेवाड़ी के बीच एक मीटर लाइन डी.एम.यू. सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।

समुद्रीपक्षी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

3614. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को समुद्रीपक्षी परियोजना के लिए उसकी अधिगृहीत 17 एकड़ भूमि के लिए 24.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना है; और

(ख) यदि हां, तो लम्बे समय से लंबित इस राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत के अत्यधिक उपयोग पर विधान

3615. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विद्युत के अतिशय प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी वर्ष में विद्युत की खपत को कम करने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है; और

(घ) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से ऐसी कार्यवाही करने का अनुरोध करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी नहीं। हालांकि ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पहले ही ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 पारित कर चुकी है। अधिनियम में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर वैधानिक ढांचा, संस्थागत प्रबंध और विनियामक तंत्र की व्यवस्था की गई है।

देश में ऊर्जा दक्षता एवं इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) की स्थापना की गई है। इस

दिशा में एक कार्य योजना भी तैयार की गई है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- ऊर्जा संरक्षण हेतु भारतीय उद्योग कार्यक्रम (आई.आई.पी.ई.सी.)।
- मांग पक्ष प्रबंधन।
- मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम।
- भवनों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता।
- ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड।
- व्यावसायिक प्रमाणीकरण और दर्जा-निर्धारण।
- मैनुअलों एवं संहिताओं का निरूपण।
- ऊर्जा दक्षता नीति शोध कार्यक्रम।
- स्कूली शिक्षा।
- ऊर्जा दक्षता सेवाओं के लिए वितरण तंत्र।

(घ) सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त करें।

[अनुवाद]

आंचलिक मुख्यालयों की स्थापना

3616. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक नए जोन के लिए कितनी निधियां नियत की गई है;

(ख) क्या सरकार ने नवनिर्मित रेलवे जोनों के लिये जोनल मुख्यालयों की स्थापना कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नए जोनल रेलवे मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए अपने राज्य में नि:शुल्क भूमि देने का प्रस्ताव रखा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नवनिर्मित जोनों को सभी आधारभूत सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नए जोनों सहित कार्यों के लिए निधि केवल वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि दसवीं योजना की पूर्ण अवधि के लिए।

(ख) से (घ) सरकार ने सभी नव सृजित नए जोनों अर्थात् उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद, पूर्व तट रेलवे/भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे/हाजीपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे/जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे/जबलपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे/हुबली तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर के जोनल मुख्यालय स्थापित कर दिए हैं। इनमें से उत्तर पश्चिम रेलवे/जयपुर तथा पूर्व मध्य रेलवे/हाजीपुर ने पहले ही 1.10.2002 से काम करना शुरू कर दिया है।

(ङ) और (च) केवल उड़ीसा सरकार ने पूर्व तट रेलवे के मुख्यालय के लिए 39.4 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की है।

(छ) सभी न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं नए जोनों के परिचालित होने की प्रस्तावित निधि से पहले उपलब्ध हैं/हो जाएंगी। बहरहाल, नए जोनों के लिए परिकल्पित की गई सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होने में 3 से 5 वर्ष लग सकते हैं।

आयात समानता के आधार पर कच्चे तेल की कीमतें

3617. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति के पश्चात् ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. को आयात समानता के आधार पर कच्चे तेल के मूल्यों का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. एवं ओ.आई.एल. द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की प्रति बैरल उत्पादन लागत क्या है और उन्हें आयात समानता के आधार पर क्या कीमतें दी जा रही है;

(ग) क्या आयात समानता मूल्य कच्चे तेल की उत्पादन लागत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. के गैर अर्जित लाभ का हिसाब किस प्रकार किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के पश्चात आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) तथा आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) को कच्चे तेल के लिए बाजार-निर्धारित मूल्य प्राप्त करने हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए आयात समता मूल्य समय-समय पर उत्पादन लागत से अपेक्षाकृत अधिक अथवा अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खराब खोलों (शेल्स) का निर्माण

3618. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खोलों के दोषपूर्ण निर्माण के कारण चंदा आयुध कारखाने द्वारा खोलों को भरने से 6.06 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) क्या कई गोले दागने में लगातार असफल रहे हैं;

(ग) क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की जानकारी सरकार को है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने और दोषी लोगों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) आयुध निर्माणी, चांदा में निर्मित 6.06 करोड़ रुपए के 105 मि.मी. भारतीय फील्ड गन उच्च विस्फोटक स्क्वाश हेड गोले प्लेट प्रूफ के दौरान अप्रयोज्य पाए गए थे। विफलता के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और आयुध निर्माणी बोर्ड से प्रतिनिधियों को लेकर गठित मिश्रित कार्य बल ने सिफारिश की है कि टार्गेट प्लेट एक ऐसे फ्रेम में जड़ी जाए जो जमीन में गड़ा होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गोले के प्रभाव से टार्गेट प्लेट खिसके नहीं। जड़ी हुई अस्वीकृत गोलाबारूद की टार्गेट प्लेट के बाद प्लेट प्रूफ से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए।

(ग) चूंकि सेना द्वारा निर्धारित किए गए टार्गेट पूरी तरह से पूर्ण हुए थे तथा सेना को सप्लाई किए गए गोलों में कोई खराबी नहीं पाई गई थी, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की भूमि को किराए पर देना

3619. श्री सुबोध मोहिते : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम और मध्य रेलवे द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 'अधिक अन्न उगाओ योजना' के अंतर्गत दी गई भूमि को दूसरे लोगों को किराए पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेजिमा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने में भूमि खोने वालों को रोजगार

3620. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेजिमा ताप विद्युत स्टेशन की तीन इकाईयां स्थापित करने के पश्चात् आदिवासियों सहित भूमि खोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार तथा विद्युत क्षेत्र के बीच किया गया समझौता लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मेजिम ताप विद्युत परियोजना की चौथी और पांचवीं इकाई स्थापित करने के कारण भूमि खोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार ताप विद्युत क्षेत्र के बीच समझौता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मेजिया ताप विद्युत केन्द्र के कारण अपनी भूमि से विहीन हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित करने अथवा रोजगार दिए जाने के आशय का कोई करार डी.वी.सी. और पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य नहीं हुआ है। तथापि, डी.वी.सी. और प. बंगाल राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों की दिनांक 28.10.1994 को हुई बैठक के आधार पर डी.वी.सी. ने उक्त परियोजना के कारण भूमि विहीन हुए 520 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सिद्धांतत: सहमति व्यक्त की थी। इन 520 भूमि विहीन व्यक्तियों में से 247 व्यक्तियों को मेजिया ताप विद्युत केन्द्र में रोजगार दे दिया गया है और शेष 273 को परियोजना के विस्तार कार्य के फलस्वरूप अकुशल श्रेणी की रिक्ति होने पर रोजगार दिया जाएगा।

(ग) और (घ) मेजिया ताप विद्युत परियोजना की 4थी और 5वीं इकाइयों के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. की नियुक्तियां

3621. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय में विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में से विभिन्न पदों पर श्रेणीवार कितनी नियुक्तियां की गई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग नामत: भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग हैं। इस मंत्रालय के दो विभागों अर्थात् भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत समूह ''क'' के सभी पदों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास हैं। विभिन्न श्रेणियों के समूह क, ख, ग तथा घ के 57 पदों जिसका संवर्ग नियंत्रण लोक उद्यम विभाग के पास है, को छोड़कर समूह ''ख'' और ''ग'' के सभी पदों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पास है। भारी उद्योग विभाग केवल अपने समूह ''घ'' के कर्मचारियों का संवर्ग नियंत्रण करता है। जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जहां तक लोग उद्यम विभाग का संबंध है, वर्ष 2001 के दौरान चपरासी की श्रेणी में दो व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जिसमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति श्रेणी का है।

[अनुवाद]

प्रतिलिप्याधिकार सलाहकार परिषद

3622. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्मों की 'एन्टीपिरेसी' संगीत आदि के विशेष संदर्भ में प्रतिलिप्यधिकार सलाहकार परिषद् की संरचना और कार्य क्या है; और

(ख) नेशनल एन्टीपिरेसी अम्ब्रेला बॉडी का गठन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद एक केन्द्र स्तर की संस्था है जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार करने संबंधी उपायों के बारे में सरकार को सलाह देती है। प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद में फिल्म, संगीत तथा साफ्टवेयर क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित राज्य पुलिस प्रमुख तथा संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पुलिस प्राधिकारियों की है। ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(ख) अन्तर्मंत्रालयीय परामर्शों के आधार पर कार्य करने वाले एक केन्द्रीय स्तर के निकाय अर्थात प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद की मौजूदगी को देखते हुए किसी अन्य चोरी विरोधी छत्र निकाय के गठन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

रेल लाइनों पर आत्महत्याओं संबंधी मामले

3623. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में रेल लाइनों पर आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा रेल लाइनों पर होने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चलती गाड़ियों तथा रेल परिसरों में यात्रियों व उनके सामान की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। रेलों पर होने वाले अपराध की रिपोर्ट राजकीय रेल पुलिस को की जाती है, उनके द्वारा मामला दर्ज दिया जाता है तथा उनके द्वारा जांच की जाती है। अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना रेल मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

3624. श्री अरूण कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के मंजूरी/स्वीकृति हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बिहार सरकार/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) ने 21991 गांवों (9863 नए गांव + 12308 पुनर्वास) के विद्युतीकरण हेतु एक कार्य योजना प्रस्तुत की है और 10वीं योजना के दौरान 100% ग्राम विद्युतीकरण प्राप्त करने की योजना बनाई है।

राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारों की नीतियां और दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने का लिए सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2001-02 के दौरान सरकार ने बिहार को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अन्तर्गत 24.58 करोड़ रुपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत 9.48 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की हैं। पुन: वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण समेत सभी छ: घटकों के लिए 241.73 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में बिहार को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अन्तर्गत प्रथम किस्त (50%) के रूप में 120.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। उसके अतिरिक्त, बिहार को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत कुल 68 करोड़ रुपये के आवंटन में से प्रथम किस्त (50%) के रूप में 34.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इन निधियों का बुद्धिमतापूर्वक इस्तेमाल करें ताकि वर्ष 2007 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरण नीति

3625. श्री तूफानी सरोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की आयुध निर्माणियों में पदस्थापित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुध निर्माणियों में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना बाध्यकारी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कानपुर स्थित निर्माणियों में स्थानांतरित कुछ कनिष्ठ कार्य प्रबंधकों के स्थानांतरण आदेश को रोक लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के अधीन कार्यरत भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। अन्य अधिकारियों के मामले में आयुध निर्माणी बोर्ड समय-समय पर जारी होने वाले अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

(ख) कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित नीति में सामान्यत: संवेदनशील पदों के लिए 3 से 5 वर्ष के कार्यकाल तथा अन्य पदों के लिए 5 से 7 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था है। इस नीति में कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा अथवा अनुकंपा के आधार पर भी स्थानांतरण पर विचार किए जाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) प्रोन्नत किए गए अधिकारियों को स्थानांतरित करना सभी मामलों में अनिवार्य नहीं है। तथापि, कुछ मामलों में संवर्ग प्रबंधन की अत्यावश्यकताओं के कारण आयुध निर्माणी बोर्ड

द्वारा आंतरिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें कुछ अपवादों को छोड़कर स्थानांतरण को अनिवार्य बनाया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। तीन कनिष्ठ कार्य प्रबंधकों के कानपुर समूह की निर्माणियों में किए गए स्थानांतरण आदेश कार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण निरस्त/बदल दिए गए थे।

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत उत्पादन

3626. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. अतिरिक्त मात्रा में विद्युत उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.टी.पी.सी. का चालू वर्ष में कोई नयी विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है। विगत 3 वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का सकल उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
उत्पादन (मिलियन यूनिट (मि.यू.)	118677	130154	133190

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अगस्त 2002 में आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री थर्मल पावर संयंत्र की 500 मे.वा. की दूसरी यूनिट चालू की गई है। इसके अलावा निम्नांकित परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं:-

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	उत्पादन क्षमता	क्रियान्वयन सूची	स्थिति
1	2	3	4	5	6
क. थर्मल पावर प्रोजेक्ट					
1.	तलचेर-2 (4× 500 मे.वा.)	उड़ीसा	2000 मे.वा.	प्रथम इकाई- नवम्बर, 03 द्वितीय इकाई- अगस्त, 04 तृतीय इकाई- मई, 05 चतुर्थ इकाई- फरवरी, 06	क्रियान्वयन सूची के अनुसार कार्य प्रगति पर है।
2.	रामागुंडम-3 (1 × 500 मे.वा.)	आंध्र प्रदेश	500 मे.वा.	अगस्त, 2005	-वही-
3.	रिहन्द-2 (2 × 500 मे.वा.)	उत्तर प्रदेश	1000 मे.वा.	प्रथम इकाई- अगस्त, 05 द्वितीय इकाई- मई, 06	-वही-

1	2	3	4	5	6
ख. जल विद्युत परियोजनाएं					
4.	कोल डैम (4 × 200 मे.वा.)	हिमाचल प्रदेश	800 मे.वा.	प्रथम इकाई- नवम्बर, 08 द्वितीय इकाई- जनवरी, 09 तृतीय इकाई- मार्च, 09 चतुर्थ इकाई- अप्रैल, 09	इस वर्ष परियोजना पर कार्य आरंभ हो गया है।

[अनुवाद]

एम.आर.पी.एल. में ओ.एन.जी.सी. का निवेश

3627. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओ.एन.जी.सी. से घाटे में जा रहे एम.आर.पी.एल. में निवेश करने से पहले सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) से स्वीकृत प्राप्त करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैसी अधिकांश परियोजनाएं विगत कुछ वर्षों से घाटे में चल रही हैं जिनमें ओ.एन.जी.सी. ने निवेश किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के अधिकांश शेयर प्राप्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। मामले को, पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड की स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

एल.पी.जी. भराई संयंत्र

3628. श्री विक्रम केशरी देव :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं योजनावधि के दौरान और अधिक एल.पी.जी. भराई संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किस स्थान की पहचान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नौवीं योजना से अग्रेनीत नए एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के आवर्धन और इन्हें चालू करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों ने देश में दसवीं योजना के दौरान 70 करोड़ रुपए की लागत पर 132 टी.एम.टी.पी.ए. क्षमता के साथ 3 नए एल.पी.जी. भरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। एक निर्धारित केन्द्र राजमुन्द्री (आंध्र प्रदेश) में है और दो स्थान अभी तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजना

3629. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य सीमावर्ती राज्यों की जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश ने अंतरराज्यीय परियोजनाओं से कितना मेगावाट बिजली प्राप्त किया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् विद्युत भागीदारी से इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन भागीदारी के पश्चात् राज्यों की विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रामाणिक आंकड़ा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इन आंकड़ों को स्वयं राज्य सरकारों से प्राप्त करती है अथवा इस प्रयोजनार्थ अन्य स्वतंत्र एजेंसियों का उपयोग करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के संयुक्त उद्यम की 1450 मेगावाट क्षमता की सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का 57% अर्थात् 826.5 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी।

(ग) विद्युत की लागत और लाभ के भागीदार गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराट्र राज्य 16:57:27 के अनुपात में (भागीदार) होंगे।

(घ) से (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की कुल उत्पादन क्षमता क्रमशः 4128.21 मेगावाट और 1898 मेगावाट थी।

[अनुवाद]

रेल सुधार समिति

3630. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेलवे के पुनर्गठन हेतु एक नयी रेल सुधार समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी राज्यों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3631. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान पूर्वी राज्यों में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गयी है;

(ख) क्या सरकार के पास दसवीं योजना के दौरान इन राज्यों में अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) नौवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में कुल 2312.5 मेगावाट क्षमता के लिए आठ विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया गया था। 10वीं योजना के दौरान देश में 41110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है। पूर्वी क्षेत्र में 10वीं योजना के दौरान कुल 8425 मेगावाट क्षमता के लिए निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की परिकल्पना की गयी है:

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्थल
1	2	3
तालचेर, एनटीपीसी	2000	उड़ीसा
कहलगांव, एनटीपीसी	660	बिहार
बाढ़ एनटीपीसी	660	बिहार

1	2	3
उत्तर करनपुरा	660	झारखंड
पुरूलिया पीएसएस	900	पश्चिम बंगाल
तीस्ता लो डैम-3, एनएचपीसी	132	पश्चिम बंगाल
तीस्ता लो डैम-4, एनएचपीसी	168	पश्चिम बंगाल
मेजिया 4 डीवीसी	210	पश्चिम बंगाल
मेजिया 5 डीवीसी	250	पश्चिम बंगाल
मैथान, डीवीसी	1000	झारखंड
चन्द्रपुर, डीवीसी	500	झारखंड
बालीमेला-2, राज्य क्षेत्र	150	उड़ीसा
तेनुघाट विस्तार, राज्य क्षेत्र	210	झारखंड
बक्रेश्वर यूनिट-4 व 5, राज्य क्षेत्र	420	पश्चिम बंगाल
सागरडिघी 1, राज्य क्षेत्र	250	पश्चिम बंगाल
भीता, निजी क्षेत्र	135	बिहार
जोजोबेरा-2, निजी क्षेत्र	120	झारखंड
कुल	8425	

एन.टी.पी.सी. द्वारा रेल विभाग को विद्युत आपूर्ति

3632. श्री के. येरननायडू : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि रेल विभाग को एन.टी.पी.सी. के अनावंटित हिस्से से विद्युत आवंटित नहीं की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) विधायी कार्य विभाग के परामर्शन में मुद्दे से जुड़े कानूनी और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालयों के लिए 'नैरोकास्टिंग' सेवाएं

3633. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए 'नैरोकास्टिंग मोड' में रेडियो सेवा शुरू करने के लिए स्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल.पी.टी. द्वारा किए जा रहे इस प्रसारण पर कोई पाबंदी लगायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आवंटित की गयी है/आवंटित किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) एक स्थान/क्षेत्र की विशेष आकांक्षाओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुस्थापित एवं मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक रेडियो प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। चूंकि स्कीम अभी अनुमोदित की जानी है इसलिए इस स्थिति में कोई विवरण नहीं दिया जा सकता है।

(ग) और (घ) स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति दूरी की क्षमता के अल्प शक्ति एफ.एम. आकाशवाणी ट्रांसमीटर की स्थापना की स्कीम विचाराधीन है। इनसे मौजूदा प्रसारण में बाधा नहीं होगी।

(ङ) और (च) उन लाइसेंसधारियों द्वारा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जो इनकी लागत वहन करेंगे। इस प्रयोजनार्थ किसी सरकारी निधि की आवश्यकता नहीं होगी।

हुबली रेल कार्यशाला का आधुनिकीकरण

3634. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में हुबली में स्थित रेल कार्यशाला का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) हुबली कारखाने में सुविधाओं के उन्नयन के लिए दो कार्य प्रगति पर हैं। पहला कार्य कारखाने को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना और प्रति माह बड़ी लाइन के 75 सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग के लिए सुसज्जित करना है। दूसरे चरण में आवधिक ओवर हालिंग क्षमता और बढ़ाकर 95 बड़ी लाइन सवारी डिब्बे प्रतिमाह करने का कार्य भी चल रहा है। ये दोनों कार्य 31.3.2003 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और चालू वर्ष (2002-03) के लिए निर्धारित निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रु. में)

	कार्य का विवरण	स्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	31.3.02 तक खर्च	चालू वर्ष के दौरान मुहैया करायी गई राशि
1.	हुबली कारखाना-सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग के लिए कारखाने (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में) का परिवर्तन (चरण-I)	1995-96	13.57	13.49	0.08
2.	हुबली कारखाना-सवारी डिब्बा आवधिक ओवर हालिंग गतिविधियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं (चरण-I)	1996-97	6.96	5.09	1.01

[हिन्दी]

शहीद सैनिकों के आश्रितों को मुआवजा

3635. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व दिल्ली में लाल किले में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) शहीद सैनिकों के आश्रितों को भुगतान किए गए सेवांत लाभों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सेना संख्या रैंक व शहीद सैनिक का नाम	निकटतम संबंधी व पता	सेवांत लाभ का ब्यौरा			टिप्पणी
			लाभ	हकदारी	भुगतान	
1.	संख्या 2883997 शहीद नायक अशोक कुमार, 7 राज राइफल शहीद होने की तारीख-22 दिसंबर, 2000	श्रीमती शकुंतला देवी (पत्नी) गांव गोकलपुरा डाकखाना बहल जिला भिवानी (हरियाणा)	अनुग्रह राशि (केन्द्र सरकार)	5,00,000 रुपए	5,00,000 रुपए	
			मृत्यु उपदान	66,828 रुपए	66,828 रुपए	
			उदारीकृत परिवार पेंशन	3950 + महंगाई भत्ता	3950 + महंगाई भत्ता	
			ए.एफ.पी.पी. फंड,	1,99,247 रुपए	11,99,247 रुपए	
			सेना समूह बीमा,	3,75,000 रुपए	3,75,000 रुपए	
			ए.जी.आई. परिपक्वता	36,218 रुपए	36,218 रुपए	
			आवा	5,000 रुपए	5,000 रुपए	
			खातों का अंतिम निपटान	-	12,846 रुपए	
			अन्य स्रोत (रेजिमेंटल फंड)	-	5,000 रुपए	
2.	13983625 शहीद राइफल मैन उमाशंकर सिंह, 7 राज राइफल शहीद होने की तारीख 12 दिसंबर, 2000	श्रीमती सुनीता देवी (पत्नी) गांव नरवारा डाकखाना नरवारा जिला शिवहर (बिहार)	अनुग्रह राशि (केन्द्र सरकार)	5,00,000 रुपए	5,00,000 रुपए	
			मृत्यु उपदान	56,004 रुपए	56,004 रुपए	
			उदारीकृत परिवार पेंशन	3310 रुपए+महंगाई भत्ता	3310 रुपे+महंगाई भत्ता	
			एएफपीपीफंड,	27949 रुपए	27949 रुपए	
			सेना समूह बीमा,	3,75,000 रुपए	3,75,000 रुपए	
			आवा	5,000 रुपए	5,000 रुपए	
			एजीआई परिपक्वता	18,338रुपए	18,338 रुपए	
			खातों का अंतिम निपाटन	-	19,396 रुपए	
			अन्य स्रोत (रेजिमेंटल फंड)	-	5,000 रुपए	

[अनुवाद]

दिल्ली में डीलरों द्वारा कम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

3636. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रसोई गैस डीलर उपभोक्ताओं को कम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के एल.पी.जी. वितरकों को कड़े निर्देश होते हैं कि वे अपने ग्राहकों को सही मात्रा में गुणवत्ता के सिलेंडरों की आपूर्ति करें। तेल कंपनियों के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल, साथ ही मार्गों में भी यह सुनिश्चित करने हेतु अकस्मात जांच करते हैं कि कहीं कोई चोरी न की जा रही हो। अप्रैल-सितंबर 2002 की अवधि के दौरान दिल्ली में स्थापित 7 वितरकों को खिलाफ ग्राहकों ने कम वजन के सिलेंडर देने की शिकायत की और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/

डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की शर्तों के अनुसार दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

कृष्णगिरी, तमिलनाडु में रेल आरक्षण काउंटर

3637. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णगिरी, तमिलनाडु में रेल आरक्षण काउंटर खोलने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो कृष्णगिरी, तमिलनाडु में आरक्षण काउंटर खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उन स्टेशनों जहां आरक्षण संबंधी कार्यभार प्रतिदिन 100 संव्यवहार या अधिक है, जिला मुख्यालय, महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर शुरू की जाती है। कृष्णगिरी आरक्षण नीति का कोई भी मानदण्ड पूरा नहीं करता है। अत: स्टेशन फिलहाल कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं के लिए अर्हक नहीं है।

गैस की कीमतों को बढ़ाने का प्रस्ताव

3638. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों ने गैस की कीमतों को बढ़ाकर 1 जनवरी, 2003 से 4200 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर और इसके बाद अप्रैल, 2003 से 5800 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर रखने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा विरोध के प्रमुख कारण क्या है; और

(ग) कड़े विरोध को देखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव को किस सीमा तक छोड़ दिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय और कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई मुख्य आपत्तियां यह रही हैं कि प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि से विद्युत के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा, जो पहले से ही गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हैं, उपभोक्ताओं से उच्चतम विद्युत प्रशुल्क वसूल करना कठिन होगा। गैस मूल्य में वृद्धि का कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रपाती प्रभाव पड़ेगा।

(ग) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइपलाइन संबंधी शुल्क

3639. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाइपलाइनों द्वारा ढुलाई किए जाने वाले परिकल्पित सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइपलाइन संबंधी शुल्क की सीमा रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइपलाइन संबंधी शुल्क औसत वजन के रेल शुल्क की वर्तमान सीमा से कहीं अधिक है;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के लिए वर्तमान रेल शुल्क कितना है और इसे किस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है;

(घ) विभिन्न स्थानों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए वर्तमान पाइपलाइन क्षमता कितनी है और यह मांग को पूरा करने के लिए किस सीमा तक पर्याप्त है; और

(ङ) कितनी अतिरिक्त पाइपलाइन क्षमता अपेक्षित है और रेल और अन्य माध्यमों द्वारा परिवहन शुल्क की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन शुल्क कितना कम होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) वर्तमान उत्पाद पाइपलाइनों के लिए, तेल विपणन कंपनियों के बीच उत्पादों की बिक्री/खरीद के उद्देश्य से पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल के परिवहन के लिए भाड़े की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनंतिम रूप से निम्नानुसार गणना की जाती है:

पेट्रोल/डीजल

- 1.4.98 से पहले चालू की गई पाइपलाइनें : कल्पित रेल भाड़े का 75 प्रतिशत

- 1.4.98 के बाद चालू की गई पाइपलाइनें : कल्पित रेल भाड़े का 90 प्रतिशत

मिट्टी तेल

- सारी पाइपलाइनों के लिए : कल्पित रेल भाड़े का 90 प्रतिशत

गेल की जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन भाड़ा दर गेल और तेल विपणन कंपनियों के बीच सहमति के अनुसार 1.33 रुपए/केएम/एमटी (मीट्रिक टन) है।

सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2002 को अधिसूचित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएंगी:

(1) रिफाइनरियों, चाहे तटीय हो या जमीनों से निकलने वाली पाइपलाइनें, जिनकी रिफाइनरी से दूरी लगभग 300 किलोमीटर हों,

(2) किसी विशेष उपभोक्ता को उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए समर्पित पाइपलाइनें, जो किसी रिफाइनरी से निकलती हों या किसी तेल कंपनी के टर्मिनल से निकलती हों, और

(3) रिफाइनरियों से निकलने वाली 300 कि.मी. लंबी पाइपलाइनें और ऊपर (1) और (2) में विनिर्दिष्ट की गई के अलावा पत्तनों से निकलने वाली पाइपलाइनें।

इस अधिसूचना के अनुसार इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख के बाद चालू की गई पाइपलाइनों और ऊपर श्रेणी (3) में निर्दिष्ट पाइपलाइनों के लिए प्रशुल्क उन नियंत्रण आदेशों या विनियमों के अध्यधीन होगा, जो सरकार या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत इस संबंध में जारी किए जाएंगे।

1.10.02 की स्थिति के अनुसार उपयोग की जा रही वर्तमान उत्पाद पाइपलाइनों की क्षमता लगभग 46.95 एमएमटीपीए थी। वर्ष 2001-02 के दौरान उपभोग किए गए कुल उत्पादों में से लगभग 31.4 प्रतिशत का पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया गया था। भारत हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार उत्पादों के परिवहन में पाइपलाइनों का हिस्सा 2025 तक बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

एम.ई.एस. में संवर्ग समीक्षा

3640. श्री एन.आर.के. रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के समूह 'क' सिविलियन अधिकारियों के संबंध में तीसरी संवर्ग समीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है जबकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. जैसी अन्य केन्द्रीय सरकार इंजीनियरी सेवाओं में यह कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संगठनों में विभिन्न पदों पर स्थगन को रोकने हेतु तीसरी संवर्ग समीक्षा शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) संवर्ग समीक्षा की प्रक्रिया का आयोजन हर पांच वर्ष में किया जाता है। सैन्य इंजीनियरी सेवा के समूह 'क' सिविलियन अधिकारियों की पिछली संवर्ग समीक्षा मार्च, 2000 में की गई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार समूह 'क' सिविलियन अधिकारियों की तीसरी संवर्ग समीक्षा के लिए कार्रवाई 5 वर्ष पश्चात् केवल मार्च, 2005 में ही की जानी अपेक्षित होगी। अत: इस संबंध में कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है।

तेल कंपनियों के कोको और जुबिली पेट्रोल पंप

3641. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कंपनियां रख-रखाव और सम्भलाई ठेकेदारों के माध्यम से कई कोको और जुबिली पेट्रोल पंप चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आईओसीएल और आईबीपीएल के ऐसे ठेकेदारों की संख्या कितनी है जो अपनी कार्यचालन पूंजी से इन केन्द्रों को संचालित करते हैं तथा इनका नाम-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक कंपनी में से ऐसे कोको ठेकेदारों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में अंतर है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा भुगतान किए जा रहे पारिश्रमिक का स्तर क्या है;

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियां पारिश्रमिक की अलग-अलग सीमा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(च) यह भेदभाव कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कंपनी के स्वामित्व और कंपनी के प्रचालन (कोको) और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र संबंधित तेल कंपनी के एक अधिकारी द्वारा बिक्री केन्द्र के समग्र प्रभारी के रूप में प्रचालित किए जाते हैं। अधिकारी को श्रम सहायता एक संविदाकार के माध्यम से प्रदान की जाती है। कोको खुदरा बिक्री केन्द्र इस पद्धति में तब तक चलाए जाते हैं जब तक किसी नियमित डीलर का चयन और नियुक्ति न हो जाए।

(ख) कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों के श्रम संविदाकारों को कार्यशील पूंजी के बतौर कोई निवेश नहीं करना होता।

(ग) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार श्रम संविदाकारों को स्थान और तैनात/तैनात किए जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर एकमुश्त राशि दी जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविदाकार के पारिश्रमिक, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भुगतान आदि को ध्यान में रखा जाता है।

खुदरा बिक्री केन्द्र आरंभ करने हेतु लंबित मामले

3642. डा. रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रशासनिक कारणों से खुदरा बिक्री केन्द्र आरंभ करने हेतु भारी संख्या में मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में निर्णय करने हेतु अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अपने आप निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है अथवा उन्हें अभी भी सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है जब एपीएम का विघटन हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। कुछ मामले निम्न जैसे कारणों की वजह से चालू किए जाने की प्रक्रिया में हैं:

(1) उपयुक्त भूमि का उपलब्धता न होना।

(2) न्यायिक हस्तक्षेप।

(3) कामों आदि का पूरा न होना।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियां, प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था अवधि के दौरान भी, खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करने के लिए निर्णय ले रही थीं, जिनके लिए डीलर निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार चुने गए थे।

दस्तावेजों को नोटरी द्वारा सत्यापित कराए जाने की आवश्यकता समाप्त करना

3643. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुकदमों में उलझे गरीब व्यक्तियों की सहायतार्थ लागू किए जा चुके विधिक सेवा (संशोधन) विधेयक, 2002 में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व दस्तावेजों को नोटरी द्वारा सत्यापित/ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या शपथ आयुक्त (ओथ कमिश्नर) द्वारा नोटरीकरण/सत्यापन करने की व्यवस्था पुरानी और अनावश्यक हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पब्लिक नोटरी, ओथ कमीश्नर पर जुर्माना लगाने/के विरुद्ध दंडात्मक उपाय करने पर भी विचार करेगी जो गलत/असत्य दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व दस्तावेजों के शपथ आयुक्त द्वारा नोटरीकृत/अधिप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) शपथ आयुक्तों द्वारा नोटरीकरण/अधिप्रमाणन की पद्धति अप्रचलित या अनावश्यक नहीं हो गई है। दस्तावेजों के नोटरीकरण/अधिप्रमाणन से उनका साक्ष्यिक महत्व बढ़ता है क्योंकि तब न्यायालय उनको न्यायिक रूप से मान्य ठहराता है, जिनको बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 56 और 57 द्वारा साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। शपथ आयुक्तों द्वारा नोटरीकृत/अधिप्रमाणित दोषपूर्ण/असत्य दस्तावेजों को फाइल करने के द्वारा कारित शपथभंग के लिए शास्तिक उपबंध पहले से ही विद्यमान है।

बिहार में विद्युत सेवा हटाए गए गांवों का विद्युतीकरण

3644. श्री रामजी मांझी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विद्युतीकृत गांवों से बाद में विद्युत सेवा हटा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित उन गावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया में कुल कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) विद्युत सेवा हटाए गए गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) ने सूचित किया है कि 31.3.2001 तक बिहार में 13,306 गांव गैर-विद्युतीकृत थे। इन गांवों का गैर-विद्युतीकरण कंडक्टरों एवं ट्रांसफार्मरों की चोरी लाइनों एवं पोलों की क्षति, प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, बाढ़ आदि की वजह से हुआ।

(ग) बी.एस.ई.बी. द्वारा जानकारी दी गई कि गांवों के गैर-विद्युतीकरण की वजह से लगभग 332.65 करोड़ की हानि हुई।

(घ) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पुन: सूचित किया है कि इन गांवों को वर्ष 2007 तक पुन: विद्युतीकृत कर दिया जाएगा।

पेट्रोल और डीजल पर उपकर

3645. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल और डीजल पर वर्तमान उपकर दर क्या है;

(ख) क्या पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर की वसूली का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाए जाने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में पेट्रोल पर एक रुपए प्रतिलीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है जो वित्त अधिनियम 1998 की धारा 111(1) के अनुसार 2.6.98 से लगाया गया था। इसी प्रकार डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर की दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है जो वित्त अधिनियम 1999 की धारा 133(1) के अनुसार 28.2.1999 से लगाया गया था। ये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत डीजल पर प्रभारणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्य शुल्कों से अतिरिक्त है। इसके अलावा पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर की दर पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नामक अधिभार भी लगाया जाता है।

(ख) पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चांदमारी क्षेत्र की स्थापना

3646. प्रो. दुखा भगत :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में स्थित पलामू में चांदमारी क्षेत्र की स्थापना के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्थिति को देखते हुए उपरोक्त स्थान से चांदमारी क्षेत्र को दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानांतरित कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) झारखंड स्थित पलामू (पहले बिहर में) में फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि पलामू में फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए उसको हटाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम की निगरानी हेतु समिति

3647. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम की निगरानी हेतु गठित समिति ने विभिन्न राज्यों को धन आवंटन का क्षेत्र स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक कार्ययोजना को ठोस रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम की निगरानी समिति द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये है;

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विद्युत की वर्तमान बुनियादी संरचना के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत की वर्तमान बुनियादी संरचना के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर, 2000 को एक मानीटरिंग समिति का गठन किया गया था। समिति के कार्य निम्न हैं:

(1) दिशा-निर्देश तैयार करना।

(2) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करना।

(3) परियोजना क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना।

(4) विभिन्न राज्यों के साथ सहमत सुधार लक्ष्यों की मानीटरिंग करना।

विद्युत मंत्रालय द्वारा एपीडीपी के संबंध में सभी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों और यूटिलिटियों को 22 फरवरी, 2001 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम का कार्यक्षेत्र, वित्तपोषण तंत्र, सुधार शर्तें, संवितरण का तरीका इत्यादि को शामिल किया गया है। अप्रैल, 2002 में राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया है कि ए.पी.डी.आर.पी. निधि के अंतर्गत निधियां भविष्य में रा.वि. बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञान (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित किए जाने के आधार पर जारी की जाएगी और कि सलाहकार एवं परामर्शकों द्वारा स्कीमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और इसलिए सलाहकार व परामर्शकों द्वारा प्राथमिकता प्रदान करने के बाद ही स्कीम का क्रियान्वयन आरंभ किया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-01 के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एंड एम.)/नवीकरण और उच्चीकरण (आर. एंड यू.) हेतु राज्यों को आवंटित की गयी निधियों और इनके समुपयोजन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत आर. एंड एम./आर. एंड यू. हेतु कोई निधियां आवंटित नहीं की गयी थी।

विवरण

वर्ष 2000-01 के लिए आर एण्ड एम/आर एण्ड यू के निमित्त एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को मंजूर की गयी निधियां

(करोड़ रु. में)

राज्य	जारी की गई धनराशि	यूटिलिटी द्वारा प्राप्त धनराशि	स्वीकृत समनुरूपी ऋण	समुपयोजन
आंध्र प्रदेश	47.56	47.56	47.56	67.60
बिहार	21.45	21.45	–	3.15
गुजरात	2.23	2.23	2.23	0.77
हरियाणा	11.85	–	11.85	शून्य
कर्नाटक	24.24	24.24	24.24	33.42
मध्य प्रदेश	11.17	–	11.17	17.20
महाराष्ट्र	44.24	44.24	44.24	30.97
उड़ीसा	38.00	–	–	1.09
पंजाब	5.99	–	5.98	शून्य
तमिलनाडु	53.44	–	53.44	52.92
उत्तर प्रदेश	88.43	88.43	82.47	37.49
पश्चिम बंगाल	24.90	24.90	–	14.90
कुल	373.50	253.05	283.18	259.51

[हिन्दी]

टिकट के बिना सामान ले जा रहे यात्रियों को पकड़ने हेतु विशेष अभियान

3648. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री शिवाजी माने :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैध टिकट के बिना यात्रा कर रहे या बुकिंग के बिना सामान ले जा रहे यात्रियों को पकड़ने हेतु रेलवे की विशेष टीम ने कोई विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1998 से, आज तक बगैर टिकट के या बुकिंग के बिना सामान ले जा रहे कितने यात्री पकड़े गये;

(ग) क्या टिकट जांच के दौरान इस गैर-कानूनी कार्य में रेलवे के कई अधिकारी भी संलिप्त पाये गये;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है कि यात्री वैध टिकट द्वारा यात्रा करे और इस संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित हो;

(च) क्या गत दो वर्षों के दौरान ऐसे गैर-कानूनी कार्यों को रोकने हेतु कोई प्रस्ताव लागू किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। रेलों पर टिकट चैकिंग अभियान एक नियमित कार्य है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, टिकट चैकिंग कर्मचारियों के शामिल होने संबंधी कदाचार, यदि कोई हों, को रोकने के लिए नियमित तथा अचानक जांचें की जाती हैं तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (छ) सभी यात्री वैध टिकट/प्राधिकार पर यात्रा करें, यह सुनिश्चित करने के लिए रेलें लगातार कदम उठा रही हैं। बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शामिल करके मौके पर जांचें की जाती हैं। अभियानों के दौरान पुलिस तथा रेलवे मजिस्ट्रेटों को शामिल किया जाता है। इन जांचों के दौरान बुक किए गए तथा बुक न किए गए सामान के वजन संबंधी परीक्षण जांचें भी की जाती हैं। गाड़ी के टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा नियमित गाड़ी चैकिंग भी की जाती है। अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष	बगैर टिकट यात्रा करते पकड़े गए मामले	बुक न किए गए सामानों के पकड़े गए मामले	कुल
1998	107.64	39.77	174.41
1999	115.70	42.32	158.02
2000	127.35	44.20	171.55
2001	140.77	47.50	188.27
2002 (सितंबर, 2 तक)	107.44	37.46	144.90

[अनुवाद]

पी.जी.सी.आई. द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड डिस्पैच केन्द्र

3649. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन क्षेत्रीय ग्रिड डिस्पैच केन्द्र चलाता है;

(ख) यदि हां, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन किस सीमा तक सुस्थिर संचालन सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है;

(ग) क्षेत्रीय ग्रिडों द्वारा विद्युत आपूर्ति में बार-बार आ रही रूकावटों के क्या कारण है;

(घ) क्या विद्युत आपूर्ति की ऐसी बाधाओं से बचा जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्यकरण को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) देश के 5 क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के कार्य को संचालित करने में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. पूर्णत: सक्षम है। क्षेत्रीय ग्रिडों में खराबी बार-बार नहीं आती है। विगत में ग्रिडों में आयी खराबी/व्यवधान के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

(1) घटकों की मांग पर अधिक विद्युत की आपूर्ति तथा कम फ्रीक्वेंसी पर कार्य संचालन।

(2) पारेषण सम्बन्धी व्यवधान।

(3) घटकों द्वारा कम फ्रीक्वेंसी पर पारेषण करना जो अप्रभावित होता है।

(4) अपर्याप्त की रीऐक्टिव विद्युत घटकों द्वारा कम वोल्टेज पर कार्य संचलन।

(घ) और (ङ) घटक यदि घटक अनुशासन को बनाए रखें तो ग्रिड में व्यवधान में कमी लायी जा सकती है। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एकीकृत लोड डिस्पैच और संचार स्कीमें चलायी गयी हैं तथा दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही योजना संचलन में है। ग्रिड

प्रणाली के सुचारू कार्य संचलन के लिए इंडियन इलैक्ट्रिसीटी ग्रिड को कार्यरूप में लाया गया है। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में उपलब्धता आधारित शुल्क निर्धारित किया गया है तथा दूसरे क्षेत्रों में भी चरणबद्ध ढंग से उपलब्धता आधारित शुल्क निर्धारण किया जा रहा है। आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप ग्रिड के कार्य निष्पादन में काफी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त पारेषण और वितरणकर्ता घटक क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी कर सकते हैं-

(1) अंडर फ्रीक्वेंसी रीले का प्रावधान।

(2) उत्पादक केन्द्रों द्वारा उन्मुक्त भाव से कार्य निष्पादन।

(3) पारेषण प्रणाली में सुधार।

(4) वोल्टेज की स्थिति में सुधार के लिए शन्ट कैपेसिटर लगाया जाना।

(5) आंकड़ा-प्राप्ति और अधीक्षकीय नियंत्रण/संचार प्रणाली का प्रावधान (एस.सी.ए.डी.ए.)।

(6) डिस्टरबेंस रिकार्ड/इवेंट लागर्स का प्रावधान।

[अनुवाद]

ढलवां लोहे से बनी पानी की पाइपलाइन का गायब होना

3650. श्री नरेश पुगलिया : क्या **रेल मंत्री** ढलवां लोहे से बनी पानी की पाइप लाइन के गायब होने के बारे में 26 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5954 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे की सतर्कता शाखा ने इस मामले में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सतर्कता शाखा की सिफारिशों/टिप्पणियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे की सतर्कता जांच में छः रेल अधिकारियों की ओर से हुई अनियमितताओं/विभिन्न प्रकार की चूकों का उल्लेख किया। इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर एक राजपत्रित अधिकारी और पांच अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, ठाकुरली पावर हाउस से अनधिकृत रूप से पाइपलाइनें हटाने के लिए स्थानीय सिविल पुलिस के पास एक एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है।

बी.एस.सी.एल. का कार्य निष्पादन

3651. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.बी.यू.एस.एल. की सहायक कंपनियों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और इन कंपनियों द्वारा शुद्ध लाभ अर्जित करने की भी उम्मीद है;

(ख) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) ने अप्रैल-सितम्बर, 2002 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले सकल उत्पादन में 53% की वृद्धि हासिल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस कंपनी को उत्पादन जारी रखने के लिए कार्यशील पूंजी सहायता और पर्याप्त माल डिब्बा आपूर्ति के कार्यादेश देने पर विचार कर रही है ताकि इसे अर्थक्षम बनाया जा सके और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अप्रैल-नवम्बर 2002 के दौरान जैसप एण्ड कम्पनी लि. (जे.सी.एल.) तथा भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) को छोड़कर बी.बी.यू.एन.एल. की सहायिकाओं के निष्पादन में विगत वर्ष की संगत अवधि के मुकाबला मार्जिनल सुधार हुआ है। बी.बी.यू.एन.एल. की सहायिकाओं में बीबीजे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (बी.बी.जे.) से मार्जिनल शुद्ध लाभ दर्ज करने की आशा है।

(ख) और (ग) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. (बी.एस.सी.एल.) ने अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान सकल उत्पादन में विगत वर्ष की संगत अवधि के मुकाबले 53 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है। बी.एस.सी.एल. ने अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान 49.14 करोड़ रुपये के उत्पादन के मुकाबले 75.16 करोड़ रुपये का सकल उत्पादन प्राप्त किया।

(घ) और (ङ) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के पास 30.11.2002 की स्थिति के अनुसार 184.04 करोड़ रुपये के मूल्य का क्रयादेश है। इसने कार्यशील पूंजी के लिए किसी सहायता की मांग नहीं की है। हालांकि, सरकार ने संयुक्त उद्यम के गठन के जरिए इसे जैव्य बनाने के लिए कदम उठाये हैं।

नागपुर के पास मुण्डा में 1000 मेगावाट का संयंत्र

3652. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम महाराष्ट्र सरकार के असहयोगी दृष्टिकोण के कारण नागपुर के पास मुण्डा में 1000 मेगावाट का संयंत्र लगाने में समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की टीम ने महाराष्ट्र में 1000 मे.वा. का कोयला आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए संभावित स्थल का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों का दौरा किया। अभिज्ञात स्थलों की स्थिति निम्नानुसार है:

(1) एन.टी.पी.सी. ने नागपुर जिले के मुण्डा तहसील में दो वैकल्पिक स्थलों की पहचान की थी, किन्तु जल अभाव के कारण इस स्थल को उपयुक्त नहीं पाया गया।

(2) चन्द्रपुर जिले के माधेरी गांव के निकट एक स्थल की पहचान की गई। एन.टी.पी.सी. ने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वे परियोजना के लिए मृदु जल की उपलब्धता की पुष्टि करें।

(3) रत्नागिरी जिले के मडबन स्थल के बारे में एन.टी.पी.सी. ने महाराष्ट्र सरकार से यहां पर कोयले के रख-रखाव हेतु पोर्ट के निर्माण एवं मृदु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी की स्थापना

3653. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले के राजगीर में 14 जून, 1999 को एक आयुध निर्माणी की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और भूमि अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास और निर्माण कार्य में अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) आयुध निर्माणी द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) बिहार के नालन्दा जिले के राजगीर में 14 अप्रैल, 1999 को एक आयुध निर्माणी की आधारशिला रखी गई थी।

(ख) लगभग 2650 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है। भूमि के अधिग्रहण पर 60.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार को 9.46 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। निर्माण कार्य पर अब तक 3.80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

(ग) नवंबर, 2005 ।

[अनुवाद]

बेल्लारी एफ.एम. स्टेशन का निर्माण कार्य

3654. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेल्लारी एफ.एम. स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य में अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(ग) ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित किये जाने और प्रसारण शुरू कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है/किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। बेल्लारी में 585.40 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों वाले आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) 1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर की एक अन्तरिम स्थापना के मार्च, 2003 तक चालू हो जाने की आशा है। 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टरों वाली एक स्थायी स्थापना के लगभग दो वर्ष में चालू हो जाने की आशा है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इस परियोजना के लिए स्वीकृत बजट अनुदान 12 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तपोषण से रेल परियोजनायें

3655. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) सरकार को प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सांकेतिक प्रतिबद्धता के रूप में कोई भुगतान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितना भुगतान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) निम्नलिखित चालू रेल परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता का उपयोग किया जा रहा है:

(1) विश्व बैंक मुंबई शहरी परिवहन परियोजना, जिसमें सड़क तथा रेल दोनों शामिल है, जो इंटरनेशनल बैंक फार रिकॉन्सट्रशन एंड डेवलेपमेंट (आई.बी.आर.डी.) से 463 मिलियन अमरीकी डालर (रेल के लिए 305 मिलियन अमरीकी डालर सहित) के ऋण तथा इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन (आई.डी.ए.) से 79 मिलियन अमरीकी डालर (रेल के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर सहित) के क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित कर रहा है। इस परियोजना की रेल संबंधी अनुमानित लागत 3125 करोड़ रु. है। ऋण 6 नवंबर, 2002 से प्रभावी हो गया है। इस ऋण का अभी उपयोग किया जाना है।

(2) क्रेडिटेनसाल्ट फर वीडरेफबो (के.एफ.डब्ल्यू) जर्मनी ने गाजियाबाद तथा कानपुर के बीच सिगनल व्यवस्था को आधुनिकृत करने संबंधी परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए 185 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण प्रदान किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रु. है। इस ऋण का अभी उपयोग किया जाता है।

(3) जर्नल मोटर कारपोरेशन, यू.एस.ए. से उच्च अश्व शक्ति वाले डीजल विद्युत मालगाड़ी रेल इंजनों के आयात तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) के माध्यम से एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कारपोरेशन (ई.डी.सी.), कनाडा से 52 मिलियन अमरीकी डालर की एक निर्यात क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। इस क्रेडिट से 42.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वितरित कर दी गई है। यह एक वाणिज्यिक क्रेडिट है, जिसे केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) इन ऋणों के लिए अभी तक किसी वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात बढ़ाना

3656. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योगों विशेषतर निर्माता क्षेत्र के साथ संवर्धित निर्यात सुनिश्चित करने के लिए पार्टनरशिप करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी उद्योग मंत्रालय यह महसूस करता है कि उदारीकृत वातावरण में उद्योग और सरकार को न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप में काम करना पड़ता है बल्कि वैश्वीकृत बाजार में सार्थक भूमिका निभाने के लिए भी मिलकर काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इससे निर्यात कितना बढ़ा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) पूंजीगत सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार तथा निर्माणकारी उद्योग से भागीदार के रूप में कार्य करने की आशा की जाती है। उक्त कार्यबल हाल ही में गठित किया गया है तथा इस समय निर्यात पर भी उनके प्रभाव को स्पष्ट करना अति शीघ्रता होगी।

मुरादाबाद-रामनगर रेल मार्ग को उत्तर-पूर्व रेलवे से उत्तर रेलवे में स्थानांतरित किया जाना

3657. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरादाबाद-रामनगर रेल मार्ग को उत्तर-पूर्व रेलवे से उत्तर रेलवे में समायोजित करने और इसके डिवीजनल मुख्यालय को वर्तमान गोरखपुर की बजाय मुरादाबाद स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अनियमितता और इससे लोगों की यात्रा में असुविधा होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन खंड का प्रबंध भली-भांति किया जा रहा है। लोगों को यात्रा में कोई अनियमितता और असुविधा नहीं होती है।

बी.ओ.जी.एल. का पुनरुद्धार

3658. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने संचालन एजेंसी के बी.ओ.जी.एल. का पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.ओ.जी.एल. का संचालन करने वाली एजेंसी ने सरकार को पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त इकाई का पुनरुद्धार पैकेज कब तक लागू किया जायेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले में आई.डी.बी.आई. एक आपरेटिंग एजेन्सी है। आपरेटिंग एजेन्सी ने भारत आपथॉल्मिक ग्लास लि. की एक मसौदा पुनरुद्धार योजना 17.4.2001 को बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत कर दी है। योजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

पंजाब में विद्युत की आवश्यकता

3659. श्री भान सिंह भौरा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में विद्युत उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये काफी है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मांग पूरी करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अप्रैल-नवम्बर, 2002 के दौरान ऊर्जा जरूरत, उपलब्धता (इसका निजी उत्पादन तथा बी.बी.एम.बी. की संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं में इसके हिस्से और उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से आबंटन को मिलाकर) और कमी निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	अप्रैल-नवम्बर, 2002
जरूरत	22,247
उपलब्धता	20,875
कमी	1,372
(%)	6.2

(ख) किसी राज्य में विद्युत आपूर्ति और वितरण, सम्बन्धित राज्य सरकार/राज्य पावर यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी

प्राथमिकता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न स्रोतों से कुल उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत उपलब्धता बढ़ाने और देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए निम्नांकित उपाय कर रहा है:

1. राज्य/निजी सेक्टर में 1168 मे.वा. समता वृद्धि के अलावा उत्तरी क्षेत्र में 10वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में 7340 मे.वा. उत्पादन क्षमता की योजना है, जिसमें राज्य का भी हिस्सा होगा।

2. पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य प्रणाली का नेटवर्क उप-पारेषण के सुदृढ़ीकरण/विस्तार और वितरण पर ध्यान देना/राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/विस्तार की स्कीमों को हाथ में ले सकें।

3. देश में मौजूदा उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए अन्तर-राज्य और अन्त: क्षेत्रीय विद्युत अंतरण प्रोत्साहन के लिए अन्त: क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।

4. उत्पादन निष्पादन में सुधार के लिए पुराने तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार (आर.एम. एण्ड एम.ई.)। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम (ए.पी. एण्ड एस.पी.) के अन्तर्गत आर.एम. एण्ड एस.ई. के लिए विद्युत यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी सहित क्रय उपलब्ध कराया है।

5. मांगपत्र प्रबन्धन तथा ऊर्जा क्षमता व संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

6. पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/विस्तार और 11वीं योजना के अन्त तक नेशनल ग्रिड को तैयार करना, जिससे सरप्लस विद्युत वाले राज्यों/क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों को आसान प्रवाह सम्भव होगा।

कायमकुलम विद्युत परियोजनाओं को पुन: आरंभ करना

3660. श्री किरीट सोमैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कायमकुलम विद्युत परियोजना को फिर से आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आई.पी.पी.ए.आई. द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन में की गई घोषणाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रस्तावों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की कायमकुलम परियोजना (350 मे.वा.) को 1999-2000 में ही पूरी तरह से चालू कर दिया गया था और तब से यह क्रियाशील है।

उत्तरांचल में रेल परियोजनाएं

3661. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल सरकार द्वारा नयी रेल लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन, रेल लाइनों की दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) चल रही परियोजनाओं/सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी और अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) इन परियोजनाओं और सर्वेक्षणों को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) उत्तरांचल सरकार ने किच्छा से खटीमा तक नई बड़ी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए अद्यतन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और प्रस्ताव पर आवश्यक अनुमोदन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) बरेली-लालकुआं का आमान परिवर्तन कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली आमान परिवर्तन के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इस परियोजना का कार्य चरणों में किया जा रहा है। कानपुर-कासगंज और मथुरा-कासगंज-बरेली खंडों पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में

है। बरेली-लालकुआं खंड पर कार्य शुरू करने के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं। 31.3.02 तक इस परियोजना पर 84.74 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 2002-2003 के बजट में इस कार्य के लिए 29.89 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परियोजना के समापन के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है और यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। राज्य में कोई सर्वेक्षण नहीं चल रहा हैं।

सी.एन.जी. की पाइपलाइनों का बिछाया जाना

3662. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सी.एन.जी. की आपूर्ति के लिए राजधानी में पाइपलाइनें बिछाना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सी.एन.जी. स्टेशनों को इस पाइपलाइन परियोजना से जोड़ा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पाइपलाइन बिछाने के कार्य में कुल कितना निवेश किया जाना है और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन प्रयासों से राजधानी में सी.एन.जी. संकट का किस सीमा तक समाधान हो सकेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) जी हां, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) आधारभूत संरचना का लगातार विस्तार कर रहा है और तदनुसार जरूरतों को पूरा करने के लिए पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। आई.जी.एल. ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए की लागत से धौलाकुआं से जी.टी. करनाल रोड तक 12 इंच व्यास की पाइपलाइन पूरी की है। छोटे व्यास की पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

इस समय आई.जी.एल. के 55 सी.एन.जी. स्टेशन पाइपलाइनों से जुड़े हुए हैं। जहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य होगा। पाइपलाइनों से और सी.एन.जी. स्टेशन जोड़ दिए जाएंगे।

सी.एन.जी. की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सी.एन.जी. स्टेशनों की संख्या 110 तक बढ़ा दी जाएगी और जून 2003 तक संपीडन क्षमता में 16.11 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन वृद्धि की जाएगी।

विद्युत कनैक्शनों पर मीटर लगाना

3663. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की खपत करने वाले सभी घरों में शत-प्रतिशत मीटर लगाने का नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) रियायती ब्याज दर पर मीटर लगाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(घ) कितने राज्यों में शत-प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) सभी राज्यों द्वारा शत-प्रतिशत रूप से मीटर लगाने के कार्य को पूरा करने हेतु लक्षित तिथि क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) 26 फरवरी, 2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में मीटरिंग और पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी करने के महत्व पर विचार करते हुए दिसम्बर 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग के समयबद्ध कार्यक्रम का संकल्प लिया गया। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 100% मीटरिंग कार्यक्रम को दो चरणों में आरंभ किया गया है:

(1) फेस-1 : मार्च 2001 तक 11 के.वी. फीडरों तथा एचटी उपभोक्ताओं की मीटरिंग

(2) फेस-2 : दिसम्बर 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

वितरण सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों से ए.पी.डी.आर.पी. निधियां जारी करने के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है। अब तक 18 राज्यों ने समझौता करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौता करार में यह शर्त रखी गई है कि अभिज्ञात सर्किलों से प्रारम्भ हुए वितरण ट्रांसफार्मरों के एल.डी. साइड की 100% मीटरिंग ऋण/अनुदान

स्वीकृति और निधि उपलब्धता की तिथि से 6 माह के भीतर और सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग 31 दिसम्बर 2002 तक की जाएगी। यह भी शर्त है कि 11 के.वी. फीडर स्तर तक इनपुट के प्वाइंट से फीडर मीटरिंग को पूरा किया जाएगा तथा एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर की तारीख से 3 माह के भीतर प्रचालनात्मक बनाया जाएगा। मीटरों के बगैर कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा और एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर से 7 माह के भीतर सभी उपभोक्ताओं के लिए टैम्पर प्रूफ, स्टेटिक/उच्च ऊर्जा मीटरों का स्थापित करना अनिवार्य होगा। औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल मीटर होंगे।

(ग) पावर फाइनेंस कारपोरेन (पी.एफ.सी.) के लिए बिजली मीटरिंग के लिए वित्त व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय पी.एफ.सी. विशिष्ट बिजली मीटरिंग स्कीमों को कुल लागत का 80% प्रदान कर रहा है उच्च प्राथमिकता वाली स्कीमों पर पी.एफ.सी. द्वारा लिया जाने वाला ब्याज कम प्राथमिकता वाली स्कीमों (थर्मल उत्पादन स्कीमों) की तुलना में कम है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 राज्यों ने 11 के.वी. फीडर स्तर पर 100% मीटरिंग और 10 राज्यों ने उपभोक्ता स्तर पर 100% मीटरिंग प्राप्त कर ली है। औद्योगिक/घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की मीटरिंग में पर्याप्त प्रगति हुई है। तथापि कृषि तथा कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के बारे में मीटरिंग काफी धीमी है। सरकार उपभोक्ता स्तर तक मीटर उपलब्ध कराने के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध करा रही है। पी.एफ.सी. ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत मंजूर स्कीमों के तहत मीटरिंग हेतु निधियां उपलब्ध करा रहा है यूटिलिटियां 100% मीटरिंग लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य कर रही है।

रक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण

3664. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्रतिरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन में आने वाली दिक्कतों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीनगर और गांधी नगर पर हुए हाल के आतंकवादी हमले ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा को जागरुक बनाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सरकार ने रक्षा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की है। उक्त समीक्षा, सरकार द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों तथा सुरक्षा परिवेश के सतत आकलन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू किए जा चुके हैं। इन उपायों से अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा प्रबंधन के ढांचों, प्रक्रियाओं और कार्यविधियों की कार्यकुशलता, लचीलेपन और उत्तरकारिता में वृद्धि सुनिश्चित होगी। बदलते हुए सुरक्षा परिवेश से निपटने के लिए जो और कदम आवश्यक समझे जाएंगे, वे सरकार द्वारा सभी संगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

विमान चालकों का गायब हो जाना

3665. श्री सुबोध राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान कई विमान चालक गायब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त घटनाओं की जांच हेतु कोई प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष में, स्क्वाड्रन लीडर टी.जी.ए. खान तथा फ्लाईंग अफसर डी. दहिया नामक दो पायलट 20 अप्रैल, 2002 को तेजपुर, असम में हुई मिग-21 विमान दुर्घटना के बाद लापता हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना की जांच करने के लिए जांच अदालत का गठन कर लिया गया है। चूंकि हादसा-स्थल का पता नहीं लग सका है इसलिए दुर्घटना के सही-सही कारण का पता लगाया जाना अभी बाकी है।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा

3666. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम के मृत कर्मचारियों के लगभग 600 आश्रित गत 10 वर्षों से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार/दामोदर घाटी निगम द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) प्रतिपूरक आधार पर नियुक्ति रिक्ति उपलब्ध होने पर ही की जाती है। डी.वी.सी. में अकुशल श्रेणी की 25% रिक्तियां प्रतिपूरक रोजगार के लिए निर्धारित हैं। रिक्ति उपलब्ध होने पर पैनलबद्ध व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। डी.वी.सी. की सेवा के दौरान मृत माता/पिता की जगह प्रतिपूरक श्रेणी के परियोजनावार मामले इस प्रकार है:-

1. चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र	93
2. बोकारो ताप विद्युत केन्द्र	77
3. दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र	124
4. मेजिया ताप विद्युत केन्द्र	2
5. मैथान प्रोजेक्ट	181
6. डीवीसी की दूसरी लघु परियोजनाएं	218
	695

(ग) डी.वी.सी. ने प्रतिपूरक नियुक्ति हेतु संशोधित नीति तैयार करने की दृष्टि से परियोजनावार मृत कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए एक समिति गठित की है।

भारत-ईरान सहयोग

3667. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए हाल ही में सहमत ही गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के अन्तर्गत भारत में कोई नयी विद्युत परियोजना को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भारत और ईरान अनेक क्षेत्रों समेत ऊर्जा क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग बनाए रखने संबंधी कार्रवाई कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हमारे सहयोग में हाइड्रो कार्बन एवं विद्युत क्षेत्र शामिल है। हाइड्रो कार्बन के संबंध में भारत और ईरान ने भारत को ईरानी गैस की आपूर्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की है। अब तक इस समिति ने 5 बैठकें आयोजित की हैं जिसमें अंतिम बैठक अगस्त, 2002 में तेहरान में आयोजित हुई।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अप्रैल, 2001 में ईरान यात्रा के दौरान विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

विद्युत के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में पारम्परिक एवं अपारम्परिक दोनों ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों पार्टी विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत परस्पर लाभ के लिए निवेश भी कर सकते हैं। इसमें यह भी वर्णित है कि दोनों पार्टी विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तथा इन क्षेत्रों में तकनीकी विकास समेत विद्युत ट्रांसफार्मर एवं बॉयलर के विनिर्माण एवं मरम्मत के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे।

20-21 मई, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय-ईरानी संयुक्त समिति बैठक के 12वें सत्र में ईरानी पक्ष को यह सूचित किया गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., लार्सन एंड ट्रबो जैसे बड़ी भारतीय कम्पनियां परियोजनाओं, उपस्करों की आपूर्ति एवं परामर्श सेवा में भागीदारी कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय एवं ईरानी कम्पनी अपने यहां तीसरे देशों में भी संयुक्त परियोजनाओं शुरू कर सकती हैं। दोनों पक्षों ने भारतीय कम्पनी (भेल) के साथ ईरानी प्रतिपक्ष (आई.डी.आर.ओ.) मध्यम आकार के जल विद्युत संयंत्रों के क्षेत्र में उत्पादन सहयोग पर वर्तमान विचार-विमर्शों को जारी रखने पर सहमति जताई।

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप लगाया जाना

3668. श्री अधीर चौधरी :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी तेल कंपनियां देश में नये पेट्रोल पंप नहीं लगा रही है जबकि निजी तेल कंपनियां सभी संभावनाओं वाले स्थलों का दोहन कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नीति के अनुसार डीलर नियुक्त करने की छूट नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बदौलत निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनावश्यक लाभ दे रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों को चयन का कार्य सुचारू रूप से करने और नयी जगहों पर पेट्रोल पंप लगाने और डीलर्स का चयन करने का निदेश देने का है, ताकि वे निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के समापन के परिणामस्वरूप सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को वाणिज्यिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने डीलर चयन बोर्डों को भंग कर दिया है। डीलरों/वितरकों का चयन अब ओ.एम.सीज द्वारा स्वयं, उनके द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली तथा सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा। ओ.एम.सीज को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए स्थानों का चयन करने की भी स्वतंत्रता है बशर्ते कि ऐसे स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों का अतिक्रमण न करने जैसे कुछेक मानकों को पूरा करते हों।

गैस की मांग

3669. श्री राम मोहन गाइडे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस की कुल उपलब्धता की तुलना में इस समय गैस की कुल मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कन्सॉर्टियम आफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और कनाडा की निको द्वारा के.जी. बेसिन में हाल ही में गैस खोजों से देश में गैस की मांग पूरी की जा सकेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में गैस की मांग को पूरा करने हेतु अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बन झलक-2025 के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग प्रति दिन 151 मिलियन स्टेंडर्ड घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) होना आंकी गई है जोकि वर्ष 2006-07 में बढ़कर 231 एम.एम.एस.सी.एम.डी. हो जाएगी। फिलहाल आपूर्ति लगभग 65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और निको रिसोर्सिज लिमिटेड, कनाडा के परिसंघ द्वारा पूर्वी तट में कृष्णा-गोदावरी अपतट बेसिन में गैस खोजों से परिसंघ के अनुमान के अनुसार गैस का उत्पादन 25-35 एम.एम.एस.सी.एम.डी. होने की संभावना है। गैस आपूर्ति के इस अतिरेक के बावजूद मांग एवं पूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। इस अंतर को (क) पाइपलाइन के माध्यम से गैस (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति के साथ एल.एन.जी. को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) में रखा गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और खपत

3670. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन इनकी खपत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत हुई और इसका कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इनके उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों की भागीदारी कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में पेट्रोल तथा डीजल की खपत तथा उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े टी.एम.टी. में*)

	पेट्रोल	डीजल
खपत	7011	36546
उत्पादन	9702	39942

(*हजार मीट्रिक टन)

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान पेट्रोल तथा डीजल के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त उद्यम तथा निजी क्षेत्र रिफाइनरियों की हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

(आंकड़े प्रतिशत में)

	सार्वजनिक क्षेत्र	संयुक्त उद्यम	निजी क्षेत्र
पेट्रोल	62	7	31
डीजल	68	6	26

[हिन्दी]

एच.एम.टी. का कार्यनिष्पादन

3671. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) की कितनी इकाइयां काम कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक इकाई में कितनी घड़ियां बनाई गई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): इस समय देश में एच.एम.टी. धारक/सहायिकाओं के अंतर्गत विभिन्न इकाइयां निम्नानुसार हैं:

स्थान	एचएमटी धारक कंपनी (ट्रेक्टर सहित)	एचएचटी मशीन टूल्स लि.	एचएमटी वाचिज लि.	एचएमटी चिनार वाचिज लि.	एचएमटी वेयरिंग लि.
हैदराबाद	1	1	–	–	1
पिंजौर	1	1	–	–	–
मोहाली	1	–	–	–	–
औरंगाबाद	1	–	–	–	–
बंगलौर	–	5	2	–	–
कालामेसरी	–	1	–	–	–
अजमेर	–	1	–	–	–
टुमकुर	–	–	1	–	–
रानीबाग	–	–	1	–	–
जम्मू	–	–	–	1	–
श्रीनगर	–	–	–	1	–
इकाईयों की कुल संख्या	4	9	4	2	1

पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक इकाईवार घड़ियों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(संख्या लाख में)

इकाई का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अप्रैल-नवम्बर)
वाच फैक्टरी, बंगलौर	4.02	4.60	1.77	0.87
वाच फैक्टरी, टुमकुर	5.06	9.34	4.27	1.35
वाच फैक्टरी, रानीबाग	4.08	5.50	4.02	1.00
वाच मार्केटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाच डिवीजन, बंगलौर	7.47	4.39	2.15	0.38
चिनार वाचिज श्रीनगर/जम्मू	0.98	0.45	0.58	0.58

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की गति सीमा

3672. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की गति सीमा में कमी लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या ऐसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की गति सीमा कम करने से यात्रियों और अन्य रेलगाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी नहीं, बहरहाल, पूर्व-मध्य रेलवे के धनबाद, मुगलसराय और दानापुर मण्डलों और पूर्व रेलवे के मधुपुर झाझा खण्ड में सुरक्षा की दृष्टि से एहतियाती उपाय के रूप में रात्रि के समय 75 किमी/घंटा अस्थायी गति प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ गाड़ियों के समयपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन

3673. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आटो उद्योग काफी लम्बे समय से मौजूदा परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन करने की मांग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुणे और अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए सत्तर करोड़ से अधिक धनराशि मंजूर की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार हैदराबाद सहित देश के अन्य शहरों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ज) क्या उनके मंत्रालय ने परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए आटोमोबाईल उपकर की पूर्ण राशि आवंटित करने हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(झ) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा आटोमोबाइल उद्योग में अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) देश में आटोमोटिव परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण की गहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपने स्तर पर इन सुविधाओं के विस्तार के लिए एक ब्लू प्रिंट को अनुमोदित किया है। ब्लू प्रिंट में पुणे में तथा इसके आसपास परीक्षण सुविधाओं का प्रमुख उन्नयन तथा देश के उत्तर और दक्षिण में दो नए परीक्षण केन्द्र भी स्थापित करना शामिल है। निधियों की व्यवस्था होने के पश्चात् ब्लू प्रिंट पर कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। चालू वर्ष में, उपलब्ध कराए गए संशोधनों में से, सरकार अभी तक पुणे तथा अहमदनगर में परीक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए 73.96 करोड़ रुपए की राशि की लागत वाली नयी योजनाएं संस्वीकृत की हैं। नई योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, होमोलोगेशन प्रयोगशाला, फोटोमेट्रीक प्रयोगशाला, इंजिन आरएसडी तथा मैटेरियल परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन करना शामिल है।

(ज) और (झ) भारी उद्योग विभाग जरूरत के मुताबिक उपकर निधियों के वर्द्धित आवंटन तथा उपकर संग्रह की सीमा के मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाता रहा है। परिणामस्वरुप, वित्त मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास (आर. एण्ड डी.) उद्देश्यों के लिए उपकर निधि से 25 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके अलावा, 25 करोड़ रुपए की राशि इसी उद्देश्य के लिए योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है।

अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. की रिक्तियां

3674. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तारीख में उनके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियां भर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक कार्यालय में इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आधुनिक पुल निरीक्षण तथा प्रबंधन प्रणाली

3675. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास आधुनिक पुल निरीक्षण और प्रबंधन प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे किरायों में सुरक्षा शुल्क लगाने के क्या कारण हैं जब वे यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में असमर्थ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) संहिता तथा नियमावलियों में निर्धारित अनुसूची के अनुसार विभिन्न स्तरों पर रेल पुलों का वर्ष में एक बार गहन निरीक्षण किया जाता है। ये निरीक्षण मुख्यत: देखकर किए जाते हैं तथा निरीक्षण के लिए प्राथमिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। विदेशों में अब कार्यान्वित की जा रही पुल निरीक्षण एवं प्रबन्धन की आधुनिक प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है ताकि भारतीय रेलों पर इसे लागू करने पर विचार किया जा सके। इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पहले ही किए जा चुके हैं।

(ग) गतायु परिसंपत्तियों जिसमें पुल, रेलपथ, सिगनल प्रणाली, यात्रिक चल स्टाक आदि शामिल हैं, के पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण संबंधी बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

विद्युत परियोजनाओं का पूरा न किया जाना

3676. श्री वी. वेद्रिसेलवन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों से संबंधित अनेक विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के बाद या तो पूरी नहीं की गई है अथवा बीच में छोड़ दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं

को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी गयी है तथा जिनका काम अभी शुरू होना है/रूका हुआ है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है इस विलम्ब के कारणों में निवेश-निर्णय न लिया जाना तथा एस्क्रो के अभाव में वित्तीय बंदी न हो पाना है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त विद्युत परियोजनाओं, जिन पर निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है, की सूची

परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.
1	2
थर्मल	
छत्तीसगढ़	
सिपत टीपीपी चरण-1 और 2	1980
कोबरा इस्ट टीपीएस	1070
भिलाई टीपीपी	574
रायगढ़ पीएच. 1 टीपीएस	550
कोबरा (डब्ल्यू)	420
बिहार	
बाढ़ एसटीपीएस	1980
कहलगांव एसटीपीपी चरण-2	1320
मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार	500
झारखण्ड	
तेनुघाट चरण-2 टीपीपी	630
राजस्थान	
अन्ता चरण 2 सीसीजीटी	650
मैथनिया आईएससीसीपीपी	140
धौलपुर सीसीजीटी	702.7
बरसिंहसार लिग्लाइट	500
चम्बल सीसीजीटी	166
उत्तर प्रदेश	
औरेय्या चरण 2 सीसीजीटी	650
रोसा टीपीपी	567
गुजरात	
कवास चरण 2 सीसीपीपी	650
गंधार चरण 2 सीसीपीपी	650
पेटकोक आधारित टीपीपी	500
मध्य प्रदेश	
विन्धायल चरण 3 एसटीपीएस	1000
रतलाम डीजी	118.632
पेंच टीपीपी	500
नरसिंहपुर सीसीपीपी	166.55
बीना पीएच 1 टीपीपी	578
गुना सीसीपीपी	330
खांडवा सीसीपीपी	171.17
पितामपुखेडा डीजीपीपी	119.68
भनडर सीसीजीटी	342
त्रिपुरा	
मोनारचर सीसीजीटी	500
पंजाब	
जीटीटीपीपी चरण 2	500
गोएन्दवाल साहिब टीपीपी	500
महाराष्ट्र	
पारली टीपीएस विस्तार चरण-1	50
पतालगंगा सीसीजीटी	447
भद्रावती टीपीपी	182

1	2
आंध्र प्रदेश	
रायलसीमा चरण 2 टीपीपी	420
विशाखापत्तनम टीपीपी	1040
कृष्णापटनम ''बी''	520
वेमागिरी सीसीपीपी	492
पश्चिम बंगाल	
बकरेश्वर टीपीएस विस्तार	420
बालागढ़ टीपीपी	500
असम	
लकवा वेस्ट हीट यूनिट	38
कर्नाटक	
नागार्जुन टीपीपी	1015
मंगलोर टीपीपी	1013.2
कनिमिनके सीसीजीटी	107
केरल	
वाइपीन सीसीजीटी	679.2
कन्नूर सीसीजीटी	513
तमिलनाडु	
नाथ मद्रास चरण 1 टीपीपी	1050
नाथ मद्रास चरण 3 टीपीपी	525
तूतीकोरिन टीपीपी चरण 4	525
कुड्डालूर टीपीएस	1320
वेमबार सीसीपीपी	1873
उड़ीसा	
आईबी वेली चरण 2 टीपीपी	500
धुबरी टीपीएस	500

1	2
हाइड्रो	
हिमाचल प्रदेश	
कशांग	66
एलन दुहांगन	192
पंजाब	
शाहपुरकंडी	168
केरल	
कुट्टियाडी सवर्द्धन	100
उत्तरांचल	
श्रीनगर	330

(ख) देश की स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं जिनसे संबंधित निर्माण कार्य ठप्प है।

परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.
मणिपुर	
लोकतक डाउनस्ट्रीम	90
उत्तरांचल	
लखवरव्यासी	420
उड़ीसा	
बालीमेला डेम टू पीएच	60
महाराष्ट्र	
दाभोल सीसीजीटी पीएच 2	1444

विवरण-II

दसवीं योजना में शामिल परियोजनाओं की सूची (के.वि.प्रा. द्वारा टीईसी दी गई, किन्तु कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है)

परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.
1	2
थर्मल	
छत्तीसगढ़	
सिपत टीपीपी चरण-I और 2	1320

1	2
कोबरा इस्ट टीपीएस	1070
बिहार	
बाढ़ एसटीपीएस	1980
कहलगांव एसटीपीपी चरण-2	1320
झारखण्ड	
तेनुघाट चरण-2 टीपीपी	630
राजस्थान	
मैथनिया आईएससीसीपीपी	140
बरसिंहसार लिग्लाइट	500
गुजरात	
पेटकोक आधारित टीपीपी	500
मध्य प्रदेश	
विंध्याचल चरण 3 एसटीपीएस	1000
बीना पीएच आईटीपीपी	578
पंजाब	
जीटीटीपीपी चरम 2	500
गोएन्दवाल साहिब टीपीपी	500
महाराष्ट्र	
पारली टीपीएस विस्तार चरण-1	250
आंध्र प्रदेश	
रायलसीमा चरण 2 टीपीपी	420
वेमागिरी सीसीपीपी	492
पश्चिम बंगाल	
बकरेश्वर टीपीएस विस्तार	420
असम	
लकवा वेस्ट हीट यूनिट	38
कर्नाटक	
कनिमिनके सीसीजीटी	107
हाइड्रो	
हिमाचल प्रदेश	
कशांग	66
पंजाब	
शाहपुरकंडी	168
केरल	
कुट्टियाडी सवर्द्धन	100

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति

3677. श्री सुबोध राय : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा से संबंधित सभी उपकरणों की आपूर्ति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के सभी जिलों में की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जातिगत आरक्षण के अंतर्गत छूट का नियम इस योजना में लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सभी राज्यों में विशेषकर बिहार के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए सौर ऊर्जा उपकरणों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित समूचे देश में विभिन्न सौर ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। पूंजीगत और ब्याज सब्सिडियों और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराकर इन योजनाओं के अंतर्गत सौर घरेलू प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, जल पंपन प्रणालियों, जल तापन प्रणालियों, सौर कुकरों, सौर विद्युत संयंत्रों, सौर लालटेनों और अन्य सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसी विभिन्न प्रकार की सौर ऊर्जा प्रणालियों का संवर्धन किया जा रहा है। मंत्रालय की सौर ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों, चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लिमिटेड और कुछ बैंकों के माध्यम

से किया जा रहा है। सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय, राज्य एजेंसियों को उनके संबंधित राज्यों में सौर घरेलू प्रणालियों और सड़क रोशनी प्रणालियों की स्थापना के लिए लक्ष्य आवंटित करता है। ये एजेंसियां कार्यक्रम का कार्यान्वयन सामान्यतया राज्यों के सभी जिलों में करती हैं।

(ग) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन संगठनों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवंटित प्रणालियों में से कम से कम 15% अनुसूचित जातियों को और 10% अनुसूचित जनजातियों को वितरित की जाएं।

(घ) दिनांक 31.3.2002 के अनुसार देश में स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में स्थापित सौर लालटेनों, सौर घरेलू प्रणालियों और सौर सड़क रोशनी प्रणालियों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

31.3.2002 के अनुसार मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) प्रणालियों एवं विद्युत संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	सौर लालटेन (सं.)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां (केडब्लूपी)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	27707	1033	3520	296.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	4937	750	738	7.9
3.	असम	541	2337	98	3
4.	बिहार	28275	679	199	0
5.	छत्तीसगढ़	848	1157	363	0
6.	गोवा	443	51	69	1.72
7.	गुजरात	31603	2552	1764	39.70
8.	हरियाणा	32727	9666	612	24.2
9.	हिमाचल प्रदेश	20697	10848	1319	0
10.	जम्मू-कश्मीर	9202	12519	389	40
11.	झारखंड	16374	102	135	0
12.	कर्नाटक	7334	4156	865	33.0
13.	केरल	39681	8689	815	69.70
14.	मध्य प्रदेश	8564	159	5714	362.40

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	8680	721	3388	191.44
16.	मणिपुर	3883	650	370	11
17.	मेघालय	4875	540	593	42
18.	मिजोरम	5812	1645	315	0
19.	नागालैंड	95	143	271	6
20.	उड़ीसा	7823	2686	5666	36.50
21.	पंजाब	14495	2520	1666	151
22.	राजस्थान	4716	28464	6395	90.40
23.	सिक्किम	720	310	127	0
24.	तमिलनाडु	12086	471	2272	242
25.	त्रिपुरा	17805	2238	760	24.57
26.	उत्तर प्रदेश	52815	50938	550	424
27.	उत्तरांचल	27027	32204	250	80
28.	पश्चिमी बंगाल	3662	25916	1461	453.70
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	796	405	358	167
30.	चंडीगढ़	1675	275	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	4753	0	301	15
34.	लक्षद्वीप द्वीप	0	0	0	385
35.	पांडिचेरी	637	13	62	0
36.	अन्य (गैर-सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	26,399	1895	0	338.70

विवरण-II

31.3.2002 के अनुसार मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) प्रणालियों के जिलावार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	सौर लालटेन	सौर घरेलू प्रणालियां	सौर सड़क रोशनी प्रणालियां
1	2	3	4	5
1.	पटना	2987	50	45
2.	नालंदा	1290	–	22
3.	भोजपुर	692	10	–
4.	रोहतास	643	11	–
5.	बक्सर	491	5	–
6.	भाभुआ	197	–	–
7.	गया	551	10	32
8.	नवादा	515	–	–
9.	औरंगाबाद	832	5	–
10.	जहानाबाद	1105	10	10
11.	सारन	314	–	10
12.	सिवान	360	5	–
13.	गोपालगंज	284	–	8
14.	मुजफ्फरपुर	1284	5	–
15.	वैशाली	949	10	–
16.	सीतामढ़ी	197	10	–
17.	सिहोर	200	35	–
18.	ईस्ट चंपारण	1014	105	7
19.	वेस्ट चंपारण	625	50	–
20.	दरभंगा	831	15	5
21.	मधुबनी	692	40	–
22.	समस्तीपुर	2565	40	2

1	2	3	4	5
23.	सहरसा	645	5	20
24.	मधेपुरा	188	5	–
25.	सुपाल	272	15	–
26.	पुर्णिया	395	10	–
27.	किशनगंज	297	5	–
28.	अररिया	123	–	–
29.	भागलपुर	270	–	2
30.	कटिहार	862	10	26
31.	बांका	405	–	–
32.	मुंगेर	855	15	10
33.	लखीसराय	657	15	–
34.	बेगुसराय	1285	5	–
35.	खगडिया	474	5	–
36.	जामुई	422	5	–
37.	शेखपुरा	307	10	–
38.	अरवल	–	–	–
39.	ब्रेडा, हैड क्वार्टर	2200	158	–
	कुल	28275	679	199

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमान का विकास

3678. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्के लड़ाकू विमान का विकास संबंधी कार्य निर्धारित अवधि के अनुरूप प्रगति कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो विकास की धीमी गति के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या हल्के लड़ाकू विमान शामिल करने हेतु ठोस संशोधित समयावधि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) हल्के लड़ाकू विमान की अनुमानित विनिर्माण लागत क्या है; और

(च) हल्के लड़ाकू विमानों को कब तक सेना में शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। स्वदेशी रूप से विकसित हल्का युद्धक वायुयान उड़ान परीक्षण के उन्नत चरण में है। हल्के युद्धक वायुयानों के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शकों पर 41 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विनिर्माण के दौरान हल्के युद्धक वायुयान की यूनिट फ्लाई अवे लागत 85.00 करोड़ रुपए (2001 के मूल्य स्तर पर) होने का अनुमान है।

(च) भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए हल्के युद्धक वायुयान को आरंभिक संक्रियात्मक अनुमति वर्ष 2005-06 तक प्राप्त कर लिए जाने की योजना है।

उड़ीसा में एन.एच.पी.सी. द्वारा संचालित जल-विद्युत परियोजनाएं

3679. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) का विचार उड़ीसा में कोई जल विद्युत परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार एवं नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) महानदी पर चिपिलीमा परियोजना (200 मे.वा.) तथा सिन्डोल कॉम्प्लेक्स (सिन्डौल 1, 2 और 3) नामक 3 रन-ऑफ-रिवर परियोजना क्रियान्वित करने के लिए आरंभिक स्तर की बातचीत कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के विकास का काम एन.एच.पी.सी. को इस शर्त के साथ सौंपने की इच्छा प्रकट की है, कि कोई भी क्षेत्र जलमग्नता-प्रभावित क्षेत्र में नहीं आएगा और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कोई भी परिवार प्रभावित नहीं होगा। एन.एच.पी.सी. ने उड़ीसा सरकार को सूचित किया है कि जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में जलमग्नता एवं लोगों के विस्थापन की संभावना को ऐसे में पूरी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जबकि परियोजनाओं का विस्तार काफी अधिक हो और जनसंख्या का घनत्व कम। हालांकि वे अपनी तरफ से जलमग्नता की सीमा और परिवारों के विस्थापन में कमी करने तथा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे।

आकाशवाणी पर कृषि संबंधी कार्यक्रम

3680. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी रेडियो स्टेशनों से नियमित रूप से कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से और कितने रेडियो स्टेशन इन कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में विभिन्न स्टेशनों पर कितने कृषि विशेषज्ञ रेडियो अधिकारी तैनात हैं;

(ङ) इस समय कितने पद रिक्त हैं;

(च) क्या सरकार ने कृषि प्रसारणों के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि देश में विविध भारती और सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्रों के अलावा सभी आकाशवाणी केन्द्र नियमित आधार पर कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में 28 कृषि विशेषज्ञ रेडियो अधिकारी तैनात थे। चूंकि कृषि रेडियो अधिकारी के पद को अब कार्यक्रम निष्पादक के पद में समामेलित कर दिया गया है, इसलिए कृषि रेडियो अधिकारी की श्रेणी में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्तशासी निगम है और यह प्रसार भारती अधिनियम में निर्धारित अधिदेश के अन्तर्गत कार्यक्रम संबंधी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। सरकार की इस बारे में कोई भूमिका नहीं है। तथापि, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी केन्द्रों में कृषि और घरेलू कार्यक्रम केन्द्र/राज्य सरकारों के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभागों के परामर्श से बनाए जाते हैं। आकाशवाणी द्वारा कृषि समुदाय की रोजमर्रा/मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती हैं जो एक सतत् प्रक्रिया है।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

3681. श्री राम मोहन गाइडे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने के लिए उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और न्यायालयों से प्रस्ताव मांगें हैं जैसाकि दिनांक 19 नवम्बर, 2002 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों/प्रधान न्यायाधीशों और राज्यपालों की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) और (ख) जी हां। सरकार, समय-समय पर, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से यह अनुरोध करती रही है कि वे विद्यमान और आगामी 6 मास के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाएं। उन्हें पिछली बार तारीख 28 अक्टूबर, 2002 को स्मरण कराया गया था।

तारीख 9 दिसंबर, 2002 को, 21 उच्च न्यायालयों में 647 न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या में से, 504 न्यायाधीश पदासीन थे और 143 पद रिक्त थे। सरकार को कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से 70 रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

समाचार-पत्रों का प्रकाशन

3682. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान देश में कुछ नए दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार-पत्रों के प्रकाशन के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से राज्य-वार अब तक कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने समाचार-पत्रों को मंजूरी दी गई है, कितने अनुरोध अभी विचाराधीन हैं और कितने अनुरोध राज्यवार निरस्त किए गए हैं, इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रकाशित किए जा रहे दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों के नामों और पतों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1.4.2001 से 30.9.2002 तक की अवधि के दौरान, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) के कार्यालय में शीर्षकों के सत्यापन के लिए कुल 28,610 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से, 18,352 अनुमोदित किए गए, 1048 विचाराधीन हैं, 8,568 को प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों की शर्तों के अधीन शीर्षक उपलब्ध न होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था। राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार, कुल 5,793 दैनिक, 19,147 साप्ताहिक तथा 7,124 पाक्षिक को समाचारपत्रों के रूप में आर.एन.आई. में पंजीकृत थे। सामान्यता आर.एन.आई. के द्वारा संकलित की गई संख्या में इन प्रकाशनों के नामों और पतों के विवरण से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा "भारत में प्रेस" नामक आर.एन.आई. के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। ये ब्यौरे आर.एन.आई. की वेबसाईट-डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. आर.एन.आई.एन.आई. सी.आई.एन. पर भी उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 (1.4.2002 से 30.9.2002 तक) के दौरान शीर्षकों के सत्यापन के लिए प्राप्त, स्वीकृत, विचाराधीन तथा निरस्त आवेदनों के राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002 1.4.2001 से 31.3.2002			2002-2003 1.4.2002 से 30.9.2002			विचाराधीन (30.9.2002 की स्थिति के अनुसार)
		प्राप्त	अनुमोदित	निरस्त	प्राप्त	अनुमोदित	निरस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	9	9	0	2	2	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	817	576	213	568	350	101	177
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	3	3	0	0
4.	असम	86	48	32	39	32	3	4
5.	बिहार	89	66	32	64	32	14	18
6.	चंडीगढ़	76	45	40	56	27	14	15
7.	छत्तीसगढ़	235	174	51	135	66	49	20
8.	दादरा और नागर हवेली	7	4	3	1	1	0	0
9.	दमन और दीव	4	4	0	1	1	0	0
10.	दिल्ली	2376	1285	978	1507	780	492	235
11.	गोवा	48	31	14	22	19	1	2
12.	गुजरात	907	674	190	530	316	122	92
13.	हरियाणा	228	165	55	122	85	26	11
14.	हिमाचल प्रदेश	67	49	13	27	22	5	0
15.	जम्मू-कश्मीर	77	60	16	34	30	4	0
16.	झारखण्ड	64	35	15	42	24	7	11
17.	कर्नाटक	1171	986	298	842	578	198	48
18.	केरल	743	570	233	446	342	134	20
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1146	717	314	681	412	178	91
21.	महाराष्ट्र	4794	2763	1732	2027	1217	796	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	मणिपुर	12	10	0	13	13	0	0
23.	मेघालय	8	8	0	9	9	0	0
24.	मिजोरम	46	32	12	22	20	1	1
25.	नागालैंड	1	1	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	310	219	77	143	112	25	6
27.	पांडिचेरी	24	19	4	18	13	3	2
28.	पंजाब	212	115	27	90	56	8	26
29.	राजस्थान	469	316	94	356	193	73	90
30.	सिक्किम	5	3	2	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	1562	1010	522	811	610	201	10
32.	त्रिपुरा	7	7	0	6	6	0	0
33.	उत्तरांचल	167	129	49	127	63	41	23
34.	उत्तर प्रदेश	1956	1283	610	1223	708	323	192
35.	पश्चिमी बंगाल	568	483	85	350	312	38	0
	कुल	18293	11898	5711	10317	6454	2857	1048

फिल्मों में भारतीय महिलाओं का चित्रण

3683. श्री नरेश पुगलिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री फिल्मों में भारतीय महिलाओं का चित्रण के बारे में 22.12.2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(2) के अन्तर्गत जारी फिल्मों के प्रमाणन हेतु दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे तेल/गैस का उत्पादन

3684. श्री रामजी मांझी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में 75,000 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय का प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या नौवीं योजना के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय में वृद्धि के अनुपात में कच्चे तेल/गैस उत्पादन आदि के लिए वास्तविक लक्ष्य में वृद्धि नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले संचयी व्यय 40,452.94 करोड़ रुपए था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वर्धित परिव्यय मुख्य रूप से निम्न कारणों की वजह से 78,401 करोड़ रुपए थी:

(1) विशेष रूप से अधिक लागत के गहरे समुद्र के अपतटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयास तेज करना,

(2) इक्विटी तेल और गैस प्राप्त करने के लिए विदेश में रकबे प्राप्त करना,

(3) रिजर्वायर प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने और मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन में कमी रोकने और निकासी घटक में वृद्धि करने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) ने कई वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) और उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया,

(4) पर्याप्त घरेलू शोधन क्षमता का सृजन,

(5) विपणन और वितरण सुविधाओं का आवर्धन और उन्नयन,

(6) उत्पाद गुणवत्ता में सुधार, और

(7) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतिक टैंकेंजों की स्थापना।

नौवीं योजना में वर्धित परिव्यय के कारण ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. ई.ओ.आर. और आई.ओ.आर. परियोजनाओं पर काम करने के द्वारा मौजूदा मुख्य क्षेत्रों से प्राकृतिक ह्रास को रोकने में सफल रहे हैं। तेल और गैस के अन्वेषण में व्यय और भंडार वृद्धि के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता क्योंकि अन्वेषण के परिणाम अंतर्निहित भूगर्भीय जोखिमों के कारण कुछ अनिश्चित होते हैं।

मामलों का तत्काल निपटान

3685. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने मामलों के तत्काल निपटान के लिए उपाय सुझाने हेतु अदालतों में बकाया मामलों संबंधी अध्ययन पुन: शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) विधि आयोग ने यह सूचित किया है कि वर्तमान विधि आयोग ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए न्यायालयों में बकाया मामलों का कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सफाई और यात्री सुविधाएं

3686. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल राज्य मंत्री ने हाल ही की अपनी गुवाहाटी यात्रा के दौरान यह नोट किया था कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के अधिकारी सफाई और यात्री सुविधाएं बनाये रखने में असफल रहे हैं जो कि पूर्वोत्तर में भारतीय रेलवे का चेहरा माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा देखी गई विशेष कमियां क्या थीं;

(ग) क्या इस स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनाने के लिए इसमें सुधार और विकास करने हेतु कोई विशेष परियोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 26.10.2002 को गुवाहाटी स्टेशन के निरीक्षण के दौरान माननीय रेल राज्य मंत्री जी के ध्यान में कुछ कमियां आईं। जैसे प्लेटफार्म सं. 4 और 5 पर खुरदरापन और असमतल हालत, इन प्लेटफार्मों पर टी स्टालों की खराब दशा, प्लेटफार्म सं. 5 और 6 के बीच नाले का रुका होना, माल लाइन सं. 5 के निकट कूड़े का ढेर, प्लेटफार्म सं. 4 तथा 5 में पानी का जमा होना, प्लेटफार्म

सं. 4, 5, 6 और 7 पर रोशनी अपर्याप्त होना और प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए बैठने का अपर्याप्त स्थान उपलब्ध होना।

(ग) और (घ) सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति लगाकर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान की व्यवस्था करने और प्लेटफार्म का सुधार करके इन कमियों में सुधार करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा विभिन्न उन्नत यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से गुवाहाटी स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में भी चुना गया है और इस उद्देश्य के लिए 1.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

झारखंड में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

3687. श्री रामटहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत हुए विकास से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) का कार्यान्वयन झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा पर बल देते हुए ऊर्जा स्रोतों के ईष्टतम मिश्रण के माध्यम से जीवन-निर्वाह और उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्लाक-स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा संयंत्रों एवं परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला तथा ग्राम (ब्लॉक) स्तरों पर क्षमताओं का विकास करना है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो संघटकों के माध्यम से किया जा रहा है, नामत: केन्द्रीय क्षेत्र संघटक, जिसके अंतर्गत स्टाफ और उनके प्रशिक्षण के प्रावधान सहित क्षमताओं के विकास हेतु सहायता दी जाती है और राज्य क्षेत्र संघटक, जिसके अंतर्गत विभिन्न ग्राम ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन, विस्तार और अन्य संबंद्ध कार्यकलापों हेतु राज्य परिव्यय से वित्तीय सहायता दी जाती है। झारखंड में कार्यक्रम, राज्य नोडल एजेंसी-झारखंड ऊर्जा विकास एजेंसी (जे.ए.आर.ई.डी.ए.) के माध्यम से आठ ब्लाकों नामत: अंगारा (रांची), नामकुम (रांची), पटमाडा (पूर्वी सिंहभूम), गोपीकांडर (दुमका), भारनो (गुमला), नागारूतारी (पलामू), बरकट्टा (हजारीबाग) और तोंटो (पश्चिमी सिंहभूम) में कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 में झारखंड (उस समय बिहार राज्य का हिस्सा) सहित बारह राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सरकार द्वारा "आई.आर.ई.पी. का विश्लेषण एवं क्षमता निर्माण नीति का विकास" नामक आई.आर.ई.पी. के परिणामस्वरूप जिला और राज्य स्तरों पर ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना की स्थापना कर ली गई है। इसके अतिरिक्त आई.आर.ई.पी. से ग्रामीण लोगों और क्षेत्र विकास अधिकारियों को ग्रामीण ऊर्जा की समस्या के विभिन्न उपायों को समझने और इसके समाधान करने में सहायता मिली है। आई.आर.ई.पी. से नई एवं अक्षय ऊर्जा के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण की जरूरत के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा हुई है। इस अध्ययन में यह अनुशंसा की गई है कि आई.आर.ई.पी. को समेकित किया जाना चाहिए और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसके लिए झारखंड सहित राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों का निर्माण

3688. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में विद्युत संयंत्रों का निर्माण कार्य उनकी समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत माह के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक संयंत्र कितना पीछे चल रहा है;

(घ) अनावश्यक देरी के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी को दोषी/जिम्मेदार पाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (च) प. बंगाल का पुरूलिया पी.एस.एस. (900 मे.वा.)

निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है। इसकी अनुमानित लागत आरंभिक 146.56 करोड़ रु. से बढ़कर 3188.90 करोड़ रु. हो गई है। आरंभ में परियोजना को 2002-03 में चालू किया जाना तय था, किन्तु अब इसे 2007-08 में चालू किए जाने की आशा है। ओ.ई.सी.एफ. के साथ ऋण समझौते में विलंब तथा आपूर्ति आदेशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण परियोजना में विलंब हुआ। सामान्य मूल्य वृद्धि की वजह से लागत में वृद्धि हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और इसमें समय एवं लागत आधिक्य को रोकने के लिए प. बंगाल एवं एन.एच.पी.सी. ने परियोजना को संयुक्त उद्यम के जरिए क्रियान्वित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

3689. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के विशेषकर चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन रेल स्टेशनों का विद्युतीकरण और वहां अन्य सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं;

(ख) उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कितने रेल स्टेशनों पर विद्युतीकरण कार्य नहीं हो पाया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्टेशनों पर किस समय तक विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे राज्यवार तथा निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखती है बहरहाल, चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 27 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

श्रीडूंगरगढ़, बिग्गा, पारसेनु, राजल्देसर, रतनगढ़, रतनगढ़-पश्चिम, मोलीसर, जुहारपुरा, देपालसर, चुरू, आस्लु, दुधवा-खेडा, हद्याल, डोकवा, सादुलपुर, सरदार शहर, दुलरासर, गोलासर, मेलुसर, बिसाऊ, परिहारा, तालछापर, सुजानगढ़, जसवन्तगढ़, लाडनू, बालसमन्द और संवराड।

शेष 10 रेलवे स्टेशन जहां रेलवे विद्युतीकरण के अलावा अन्य सुविधाएं मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं, इस प्रकार हैं:

उदासर हॉल्ट, खिलेरियां हॉल्ट, नौसरिया हॉल्ट, बिग्गाबास रामसरा हॉल्ट, सीतलनगर हॉल्ट, पयाली, श्री मकरीनाथ नगर हॉल्ट, सिरसाला हॉल्ट, महांसर और लोहा हॉल्ट।

(ख) उपरोलिखित पैरा-2 में दर्शाए गए 10 रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है क्योंकि वे विद्युतीकरण के लिए निर्धारित मानकों के लिए अर्हक नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओवरहैड प्रोजेक्टर्स की बिक्री

3690. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी 1999 की रिपोर्ट संख्या 8 (वायुसेना और जलसेना) में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि एन.सी.सी.एफ. द्वारा ओवरहैड प्रोजेक्टर्स को उच्च कीमतों पर बेचा जा रहा है;

(ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने उन 'अन्य मदों' की व्याख्या न किये जाने के कारण भी जानने चाहे हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन मदों की व्याख्या न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 14 जुलाई, 1981 के कार्यालय ज्ञापन के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट पर उनके मंत्रालय द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी कथित रिपोर्ट में यह अभिमत व्यक्त किया था कि एक विशेष मामले में ओवरहेड प्रोजेक्टरों के लिए भारत के राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ द्वारा उल्लिखित मूल्य एक प्राइवेट विक्रेता द्वारा उल्लिखित मूल्य से अधिक था।

(ख) और (ग) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अभिमत व्यक्त किया था कि यह स्पष्ट नहीं है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 11 अप्रैल, 1994 के कार्यालय ज्ञापन में 'अन्य मदों' शब्दों में कौन-कौन सी मदें शामिल की गई थीं तथा उसने निदेश दिया कि जो मदें केंद्रीय

भंडार, सुपर बाजार, राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ आदि से खरीदी जानी चाहिए उनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(घ) से (च) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की कथित रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा संख्या 11 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों के लिए आवंटित धनराशि

3691. श्री राजेन गोहेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए गुवाहाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों के लिए धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-2003 में कितनी फर्मों के कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए केन्द्रों को कोई निधि आवंटित नहीं करता।

तथापि, दूरदर्शन विभिन्न केन्द्रों को प्रायोजित तथा रायल्टी कार्यक्रमों के लिए निधियां आवंटित करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रों (पूर्वोत्तर के लिए कार्यक्रम लेने के लिए भी) को आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. हजारों में)

क्र.सं.	केन्द्र	कार्यक्रम की कमीशनिंग	रायल्टी	पी.पी.एस.एस.*	कुल
1.	गुवाहाटी	105000	5000	7000	92000
2.	पी.पी.सी.(एन.ई.) गुवाहाटी	5000	–	3000	108000
3.	इम्फाल	5000	–	2000	7000
4.	कोहिमा	5000	–	2000	7000
5.	शिलांग	5000	–	2000	7000
6.	अगरतला	5000	–	2000	7000
7.	ऐजवाल	5000	–	2000	7000
8.	ईटानगर	5000	–	2000	7000
9.	डिब्रुगढ़	5000	–	1000	6000
10.	तुरा	5000	–	1000	6000
11.	सिल्चर	5000	–	1000	6000
12.	दिल्ली	20000	–	–	20000
	कुल	250000	5000	25000	280000

*व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान।

[हिन्दी]

वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए शंट केपेसिटर्स

3692. श्री राजो सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राज्य विद्युत प्रणाली की वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए शंट केपेसिटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 के दौरान इस प्रणाली के लिए आवश्यक शंट केपेसिटर्स की अनुमानित संख्या कितनी है और उनमें से कितने स्थापित किये जा चुके हैं;

(ग) क्या बिहार में इन शंट केपेसिटर्स की स्थापना से वर्तमान विद्युत प्रणाली में सुधार संभव है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक प्रदान करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई रेल लाइनें

3693. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जोल्लारपेट्टी, बारगुर और कृष्णागिरी होते हुए थिरूवन्नामलाई और होसुर और कृष्णागिरी होते हुए धर्मपुरी और कुप्पम के बीच नई रेल लाइनें आरम्भ करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) इन लाइनों के लिए मांग हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, कृष्णागिरी होकर जोलारपेट्टे से होसूर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2000-2001 में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 104 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 226 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति और चल रही परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। अन्य उल्लिखित लाइनों के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बुकिंग क्लर्कों द्वारा ज्यादा किराया वसूलना

3694. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में बुकिंग क्लर्कों द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूलने के संबंध में केन्द्र सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे जोन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 2002 से अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं और इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस तरह के कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने के बारे में शिकायतों संबंधी पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं. बहरहाल, इस संबंध में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की छान-बीन की जाती है तथा गुण-दोषों के आधार पर कार्रवाई की जाती है. ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए वाणिज्य तथा सतर्कता विभागों द्वारा बार-बार जांचें की जाती हैं और जहां कहीं कर्मचारी जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का में अवसंरचना

3695. श्री अबुल हसनत खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) फरक्का पर प्रारम्भिक रूप से सृजित अवसंरचना पूर्वी क्षेत्रों के लिए 2100 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना मात्र 1600 मेगावाट की क्षमता से ही चल रही है;

(ग) यदि हां तो परियोजना की 500 मेगावाट की शेष अनुमानित क्षमता को कब तक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजना, फरक्का को पूर्ण किये बिना ही इस क्षेत्र में अन्य विद्युत परियोजना की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) 1600 मे.वा. का फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र पूरी तरह से क्रियाशील है। फरक्का बांध से जल आबंटन हेतु संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति नहीं मिलने के कारण फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-3 (1×500 मे.वा.) शुरू नहीं किया जा सका। जल प्राप्ति के लिए अन्य किसी व्यावहारिक स्रोत के नहीं मिलने के कारण फरक्का के विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

पूर्वी क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन वर्तमान में उड़ीसा में तलचेर एसटीपीपी चरण 2 (2000 में. वा.) का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अलावा एनटइपीसी बिहार में कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) चरण 2 और बाढ़ एसटीपीपी तथा झारखंड में नार्थ करनपुरा एसटीपीपी पर कार्य शुरू करने की योजना बना रहा है।

केरल में रेल ऊपरि पुल

3696. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य के उन रेलवे उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है जिन्हे वर्ष 2002-03 के दौरान रेलवे विनिर्माण विकास कार्यों में शामिल कर लिया गया है;

(ख) उनके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई थीं और परियोजना-वार इस समय उनकी चालू स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ख) सभी 18 ऊपरी सड़क पुल के कार्यों को वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत किया गया था जिसमें से 8 कार्यों को रेल बजट 2002-03 के दौरान स्वीकृत किया गया था और 10 कार्यों को अगस्त, 2002 में अनुदान की पूरक मांगों के दौरान स्वीकृत किया गया था। इन कार्यों के नाम, आबंटन और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष में स्वीकृत किए जाने के कारण ये योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, विगत में केरल में 39 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं, निक्षेप शर्तों पर 6 कार्य भी प्रगति पर हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान सभी 57 ऊपरी सड़क पुल के कार्यों के लिए 26.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

(ग) इस कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग को पूरा करने पर निर्भर करता है। रेलवे अपने हिस्से का कार्य पहुंच-मार्ग का कार्य पूरा होने से पहले या उसके साथ-साथ करने का भरसक प्रयत्न करेगी।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	आबंटित राशि (लाख रु. में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	नन्दीकरा-समपार सं. 31 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.10	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
2.	इरिनजालाकुडा और चालाकुड़ी स्टेशन के बीच समपार सं. 45 पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.00	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह

1	2	3	4	5
				योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
3.	डिवाइन नगर-समपार सं. 52 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.00	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
4.	वेलेन्चीरा-समपार सं. 46 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.00	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
5.	पाइनूर और त्रिकारीपुर स्टेशनों के बीच समपार सं. 261 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.00	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
6.	तिरूर और तान्नूर स्टेशनों के बीच समपार सं. 172 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
7.	कुंजीपाली-समपार सं. 217 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.00	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
8.	तेलीचेरी और जगन्नाथ मंदिर स्टेशनों के बीच समपार सं. 228 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	18.10	इस कार्य को बजट 2002-2003 के दौरान स्वीकृत किया गया था और यह योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
9.	कारूकुट्टी और अंगामाली स्टेशनों के बीच समपार सं. 59 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
10.	पुनकुनम और मुलागुंताकवू स्टेशनों के बीच समपार सं. 14 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
11.	तिरूनावाया और तिरूर स्टेशनों के बीच समपार सं. 170 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत

1	2	3	4	5
				किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
12.	कालीकट और वेस्ट हिल्स स्टेशन के बीच समपार सं. 185 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
13.	पुनकुनम और त्रिचूर स्टेशनों के बीच समपार सं. 19 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
14.	बडगारा और मुकाली स्टेशनों के बीच समपार सं. 216 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
15.	माहे और तालीचेरी स्टेशनों के बीच समपार सं. 226 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
16.	केन्नानौर और केन्नानौर साउथ स्टेशनों के बीच समपार सं. 241 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
17.	चेरावात्तूर और निलेश्वर स्टेशनों के बीच समपार सं. 268 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।
18.	कनहनगाड और पालीकेरी स्टेशनों के बीच समपार सं. 274 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-2003	0.10	इस कार्य को पूरक निर्माण के कार्यक्रम 2002-2003 (जुलाई-अगस्त) में स्वीकृत किया गया था, अत: योजना के चरण में हैं।

ज्वारीय ऊर्जा

3697. श्री सईदुज्जमा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हासिल हुई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर 2002 के दी टाइम्स ऑफ इंडिया में "प्रोग्रेस मेड इन दिस रिसपेक्ट इन नार्वे" प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की प्रगति हासिल हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) देश में गुजरात में कच्छ की खाड़ी और काम्बे की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में गंगा का डेल्टा ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए तीन संभाव्यता वाले स्थल हैं। वर्ष 1987 में सीईए द्वारा 900 मेगावाट क्षमता के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई। परंतु इस परियोजना को उसकी उच्च संस्थापना लागत के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। इस मंत्रालय ने एक संभाव्यता अध्ययन के पश्चात् पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में दुर्गाद्वानी क्रीक में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 3 मेगावाट क्षमता के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय द्वारा देश के पहले ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव का उपयोग देश में ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए अन्य संभाव्यता वाले स्थलों का विकास करने में किया जाएगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) संदर्भाधीन समाचार का संबंध वाटर करंट टरबाईन प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुद्र की सतह पर खड़ी पनचक्की जैसे टरबाईन के ब्लेडों को घुमाकर महासागर ऊर्जा का दोहन करने से है। यह प्रौद्योगिकी वर्तमान में प्रायोगिकी चरण में है। तथापि इस मंत्रालय द्वारा बैरेज टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करते हुए ज्वारीय विधि के माध्यम से महासागर ऊर्जा के दोहन करने का विचार किया जा रहा है क्योंकि ऐसी टेक्नोलोजी फ्रांस, कनाडा, रूस और चीन में सफल पाई गई है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन

3698. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर असम के बोडोलैंड क्षेत्र के संदर्भ में विद्युत प्रदान करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में असम के ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों सहित विशेषकर दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में बिजली पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों एवं विद्युत संयंत्रों, माइक्रो-हाइडल यूनिटों, बायोमास, गैसीफायरो, पवन ऊर्जा प्रणालियों तथा हाइब्रिड प्रणालियों की स्थापना का संवर्धन पूंजीगत एवं ब्याज सब्सिडी तथा अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से किया जा रहा है।

असम में ये कार्यक्रम असम विज्ञापन प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (एएसटीईसी) के माध्यम से और कभी-कभी गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। बोडो जनजातीय क्षेत्रों में मंत्रालय की सहायता से परिषद ने बोंगाइगांव जिले में 50 घरों में और सोनितपुर जिले में 100 घरों में सौर घरेलू प्रणालियों की स्थापना की है। सोनितपुर जिले में और 300 प्रणालियां लगाई जा रही हैं। एएसटीईसी भी बारपेटा जिले में कुछ घरों के सौर विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

महाराष्ट्र में यूरान संयंत्र

3699. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में 500 मेगावाट वाले यूरान संयंत्र ईंधन के अभाव में बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूरान संयंत्र को शुरू करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। अप्रैल-नवंबर, 2002 की अवधि में

महाराष्ट्र के यूरान गैस स्टेशन में विद्युत का उत्पादन 2456 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 2549 मिलियन यूनिट रहा। किन्तु ओएनजीसी एक्स-यूरान से गैस की कम उपलब्धता की वजह से अप्रैल-नवंबर, 2002 में आपूर्ति की गई औसत गैस 3.50 एमएमएससीएमडी (मैट्रिक मिलियन स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन) की प्रमात्रा की तुलना में 2.475 एमएमएससीएमडी थी। गैस आथॉरिटी आफ इंडिया लि. के अनुसार मौजूदा 15 एमएमएससीएमडी से भी अधिक की गैस मांग के मुकाबले गैस की उपलब्धता में काफी कमी हुई है और अभी यह 9.0 एमएमएससीएमडी के आस पास है।

(ग) विद्युत केन्द्र पहले से चालू है।

(घ) और (ङ) भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

3700. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन तेल कंपनियों में और निवेश करने का है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। इनमें से पांच को 'नवरत्न' कंपनियों का दर्जा प्राप्त है तथा सात 'लघुरत्न' कंपनियां हैं और ये लाभ कमा रही हैं। तथापि, बीको लारी लिमिटेड (बीएलएल) तथा बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) ने वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में हानि उठाई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 में बीआरपीएल ने भी अब तक 63 करोड़ रुपए (बिना लेखापरीक्षित) का लाभार्जन किया है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने बीएलएल को कंपनी की वर्तमान वित्तीय कठिनाई तथा इसके कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए 135 करोड़ रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	कर पूर्व लाभ			करोपरांत लाभ		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आयल एवं नेचुरल गैस कार्पोरेशन	5,931.00	9,157.00	9,855.20	3,629.47	5,228.78	6,197.90
2.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	2,970.00	2,962.00	4,599.00	2,443.00	2,720.00	2,885.00
3.	गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	1,031.27	1,552.21	1,801.90	861.27	1,126.17	1,185.84
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1,274.00	1,320.00	1,222.00	1,057.00	1,088.00	788.00
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	936.90	1,113.10	1,326.80	703.90	832.70	849.80
6.	आयल इंडिया लि.	623.79	601.36	803.22	409.70	467.36	525.22
7.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	32.00	(-) 57.44	(-) 309.00	32.00	(-) 57.00	(-) 199.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	193.21	195.68	112.47	126.20	123.85	24.71
9.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	191.68	147.43	88.88	143.14	122.43	63.71
10.	कोच्चि रिफाइनरीज लि.	283.71	102.46	118.58	235.21	109.46	68.77
11.	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.	चरणों में चालू की गई तथा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा 1.10.2000 को की गई।	23.60	133.32	चरणों में चालू की गई तथा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा 1.10.2000 को की गई।	21.60	122.98
12.	आईबीपी कं.	47.71	61.22	289.95	41.71	54.22	195.99
13.	बामर लारी	16.31	07.01	09.20	14.31	06.01	08.01
14.	बीको लारी	0.18	(-) 08.67	(-) 10.90	0.18	(-) 08.67	(-) 10.90

जम्मू और कश्मीर में चुनाव

3701. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने जम्मू और कश्मीर के चुनावों में मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) क्या मतदाता पहचान पत्रों के होने से जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों के फर्जी मतदान पर रोक लग सकी और इस तरह केवल वैध मतदाता ही मतदान कर सकें;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों के पास उनके संबद्ध कार्यालयों से जारी पहचान पत्र होने पर उन्हें निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान के न होने पर भी मतदान की अनुमति प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) निर्वाचन आयोग ने यह निदेश हेतु हुए एक आदेश जारी किया था कि जम्मू-कश्मीर के ऐसे सभी निर्वाचकों को, जिन्हें उनके मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यद्यपि, मतदान के प्रयोजन के लिए मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का उपयोग राज्य में पहली बार आरंभ किया जा रहा था, अत:, आयोग ने उन निर्वाचकों को मत डालने की अनुज्ञा दी थी, जिन्हें उस समय तक मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, परंतु यह तब जबकि उनकी पहचान कतिपय विहित वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से अन्यथा सिद्ध की गई हो।

(ख) निर्वाचकों के प्रतिरुपण को रोकने के विचार से, जिससे कि जम्मू-कश्मीर अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अधीन सही निर्वाचकों के मतदान करने के अधिकार को वास्तव में प्रभावी बनाया जा सके, मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए एक विशेष स्कीम बनाई गई थी। आयोग, नीति के रूप में, जनवरी-मार्च, 2000 में हरियाणा विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों से आरंभ हुए, सभी निर्वाचनों में मतदाताओं की पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाताओं द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र या पहचान के अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर जोर देता रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल कंपनियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी

3702. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स लिमिटेड में महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक तथा कार्यकारी निदेशकों के तौर पर नियुक्त अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन कंपनियों में महाप्रबंधकों की संख्या कितनी है और उक्त पद पर उनकी सेवा अवधि कितनी है;

(घ) महाप्रबंधक से कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए कम से कम कितने वर्ष आवश्यक होने है; और

(ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से निदेशकों के पद को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशकों के पदों को भरने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों की नियुक्ति करते समय अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी वाले इन उम्मीदवारों के संबंध में ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) तथा इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल) में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अधिकारियों की संख्या निम्नवत हैं:-

अधिकारी	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	ईआईएल
उप महाप्रबंधक	6	8	5	4
महाप्रबंधक	1	2	शून्य	1
कार्यकारी निदेशक	1	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा ईआईएल में महाप्रबंधकों की संख्या क्रमश: 93, 34, 16 तथा 25 है तथा उक्त पदों के अंतर्गत सेवा अवधि में 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की अंतर-भिन्नता होती है।

(घ) आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा ईआईएल में महाप्रबंधक से कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचारार्थ अपेक्षित न्यूनतम वर्ष क्रमश: 2, 5, 2 तथा 2 है। तथापि, रिक्त पदों की संख्या पर निर्भर करते हुए, महाप्रबंधक स्तरीय पद के लिए न्यूनतम पात्रता वर्ष कंपनी दर कंपनी अलग-अलग होते हैं।

(ङ) सभी श्रेणियों, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी सम्मिलित हैं, के सभी महाप्रबंधक एवं कार्यकारी निदेशक बोर्ड स्तरीय पदों के लिए शिक्षित एवं तैयार किए जाते हैं तथा जब कभी नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, उपर्युक्त अर्हताप्राप्त अधिकारियों के नाम सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को विचारार्थ भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी के चालक केबिन में और अधिक सुविधाएं

3703. श्री अशोक पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालक के केबिन में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और इस पर कितना खर्च किया जाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) 16.11.2002 को नई दिल्ली में डीजल रेल इंजनों के चालक दल के लिए सबसे अनुकूल कैब के लिए एक प्रतियोगिता

का आयोजन किया गया था. इसमें रेल कारखानों, डीजल शेडों और उत्पादन इकाइयों ने भाग लिया. ड्राइवरों के लिए थकान कम करने और आराम स्तर/सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न इकाइयों ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान कीं. एक ऐसी सुविधा जिसे डीजल रेल इंजनों के कैब में शामिल किया जा सकता है, को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

(ग) समय सीमा और आवश्यक निधि का आकलन, कैब में शामिल की जाने वाली सुविधा का निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही प्रस्तुत किया जा सकता है.

कुटुम्ब न्यायालय

3704. श्री चिंतामन वनगा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नये कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) कुटुंब न्यायालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या उपदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से नए कुटुंब न्यायालयों का गठन करने के लिए सक्षम हैं।

कुटुंब न्यायालयों की राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुटुंब न्यायलयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	4
5.	झारखंड	4
6.	जम्मू-कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	10
8.	केरल	9
9.	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	16
11.	मणिपुर	1
12.	उड़ीसा	2
13.	राजस्थान	6
14.	सिक्किम	1
15.	तमिलनाडु	6
16.	उत्तर प्रदेश	14
17.	उत्तरांचल	5
18.	पश्चिमी बंगाल	2
19.	पांडिचेरी	1
	योग	100

रंगिया-मुरखोंस्लेक के बीच आमान परिवर्तन

3705. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रंगिया जंक्शन-मुरखोंस्लेक के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मांगों के आधार पर, रंगिया से मुरकोंगसेलक और संबद्ध लाइनों के आमान-परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लिया गया है। आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा और कार्य बजट में शामिल है।

ओएनजीसी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3706. श्री पी.एच. पांडियन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की पात्रता क्या है और उसके क्या लाभ हैं;

(ग) संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लागू करने के बाद, पद-वार कितने व्यक्तियों/कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(घ) संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने आवेदन स्वीकार किए गए हैं;

(ङ) कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(च) उन आवेदकों को कब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दिए जाने की संभावना है जिनके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

''पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड'' के अंतर्गत योजनाएं

3707. श्री कैलाश मेघवाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा युवक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत ''पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड'' के कार्यक्रम के तहत कितनी कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए ऋण, अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान राज्य में केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा या अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पिछले चार वर्षों में 1 अप्रैल, 1998 से आज तक ''पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड'' कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऋण, अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष-वार योजना-वार और एजेंसी-वार कितनी राशि प्रदान की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं। युवा कल्याण योजना के अधीन ''विद्युत स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड'' के अंतर्गत कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

विमान दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट का कार्यान्वयन

3708. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना विमान दुर्घटनाओं की दर को न्यूनतम करने हेतु जान और माल से संबंधित नीतियों से बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1977 में लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं संबधी ए पी जे अब्दुल कलाम समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कुछ अकार्यान्वित सिफारिशों को कार्यान्वित करके दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता था; और

(घ) अब तक कार्यान्वित मुद्दों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना में विमान दुर्घटनाओं को कम करने तथा उड़ान सुरक्षा में सुधार करने के लिए सदैव अनवरत् तथा बहु-आयामी प्रयास किए जाते हैं।

पायलटों के कार्य-कौशल के स्तर में सुधार करने, ठोस निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितिजन्य जागरुकता के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं।

किसी भी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और संबंधित देशों के मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ निरंतर संपर्क भी बनाए रखा जाता है।

(ग) और (घ) लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं से संबंधित ए पी जे अब्दुल कलाम समिति ने कुल 84 सिफारिशों की हैं। इनमें से 47 सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं तथा 26 सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 11 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थीं। इस प्रकार, ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं बची है जिस पर कार्रवाई नहीं की गई हो।

मतदाता पहचान पत्र

3709. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर के दो लाख से भी अधिक लोग राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं और कैम्पों आदि में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने निर्वाचन आयोग को इस भयावह स्थिति से अवगत कराया है;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करेगी और उनके मतदान की व्यवस्था करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार घाटी से 56225 परिवार विस्थापित हुए हैं। इनमें से 34305 परिवार जम्मू में, 39338 परिवार दिल्ली में और 2282 परिवार अन्य राज्यों में रह रहे हैं। 238 कश्मीरी विस्थापित परिवार दिल्ली के 14 कैंपों में और 4778 परिवार जम्मू के 12 कैम्पों में रह रहे हैं। अन्य परिवार अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं के अनुसार रह रहे हैं। ऐसी विभिन्न राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जहां कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं, अपने राज्यों में प्रचलित नियमों के अनुसार इन विस्थापितों को राहत प्रदान कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कश्मीरी विस्थापितों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक लोक सूचना जारी की थी कि वे ऐसे क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क करें, जिन्हें निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित करने/उमें शुद्धि करने/हटाने के लिए, आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन स्वीकार करने के लिए दिल्ली, जम्मू और चंड़ीगढ़ में पदाभिहित किया गया है।

(ग) और (घ) जम्मू क्षेत्र में और राज्य से बाहर विभिन्न कैम्पों में रह रहे जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को निर्वाचकों के रूप में नामांकित किया गया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मत डालने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए साधारण निर्वाचनों (2002) में, कश्मीरी विस्थापितों को डाक मतपत्र के माध्यम से मत डालने की सुविधा के अतिरिक्त जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में विशेष रूप से बनाए गए मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें का उपयोग करके मत डालने के लिए अनुज्ञात किया गया था। उन कश्मीरी विस्थापितों के संबंध में, जिन्होंने घाटी छोड़ दी है किंतु उस घाटी के उन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की, जहां से उन्हें विस्थापित किया गया था, निर्वाचक नामावालियों में अपने नामों को बनाए रखने का चयन किया है, आयोग ने अभी तक मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की कोई स्कीम तैयार/परिकल्पना नहीं की है, क्योंकि उनके वर्तमान पते और निर्वाचक नामावालियों में उनके पते में अंतर है।

दिल्ली में उर्दू समाचार पत्रों को विज्ञापन

3710. प्रो. दुखा भगत:
श्री शिवाजी माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कुछ समाचार पत्र विशेषकर उर्दू के ऐसे समाचारपत्र हैं जिनकी प्रसार संख्या नाम मात्र की है, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के उर्दू समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों का कुल मूल्य कितना है और उनमें से सर्वाधिक विज्ञापन प्राप्त करने वाले प्रमुख तीन समाचार पत्र कौन-कौन से हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कम लागत पर अधिक से अधिक लोगों तक विज्ञापनों के पहुंचने को सुनिश्चित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.दृ.प्र.नि.) भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा वि.दृ.प्र.नि. में समाचारपत्रों को पैनल में शामिल करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार इसके पैनल में शामिल समाचारपत्रों/आवधिकों को विज्ञापन जारी करता है। प्रचार अपेक्षाओं तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समाचारपत्रों तथा आवधिकों को विज्ञापन जारी किए जाते हैं। विज्ञापन दर संरचना समिति द्वारा बनाए गए फार्मूले के आधार पर समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन दर तय की जाती है। निर्दिष्ट विषयवस्तु या संदेशों की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इसके पैनल में शामिल समाचारपत्रों तथा आवधिकों को विज्ञापन जारी करता है।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान दिल्ली से प्रकाशित उर्दू समाचारपत्रों को क्रमशः कुल 56.27 लाख रु., 52.57 लाख रु. तथा 45.29 लाख रु. मूल्य के विज्ञापन दिए गए थे। इनमें से राशि के रूप में अधिकतम विज्ञापन पाने वाले प्रमुख तीन उर्दू समाचारपत्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान अधिकतम विज्ञापनों की धनराशि (रुपये में) प्राप्त करने वाले दिल्ली से प्रकाशित तीन मुख्य उर्दू समाचारपत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	समाचार पत्र का नाम	धनराशि (रुपयों में)
	वर्ष 1999-2000 के लिए	
1	मिलाप	939150
2	अवाम	735971
3	कौमी आवाज	589036
	वर्ष 2000-2001 के लिए	
1	मिलाप	736875
2	अवाम	666929
3	जदिद इन दिनों	607592
	वर्ष 2001-2002 के लिए	
1	कौमी आवाज	885530
2	मिलाप	625895
3	जड़िद इनदिनों	477236

कोको पेट्रोल पंप

3711. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लाइसेंस या परिचालन के आधार पर कितने कोको पेट्रोल पंप दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी पेट्रोल पंप को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कोको पेट्रोल पंप आबंटित करने में नीति का पालन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) तेल विपणन कंपनियां, कंपनी स्वामित्व वाली एवं कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंप आबंटित नहीं कर रही है। उन खुदरा बिक्री केन्द्रों जो प्रचालन हेतु तैयार हैं लेकिन नियमित डीलर का चयन लंबित है, को कोको आधार पर प्रचालित किया जा रहा है। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का संबंधित तेल कंपनी के एक अधिकारी द्वारा जो बिक्री केन्द्र का पूर्णरूपेण प्रभारी है, प्रचालन किया जा रहा है। अधिकारी को श्रम सहायता ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

[हिन्दी]

साक्ष्य के रूप में टेलीफोन वार्तालाप

3712. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) के मूल स्वरूप के संबंध में टेलीफोन वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में न मानने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गये सन्देह की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'पोटा' को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ कठोर प्रावधानों को शामिल करने का है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक विशेष इजाजत याचिका फाइल की जा रही है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गोसाईगांव हाट रेलवे स्टेशन पर हाल्ट

3713. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को दक्षिण-पश्चिम जाने वाली सभी ट्रेनों के कोकराझार रेलवे स्टेशन बोडोलैंड के मुख्यालय और गोसाईगांव हाल्ट रेलवे स्टेशन पर कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की नितांत आवश्यकता और जन महत्व की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) फिलहाल, कोकराझार स्टेशन 14 जोड़ी गाड़ी सेवाओं से सेवित है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ती हैं. इसी प्रकार, 5657/5658 सियालदाह-गुवाहाटी कंचनजंघा एक्सप्रेस सहित 5 जोड़ी गाड़ियां गोसाईंगांव हाट स्टेशन को सेवित कर रही हैं. इन स्टेशनों पर वर्तमान यातायात स्तर के लिए इन्हें पर्याप्त समझा जाता है. कोकराझार में दक्षिण-पश्चिम की ओर जाने वाली गाड़ियों तथा गोसाईंगांव हाट में 5959/5960 कामरूप एक्सप्रेस के लिए अतिरिक्त ठहराव देना फिलहाल वांछनीय नहीं समझा गया है।

गेल और ओएनजीसी द्वारा आरसीएफ को गैस की आपूर्ति

3714. श्री किरीट सोमैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरसीएफ की मुंबई इकाई घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल और ओ.एन.जी.सी., आर.सी.एफ., मुंबई को पर्याप्त मात्रा में गैस प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आर.सी.एफ., मुंबई हेतु गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। आरसीएफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह अर्थात् अप्रैल से सितंबर, 2002 तक के दौरान कथित रूप से 133.47 करोड़ रुपए (अनंतिम) की हानि उठाई है।

(ग) उरण में प्राकृतिक गैस का वर्तमान आवंटन, लगभग 9.0 एमएमएससीएमडी की इसकी उपलब्धता की तुलना में प्रतिदिन 16.6 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) है, इसलिए आरसीएफ समेत सभी उपभोक्ताओं के मामले में यथा अनुपात दर से कटौतियां की जा रही है।

(घ) और (ङ) जब वर्ष 2004-05 से दहेज एलएनजी टर्मिनल से पुनर-गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएजी) उपलब्ध होगी उस समय आरसीएफ, मुंबई को गैस की अतिरिक्त आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है।

पेट्रोल पंपों पर भंडारण टैंक

3715. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पंपों पर जमीन में दबाये गये पेट्रोल संग्रहण टैंकों में भरे तेल का वास्तव में सही अंशांकन नहीं किया जाता है और उन टैंकों के निर्माण के समय ही ज्यामीतीय आधार पर उनका अंशोकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे टैंकों को जमीन में दबाये जाने के पश्चात् तेल स्तर में परिवर्तन के कारण हैं की मात्रा में परिवर्तन आने की आशंका सदैव बनी रहती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कोई अध्ययन कराया गया है जो ऐसे टैंकों में जमा उत्पाद की मात्रा में अधिकतम परिवर्तन को बता सके;

(घ) यदि नहीं, तो खुदरा विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण के समय और इनकी अनुमानित स्टाक की गणना करते समय इन दोनों उपरोक्त कारकों पर विचार न करने के क्या कारण है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं को कब तक रोक लिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) भंडारण टैंक और उनकी फिटिंग्स भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानक आयामों के अनुसार फैक्टरी निर्मित हैं और इन्हें गणितीय (रेखागणितीय रूप से) रूप मे अंशांकित किया जाता है और इन्हें वास्तविक (भौतिक रूप से) रूप से अंशांकित नहीं किया जाता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर किए गए निरीक्षण के दौरान स्टाक का मिलान टैंक स्टाकों के ±4 प्रतिशत के संचालन स्तर में अनुमेय अंतर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किसी भी प्रमाणित अनियमितता के मामले में तेल विपणन कंपनियां विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डीलरशिप करार परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करती है।

भटिण्डा रेलवे जंक्शन पर टिकट काउन्टर

3716. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि भटिण्डा रेलवे जंक्शन पर स्थित वर्तमान टिकट काउन्टर रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का टिकट काउण्टर की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किस तिथि तक इन काउन्टरों पर कार्य आरम्भ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) भटिंडा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध बुकिंग काउंटर वर्तमान मांग के स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रिडों संबंधी प्रस्ताव

3717. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच जिला क्षेत्रीय ग्रिडों की संख्या को बढ़ाकर आठ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन तीनों नये क्षेत्रीय ग्रिडों के घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय के लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) जनता को इससे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश में 5 (पांच) क्षेत्रीय पावर ग्रिड है। इस समय क्षेत्रीय पावर ग्रिडों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विरासत पर्यटन ट्रेन शुरू करना

3718. श्री कोलूर वसवनागौड : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल ने पैलेस आन हिल्स, विरासत पर्यटन ट्रेन शुरू करने के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक समझौता ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) भारतीय रेल ने महाराष्ट्र क्षेत्र में एक लग्जरी पर्यटन गाड़ी चलाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेल ने कर्नाटक में लग्जरी पर्यटन गाड़ी चलाने हेतु कर्नाटक सरकार के साथ भी एक अन्य समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को अंतिम रूप दिया है। कर्नाटक सरकार के साथ अब तक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उपरोक्त समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में यह तथ्य सम्मिलित किया गया है कि गाड़ियों को चलाने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी जबकि राज्य सरकारें गाड़ी में और गाड़ी के बाहर सभी आतिथ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए लग्जरी पर्यटन गाड़ी के डिब्बों के आवरण का उत्पादन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें

3719. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में अंतर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें डीजल और पेट्रोल पर अतिरिक्त कर वसूल रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्रों पर स्थित डीजल और पेट्रोल पंप अतिरिक्त कर लगाए जाने के कारण बंदी के कगार पर है; और

(ङ) यदि हां, तो पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण बाजार निर्धारित हो गया है, जो 1.4.2002 से प्रभावी है। तेल विपणन कंपनियां अब इन उत्पादों के मूल्य प्रचलित अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखकर नियत कर रही है। चार महानगरों में डीजल पेट्रोल तथा एलपीजी के विद्यमान खुदरा बिक्री मूल्य विवरण में दिए गए हैं।

डीजल, पेट्रोल तथा एलपीजी के बिक्रय मूल्यों में राज्य दर राज्य अंतरभिन्नता मुख्यतया माल भाड़ा घटक तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहीत करों की दरों में अंतरों के कारण होती है।

मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में पड़ोसी राज्यों अर्थात् महाराष्ट, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की तुलना में भिन्नताएं रहती है। मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में बिक्रय मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। तथापि, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में खुदरा बिक्री मूल्य मुख्यतया बिक्री कर दरों में अंतर के कारण मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

विवरण

12.12.2002 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में डीजल, पेट्रोल तथा एलपीजी के वर्तमान खुदरा बिक्रय मूल्य

	डीजल (रुपए प्रति लीटर)	पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर)	घरेलू एलपीजी (रुपए प्रति सिलेंडर)
दिल्ली	18.06	28.91	241.21
मुंबई	23.03	33.63	245.73
चेन्नई	19.83	31.45	248.19
कोलकाता	19.43	30.41	266.30

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र में गैस की खोज का प्रभाव

3720. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और कीमत के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र में केजी बेसिन आंध्र प्रदेश में गैस भंडार मिलने का क्या प्रभाव है

(ख) क्या गैस भंडार के उपयोग के बदले राज्य सरकार को रायल्टी मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हाइड्रोकार्बन झलक-2025 के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग प्रतिदिन 151 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) होने का अनुमान किया गया है, जो वर्ष 2006-07 में 231 एमएमएससीएमडी तक हो जाएगी। वर्तमान आपूर्ति लगभग 65 एमएमएससीएमडी है। पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन के अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नीको रिसोर्सिज लिमिटेड, कनाडा के परिसंघ द्वारा हाल ही में की गई गैस खोजों से, परिसंघ के अनुमानों के अनुसार, गैस की 25-35 एमएमएससीएमडी मात्रा का उत्पादन होने की आशा है। गैस आपूर्ति में अतिरिक्तता के बावजूद मांग एवं आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतराल रहेगा। इसे (क) पाइपलाइन के माध्यम से गैस तथा (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है। केजी बेसिन के अंतर्गत हाल की गैस खोजों का एलएनजी की उपलब्धता तथा इसके मूल्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

निचले असम में गुवाहाटी-धुबरी जाने वाली रेलगाड़ियों को फिर से चालू किया जाना

3721. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने निचले असम में गुवाहाटी-धुबरी जाने वाली रेलगाड़ियों को उन क्षेत्रों के परेशान लोगों के लाभ के लिए पुन: चालू करने हेतु विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) 853/854 पैसेंजगर गाड़ी कामाख्या-धुबरी के बीच 3.8.2000 तक चल रही थी। क्षेत्र में हुई गम्भीर कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण फकीराग्राम-धुबरी खंड पर 4.8.2000 से गाड़ी आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी। 22.11.2002 से यात्रा करने वाली जनता के अनुरोध पर तथा राज्य प्रशासन द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद गाड़ी का चालन क्षेत्र फकीराग्राम से सपतग्राम तक बढ़ाया गया था। सपतग्राम और धुबरी के बीच सेवाओं की बहाली राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शुरू की जाएगी।

लम्बी दूरी की रेलों में चिकित्सा सहायता

3722. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे 2001 में लम्बी दूरी की ऐसी 162 रेलों की पहचान की है जिनमें "आगमेन्टेड फर्स्ट एड बाक्सेज" के रूप में बढ़ाई गई चिकित्सा सहायता का प्रावधान रखा है;

(ख) यदि हां, तो उन रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी है जिनमें इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं;

(ग) वर्ष 2002 के दौरान कुल कितनी रेल गाड़ियों में ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी; और

(घ) सभी रेलगाड़ियों में इस तरह की सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी हां। सीमित ठहराव वाली लम्बी दूरी की 162 जोड़ी सुपर फास्ट गाड़ियों में आगमेन्टेड फर्स्ट एड बाक्सों, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयां तथा जीवन बचाने के उपकरण होते है, के रूप में बढ़ी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। चिह्नित 98 जोड़ी गाड़ियों में पहले ही आगमेन्टेड फर्स्ट एड बाक्सों की व्यवस्था कर दी गई है। 31.3.2003 तक सभी नामित गाड़ियों में आगमेन्टेड फर्स्ट एड बाक्सों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल में पुलिस की गोलीबारी में तीन किसानों की कथित मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): किसानों की लड़ाई जारी है। अनेकों किसान मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र में किसानों पर लाठियां और गोलियां चली हैं, वहां निर्दोष किसान मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)* वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा, पहले आप अपनी सीटों पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से रिस्पांस आयेगा, लेकिन आपको व्यवस्था बनाये रखनी होगी, नहीं तो कार्रवाई इस तरह से कैसे चलेगी?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे सदन में था। वहां राज्य सरकार की तरफ से मेरे पास जो जानकारी आई है, उसके अनुसार मुंडेरवा में एक आदमी की मृत्यु हुई है। जो अखबारों में छपा है कि तीन लोगों की मौत हुई है, मेरी प्रदेश सरकार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर दूर वह लाश मिली है। अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है कि क्या वह गोली से मरा है ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आप बैठ जाइये, यह प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, प्रधान मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अखबारों में साफ लिखा है कि पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों की उत्तेजना समझता हूं। जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार वहां गन्ना पैदा करने वाले किसान गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और समाचार-पत्रों के अनुसार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लेकिन मैंने लखनऊ में सम्पर्क स्थापित किया था, उनका कहना है कि पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु की बात कही जाती है, वहां से 15 किलोमीटर दूर उसका शव मिला है। हो सकता है कि वह गोली का शिकार हुआ हो या अन्य कारणों से मौत का निशाना बना हो। हम सब तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं और मुख्य मंत्री से सम्पर्क हुआ है। ...*(व्यवधान)*

आप थोड़ा समय दें—शाम 5 बजे तक का समय दीजिए। सारी जानकारी एकत्र कर के हम आपको बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पर अंकुश लगाइए। यह हमेशा हर बात पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह प्रधान मंत्री जी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, प्रधानमंत्री जी को अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के नेता उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में चर्चा हुई, वायदा किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक गन्ना किसान को उसके बकाया का एक पैसा भी नहीं मिला है और न ही उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल चालू हुई है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। हम जानकारी इकट्ठा करके सारी सूचना सदन को देंगे और अगर पुलिस का दोष है, तो हम उसको भी सजा का भागीदार बनाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अगर सरकार का दोष है, तो क्या आप सरकार को भी भागीदार बनाएंगे? *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसानों की पीड़ा को पहले सुन लें। उनकी जो व्यथा है, जो दर्द है, उसे सुन लें। आपसे हमारी विनती है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों के दर्द को दूर करें। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठा कराने का प्रयास करेंगे और सदन को अवगत कराएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में बहस हुई और यह तय हुआ था कि गन्ना किसानों का बकाया वापस दिया जाएगा, लेकिन एक पैसा भी गन्ना किसानों को वापस नहीं दिया गया है और न आज तक एक भी चीनी मिल चालू की गई है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गम्भीर बात है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गन्ने की प्राइस आज से नहीं पिछले 50 वर्षों से तय होती आई है। निगोसिएटिव प्राइस स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से तय की जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की 90 रुपए प्रति क्विंटल निगोसिएटिंग प्राइस उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से पहले से ही तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि मिल मालिक केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस 65 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गन्ने की प्राइस देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसी बात को लेकर आन्दोलन चल रहा है। इसी बात को सरकार सुन ले और उनके दुख-दर्द को दूर करे, तब तो कुछ बात बनेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी अपना जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। आप कृपया उनकी बात सुनिए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद जी, स्थगन प्रस्ताव किसानों पर गोलियां चलाने से संबंधित है। सरकार जानकारी प्राप्त करने वाली है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व अपना वक्तव्य दे देंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं आपसे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। इस पर चर्चा होने दीजिए। सरकार को इसका जवाब देने दीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती में गोली चल गई। यह मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। गन्ना किसानों की जो समस्या है वह हल नहीं होगी तब तनाव बढ़ेगा तो और क्या होगा। गन्ना किसान आन्दोलित हैं, उसे गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है, उसका चीनी मिलों पर जो बकाया है वह नहीं मिल रही है, चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में चीनी मिल मालिक किसान को गन्ने की कीमत 110 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं और हरियाणा के अम्बाला से लगा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिले का क्षेत्र है जहां का गन्ना हरियाणा के गन्ने से भी कहीं अधिक मीठा है, वहां मिल मालिक उसे 65 रुपए प्रति क्विंटल का दाम दे रहे हैं। जब हरियाणा में गन्ने का दाम 110 रुपए प्रति क्विंटल देने में मिल मालिकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, घाटा नहीं हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे मिल

मालिकों को नुकसान होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री देवगौड़ा जी को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, क्या आप इस सभा में किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा किसान को पुलिस की गोली लगने से मौत का नहीं बल्कि किसानों को मिल मालिक उनके गन्ने की कीमत नहीं दे रहे हैं, पिछला बकाया नहीं दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल नहीं चल रही है, यह है। गोली चलने के बारे में तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जानकारी इकट्ठा करा रहे हैं और शाम तक सदन को अवगत कराएंगे, लेकिन गन्ना किसानों की जो समस्या है, उनके गन्ने की कीमत की, उनके बकाया के भुगतान की, उ.प्र. में चीनी मिलें चालू कराने की, उसका तो समाधान कराइए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराष्ट्र में पुलिस ने किसानों पर ज्यादती की और उन्हें उनके घरों में जाकर पकड़ा, तब तो ये एक शब्द भी नहीं बोले और अब ये इतना बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जब इन्होंने वर्तमान प्रधान मंत्री की बात नहीं सुनी, तो हम भू.पू. प्रधान मंत्री की बात क्यों सुनें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा जी, मैंने आपको बोलने का अवसर प्रदान किया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खैरे जी, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराष्ट्र के डिगरास और सांगली में गन्ना किसानों को मारा गया तब कोई कुछ नहीं बोला। अब ये बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे तब इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* हम इनको क्यों बोलने दें? ...*(व्यवधान)* वहां किसानों ने आत्महत्यायें की उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)* 100 किसानों ने आत्महत्यायें की, तब कोई कुछ नहीं बोला। वहां इनकी सरकार है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे जी, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश रामराम जाधव जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र जी, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से चिल्लाकर, आप किसानों की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश रामराव जाधव जी, क्या अब आप अपनी सीट पर बैठने का कष्ट करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे जी, क्या आप अपनी सीट पर बैठने का कष्ट करेंगे? आप अध्यक्षपीठ को चुनौती दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र जी, उनके पश्चात् मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप बेचैन क्यों हैं? आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अपने पुराने साथी को सुनना चाहेंगे *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बोलिये, हम सुनना चाहेंगे। अगर सुनने लायक बातें होंगी तो हम उसे जरूर सुनेंगे मगर आप सुनने लायक बातें कहिये। यह पार्टी का मामला नहीं है। अब वह महाराष्ट्र की सरकार को दोष दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : यह असलियत है। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब किसान का मामला पार्टियों से ऊपर चला गया है। उसको दाम अच्छा मिलना चाहिए, जो दाम मिल रहा है, वह कम है।

मगर मुझे पता लगा है कि अदालत ने कह दिया है कि इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकते। *...(व्यवधान)* अगर यह बात सच है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बैठिए। *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह बात सच है तो फिर मिल-बैठ कर इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर अदालत का फैसला बाधक है तो हम मिल कर उसका रास्ता निकालें और गन्ने का न्यूनतम दाम क्या होना चाहिए, लाभकर न्यूनतम देने की जरूरत है, उसके बारे में फैसला करें। लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, बहस नहीं होगी, अब आप कहेंगे कि कल तो बहुस हुई थी। अब अगर बार-बार गोली चलेगी तो बार-बार बहस होगी। लोग अगर पुलिस की गोली से मरेंगे तो चर्चा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप समय तय कर दें, तब तक हम उत्तर प्रदेश से सारी जानकारी एकत्र कर लेंगे, सदन के सामने रख देंगे। आप बोलिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाधव जी, अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है। यह मामला बहुत गंभीर है। इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ समय निकाल लेंगे। इस बीच में, सरकार को जानकारी जुटा लेनी चाहिए और तत्पश्चात् वक्तव्य देना चाहिए। अब, श्री देवगौड़ा जी।

श्री एच.डी. देवगौडा : महोदय, यदि सभा में गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर अलग से चर्चा की अनुमति दी जाती है तो मैं इस समय कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

पिछले अवसर पर जब हमने इस मामले को शून्य काल के दौरान उठाया था, तब माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी ने जवाब दिया था। जब हमने किसानों की समस्याओं से संबंधित मामले को नियम 193 के अंतर्गत उठाया था, तो उस दिन भी, तो मैंने यह अपील की थी कि यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह किसानों की ऐसी समस्या है जिसका समाधान सम्पूर्ण सभा द्वारा किया जाना है। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते।

सौभाग्यवश, आप आज यहां उपस्थित हैं। आपने आश्वासन दिया है कि आप आज घटी दु:खद घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, और या तो आप या संबंधित मंत्री जी के वक्तव्य के माध्यम से इस सभा को जानकारी दी जाएगी।

जहां तक गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का संबंध है, प्रत्येक राज्य की अलग समस्याएं हैं। इसका संबंध केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी समस्या है। तो क्या हम इस समस्या को डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते का परिणाम कह सकते हैं या नहीं अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

लेकिन जब मैंने किसानों की सभी समस्याएं आपके सामने रखीं तब मैंने आपसे, यदि आवश्यक हो सभी मुख्यमंत्रियों को इस समस्या पर चर्चा करने के लिए बुलाने की प्रार्थना की थी क्योंकि यह समवर्ती सूची का एक विषय है। मुख्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री जी को इकट्ठे बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

उत्तर प्रदेश का मामला पूरी तरह से एक अलग मामला है। इसमें विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ हुई है। एक स्तर पर, उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया है। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। अब एक मुद्दे पर यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा है। मैं केवल आपके विचारार्थ इसका उल्लेख कर रहा हूं। इसका समाधान केवल न्यायालय नहीं कर पायेगा। यदि न्यायालय इस समस्या का समाधान करना चाहे तो इसे दो या तीन माह कर सकता है। यह मुद्दा वर्ष 1997 में उभर कर आया और तब से यह विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आदि में लंबित है।

मेरी आपसे अपील यह है कि उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों के बीच न्यायालयों में विभिन्न लोक हित के मुकदमों की वजह से किसान कष्ट उठा रहा है। ये सब बातें है। आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक अवश्य बुलानी चाहिए। राज्य सरकार अलग रुख अपना रही है। मैं इस मामले को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहता। ये सब बातें हो रही हैं। किसान यहां आए थे। उन्होंने किसान घाट के नजदीक आंदोलन किया था। उस दिन भी, 'शून्य काल' के दौरान मैंने यह मामला उठाया था। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था। लेकिन इसका समाधान उनके हाथ में नहीं है।

इस सदन के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप मुख्यमंत्रियों और यदि जरूरी हो तो विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाइये।

बिहार में यही स्थिति है। बिहार का मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। न्यायालय न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा नहीं हल कर सकते। इस मामले को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा हल किया जाना है ...*(व्यवधान)* न्यायालय इस समस्या का हल नहीं कर सकते।

मिल मालिक, जो स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, वे गन्ना उत्पादकों से कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 66 रुपये प्रति क्विंटल है को वे लिखित में दें। यह कारगर नहीं होने जा रहा है। अधिक फसल उत्पादन के कारण किसान पिछले दो महीनों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। कुल मिलाकर सभी जानते है कि क्या होने जा रहा है। वे दूसरी फसल यानि गेहूं उगा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में समूची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है।

यह सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है कि वे संबंधित मुख्यमंत्रियों, खाद्य मंत्री या जिसे भी चाहें बुलायें तथा समाधान निकालें। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे न्यायालय के माध्यम से मामले का समाधान न ढूंढें अन्यथा आन्दोलन और बढ़ेगा। हम किसानों को व्यर्थ में भड़काना नहीं चाहते। अत: प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्यायें उनके नेतृत्व में हल हों। यही मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री द्वारा इस आशय के वक्तव्य के बाद कि सूचना एकत्र की जायेगी, इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखने के बाद चर्चा करवाई जा सकती है। मेरे विचार से हर पार्टी के वक्ता द्वारा बोलने के बजाये हम अगले मुद्दे पर जा सकते हैं। हम सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और तब उसके आधार पर इस पर चर्चा के लिये समय निकाल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम सब इस मामले में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की सराहना करते हैं। निश्चित तौर पर इसकी प्रशंसा करते हैं कि वे जानकारी मांग रहे हैं। सूचना आयेगी और वक्तव्य दिया जायेगा।

लेकिन मुद्दा यह है कि सभा ने हर वर्ग न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या को लेकर चिंतित है। इसे विभाग द्वारा हल किया जाने वाला नियमित मामला नहीं माना जाना चाहिये माननीय प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप जरूरी है। मैं श्री देवेगौड़ा द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं कि यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री द्वारा तय किया जाना है। जितना जल्दी वे यह तय करें, उतना बढ़िया है। इस मुद्दे से कई राज्य प्रभावित हैं और यदि मामला हल नहीं किया गया तो जैसा उन्होंने अभी कहा है ऐसी ही घटनायें प्रतिदिन घटेंगी, जिनसे बचा जाना चाहिये।

अत: हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में दखल दिया है। वे इस चरण में हस्तक्षेप करें और कुछ नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलायें तथा इसे शीघ्रातिशीघ्र हल करें। यही हमारा अनुरोध है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना है, उसे तो लीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। ऐसा करने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरे क्षेत्र का गन्ना उस मिल में जाता है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस देने से इप्सोफैक्टो आपका राइट नहीं बन जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह दबाव मत डालिये। नहीं चलेगा

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना था, कह दिया, अब आपको क्या कहना है? राम नगीना मिश्र जी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने से पहले अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिये। आपको इस तरह बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने श्री राम नगीना मिश्र का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, इस तरह सभा की कार्यवाही में बाधा मत डालिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसी किसानों की विकट समस्या के बारे में जब स्वत: प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उस समय आपने किसानों की समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको कोटिश: धन्यवाद दे रहा हूं।

पहला सवाल यह है कि गन्ने की समस्या आज से नहीं है, यह रोग इतना बढ़ गया है कि कैंसर जैसा हो गया है। इस कैंसर को एक्सपर्ट प्रधानमंत्री जैसा डाक्टर हाथ नहीं लगायेगा तो कैंसर ठीक नहीं हो पायेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं और हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को गन्ने के बारे में हर चीज मालूम है।

आज वहां समस्या काफी कठिन हो गई है। एक अरब रुपए नहीं, बल्कि कई अरब रुपए, पुराने मूल्य के हिसाब, से गन्ना किसानों के बकाया हैं। तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। मेरे क्षेत्र में भी चार चीनी मिलें बंद हो गई हैं। वहां भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आज हालत यह है कि किसान कोल्हू वालों को और अन्य को अपना गन्ना 30-35 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बेच रहा है। आप मेरठ में चले जाएं, मेरे यहां चले जाएं, किसान मजबूर है, वह रो रहा है। वैधानिक संकट पैदा हो गया है। गत वर्ष 95-100 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम राज्य सरकार ने तय किया था और गन्ना सप्लाई भी हुआ था। इस समय मिल वालों ने कह दिया कि हम मिलें नहीं चलाएंगे। निजी शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 95 रुपए प्रति क्विंटल का भाव, जो गत वर्ष तय हुआ था, वह देंगे। चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इसको लेकर मेरठ में भी आंदोलन हुआ है, हमारे यहां भी हो रहा है और मिलें नहीं चल रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लाखों एकड़ जमीन पर, जहां गन्ना काटकर गेहूं बोना था, वह नहीं बोया जा रहा है। किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं।

मैं अदब के साथ कहूंगा कि राज्य सरकार ने 95 रुपए भाव कहा है, हाई कार्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा है कि राज्य सरकार को मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। गन्ने का दाम तय करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। जो भाव केन्द्र सरकार तय करेगी, वह मिलेगा, ऐसा होई कोर्ट ने कहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। किसी भी मूल्य पर किसान इस दाम पर गन्ना शूगर मिलों को नहीं देंगे। वे अपने गन्ने को आग लगाकर जला देंगे। चीनी का दाम गिर गया है। विश्व बाजार में भी चीनी का दाम स्थिर नहीं है। अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे तो किसान मारा जाएगा। आज मिलें बंद हो रही हैं इसलिए किसान के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसमें केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाएं और इसका समाधान कराएं। यह भी तय कराएं कि मिलें चलें, गोलियां नहीं चलें। इसके पहले भी गोलियां चली हैं। आज भी दिल्ली के बगल में गोलियां चली हैं। गन्ने का जो पुराना बकाया है, वह किसानों को मिलना चाहिए। सरकार को यह प्रबंध करना चाहिए कि चीनी का भी सही मूल्य मिले। आज देश में चीनी काफी मात्रा में हो गई है। आपने उसका बफर स्टाक बनाया है इसलिए पुराना बकाया तुरंत रिलीज करें। अगर किसानों को बकाया नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश का किसान मर जाएगा। आज उसकी हालत दयनीय है। हमें मालूम है कि प्रधान मंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है इसलिए यह मामला तय हो जाएगा। मैं प्रधान मंत्री जी को कोटिश: धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने किसानों के मामले में हस्तक्षेप किया है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): समस्या बहुत कठिन है। सौभाग्यवश प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। श्री देवगौड़ा और अन्य नेताओं, श्री सोमनाथ चटर्जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। हम उन सुझावों का समर्थन करते हैं। अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री जायसवाल बोलेंगे। आइये इस समस्या के समाधान के लिये दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर दृष्टिकोण अपनायें। जो कुछ कल हुआ, केवल उसके बारे में ही हमें जानकारी न हो, अपितु यह भी कि हम इस समस्या से कैसे निपटने जा रहे हैं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले पेपर ले करा दें, फिर इस पर चर्चा करा लें। हम इसलिए बैठे हैं कि पेपर ले हो जाएं। इसमें दो मिनट लगेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हमें पहले अपनी बात कह लेने दें। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। इसलिए सदन चलेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले पेपर ले करवा दें, दो मिनट में खत्म हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मेरे विचार से मंत्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह काम अध्यक्षपीठ को करना है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समस्त सभा से अपील करता हूं। सूचना एकत्रित करने के बाद, माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। उस वक्तव्य के आधार पर, हम इस मामले में चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच.डी. देवगौड़ा इस विषय पर कुछ बोलना चाहते थे; श्री राम नगीना मिश्र भी कुछ कहना चाहते थे। कुछ अन्य माननीय सदस्य भी इस बारे में बोलना चाहते हैं और मैं उन्हें इजाजत दूंगा। उसके बाद इस मामले को समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इतने दिन हो गए, जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, तब से यह सवाल उठ रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बारे में आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है, आज पहली बार लोक सभा में यह लगा है कि यह सरकार शायद गन्ना किसानों के इश्यू को लेकर थोड़ी-बहुत गंभीर हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां आकर बयान दिया। कल बस्ती में जो घटना घटी है जिसमें तीन किसान गोली से मारे गये हैं और लगभग सौ के करीब किसान घायल हुए हैं, ऐसा अखबार में आया है। तीन के 6 भी हो सकते हैं और तीन का एक भी हो सकता है। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शाम तक बयान देंगे—इश्यू यह नहीं है। सवाल इस बात का है कि पिछले दो महीनों में कई बार गन्ना किसानों को लेकर लोक सभा में बहस हुई है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान जब तक अपने गन्ने को मिल में नहीं बेचेगा, गन्ना मिलों में पिराई शुरू नहीं होगी तब तक वह गेहूं नहीं बो सकता है। आज उसकी हालत यह है कि जो मूल्य निर्धारण नवम्बर के पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए था, वह मूल्य निर्धारण आज तक नहीं हो पाया और जो बात कोर्ट में कही जा रही है, मैं आपको सच-सच बयान करूं कि कोर्ट में जो केस गया है, वह मिल मालिकों की मिलीभगत से गया है। सरकार ने कोर्ट में उतनी पैरवी नहीं की जितनी सरकार को करनी चाहिए थी। इसलिए मिल मालिकों को कोर्ट में राहत मिली और आज उसी के आधार पर गन्ना किसानों का भुगतान करने से वे कतरा रहे हैं और कहते हैं कि इस भाव में गन्ना नहीं खरीद सकते। सच्चाई यह है कि इस स्थिति में, 64-65 रुपये क्विंटल में गन्ना मिल वाले मांग रहे हैं। किसान इस भाव में गन्ना कहां से देगा? 110 रुपये का भाव हरियाणा दे रहा है। उनको 110 रुपये क्विंटल में पड़ता नहीं पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से 65 रुपये क्विंटल में शुगर मिल वाले भुगतान करने के लिए कह रहे हैंतो किसान को इस मूल्य पर कहां से पड़ता लगेगा? हालत यह हो गई है कि गन्ना किसान गन्ने को जलाने के लिए मजबूर हैं। तब तक किसान गन्ना नहीं जलाएगा तब तक वह गेहूं बोना शुरू नहीं कर सकेगा लेकिन यह सरकार इस मामले को टालती चली गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमने इसे चर्चा में बदल दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ना मिल मालिकों के साथ मिलीभगत है। इसलिए आज यह स्थिति बनी है। आज प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सभी पक्षों को बैठकर इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, यह बात बिल्कुल सच है। इसका निष्कर्ष कोर्ट नहीं निकाल सकती। सारे राजनीतिक दल और सरकारें ही इसका निष्कर्ष निकाल सकती हैं लेकिन यह फैसला एक महीने पहले करना चाहिए था। आज इस हालत में दो महीने हो गए हैं, गन्ना किसानों के गन्ने की पिराई शुरू नहीं हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर आज भी इसकी मीटिंग बुलाएंगे तो गन्ना किसानों की सरकार क्या मदद करना चाहती है, यह बात घोषित करे और गन्ना मिलों को क्या सब्सिडी देंगे, यह बताए क्योंकि गन्ना मिल वाले तो पूरी तरह से इस बात पर आमादा हैं कि हम गन्ना किसानों को वह भाव नहीं देंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है।

इस हालत में मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। 24 घंटे की देरी न की जाए। तुरंत मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। गन्ना मिल वालों को निर्देश दिये जाएं कि जो सरकार ने दर निर्धारित की है, उस दर पर गन्ने की खरीद करें, गन्ना मिल चलाएं, गन्ने की पेराई शुरू करें और किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, यहां पर रोजाना हर आठवें रोज किसी न किसी धारा के तहत यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, उसमें से कितना आज तक भुगतान हुआ है, सरकार बताए। उत्तर प्रदेश शासन से पूछे कि क्या एक भी पैसे का पुराना भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी गन्ना किसान को किया है? *...(व्यवधान)* हम लोग यहां इस पर डिबेट करते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं लेकिन न गन्ना किसानों का बकाया दिया जाता है और न ही मिलें चलाई जाती हैं। सरकार केवल बहस में ही समय निकाल देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज गन्ना किसानों के संबंध में तुरंत मीटिंग बुलाई जाए और सरकार तय करे कि कब तक गन्ना किसानों का पुराना बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा?

दूसरे मेरा कहना है कि सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस निर्धारित की है, वह किसानों को मिले और मिलें गन्ना लेना शुरू करें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी क्या बतायेंगे, हम रोज सुन रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, हमने भी नियमों के तहत नोटिस दिया है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इधर आप नियमों का पालन करते हैं?

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : किसानों के विषय में जो घटना हुई है और गन्ना किसानों के विषय में अपनी बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उन्हें मौका दिया है। उन्हें कुछ भी कहने की अनुमति न दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, इस तरह से काम नहीं चलेगा। समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ...*(व्यवधान)**

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, इन्होंने कहा है..... इस शब्द को निकाल दीजिए। आपके बारे में..... ऐसा शब्द कहना उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : हम अपनी व्यथा भी नहीं कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : व्यथा कहिए।...

कुंवर अखिलेश सिंह : कहना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह बहुत गलत है। कृपया उस शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप उस शब्द को वापस ले लें।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्हें उस शब्द को वापस लेना चाहिये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह क्या आप उस शब्द को वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं वह शब्द वापिस लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के बोलने के बाद मैं आपको अवसर दूंगा। सभा में कुछ व्यवस्था बनाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, यह क्या है? आपको क्या हुआ? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : आप किसानों के बारे में हमारी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको चेतावनी देता हूं। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : महोदय, इस बहस में श्री देवेगौडा जी ने अपनी बात कही, लेकिन यह मामला एक सूबे तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश का मामला है। बहस के दौरान कहा जा रहा है कि सरकार अभी कदम उठाए। मैं मानता हूं कि मामला गम्भीर है। बहस अभी करा दीजिए, मतलब अभी निकल जाएगा। क्या बहस से कुछ निकलने वाला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूं। मैं कार्रवाई चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणूका चौधरी, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : माननीय प्रधान मंत्री जी ने कैटेगोरिकली बहुत साफ-साफ कहा है कि इस मामले में बातचीत करेंगे कि इस सारी बात का किस तरह से समाधान किया जाए। इस पर साफ-साफ और सीधी-सीधी बात रखने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मामला उठाया गया है उसमें हम लोग भी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी पूरी जानकारी लेकर बयान किसी समय दे दिया जाएं। मैं विनती करूंगा कि इस पर बहस करनी है तो अभी शुरू की जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा माननीय देवगौड़ा जी ने कहा और मैं भी समझता हूं कि वही एक रास्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या एक्शन होगा वह हम बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव : महाराष्ट्र में भी गन्ना किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर जाधव, आप बैठ जाइये। मिस्टर अखिलेश, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में जब किसानों के सवाल पर संसद की कार्यवाही स्थगित हुई और आदरणीय प्रधान मंत्री जी सदन के अंदर 12 बजे आये, उन्होंने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज गन्ना किसान की जो समस्या है आपने उस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर इसके समाधान की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष को देखिये कि देश में जहां गन्ना पैदा होता है, वह गन्ना वहां सस्ता है और जलाने की लकड़ी महंगी है। अब मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान की समस्या पर आना चाहता हूं। गन्ना किसान का अगर 15 दिन से ज्यादा चीनी मिल मालिक पर बकाया हो जाता है तो नियम यह है कि चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसान को ब्याज देना पड़ेगा। जहां भी वे गन्ना किसान को भुगतान नहीं करेंगे, उन मिल मालकों के खिलाफ राज्य सरकारें रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेंगी। लेकिन कोई भी राज्य सरकार किसी भी चीनी मिल मालिक के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है और कहीं भी बकाया राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार यदि अपने अधिकारों का उपयोग करे तो कोई भी चीनी मिल मालिक राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है।

भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य साढ़े चौसठ रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और रिकवरी साढ़े आठ प्रतिशत के आधार पर तय की है। जब एक प्रतिशत रिकवरी अधिक बढ़ेगी तो इस हिसाब से जो दस प्रतिशत औसत रिकवरी उत्तर प्रदेश में आ रही

है उससे अधिकतम गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 75 रुपये क्विंटल मिलेगा। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने पैदा की। उच्च न्यायालय ने कह दिया कि राज्य सरकारों को गन्ने का मूल्य तय करे का कोई अधिकार नहीं है, केन्द्र जो दाम तय करेगा वही अंतिम दाम होगा। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि न्यायालय के फैसले को भी बदले और केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा गन्ना मूल्य निर्धारित करे जिससे गन्ना किसानों में आक्रोश न पनपे।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो सीमावर्ती राज्य हैं। अम्बाला और सहारनपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दो सीमावर्ती जिले हैं। अंबाला से बढ़िया और गुणवत्ता वाला गन्ना सहारनपुर का है। सहारनपुर के गन्ना किसानों को 74-75 रुपये क्विंटल चीनी मिल मालिक दाम देगा और अम्बाला के किसान को 110 रुपये क्विंटल मिलेगा और अम्बाला के मिल मालिक को घाटा नहीं होगा, जबकि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिक यह कहेंगे कि अगर हम 95-100 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम देंगे, तो हमें घाटा होगा। इससे स्पष्ट है कि यह चीनी मिल मालिकों की दोगली नीति है, दोहरा मानक है और यह किसानों को लूटने का तरीका है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उनके तर्क में दम नहीं है। यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम गिर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं गिर रहा है कि गत वर्ष के बराबर भाव भी आप किसान को न दे सकें। इसलिए आपसे विनती है कि जब आप इस पर बैठक बुलाएं तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएं। अभी कम से कम आप उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश जरूर दें कि पिछले वर्ष जो 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल का दाम दिया गया था उतना दाम वह गन्ना किसानों को अवश्य दें। ऐसा नहीं हुआ तो गन्ना किसान आंदोलित होगा, उस पर गोलियां चलेंगी और फिर यही स्थिति पैदा होगी।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ उन्हीं सदस्यों को बुला रहा हूं जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय प्रधान मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एक बैठक होगी और

[हिन्दी]

उसे आप सब लोग मिलकर तय कर लें। इसमें आप थोड़ा संक्षेप में बताइये। डिस्कशन तो इस पर होगा ही।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): इस विषय के दो पहलू हैं। एक पहलू है किसान का मुद्दा और दूसरा है गोली चलने वाला।

मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह बड़े साहित्यकार हैं। मुठभेड़ कहीं नहीं हुई है। यहां मुठभेड़ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से गए थे और उनके ऊपर गोलियां चलायी गईं जिससे तीन लोग मारे गए और सात बुरी तरह से घायल हुए जिन की हालत गम्भीर है। वहां की किसान यूनियन के नेता कैप्टन गोपाल सिंह हैं। मेरी उनसे 11 बजे यहां आने से पहले बातचीत हुई। वहां अभी स्थिति भयावह है और इसे लेकर किसानों में रोष है। आप शाम को यहां इस बारे में जवाब देंगे। जिस बर्बर तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उस सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। गोली चलाना अंतिम हथियार होता है। जिस प्रकार शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया गया, हमारी मांग है कि उसे लेकर वहां की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। प्रधान मंत्री वहां अपनी तरफ से उनसे बात करें। किसानों के मन में इतना गुस्सा है कि किसान बस्ती में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय में जवाब जरूर दें लेकिन उसे देने से पहले यह देखें कि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे जिससे वहां किसान उग्र रूप धारण न करें।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। जैसा अभी शरद जी ने कहा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एम. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): जब आप सभी को बोलने की अनुमति दे रहे हैं तो आप छोटे दलों के सदस्यों को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी से कितने लोग बोलेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : तीन लोग बोलेंगे। जिन्होंने एडजर्नमैंशन मोशन दिया है, मैंने पहले उनको बोलने का चांस दिया है।

श्री विजय गोयल : यह बहुत लम्बा डिसकशन हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का चांस दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम एडजर्नमैंट मोशन के नोटिस में नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): जितने माननीय सदस्य अभी बोले हैं, क्या उन सबका उसमें नाम है?

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्होंने एडजर्नमैंशन मोशन का नोटिस दिया है, उनके बोलने के बाद आपको चांस दूंगा। आप इतने इम्मपेशेंट क्यों हो रहे हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के मुण्डेरवा में कल गोली चली और समाचार पत्रों में यह आया है कि उसमें तीन किसान मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। प्रधान मंत्री जी, जहां तक सरकारी वर्शन का सवाल है, देवेन्द्र यादव जी के साथ जो कुछ हुआ, उसके सिलसिले में गृह मंत्री जी ने बयान देते समय कहा था कि उन्होंने पुलिस आयुक्त, गृह सचिव ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय में अभी मत बोलें और इतना लम्बा-चौड़ा भाषण न करें। हमें दूसरे विषयों पर भी डिसकशन करना है।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, वहां किसानों पर गोली चली है जिससे तीन किसान मारे गए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसी विषय पर बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : वहां के डीआईजी का अखबारों में यह बयान छपा है कि वहां किसान पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। यह अत्यधिक गम्भीर सवाल है। दो दिसम्बर से बराबर चीनी मिलों के सामने वहां के किसान शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं। अभी शरद जी ने कहा कि इस पर बहस करा लीजिए। सदन में किसानों के सवाल पर एक बार नहीं, अनेकों बार चर्चा हुई है। चर्चा का क्या मतलब है? चर्चा का मतलब यह होता है कि चर्चा होने के बाद सरकार का रवैया सार्थक हो। अब गन्ने के मूल्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी-यह एक बहुत गम्भीर सवाल है। गन्ना किसानों का जो बकाया है, वह उन्हें मिला नहीं है। चीनी मिल मालिक मिल चलाना नहीं चाहते हैं। वहां आन्दोलन एक जगह नहीं हर जगह हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 95 रुपए देंगे लेकिन आपकी सरकार ने कहा कि 65 रुपए देंगे। गन्ना किसानों के सवाल पर सरकार का जो रवैया है, मेरा आरोप है कि वह गन्ना मिल मालिकों के साथ मिली हुई है। जानबूझकर ऐसी अव्यवस्था पैदा की जा रही है। किसान अपने हक की बात करेंगे तो उन पर गोलियां चलेंगी। मैं समझता हूं कि श्री रामविलास पासवान जी ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करिये, तभी किसानों के साथ न्याय हो सकेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चल रही है कि बस्ती जिले में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। वहां किसान अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि देश में जब भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर राज्यों में या दिल्ली में कभी शांतिपूर्वक धरना या प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो राज्य की पुलिस बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियां और गोलियां चलाती है। यह उत्तर प्रदेश की पहली घटना नहीं है। इससे पहले ईख के दामों को लेकर महाराष्ट्र में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पुलिस ने घरों में घुस-घुस कर किसानों की पिटाई की थी, जिसके कारण सौ से ज्यादा किसान घायल हो गये थे और पूरे गांव को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी स्थिति में देश के किसानों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी सुमन जी चर्चा कर रहे थे, यहां श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी घायल अवस्था में बैठे हुए हैं। जब बिहार के किसान अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आये तो दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक श्री यादव जी और किसानों की पिटाई की। इस तरह से देश में किसानों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्यों की पुलिस किसानों पर लाठी और गोलियां चला रही हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी अध्यक्षता में सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक करके उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करें, ताकि किसानों पर इस तरह से लाठी और गोलियां न चल सकें।

दूसरा सवाल है कि माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये, मैं वह नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी अलग-अलग राज्यों में किसानों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। जहां तक ईख के किसानों का सवाल है। अभी मिलों की बात चल रही थी। मैं यह सूचना के रूप में देना चाहता हूं कि मरहौरा में चीनी मिल सात-आठ साल से बंद है और करीब सात करोड़ रुपया वहां के किसानों का दस साल से बकाया है। जिसके कारण वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस तरह

देश के हर एक प्रांत में अलग-अलग समस्याएं हैं। बिहार में प्रोक्योरमैन्ट की समस्या है। शरद जी बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि वह शायद उत्तर देंगे। बिहार में जो किसान अन्न पैदा करते हैं, उसे खरीदने के लिए एक भी टेंडर नहीं खुल पाया है। शरद जी भाषण देते हैं, बिहार सरकार भी भाषण देती है। भाषण सुनकर तथा अखबारों में बयान पढ़कर किसान निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इन दोनों समस्याओं पर ध्यान दीजिए और निरंकुश पुलिस तथा राज्य सरकारों पर आप अंकुश लगाने का काम कीजिए। इसके साथ ही किसानों की एक-एक समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बैठक करके किसानों के ईख के सवाल तथा बिहार में प्रोक्योरमैन्ट के सवाल को हल करने की कृपा कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पचास वर्षों से परिपाटी है कि केन्द्र सरकार गन्ने का स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस तय करती है और तदनुसार राज्य सरकार, किसानों के प्रतिनिधि तथा मिलमालिक तीनों बैठकर निगोशिएटिंग प्राइस तय करते हैं। यह परिपाटी पचास वर्षों से हैं। हमारे बिहार में परिपाटी थी कि जो उत्तर प्रदेश मूल्य तय करता था, उसी के बराबर बिहार भी मूल्य करता था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से विकट परिस्थिति पैदा हो गई है और हिसाब लगाने से पता लगता है कि स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस 64-65 रुपये अभी केन्द्र सरकार ने तय किया जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 89-90 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय होता, जो परिपाटी है। लेकिन मिलमालिक कहते हैं जो स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस है, उससे अधिक नहीं देंगे। यानी कि वे 30-35 रुपये का फर्क कर रहे हैं। इस पर तमाम गन्ना किसानों में कोलाहल और आंदोलन मचा हुआ है। सीतामढ़ी में जो चीनी मिल है, वहां किसानों ने गन्ना जलाने का काम किया। वहां मिल भी देर से चालू हुई और 15 चीनी मिलें बंद हो गई और किसानों का बकाया रह गया। ये सारी समस्याएं गन्ना किसानों की हैं। हम लोग सवाल उठाते हैं, संसद में चर्चा हो जाए। चर्चा हो जाती है, लेकिन चर्चा के आगे कुछ नहीं होता है, उधर से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार कोई रेस्पांड नहीं करती। इसके कारण समस्याएं बनी हुई हैं। कोई नई समस्या नहीं है जिसकी जानकारी लेनी हो। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से बराबर सदन में यह सवाल बार-बार उठा है कि गन्ना किसानों की समस्या और अन्य समस्याओं के प्रति सरकार सजग नहीं है। इसलिए आन्दोलन होगा, गोली और लाठी चलेगी। किसान सड़कों पर आएगा, आन्दोलन करेगा, कोलाहल मचाएगा। अगर यह नहीं करेगा, तो किसान क्या करेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार कार्रवाई करे। केवल बहस से कुछ नहीं होगा। बहस ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान निकले और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

महोदय, चीनी का 20 हजार मीट्रिक टन का बफरस्टाक बनाने की सरकार ने घोषणा की है। उसी से चीनी मिल मालिकों को हजारों करोड़ का फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से सरकार ने चीनी मालिकों के हित में एक निर्णय लेकर सैकड़ों करोड़ रुपए शुगर डैवलपमेंट फंड से दे दिए। बैंकों से चीनी मिल मालिकों को सैकड़ों करोड़ रुपए के कर्ज सस्ती ब्याज और आसान किस्तों पर दिला दिए। जो भी फैसला सरकार कर रही है वह धड़ाधड़ मिल-मालिकों के हित में ही किए जा रही है और गन्ना किसानों की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसी के चलते यह कोलाहल मच रहा है। किसान आन्दोलन कर रहे हैं, वे परेशान हैं। उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : उपाध्यक्ष जी, अभी गन्ना किसानों के ऊपर पूरा सदन चिन्तित है और मैं इस देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गम्भीर प्रयास प्रारम्भ किए हैं। हम सब की और अटल जी की राय है कि गन्ना किसानों की समस्या और गन्ने की प्राइस का मामला केवल एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। इस देश में सबसे ज्यादा गन्ना किसान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा गन्ना किसान की बदतर स्थिति है। अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को 65 रुपए प्रति क्विंटल मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिलने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने एक टन गन्ने के 540 रुपए भुगतान करने का फैसला किया है। इस प्रकार से यदि देखें तो महाराष्ट्र में 54 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मिलने वाला है। हरियाणा सरकार गन्ने के किसानों को हरियाणा में 110 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने गन्ना किसानों को 65 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है और महाराष्ट्र सरकार केवल 54 रुपए प्रति क्विंटल ही अपने गन्ना किसानों को भाव देने वाली है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है।

महोदय, किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र में गन्ना किसान नेता विट्ठल पटेल के नेतृत्व में जनान्दोलन चलाया था। पुलिस ने अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट के सांगली और डिगरस में किसानों पर लाठी चलाई और केवल लाठी ही नहीं बल्कि चलाई बल्कि जो बूढ़े लोग थे उन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया और जो महिलाएं थीं उनके गले का मंगलसूत्र छीना गया। मंगल सूत्र महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

प्रकार से पुलिस ने महाराष्ट्र में महिलाओं का सौभाग्य छीनने का काम किया। महाराष्ट्र में तो पुलिस ने उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अत्याचार गन्ना उत्पादकों पर किया था।

महोदय, इस प्रकार से महाराष्ट्र का गन्ना काश्तकार नहीं बचेगा और यदि महाराष्ट्र का गन्ना किसान नहीं बचेगा, तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के गन्ना किसानों के लिए एक नीति बनाइए। हालांकि सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई नतीजा नहीं निकला।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी तथ्यों का पता लगाने के बाद सभा में वक्तव्य देकर यह स्पष्ट कर दिया है। हम इस मामले पर कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं और जितना जल्द हो इस मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं।

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जायेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6358/2002]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6359/2002]

(ग) (एक) मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6360/2002]

(घ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6361/2002]

(2) छावनी बोर्डों के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6362/2002]

(4) (एक) 'सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए समझौता' के बारे में सर्वश्री आर.एस. पाटील और चाडा सुरेश रेड्डी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7510 के 16 मई, 2002 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि किए जाने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6363/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): महोदय, मैं श्री के. जना कृष्णामूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6364/2002]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) 'राइटस' लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 'राइटस' लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6365/2002]

(ख) (एक) 'इरकॉन' इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 'इरकॉन' इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6366/2002]

(ग) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6367/2002]

(घ) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6368/2002]

(2) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति संवर्गों में आरक्षित रिक्तियों में उन्हें नियुक्त किये जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6369/2002]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (उद्घोषक के पद) सेवा विनियम, 2002 जो 13 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ, संख्या एन-10/18/2001-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) हिन्दी अधिकारी सेवा विनियम, 2002 जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/6/2001-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(3) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ सिविल निर्माण स्कंध पद) सेवा विनियम, 2002 जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/10/2001-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(4) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासनिक तथा संबद्ध पद) सेवा विनियम, 2002 जो 21 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/10/2001-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6370/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2002 जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मोटर स्प्रिट एंड हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन तथा कदाचार का निवारण) (संशोधन) आदेश, 2002 जो 16 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6371/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 156 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6372/2002]

(ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6373/2002]

(ग) (एक) बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6374/2002]

(घ) (एक) बीक्को लॉरी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीक्को लॉरी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6375/2002]

(ङ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6376/2002]

(3) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6377/2002]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम (पहला संशोधन), 2002 जो 29 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/1(21)/2001/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6378/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6379/2002]

अपराह्न 1.01 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.01¼ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

(एक) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2002-03 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2002-2003 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(तीन) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2002-2003 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(चार) "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002" से संबंधित सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं-

(एक) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति (2001) (तेरहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2001) (तेरहवीं लोक सभा) के, की-गई-कार्यवाही संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(तीन) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2001) (तेरहवीं लोक सभा) के, की-गई-कार्यवाही संबंधी अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 1.02¼ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) एक सौ तेईसवां और एक सौ चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बली राम कश्यप (बस्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रमशः शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 और घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ तेईसवें और एक सौ चौबीसवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तता अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य का अभिलेख

श्री बली राम कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसकी जांच के लिए आसन के निर्देशानुसार एक समिति बनायी गई थी। वहां पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई थी। हम जानना चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका ही नाम बुला रहा था।

[अनुवाद]

मैं इस संबंध में उन्हें वक्तव्य देने के लिए पहले ही कह चुका हूं।

अपराह्न 1.03 बजे

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति के सभापति द्वारा टिप्पणी

प्रारंभिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर 9 दिसम्बर, 2002 को

नई दिल्ली में हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति का सभापति, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर, जब वे बिहार में बाढ़/सूखे की अनवरत समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग करने हेतु आयोजित किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, हुए हमले की घटना के संबंध में प्रारंभिक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करता हूं।

समिति ने 11.12.2002 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि इस मामले में आगे कोई कदम उठाये जाने से पूर्व इस मामले में तथ्यात्मक टिप्पणी, जो गृह मंत्रालय से मंगवाई गई है तथा सचिवालय द्वारा प्राप्त की जानी है का अवलोकन किया जाना चाहिए।

समिति की आज हुई बैठक में यह महसूस किया गया कि इस मामले की विस्तृत जांच किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसमें मामले से जुड़ी संगत सामग्री की जांच, वीडियो कैसेटों का अवलोकन तथा अन्य उपलब्ध जानकारी का अवलोकन करना अपेक्षित होगा। समिति को उन संबंधित पुलिस अधिकारियों का, जो उक्त घटना के समय ड्यूटी पर थे तथा अन्य साक्षियों का साक्ष्य भी रिकार्ड करना होगा।

अत: समिति यह सिफारिश करती है कि इस मामले में पारदर्शी तथा निष्पक्ष जांच करने हेतु यह उचित होगा कि श्री मनोज लाल, पुलिस प्रभारी को समिति द्वारा अपनी जांच पूरी किए जाने तक निलंबित रखा जाए। तथापि, समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि समिति की उपरोक्त सिफारिश को यह नहीं समझा जाए कि संबंधित पुलिस अधिकारी दोषी पाया गया है।

अपराह्न 1.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दाभोल विद्युत परियोजना को आरंभ किए जाने में हुए विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 13-'अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय' को लेगी।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

> "दाभोल विद्युत परियोजना को आरंभ किए जाने में हुए विलंब, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों, विशेषकर महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति की कटौती में वृद्धि हुई है और ग्रिड फेल हो रहे हैं के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में दाभोल पावर परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार (पी.पी.ए.) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) और दाभोल पावर कं. (डी.पी.सी.) के बीच हुआ। एनरॉन और उसके सहयोगियों द्वारा विशेष प्रयोजनार्थ इस कंपनी की स्थापना की गई थी। परियोजना का चरण-1 (740 मेगावाट) मई, 1999 में चालू हुआ और यह एम.एस.ई.बी. को बिजली आपूर्ति कर रहा था। डी.पी.सी. तथा एम.एस.ई.बी. के बीच विवाद के कारण चरण-1 मई, 2001 में बंद हो गया और चरण-2 (1444 मेगावाट) का निर्माण कार्य आस्थगित हो गया। विद्युत खरीद करार की दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है। भारतीय वित्तीय संस्थानों की ओर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (आई.डी.बी.आई.), जो परियोजना में ऋणदाता के रूप में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय ने एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया है जिसने 2.4.2002 को सम्पत्तियों को अधिकार में ले लिया। कोर्ट रिसीवर ने सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण कार्य मै. पुंज लायड को सौंपे हैं।

2. कानूनी विवाद के निपटान में लगने वाले अधिक समय और संयंत्र स्थल पर सम्पत्तियों व उपकरणों को नष्ट होने से बचाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दाभोल परियोजना की समग्र पुन: संरचना और कानूनी मुद्दों का समाधान लंबित रहने तक अंतरिम आधार पर ओ एंड एम (प्रचालन व अनुरक्षण) ठेकेदार के रूप में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के साथ चरण-1 को पुन: आरंभ करने का प्रयास किया है। भारत सरकार द्वारा निम्नांकित प्रयास किए गए हैं:-

(क) महाराष्ट्र सरकार और एम.एस.ई.बी. को आई.डी.बी.आई. के नेतृत्व में ऋणदाताओं से फेज-1 से विद्युत खरीद की सेवा शर्तों को तय करने की सलाह देना।

(ख) ऋणदाता संस्थाओं को बकाया ऋणों की पुन: संरचना करने और टैरिफ कम करने के लिए अपेक्षित वित्तीय पुन: इंजीनियरी करने की सलाह देना।

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

(ग) ओ एंड एम ठेकेदार के रूप में ऋणदाताओं की ओर से संयंत्र का प्रचालन करने के लिए एन.टी.पी.सी. को प्रेरित करना।

(घ) चरण-1 को पुन: आरंभ करने के लिए एन.टी.पी.सी. को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उपकरणों की मुख्य आपूर्तिकर्ताओं मै. जी.ई. और ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) ठेकेदार मैसर्स बैकटेल को सलाह प्रदान करना।

(ङ) ईंधन की लागत में कमी करने की संभावनाएं तलाश करना जिससे कि टैरिफ में कमी लाई जा सके।

(च) संयंत्र (प्लांट) की स्थिति के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एम.एस.ई.बी., आई.डी.बी.आई., बैकटेल, एन.टी.पी.सी. एवं सी.ई.ए. के अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन।

3. उपरोक्त प्रयासों के कारण सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हासिल हुई है। संयुक्त टीम ने संयंत्र का मुआयना कर इसके सामान्य अनुरक्षण एवं प्रतिरक्षण (प्रिजर्वेशन) कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है। हालांकि टीम ने कहा है कि विभिन्न उपस्करों एवं सुविधाओं की आंतरिक स्थिति का आकलन केवल देखकर नहीं किया जा सकता है और इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यापक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4. महाराष्ट्र सरकार ने भी एम.एस.ई.बी. को दाभोल विद्युत परियोजना चरण-1 से 83% के संयंत्र भार घटक (प्लांट लोड फैक्टर) पर 2.80 रु. प्रति यूनिट की दर से विद्युत खरीदने के लिए अनुमति देने के आशय से अपना निर्णय उन्हें ज्ञापित कर दिया है। यह प्रबंध अस्थाई रूप से और एक वर्ष के लिए होगा और तदर्थ होगा तथा इस प्रबंध से एम.एस.ई.बी./महाराष्ट्र सरकार से लंबित मध्यस्थता/न्यायिक/महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग संबंधी कार्यवाई में एम.एस.ई.बी./महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों एवं दावा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि ऊपर बताई गई विद्युत की दर एवं मात्रा एम.ई.आर.सी. के अनुमोदन पर निर्भर है। टैरिफ में नाफ्था का मूल्य भी शामिल होगा।

5. आगे उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) एम.एस.ई.बी. एवं ऋणदाताओं को प्रस्तावित अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एम.ई.आर.सी.) के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करनी होगी।

(ख) आई.डी.बी.आई. के नेतृत्व में ऋणदाताओं को चरण-1 को पुन: आरंभ करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु मुंबई उच्च न्यायालय/कोर्ट रिसीवर के पास जाना होगा।

(ग) आई.डी.बी.आई. (एन.टी.पी.सी. की सहायता से) को जी.ई./बेकटेल के तकनीकी कार्यों की गुंजाइश को अंतिम रूप देना होगा और वाणिज्यिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(घ) आई.डी.बी.आई. को एन.टी.पी.सी. के साथ इसके द्वारा ओ. एंड एम. कॉंट्रैक्टर के रूप में कार्य करने हेतु वाणिज्यिक व्यवस्था को अंतिम रूप देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र में जो विद्युत की आपूर्ति है, उसका स्पष्टीकरण मैं यहां पर करना चाहता हूं:

6. राज्य के भीतर विद्युत की आपूर्ति व वितरण सम्बन्धित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की वरीयता का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न स्रोतों से विद्युत की कुल उपलब्धता को दृष्टिगत रख कर किया जाता है। अप्रैल से अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में ऊर्जा की कमी और व्यस्ततमकालीन कमियां क्रमश: 12.9% और 18.6% थीं। देश के सम्बन्ध में यही आंकड़े क्रमश: 9.3% और 14% हैं।

7. महाराष्ट्र की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 13,180 मेगावाट है। पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वर्तमान आबंटन 2125 मेगावाट किया गया है, जिसमें अन्य राज्यों से हस्तांतरित भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य को पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से 11%, मतलब 87 मेगावाट, विद्युत आबंटित की गई है।

8. एम.एस.ई.बी. के अनुसार राज्य में व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान इसके स्वयं के विद्युत उत्पादन, केन्द्रीय क्षेत्र के हिस्से और सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, ये 24 नवमबर, 2002 तक के आंकड़े हैं, माहों के लिए पड़ौसी क्षेत्रों की सहायता से कुल औसत उपलब्ध क्रमश: 9934 मेगावाट, 10,713 मेगावाट और 10,863 मेगावाट थी, जबकि औसत मांग क्रमश: 11,129 मेगावाट, 12,286 मेगावाट और 12,314 मेगावाट थी, जो क्रमश: 1195 मेगावाट, 1573 मेगावाट और 1451 मेगावाट कमी का द्योतक है।

9. एम.एस.ई.बी. ने कमी को पूरा करने के लिए निम्नांकित उपाय किए हैं, जो एम.एस.ई.बी. ने जानकारी दी है, मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं।

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय रूप से 4 घंटे के ब्लॉक में 0600 बजे से 2200 बजे तक 1650 मेगावाट की नियोजित लोड शेडिंग और शहरी क्षेत्रों में चक्रीय रूप से तीन घंटों के ब्लॉक में सुबह 900 बजे से 1800 बजे तक 450 मेगावाट की नियोजित लोड शेडिंग की है।

(2) क्रमश: 0.3 सेकंड और 0.4 सेकेंड विलम्ब के लिए प्रत्येक 48.2 हर्टज और 48.0 हर्टज फ्रीक्वेंसी पर 340 मेगावाट का लोड प्राप्त करने के लिए और तत्कालीन रूप में 47.9 हर्टज पर 415 मेगावाट लोड रिलीफ प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिक अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है।

(3) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों और एक्सप्रैस फीडर वाले उद्योगों को उपरोक्त लोड शेडिंग कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।

(4) लोड शेडिंग के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति बाधा को न्यूनतम रखा जाता है। लोड शेडिंग अवधि के दौरान उपस्करों का अनुरक्षण किया जाता है, ताकि इस कारण उपभोक्ताओं को कोई बाधा उत्पन्न न हो।

10. महोदय, 10वीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की विद्युत मंत्रालय की एक महात्वाकांक्षी योजना है, जिससे 22,832 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रीय क्षेत्र में होगी, 11,157 मेगावाट राज्य क्षेत्र में तथा 7,121 मेगावाट निजी क्षेत्र में की जानी है। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं, जिसका महाराष्ट्र भी एक घटक है:

(1) पश्चिमी क्षेत्र में दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 2480 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव है। इसमें महाराष्ट्र राज्य भी भागीदार होगा।

(2) देश में इस समय उपलब्ध उत्पादन क्षमता के सदुपयोग के लिए एक राज्य व क्षेत्र से दूसरे राज्य व क्षेत्र में विद्युत स्थानांतरण के लिए अंतर क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्क तंत्र का सुदृढ़ीकरण 220 के.वी. क्षमता की बुधीपदार-कोरबा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत स्थानांतरित की जा सकेगी। 400 के.वी. क्षमता की रायपुर-राऊरकेला तक की डबल सर्किट लाइन कार्य पावरग्रिड द्वारा किया जा रहा है। यह डबल लाइन दिसम्बर, 2002 जनवरी, 2003 तक शुरू हो जाएगी। इस लाइन के शुरू होने पर पूर्वी क्षेत्र से 800-1000 मेगावाट विद्युत पश्चिमी क्षेत्र को स्थानांतरित किया जाना सुगम हो जाएगा जिसमें महाराष्ट्र की भी भागीदारी होगी।

(3) विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार तथा पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाने के लिए उप पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण। इस कार्य के लिए राज्यों को ए पी डी आर पी योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पुराने और जर्जर उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और उनका जीवन विस्तार। इन कार्यों के लिए पी एफ सी और आर ई सी द्वारा "त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम" (ए जी एंड एस पी) के तहत पावर यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी सहित ऋण उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) ऊर्जा दक्षता संवर्धन, मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय किए जाने हेतु सहायता।

(6) 11वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना तथा पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण ताकि जिन क्षेत्रों/राज्यों में अतिरेक विद्युत है वहां से विद्युत अभाव से ग्रस्त राज्यों को विद्युत स्थानांतरित किया जाना सुगम हो सके।

उपाध्यक्ष जी, किरीट सोमैया जी ने जो ध्यानाकर्षण किया है और प्रश्न पूछे हैं, मैंने उन प्रश्नों का यहां विस्तार में उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत विस्तार में दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: बहुत विस्तार में जवाब दिया है। मुझे अपेक्षा है कि इसके बाद और कोई सवाल इस पर उठाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने काफी सुंदर और विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके प्रयासों का स्वागत है, लेकिन इसके पश्चात भी राज्य में डाभोल पावर प्रोजेक्ट प्रारम्भ न होने के कारण या बंद होने के कारण या अन्य कारण

[श्री किरीट सोमैया]

आपने बताए कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, इन तीन महीनों में जो लोड शैडिंग, पावर शार्टेज है। पावर शार्टेज है और प्रतिमाह 1650 मेगावाट लोड शेडिंग को योजना यह आपने दिए हुए आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में और देश के अन्य भागों में दिन में छः से आठ घंटे तक बिजली नहीं आती।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): 12 घंटे तक नहीं आती।

श्री किरीट सोमैया: जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि इतने घंटे बिजली गुल रहती हैं। इस वजह से किसान त्रस्त हैं। उद्योगों में भी ले आफ है, इंडस्ट्रीज बंद होने के आसार पैदा हो गए हैं। बिजली की इतनी कमी जो है, उसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? आपने चार पन्नों का जवाब बहुत सुंदर ढंग से दिया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम क्या है यह जो पावर शार्टेज है, उसको दूर करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ किस प्रकार से, कितने महीनों के अंदर यह समस्या दूर कर लेगी? राज्य सरकार को जो असिसटेंस गाइडेंस, जो मदद केन्द्र सरकार से चाहिए, वह आप दे रहे हैं। राज्य सरकार उसका किस प्रकार से उपयोग करने जा रही है? मंत्री जी ने पांचवें पैराग्राफ में लिखा है:

निम्न को सम्मिलित करने के लिये आगे कदम उठाये जायें।

उन्होंने ए, बी, सी, डी बताया। उसमें एम.सी.पी. के बारे में है कि एनइआरसी से अंतरिम आर्डर लेना पड़ेगा। वह आर्डर कितने दिन में लेंगे और क्या राज्य सरकार ने एनइआरसी को एप्लाई किया है? जो लैंडर्स हैं, फाइनेंशियस इंस्टीट्यूशंस हैं,

[अनुवाद]

उन्हें मुम्बई उच्च न्यायालय में जाना होगा। यदि वे वहां पहुंचे हैं तो स्थिति क्या है? समस्या कब है और कैसे हल होगी?

[हिन्दी]

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें और लिखा है कि आई.डी.बी.आई. और एन.टी.पी.सी. को साथ में मिलकर इसको हैंडल करना पड़ेगा। मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि इसमें यह बताया गया:

[अनुवाद]

इसमें दस से अधिक एजेन्सियां सम्मिलित हैं। राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय है और उसके अंतर्गत एम.एस.ई.बी. और एम.ई.आर.सी. है। राज्य सरकार का वित्त मंत्रालय भी है। भारत सरकार का भी विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। इसी तरह अनेक वित्तीय संस्थान हैं। इसी प्रकार एनरान, अमेरिकन कम्पनी, डाभोल, कोयला कंपनियां एवं अन्य हैं। अनेक एजेन्सियां हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि

[हिन्दी]

गवर्नमेंट आफ इंडिया में कौन सी नोडल मिनिस्ट्री या कोई टास्क फोर्स या कोआर्डिनेशन के लिए क्या कोई ग्रुप बनाया गया है? उसको कौन हैंडल कर रहा है या कौन हैंडल करेगा? क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार से भी आग्रह कर रही है कि

[अनुवाद]

उन्हें चाहिए कि वे एक व्यक्ति या एक एजेन्सी को नियुक्त करें। अनेक एजेन्सियों के सम्मिलित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा है।

[हिन्दी]

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि एसैट्स की मेंटेनेंस के लिए क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी जिसके कारण नैशनल ऐसैट्स वेस्टेज न हो और टैक्स री-स्ट्रक्चरिंग के बारे में सरकार का क्या कोई विचार है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति है लेकिन आपने चार या पांच प्रश्न पूछे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): वह महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने इन्हें परमिट किया।

...(व्यवधान)

श्री अनन्त गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, जो महाराष्ट्र में बिजली की कमी है, उसे राज्य सरकार ने भी कबूल किया है और उस कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार से लोड शैडिंग की जा रही है जिसका जिक्र मैंने अपने उत्तर में यहां पर प्रारम्भ में भी किया है। जो कमी को पूरा करना है, यह राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार किस प्रकार से इस कमी को पूरा करेगी, इसका जवाब मेरे लिए देना तो संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना

चाहूंगा कि इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विद्युत मंत्रालय के पास आते हैं तो निश्चित रूप से उन प्रस्तावों पर गौर किया जाता है और केवल गौर ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से राज्य सरकार को सहयोग करना मेरी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को निश्चित रूप से हम निभाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह भी राज्यों पर लागू होना चाहिए। मंत्री महोदय केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार विद्युत की कमी हो और उन राज्यों से कोई प्रस्ताव आए तो उन्हें इसी प्रकार का उत्तर देना चाहिए। मुझे आपसे केवल यही कहना है।

श्री किरीट सोमैया : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं केवल उनकी सदाशयता और समग्र दृष्टि का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसका प्रसार देश के अन्य राज्यों तक भी होना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दाभोल विद्युत परियोजना के संदर्भ में विद्युत कटौती और ग्रिड के फेल होने से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विशेषकर महाराष्ट्र का संदर्भ दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : भारत सरकार के मंत्री नीति संबंधी वक्तव्य दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई राज्य सरकार विद्युत की कमी के कारण कोई प्रस्ताव लाती है तो वह न केवल इस पर विचार करेगी बल्कि यह भी देखेगी कि इसका अनुपालन हो। मेरा कहना है कि भारत सरकार के मंत्री केवल महाराष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार का प्रस्ताव आने पर वह ऐसी ही प्रतिक्रिया करेंगे। मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि उनके उत्तर में यह सम्मिलित नहीं होगा तब आप पूछ सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मंत्री ऐसा ही होना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मेरे राज्य में भी विद्युत की कमी है। विद्युत की कमी के कारण सभी जलाशय सूख गए हैं। अपने भी यह देखा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री दासमुंशी ने उल्लेख किया कि नीतिगत मामले के रूप में मंत्री महोदय इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : केरल के जलाशयों में पानी नहीं है। सभी तालाब सूख रहे हैं। स्थिति अत्यंत गंभीर है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप नियमों से अवगत हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : केरल में स्थिति महाराष्ट्र से भी गंभीर है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप नियमों से अवगत हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में.....

श्री वरकला राधाकृष्णन : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए है। आप इसे महाराष्ट्र तक ही सीमित कैसे कर सकते हैं? यह अन्य राज्यों पर भी लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यदि स्थिति इतनी गंभीर है तो आपको भी सूचना देनी चाहिए थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनके नाम से है। इसलिए उन्होंने इस मामले को उठाया है। श्री दासमुंशी ने संगत मुद्दा उठाया है। मंत्री महोदय उत्तर देने के मूड में हैं। हम उनकी बात सुनें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे अपना मामला उठाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वह सदैव तकनीकी बातें उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री राधाकृष्णन करेल विधान सभा के अध्यक्ष थे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं अपने राज्य का मुद्दा उठा रहा हूं। वहां स्थिति बहुत गंभीर है,

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने एक तकनीकी मुद्दा उठाया है। मैंने व्यावहारिक मुद्दा उठाया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केरल के तालाबों में पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, मुझे मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहते दीजिए। क्या अब आप, अब उन्हें उत्तर देने देंगे?

श्री वरकला राधाकृष्णन: विद्युत की कमी केवल महाराष्ट्र में ही नहीं हैं। केरल में भी इसकी कमी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न यहां सदन में उपस्थित किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कमी से छुटकारा पाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम एन.टी.पी.सी. है, जो देश भर में कई प्रोजैक्ट्स चलाते हैं। अलग-अलग राज्यों के लिए प्रोजैक्ट्स एन.टी.पी.सी. द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है और एक प्रोजैक्ट्स से तीन-चार राज्यों को ऊर्जा दी जाती है। वेस्टर्न रीजन में भी एन.टी.पी.सी. के प्रोजैक्ट्स हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य की सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया था कि इस प्रकार के प्रोजैक्ट्स से लगभग 1500 मेगावाट तक अतिरिक्त ऊर्जा आपको दे सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि उस संदर्भ में राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का उत्तर आज तक नहीं मिला है। माननीय सदस्य श्री दासमुंशी जी ने यहां चिंता जताई है कि देश भर के लगभग सभी राज्यों में ऊर्जा की कमी है और हर राज्य इस कमी को महसूस कर रहा है। महोदय, आप इजाजत दें, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री दासमुंशी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से जो भी सहयोग प्रस्ताव, मदद के प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय के पास आते हैं, केन्द्रीय सरकार के पास आते हैं, तो निश्चित रूप से जो सहयोग हमें करना है, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सहयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, अब क्या आप प्रसन्न हैं?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, दाभोल विद्युत परियोजना के संदर्भ में माननीय सदस्य, श्री किरीट सोमैया जी ने कई प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह विवाद न्यायालय में लम्बित है, महाराष्ट्र विनियामक आयोग के सामने लम्बित है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो कदम इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय को उठाने हैं, भारत सरकार उन कदमों को निश्चित रूप से उठाएगी। जो योगदान और सहयोग करना है, वह निश्चित रूप से किया जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.21 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.21 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए।*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा को लेंगे। श्री पवन कुमार बंसल।

(एक) गरीबों के लाभार्थ चण्डीगढ़ में पुनर्वास कालोनियों के लिए अलग से भवन उपनियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): चण्डीगढ़ की पुनर्वास कालोनियों के मकानों में छोटी-मोटी दुकानें खोले जाने के कारण अनेक आवंटियों को जारी की गई पुनर्ग्रहण सूचना से उनमें चिन्ता एवं भय पैदा हो गया है। किसी रोजगार की अनुपलब्धता की

स्थिति में वे प्रशासन से यही आशा करते हैं कि उन्हें उनके छोटे से मकान में जीविका कमाने से रोका नहीं जाना चाहिए। पुनर्वास और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि गरीब तबके के लोगों को उन्हें आवंटित छोटे मकानों में छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने या चलाने के लिए दण्डित किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के मकानों के मिश्रित प्रयोग की अनुमति देने हेतु अलग भवन उपनियम बनाए जाएं। शहर के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने से उन हजारों बेरोजगार युवकों के प्रति अन्याय होगा उनकी कठिनाइयां बढ़ेगी और उनके काम करने के अधिकार का हनन होगा जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(दो) छत्तीसगढ़ की अरपा भैसाझाल सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत जिला बिलासपुर के अरपा भैसा-झाल परियोजना स्वीकृति हेतु लगभग 20 वर्षों से विचाराधीन तथा शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में बिलासपुर जिले के ग्राम सकरी में सरकारी कार्य के संचालन हेतु 200 आवास तथा मुख्यालय निर्माण किए गए थे। कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति कर उसे संचालित किया जा रहा था किन्तु अचानक उक्त योजना पर रोक लगा दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पुनः योजनान्तर्गत सर्वे का प्रावकलन तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गया है। प्रस्ताव विचाराधीन कर स्वीकृत किया जाए जिसके बनने से वहां के किसानों की लगभग 10 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिला बिलासपुर के अरपा भैसाझाल परियोजना (सिंचाई) की स्वीकृति अविलम्ब दी जाए।

(तीन) मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड के सुचारू कार्यकरण के लिए उसके प्रबंधन को राजस्थान सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड ऊपरी खर्चों की अधिकता, कुप्रबन्ध, न्यून उत्पादन के कारण निरन्तर घाटे में चल रहा है जबकि अन्य नमक व्यवसाय जैसे डीडवाना जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 1960 में हस्तांतरित किया गया था, लाभ अर्जित कर रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा पचभद्रा नमक व्यवसाय हर वर्ष लाभ प्रदर्शित कर रहा है और हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। सांभर साल्ट लिमिटिड न्यायमूर्ति श्री वी.वी. कृष्णामाचारी द्वारा जो अवार्ड दिया गया था, उसे भी पूरा करने में असफल रहा है। यदि इस अवार्ड को पूरा कर दिया होता तो राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता।

अतः मेरी मांग है कि सांभर नमक क्षेत्र नमक स्रोतों के पूर्ण उपयोग एवं अच्छे नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए।

(चार) झांसी तथा बरमान बरास्ता सागर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली उत्तर-दक्षिण कारीडोर लेन फोर लाइन एक्सप्रेस हाइवे मार्ग जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जायेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-26 के नाम से जाना जाता था। झांसी से लेकर सागर तथा बरमान के नजदीक राजमार्ग चौराहे पर इस मार्ग की हालत अत्यन्त खराब हो चुकी है तथा इस मार्ग का राष्ट्रीय महत्व होने के कारण यहां से होकर निकलने वाले वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। किन्तु मार्ग खराब होने के कारण वाहनों के ड्राइवरों एवं यात्रियों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। वाहनों के टूट-फूट की संख्या भी बहुत बढ़ गई है तथा डीजल एवं पेट्रोल भी अधिक उपयोग होता है। जिसके कारण जनता को दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक ओर यात्रा करने में लगने वाला समय भी ज्यादा लगने लगा है और दूसरी ओर वाहनों में टूट-फूट होने से रख-रखाव का खर्चा भी बहुत अधिक बढ़ गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग की व्यापक उपयोगिता को देखते हुए झांसी सागर से बरमान राजमार्ग चौराहे तक सड़क निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने में सहयोग करें।

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक में चीनी उद्योग के पुनरूज्जीवन के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, 24 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में चीनी के अत्यधिक उत्पादन

से किसानों के सामने आ रही समस्याओं की सूचना केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को दी है।

राज्य के गोदामों में कुल 7.43 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी का भण्डार है। इस तथ्य पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार से खुले बाजार में चीनी जारी करने संबंधी आदेश देने का अनुरोध किया गया है। चीनी नियंत्रण अधिनियम को हटाने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र के पास लंबित है।

महोदय, राज्य के 18 चीनी कारखानों में से लगभग 15 कारखानों को कुल 33.3 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई है। कुल 10 कारखाने रुग्ण चिन्हित किए गए हैं और इन कारखानों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेज दिया गया है।

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने और कर्नाटक राज्य में गन्ना उत्पादकों को सहायता देने हेतु अविलम्ब निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

(छह) तमिलनाडु के मदुरै में यात्री निवास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मदुरै एक प्राचीन और तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर है। यह भारत का एक बड़ा पर्यटक केन्द्र बन गया है। मदुरै के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता मिलने से अनेक लोगों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। गत वर्ष रेलवे ने 60 करोड़ रुपये कमाए जिसमें पर्यटकों को ढोने वाली चार्टर्ड रेलगाड़ियों से होने वाली 4 करोड़ रुपये की आय भी सम्मिलित है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार रेल मंत्री ने मदुरै जंक्शन पर 1998 में एक यात्री निवास की आधारशिला रखी थी। रेलवे के "पिंक बुक" में भी इसकी प्रविष्टि पाई गई।

तथापि, इसे अचानक हटा दिया गया और वर्ष 2000 में सारा निर्माण कार्य नवगठित भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम को सौंप दिया गया। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यह यात्री सुविधा वर्ष है। घोषणा के अनुरूप मदुरै में यात्री निवास का निर्माण शुरू किया जाए और उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ उत्तर देंगे? मेरे विचार से आप उत्तर नहीं देंगे।

(सात) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली स्टेशनों को जोड़ते हुए सर्क्यूलर रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुंटूर): विजयवाड़ा, गुंटूर और तेनाली आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण और व्यस्त रेलवे स्टेशन हैं। ये तटवर्ती आंध्र प्रदेश में यातायात के अत्यंत व्यस्त केंद्र हैं और उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना होने से हाल के वर्षों में यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि रेलवे को आंध्र प्रदेश के इन तीन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच सर्क्यूलर रेलवे प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक स्टेशन दूसरे स्टेशन से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर है। और कोई भी तीव्र गति वाली सर्क्यूलर रेल प्रणाली सड़क प्रणाली पर भीड़भाड़ कम करते हुए और प्रदूषण स्तर को नीचे लाते हुए रेलवे को बहुत अधिक यातायात प्रदान करेगी।

7054 चेन्नई एक्सप्रेस के अतिरिक्त बरास्ता गुंटूर-चेन्नई के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। वर्तमान 7054 सिकंदराबाद-चेन्नई एक्सप्रेस यात्रियों की भीड़ की मांग को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए चेन्नई के लिए बरास्ता गूंटूर दिन के समय एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने अथवा पिनाकिनी एक्सप्रेस अथवा सिरकार एक्सप्रेस अथवा जनशताब्दी एक्सप्रेस का बरास्ता गुंटूर मार्ग बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता है जो गुंटूर और इसके आसपास के यात्रियों की चेन्नई की मांग को उचित ठहराती है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगले रेल बजट अर्थात् 2003-04 में इस संबंध में कम से कम एक सर्वेक्षण कराने का आदेश दे।

(आठ) उड़ीसा में हस्तकरघा उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उड़ीसा हथकरघा वस्त्रों में टाई एवं डाई कार्य के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का हथकरघा उत्पाद, विशेषकर सम्बलपुरी हथकरघा साड़ियां और अन्य उत्पादों यथा भित्ति वस्त्र, दरवाजों और खिड़कियों के पर्दों, चादरों तथा शर्टिंग के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। देश को उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों के निर्यात के द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उड़ीसा हथकरघा की पथप्रदर्शक सम्बलपुरी वस्त्रालय हथकरघा सहकारी समिति है जो कि महात्मा गांधी के शिष्य स्व. पद्मश्री डा. कृतार्थ आचार्य द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्थापित

की गई थी। सम्बलपुर वस्त्रालय देश में हथकरघा क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रमुख सहकारी समितियों में से एक है जिसमें पच्चीस हजार से अधिक बुनकर हैं जिनमें से अधिक अ.जा. और अ.ज.जा. के समुदाय के हैं। इस संगठन की एक समय हथकरघा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश के सहकारी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण स्थिति थी। परंतु यह महान संगठन जिसकी नींव स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी अब इसका पतन शुरू हो गया है। इसकी वित्तीय दशा दयनीय है। यदि अब से उचित उपचारात्मक उपाय शुरू नहीं किए जाते हैं तो न केवल हजारों गरीब बुनकर ही सम्भ्रम में पड़ जाएंगे बल्कि देश की महान बुनाई कला भी अंधेरे में चली जाएगी।

अत: मैं भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इस संगठन के पुनरुद्धार तथा खराब स्थिति के लिए इसे सभी संभव सहायता दें।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनपद महाराजगंज भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं है जबकि कस्टम से लेकर रेलवे एवं एस.एस.बी. जैसे केन्द्रीय विभागों के कर्मचारी व अधिकारी तैनात हैं। शैक्षणिक दृष्टि से महाराजगंज जनपद अत्यन्त पिछड़ा हुआ जनपद है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराजगंज जनपद के शैक्षणिक उन्नयन हेतु महाराजगंज जनपद के अन्तर्गत कहीं भी एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए।

अपराह्न 2.34 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) सम्पत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब कार्य सूची की मद संख्या 15 पर विचार करेगी।

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह बहुत छोटा संशोधन है। यह संशोधन पट्टों को समाप्त करने की सूचना के संबंध में भ्रम को दूर करने में बहुत सहायक होगा। पट्टे दो प्रकार के होते हैं—वार्षिक पट्टा और मासिक पट्टा वार्षिक पट्टा का अर्थ है कि समाप्त करने की सूचना के लिए छ: माह के समय की आवश्यकता होती है और यदि मासिक पट्टा है तो 15 दिन की सूचना देनी पड़ती है।

सम्पूर्ण प्रश्न जो देश में सभी न्यायालयों में उठा है वह है कि सूचना को किस तारीख से माना जाए। विभिन्न व्याख्या दी गई हैं। उसके आधार पर बहुत से मामले आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया है। विधि आयोग ने भी सिफारिश की है कि जिस तारीख से छ: माह की अवधि अथवा 15 दिन की अवधि रिकार्ड की जाए उसके संबंध में कुछ निश्चितता और नियमितता होनी चाहिए।

हम सिर्फ एक विशेष समय देने हेतु कि कब से तारीख निर्धारित की जाएगी सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की कमरा 106 में संशोधन लाए हैं। संशोधन विधेयक, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, के खण्ड 2 में निम्नलिखित उपबंध किया गया है:

तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी।

केवल इस प्रश्न पर ही पूरे देश में हजारों मामले लंबित हैं। होता यह है कि यदि यह किसी दिन कम पड़ता है तो मामला चलता है। फिर, तुरन्त इसे समाप्त कर दिया जाता है। नया नोटिस जारी किया जाता है। पुन: नया मामला दायर किया जाता है। इस प्रकार हजारों मामले लम्बित हो गए हैं। अब, अवधि को तय करने से इसका समाधान होगा। जब यह संशोधन हो जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी मामलों को उचित रूप से निपटा लिया जाएगा और कोई भ्रम नहीं होगा। चूंकि यह मामला मुकद्दमों से संबंधित है इसलिए हम इसे भूतलक्षी प्रभाव भी दे रहे हैं ताकि यह विद्यमान मामलों को भी समाप्त करेगा। यह मुवक्किलों को शक्ति प्रदान करेगा। यह पट्टे की किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा। यह केवल पट्टाकर्ता को शक्ति प्रदान करेगा। यह भ्रम को समाप्त करेगा। यही संशोधन है। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करने में पूरा सहयोग करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह उचित समय पर आ रहा है। 1965 से उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने इस विशेष प्रावधान पर टिप्पणी की है और इसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। अंत में, इसका उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निपटारा किया गया। परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय विधि मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय ने कुछ गति के साथ कार्य किया है। विधि आयोग की 181वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद माननीय मंत्री ने इस विधेयक को मार्ग दिखाया है। माननीय मंत्री बहुत तेजी से इस विधेयक को लेकर आए हैं। यदि यही तेजी और सभी निर्णयों पर भी लागू हो तो काफी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह अब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच झगड़े के रूप में आ रहा है। यहां तक कि बहुत से संवैधानिक प्रावधान अनुपयुक्त और अधिकार के परे कर दिये गये थे अथवा उन्हें समाप्त कर दिया गया था परन्तु वे सभी प्रावधान अभी भी संविधि पुस्तिका में बने हुए हैं। उस पर विधि आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसे कोई मार्ग निकालना चाहिए कि क्या निर्णय को ज्यों का त्यों लागू किया जा सकता है अथवा जैसा विधायिका समझती है कि वर्तमान विधान को निर्णय को रद्द करके लागू किया जाना चाहिए। इस पहलू पर विधि आयोग और विधि मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जब मामले उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के सामने आ रहे हैं तो वे विधान की बजाय जो कि इस समय किसी संशोधन के लिए बिना है, अपना स्वयं का निर्णय देना चाहते हैं। अत: कार्यपालिका बनाम विधायिका और विधायिका बनाम न्यायपालिका के बीच यह विवाद समाप्त किया जाना चाहिए।

इन्हीं निवेदनों के साथ मैं विधि मंत्री की यह कदम उठाने के लिए प्रशंसा करता हूं। विधि मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने हेतु सामने आए हैं। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 केवल छोटे क्षेत्रों में उपयोगी है। बहुत से विधान राज्य विधानमंडलों के सामने आए हैं। किराया नियंत्रण अधिनियम, कृषि किराया नियंत्रण अधिनियम और बहुत से अन्य अधिनियमों के द्वारा उचित नोटिस देकर इन समस्याओं का समाधान किया गया था। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में एक सांविधिक नोटिस प्रदान किया गया था। परन्तु इसके साथ ही सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 वहां लागू होती है जहां कोई भवन नहीं है अथवा जहां कोई ढांचा नहीं है।

यह रिक्त स्थान या कृषि योग्य भूमि या निर्माण के लिए लागू होता है। आजकल निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब यह कानून 1882 में आया था, उस समय, निर्माण बहुत छोटे पैमाने पर होता था। लेकिन यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। यदि कोई विरोधाभासी अनुबंध किया जाता है या पट्टादाता या पट्टेदार के बीच हुए अनुबंध में समय-सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो इस प्रावधान को पट्टादाता द्वारा लागू किया जाएगा और पट्टेदार को शीघ्र हटा दिया जाएगा।

इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए और उस विशेष शब्द निर्माण (मैनुफैक्चरिंग) की और सामान्य तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि निर्माण उद्योग इस नए प्रावधान से प्रभावित न हो।

मुझे खुशी है कि माननीय विधि और न्याय मंत्री ने लंबित मामलों पर विचार किया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने आंकलन किया है, इस कानून द्वारा बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटाया जाने वाला है।

मूल अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत, अंतिम पंक्ति में "जिसका अवसान किसी अभिधृति मास के अन्त के साथ होता है" के प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ-साथ 15 दिन की सूचना सम्बन्धी प्रावधान को व्यापक बनाया गया है। 15 दिन की अवधि सूचना प्राप्ति की तिथि से शुरू होती है। यह पट्टादाता को अधिकार देता है। इसी के साथ-साथ सूचना भेजने और प्राप्त करने का प्रावधान विस्तार में दिया गया है जिसका पट्टादाता द्वारा आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। अब इसमें कहा गया है:

"उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध और उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी और उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आशयित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुम्बियों या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास पर निविदत्त या परिदत्त की जाएगी, या (यदि ऐसी निविदा या परिदान साध्य नहीं है तो) संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दी जाएगी।"

मैं समझता हूं, यह बहुत विस्तार में है। यहां कोई पंजीकृत सूचना का उल्लेख नहीं है। इसलिए, वे सूचना को आसानी से यू.पी.सी. (अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टींग) द्वारा भेज सकते हैं या वे यह कह सकते हैं कि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से दिखने वाले स्थान पर चिपका दिया था या उन्होंने इसे नौकर को दे दिया था

जिसे अभी-अभी हटा दिया गया था परिवार के उस सदस्य को जो रात्रि भोजन के लिए आया था। इसलिए, कुछ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए कि इस सूचना को पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत डाक के मामले में, एक प्राप्ति पत्र भी देना चाहिए। डाक विभाग के अलावा, प्राइवेट कूरीयर्स भी हैं जो हस्ताक्षर लेकर प्राप्ति पत्र देते हैं। सूचना प्राप्ति के समय से सीमा आरंभ होती है जिसे अब मुख्य बिंदु बनाया गया है। इसलिए, वह प्रावधान जो पहले से ही मुख्य अधिनियम में था, उसे और आधुनिक बनाया जाना चाहिए ताकि इसे उस तिथि के बाद से या समय सीमा आरम्भ होते ही स्वीकार किया जा सके।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का संशोधन लाया जाता है, नई बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब ई-कामर्स और इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम आ गए हैं और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है। इसलिए, सूचना भेजने के इन तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि सूचना भेजने की लागत को कम किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : विधि मंत्री महोदय, कृपया यह स्पष्ट करें कि ए.आई.आर. 1965 के मांगीलाल बनाम सुगनचन्द के मामले में दिए गए निर्णय का क्या होगा? पिछले 37 वर्षों में, यह निर्णय लागू है। लंबित मामलों का क्या होगा? क्या पुनः विचार का सिद्धांत यहां लागू किया जाएगा? क्या वह फिर से मुकदमा दर्ज करा सकते हैं?

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, बाद में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया, ए.आई.आर. 1665 एस.सी. 101, 104, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस विशेष विषय को निपटाया है। एक बार जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आता है, पूर्व के सभी निर्णय निरस्त हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, यह बात कही गई है कि सूचना की अवधि की गणना करते समय, जिस दिन सूचना दी गई, उसे गणना से बाहर रखने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय का यही निर्णय था। वे 'क्वीटस' दे रहे हैं। निचली अदालत में, वे 'क्वीटस' नहीं देते थे क्योंकि निचली अदालत के वकीलों और मुवक्किलों को इसकी जानकारी नहीं थी। अभी भी संदेह बरकरार है। इसे देखने के क्रम में इस आशंका को हमेशा के लिए दूर करने के लिए इस वर्तमान संशोधन को लाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि वर्तमान संशोधन किसी भी तरह से किसी निर्णय के रास्ते में आयेगा।

ऐसा इसलिए कि संसद ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि इस अवधि की गणना केवल उसी से की जाएगी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सभा को यह स्पष्ट करें कि खारिज किए गए मुकदमों का क्या होगा क्योंकि पूर्व निर्णय की नीति नया मुकद्दमा दाखिल करने से रोकेगी।

...(व्यवधान)

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : यदि इसे केवल तिथि के प्रश्न पर ही खारिज किया जा रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से, उसे नई सूचना भेजने का अवसर मिल जाता है और उसके बाद नया मुकद्दमा शुरू किया जाए। यदि इसका निर्णय गुण के आधार पर किया गया हो तो पूर्व का निर्णय लागू होगा, लेकिन यदि न्यायालय यह निर्णय देता है कि ऐसा सिर्फ सूचना के आधार पर ही किया गया था, यह उनके लिए राहत की बात है *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): यह सही सूचना नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि मुकद्दमा खारिज किया जाता है, उसे नया मुकद्दमा दाखिल करना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : माननीय सभापति का प्रश्न यह नहीं था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इस पर वाद-विवाद न करें।

...(व्यवधान)

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : इसलिए, मैंने कहा कि यह न्यायालय नहीं है। यह लोक सभा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, आपने बहुत ही बढ़िया परिपाटी शुरू की है कि जो विधेयक आया, उसमें आशंका हुई, चूंकि आप कानूनविद हैं, इसलिए असली पाइंट पर आपने सवाल उठा दिया कि सम्पत्ति अंतरण विधेयक, 1882 आया है, पुराने कानून की धारा 106 में संशोधन माननीय मंत्री जी ने लाने का कष्ट किया है और दावा किया है कि मांगीलाल बनाम सुगन चन्द मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1965 में हुआ और विधि आयोग की 181वीं रिपोर्ट के आधार पर ये विधेयक लाये हैं कि वर्षों वाला जो पट्टा होता था, उसका छः महीने के

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अन्दर नोटिस जारी करके और महीने वाले को 15 दिनों के नोटिस पर उसे बेदखल किया जा सकता था, हटाया जा सकता था। लेकिन नोटिस ही तामील नहीं हो और 15 दिन बीत जाते थे या छः महीने बीत जाते थे, क्योंकि नोटिस तामील होने की प्रक्रिया हमारे यहां बहुत जटिल है। इन्होंने कहा है कि नोटिस अपने हस्ताक्षर से भेजेगा, वह प्राप्त करेगा अथवा उसका कोई आदमी प्राप्त करेगा या उसका नौकर प्राप्त करेगा और कोई नहीं मिलेगा तो लौट आयेगा, जो नोटिस तामील करने वाला गया। फिर उसकी अवधि का क्या होगा, इसका सरकार ने प्रावधान नहीं किया, इसे भी स्पष्ट करें।

दूसरे इन्होंने कहा कि भूतलक्षी प्रभाव से हम इसे लागू करेंगे। अगर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता तो जो मामले अभी चल रहे हैं, उसमें यह कानून फिट हो जायेगा, लेकिन जो बहुत से मामले किन्हीं तकनीकी कारणों से खारिज हो गये, उसके लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर मामला टलेगा और सरकार ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि चूंकि इससे वादों की संख्या बढ़ गई थी, मामले बढ़ गये थे और बहुत से मामले तकनीकी आधार पर खारिज कर दिये गये। माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है कि विधि आयोग ने इस धारा से यह निष्कर्ष निकाला कि अनेक वाद इस विधि की स्थिति की अनभिज्ञता से फाइल किये गये हैं और ये वाद केवल इसी तकनीकी आधार पर खारिज कर दिये गये हैं। जो वाद खारिज कर दिये गये, उनका क्या होगा, इस मामले में यह विधेयक चुप है।

सरकार की जो मूल चिन्ता है कि मामले बहुत बढ़ गये थे, उससे राहत मिलेगी, इस कानून के बन जाने से मामलों की संख्या में कमी आयेगी। नोटिस तामिलात की अवधि को हटा दिया गया है, नोटिस मिलने के बाद, छः महीने अथवा 15 दिन मानी गई है तो वह ठीक है, लेकिन जो वाद खारिज हो गये, उनका क्या होगा? इसमें नोटिस तामील होने में कठिनाइयां आयेंगी और नोटिस तामील नहीं होगा तो तामील करने वाला लिख देगा कि कोई नहीं मिला तो उन मामलों का क्या होगा? इन दोनों मामलों पर सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए, नहीं तो धन का अन्तरण विधेयक है, धन के अन्तरण में कितना विवाद होता है, धन के लिए सारे झगड़े होते हैं, इन मामलों से कोर्ट कचहरी भरी रहती हैं। इसमें पट्टेदारी का है, टैम्परेरी ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी का है कि कोई जमीन लेकर उस पर खेती करे, अथवा उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई लीज पर लेता है, लीज छुड़ाने के लिए पट्टेदार अथवा पट्टाकर्ता दोनों को कहा गया है कि यह चाहें तो छुड़ा सकते हैं, वह चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए नोटिस देना होगा। नोटिस में जो तकनीकी पेंच है, उसका समाधान होगा। लेकिन इस कानून से जो तकनीकी पेंच पैदा होगा, उसका क्या होगा, इसे सरकार साफ करे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): सभापति महोदय, संपत्ति अन्तरण अधिनियम में धारा 106 के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि कब्जे के लिए मुकद्दमा चलने से पहले पट्टाकर्त्ता और पट्टेदार के बीच के संबंध को खत्म कर देना चाहिए। किराएदारी समाप्त होने से पहले उसे प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। और किराएदार को एक अवसर देना चाहिए, मकान खाली करने के लिए कहे जाने से पूर्व इस सूचना द्वारा किराएदार को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। धारा 106 के अंतर्गत बिना सूचना के किराए से खाली करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और उसके लिए भी, 15 दिन का समय दिये जाने का प्रावधान है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगीलाल बनाम सुगम चंद के मामले में वर्ष 1965 में दिए गए निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिन की गणना करते समय जिस दिन सूचना दी जाती है, उस दिन की गणना नहीं होगी और न्यायाधीश ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि यह धारा पट्टेदार के लाभ के लिए है ताकि इसकी व्याख्या करते समय पट्टेदार को अधिकतम लाभ दिया जा सके और जानबूझकर इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि पट्टेदार को अधिकतम लाभ मिल सके।

निश्चित रूप से, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यह विभिन्न अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को रोकने की ओर छोटा सा कदम होगा। लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि वह धारा, जो किराएदार के लिए लाभकारी हो, जिंसकी किराएदार के लाभ के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई थी, उसमें संशोधन किया जा रहा है। वस्तुतः इससे मालिक को लाभ होने जा रहा है। मैं यही बात कहना चाहूंगा।

निश्चय ही, विधि आयोग ने जोरदार सिफारिश की है कि मुकद्दमेबाजी की बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जानी चाहिए और उनका स्पष्टीकरण इस तरह से किया जाए कि इस सूचना से संबंधित जो कुछ भी हो, उसका निपटान किया जाए, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब उच्चतम न्यायालय ने जानबूझकर ऐसी व्याख्या की है कि यह निपटान स्थिति है और इस धारा का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए, इसका संशोधन कर, हम मकान मालिकों का पक्ष ले रहे हैं।

सभापति महोदय : ऐसा 37 वर्षों के बाद हो रहा है।

अब माननीय मंत्री जवाब दें।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, मैं अपने एक माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए सन्देहों को स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि संशोधन को उचित रूप से पढ़ा जाए तो भ्रम की आवश्यकता नहीं होगी। संशोधन 2 में कहा गया है: ''नोटिस प्राप्त होने की तारीख से शुरू होगी'' न कि नोटिस भेजने की तारीख से। जब आप रहते हैं ''नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से'' तो यह पट्टादाता के लिए है जो पट्टेदार के समापन करने हेतु प्रयास करता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह नोटिस भेजे और बताए कि नोटिस उस तारीख को भेजा गया है। इसलिए ऐसे सन्देह कि क्या व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए है अथवा नहीं, कि क्या यह उसे मिला है अथवा नहीं, हो सकता है क्योंकि संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से है। जब तक यह प्रमाण न हो कि नोटिस प्राप्त हुआ है, न्यायालय इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि नोटिस भेजा गया है।

अत: इन परिस्थितियों में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई शंकाएं ठीक नहीं हो सकती जब तक संशोधन में तारीख का उल्लेख न हो और उल्लिखित तारीख नोटिस, जब उसे भेजा गया था, के प्राप्त होने की तारीख है।

दूसरी बात यह है कि यह किसी भूस्वामी के पक्ष में नहीं है। यह संशोधन भूस्वामी का पक्ष लेने अथवा किराएदार का पक्ष न लेने के लिए नहीं लाया गया है। साधारण प्रश्न यह है जब पट्टा किया गया है, क्या यह वार्षिक पट्टा है अथवा मासिक पट्टा है—वार्षिक पट्टे में छह माह के नोटिस की जरूरत होती है और मासिक पट्टे के लिए पन्द्रह दिन के नोटिस की जरूरत होती है—क्या इसे समाप्त किया जा सकता है और क्या इसे उचित रूप से समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिए नोटिस दिया गया है। मामले आदि के सभी गुणों की जांच न्यायालय द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ न्यायालय यह देखता है कि क्या नोटिस भेजा गया है, क्या नोटिस उचित रूप से भेजा गया है और उस समय से 15 दिनों अथवा छह माह की गणना की जाएगी। इसलिए यह किराएदार अथवा पट्टेदार का पक्ष अथवा विरोध नहीं करता।

न्यायालयों के बारे में कुछ टिप्पणियों के संबंध में कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कार्यपालिका आदि के साथ टकराव कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मामला आज इस संदर्भ में इसी कारण चर्चा किए जाने वाला मामला नहीं है कि न्यायालय अपने आप में सर्वोच्च है। इसे अपने कानून की व्याख्या का अधिकार है और यदि कानून की किसी विशेष शाखा में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या के बाद संसद अपने विवेक से महसूस करती है कि संशोधन लाया जाना चाहिए तो हम सदैव संशोधन ला सकते हैं। यदि यह संशोधन कानून अथवा संवैधानिक कानून के अनुरूप है तो कोई न्यायालय इसे अलग नहीं कर सकता। इसने इसे सदैव माना है।

मैं समझता हूं, इस स्पष्टीकरण के साथ मैं इस संशोधन विधेयक के लिए अपना पूरा सहयोग पूर्ण रूप से देने के लिए इस सदन की अनुमति चाहता हूं ताकि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम में ये संशोधन पारित किए जा सकें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रशन यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.58 बजे

(दो) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[श्री के. जना कृष्णामूर्ति]

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि गलती से इसका उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 के रूप में किया गया है। यह संशोधन पहले ही किया जा चुका है। यह भाग लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 2002 है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): धन्यवाद, सभापति महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु साथ ही हमें कुछ इसकी व्याख्याएं करनी हैं जो भविष्य में आ सकती हैं और उन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त द्वारा जुर्माने का भुगतान कर दिया जाता है। यह विधेयक किसी विशेष अवधि के लिए अनर्हता प्रारम्भ करता है। यह निर्णय के आदेश की तारीख से है अर्थात् दोष सिद्धि की तारीख से है। साथ ही यदि सजा कारावास है तो यह अनर्हता अभियुक्त की रिहाई की तारीख से लागू होगी। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों में पकड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, हम भली-भांति जानते हैं कि एक सक्षम प्रतिद्वन्द्वी जो मुख्य मंत्री बन सकता है, जो पहले मुख्य मंत्री था, वह भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम अथवा पोटा आदि जैसे कानूनों की पकड़ में आसानी से लाया जा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

उन्हें जेल में डाला जा सकता है और छोटी सी दोष सिद्धि भी इसके लिए पर्याप्त है। अग्रणी सदस्यों को पोटा के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए थे और वे कारागार में थे। मान लीजिए उन्हें कुछ सजा मिलती है, एक थोड़ा सा जुर्माना भी उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि वे अपील करेंगे तत्पश्चात दूसरी अपील करेंगे अथवा मामले पर पुनर्विचार करने की अपील करेंगे। इसमें लगभग दस वर्ष लग जाएंगे। तत्पश्चात् यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है तो सजा भुगतने के लिए जेल में डाला जाएगा। जब वे जेल से बाहर आएंगे अथवा उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा तब उन्हें राजनीतिज्ञ के रूप में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कठिनाई होगी। अत: यह विधान बहुत गंभीर विधान है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

वास्तव में, इस प्रकार के कानून हम पर प्रेस अर्थात् प्रेस और प्रचार माध्यमों द्वारा थोपे जा रहे हैं क्योंकि संचार माध्यम चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ विशुद्ध आचरण वाले बनें और उनके जीवन में कोई काले धब्बे न हों। अत: वे चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ अपने को राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर किसी अन्य गतिवधि में संलिप्त न हो। तथापि, राजनीतिक गतिविधि के दौरान शक्ति संघर्ष होता है। यदि कोई व्यक्ति शक्ति चाहता है, तो जो व्यक्ति पहले से सत्ता में है, वह नहीं चाहेगा कि यह व्यक्ति सत्ता में आए। चूंकि उनके पास सत्ता होती है इसलिए चाहे वह सत्ता तीन वर्ष के लिए हो अथवा पांच वर्ष के लिए हो, तो उन्हें बहुत आसानी से साक्ष्य मिल सकते हैं। सामान्यतया, भारतीय न्यायपालिका आपराधिक मामलों में मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करती है। प्रत्येक मामले में प्रेलेखी साक्ष्य नहीं हो सकता और इसलिए अधिक निर्भरता मौखिक साक्ष्य पर होती है। मौखिक साक्ष्य का प्रबंध अथवा शिक्षण आसानी से किया जा सकता है। इस कमजोर प्रणाली में जहां न्यायिक व्याख्याएं की जाती हैं हम इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे?

हम तमिलनाडु की मुख्य मंत्री के मामले का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने अनेक मुकदमों का सामना किया है और अब किसके सिर पर तलवार लटक रही है। क्या हमें प्रेस अथवा तथाकथित बुद्धिजीवियों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं जो संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं और जो यह महसूस करते हैं कि राजनीतिज्ञों को ही विशुद्ध होना चाहिए और वे शेष लोगों की चिन्ता नहीं करते हैं। मैं किसी भी तरह उन नियमित अपराधियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं जो संसद में आ रहे है। मैं किसी भी तरह उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन साथ ही यहां यह संभावना है और हमारे समक्ष कुछ विशेष मामले हैं। इसलिए, यह संशोधन विधेयक मुसीबतों का पिटारा खोलेगा। इसीलिए इसे काफी सावधानीपूर्ण तरीकों से लागू किया जाना चाहिए ताकि शक्ति संघर्ष इसे कठोर कानून न बना दें या इसका राजनीतिज्ञों के द्वारा इस्तेमाल न किया जा सके जो कि सभ्य हैं और वे अपने तरीके से उचित जीवन बिताना चाहते हैं।

एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला जज साधारण जुर्माना लगा सकते हैं और उच्च न्यायालयों द्वारा दण्ड सुनिश्चित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर्याप्त माने जाते हैं। हम जानते हैं कि कितने राजनीतिज्ञ इन तरीकों से न्यायिक फैसलों को बदल देते थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक के कई परिणाम हो सकते हैं और इसलिए इसके लिए उचित विचार और सावधानीपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिए। मेरे वरिष्ठ साथी सोचते हैं कि यदि यह संभव हो तो इसे स्थायी समिति या चयन समिति को भेजा जा सकता है क्योंकि इसके काफी ठोस परिणाम होंगे ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): माननीय विधि मंत्री यहां बैठे हैं। तमिलनाडु से आये हैं और यह जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यह मात्र तमिलनाडु में ही नहीं हो रहा है वरन् यह बिहार में भी हो रहा है। आपको इस सारे प्रकरण को देखना चाहिए, मेरा मतलब यह स्थिति देश के विभिन्न भागों में विद्यमान है।

लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और हमें कानून बनाने का अवसर दिया है। हमें कानून बनाते समय अपने आप में और लोगों के प्रति सावधान और सच्चा बना रहना होगा। अब हमें उन लोगों, बुद्धजीवियों की राय के अनुसार नहीं चलना है जो एयरकंडीशनर कमरों में बैठे हैं और इन मुद्दों पर वाद-विवाद करते हैं और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। हमें इन सब चीजों के बारे में सावधान रहना चाहिए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, इनके भाषण के समाप्त होने पर, हमें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : यदि मैं विधेयक की व्याप्ति की नियमित तरीके से व्याख्या करूं तो शायद किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं सुझाव देता हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। जब किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई मामला हो तो अभियोजन पक्ष के लिए मुकदमा लड़ने का खर्च राज्य राजकोष द्वारा वहन किया जायेगा, लेकिन व्यक्ति को यह मुकदमा अपना धन खर्च करके लड़ना होगा जो कि अपने आप में एक कठिन कार्य है।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्तमान मुख्यमंत्री पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था और अब जब इन्होंने कार्यभार संभाला है तो वे पिछली सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध कई कदम उठा रही है। उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दायर किये जा रहे हैं। राजनीतिकों के बीच पारस्परिक युद्ध चल रहा है। भविष्य में क्या होगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बचाना चाहता हूं। परन्तु यह साधन उन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो कि इस समय यह देखने के लिए सत्ता में हैं कि लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वे इससे वंचित हैं? सपाट दौड़ के मामले में जब कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो तो वह अन्य व्यक्ति द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए ऐसे प्रयास में यह संभावना होती है कि अन्य व्यक्ति दौड़ के अंत में जीत जायें। यह होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक इसी समय मैं चाहूंगा कि जो अपराधी हैं उन्हें राजनीति में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु इस बदलाव के कारण राजनीतिज्ञों को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। इसके अत्यंत कठोर परिणाम होंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि जो लोग सत्ता में आते हैं चाहे वे केन्द्र में हों या हर राज्यों में वे पांच वर्ष तक सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता में बने रहने की इस अवधि के भीतर वे इस कानून के प्रावधानों का दुरूपयोग कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डाल सकते हैं।

ऐसी अनेक घटनाओं जो इस देश में हुई थी, के प्रति हम सजग हैं। मुझे उन लोगों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें इस देश का प्रधानमंत्री होने की क्षमता है, वे भी भ्रष्टाचार के आरोपी का सामना कर रहे थे मात्र इसलिए क्योंकि इस घोटाले में शामिल व्यक्ति की डायरी में उन लोगों के नाम लिखे पाए गए थे। उन पर कई वर्षों तक मुकद्दमे चले थे। सौभाग्यवश, राजनीतिज्ञ उच्च न्यायालयों द्वारा बरी कर दिये गए थे। अन्यथा, उनके भविष्य का क्या होता? ऐसे राजनीतिज्ञ अपने जीवन में भ्रष्टाचार के मामलों में कभी शामिल नहीं हुए।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। इसका पूरी तरह अध्ययन होना चाहिए। इसके कुछ उपाय पूर्वोपाय होने चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक कानून का दुरूपयोग किया जाता है। परन्तु हम पिछले 7 वर्षों से ऐसी घटनाओं के गवाह हैं। ऐसी घटना में अन्य स्थानों पर भी होती है। इस तरह से कानूनों के प्रावधानों का प्रयोग अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है। मेरा यह प्रश्न है। इस पर सम्माननीय सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिए चाहे वह इस विधेयक पर चर्चा और वाद-विवाद के बाद ही हो, और इसे स्थायी समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को भी और विचार के लिए भेजा जा सकता है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति जी, मैं सरकार के द्वारा लाए हुए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वे अपराधीकरण से सर्वथा मुक्त हों और जैसे अक्सर कहा जाता है कि राजनीति के अंदर माफिया एवं अपराधी गिरोह का वर्चस्व होने लग गया है। कई राज्यों में ऐसे-ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन कर विधानसभाओं, संसद के अंदर या अन्यत्र भी पहुंच जाते हैं और केवल बाहुबल के आधार पर, अपने अपराधीकरण की प्रवृतियों के आधार पर अथवा कभी-कभी

[प्रो० रासासिंह रावत]

मनी पावर के आधार पर जीत कर आ जाते हैं। यह बिल इसी दोष को दूर करने के लिए लाया गया है कि राजनीति में आने वाले लोग अपराधीकरण से मुक्त हों। देश में एक स्वर से सुना जा रहा है कि ''राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण'' और ''अपराधियों का राजनीतिकरण''—ये दोनों चीजें हमारे जनप्रतिनिधित्व की दृष्टि से घातक हैं। इसलिए मैं एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये इसे टुकड़ों में ला रहे हैं। अगर समग्र रूप से चुनाव सुधारों को लिया जाता तो उचित होता। लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ करना ही अच्छा है। इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश की परम्परा रही है कि और मैं उसका मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। राजा अश्वघोष के राज्य के बारे में पूछा गया, तो उसने अपने राज्य के बारे में कहा कि मेरे राज्य में कोई शराबी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी, कोई परस्त्रीगामी कोई दुराचारी नहीं है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन आज जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके अंदर भी अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे यहां कहा भी गया है कि ''यथा राजा तथा प्रजा''—जैसा राजा होगा, वैसी प्रजा होगी। इसलिए राजा के अंदर सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2000 लाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जब बना, तब से अब तक बहुत बार चुनाव लोक सभा और राज्य सभा के हो चुके हैं लेकिन तब से अब तक चुनावी प्रक्रिया के अंदर बहुत दोष आ चुके हैं। उनको दूर करने के लिए भी निरंतर सुधार होते रहे हैं और यह सुधार भी उसी कड़ी के अंतर्गत है। इसमें है कि किस तारीख से सजा मानी जाए और उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) ''अयोग्य घोषित किया जायेगा'' शब्दों से शुरू होने वाले तथा ऐसे दोषसिद्धि वाले शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ''अर्थात् दोषसिद्ध व्यक्ति को सजा दिये जाने पर उसे अयोग्य करार दे दिया जायेगा''।

(1) दोष सिद्ध होने की तिथि से छः वर्ष अवधि के लिए उस पर केवल जुर्माना होगा।

(2) उसके दोष सिद्ध होने की तिथि से उसे सजा होगी और वह अपनी सजा के छूटने के समय से लेकर छः वर्ष की अवधि तक अयोग्य रहेगा।

[हिन्दी]

यह सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें तीन बातें और रखी गयी हैं, सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सती प्रथा कानूनन निषिद्ध है, फिर भी कुछ लोग भावुकता में आकर सती प्रथा को बढ़ावा देने लगे हैं। राजस्थान का दिवराला कांड हो या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई सती की घटनाएं हों। जो भी सती प्रथा में अभियुक्त पाया गया है और उसके साथ-साथ उनको भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में भ्रष्ट सिद्ध हो चुका है या जिसने भ्रष्ट आचरण किया है, या किसी दूसरी तरह से पैसे का गबन किया है, उनको भी अयोग्यता की सूची में सम्मिलित किया गया है। आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भी जो व्यक्ति पोटा कानून के तहत सजा पा रहा है या जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, उनको राजनीति के अयोग्य घोषित करने के लिए यह कानून लाया गया है।

मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत साहस का कदम उठाया है। निश्चित रूप से राजनीति में पवित्रता लाने के लिए, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए, अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए, उसके दुष्परिणामों से रोकने के लिए इस प्रकार का कानून अत्यंत आवश्यक था। ऐसे कानून का सबको स्वागत करना चाहिए।

मैं इस संदर्भ में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। चुनाव सुधारों के संबंध में दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट आई थी। उसने कहा था कि रिप्रैजैंटेशन एक्ट के अंतर्गत ये संशोधन होने चाहिए। इसके बाद भी इस संबंध में कई कमेटियां बन चुकी हैं और उन्होंने कई सुझाव दिए लेकिन उन सारे सुझावों को अभी लाया नहीं गया है। चुनावों में कितना खर्चा होना चाहिए? चुनावों में खर्चा बहुत होता है। निर्वाचन आयोग को केवल दिखाने के लिए उसकी सूचना दी जाती है। चुनावों में खर्चा ज्यादा करके वे लोक सभा और विधान सभा में आते हैं। जैसे दूसरे देशों में उन्हें राजकोष से पैसा दिया जाता है, वैसे यहां भी दिया जाए ताकि अनावश्यक खर्चा न हो। दिनेश गोस्वामी आयोग की सिफारिशों को सरकार जल्दी लागू करे ताकि चुनावों में पवित्रता आए। यह अपराधीकरण से मुक्ति वाला मामला है। ''जैसा खाएंगे अन्न, वैसा बनेगा मन, जैसा पीएंगे पानी, वैसी बोलेंगे वाणी, जैसा करेंगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा होगा आचार, वैसा बनेगा विचार, जैसी होगी मति, वैसी होगी जीवन की गति, जैसा जानेंगे श्रेष्ठ धर्म, उतना होगा श्रेष्ठ कर्म, जितनी जानेंगे नीति, उतनी अच्छी होगी जीवन की रीति, जैसी होगी करनी, वैसी पार उतरनी।''

इन सिद्धान्तों के आधार पर और राजनीति में पवित्रता लाने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में ये संशोधन बहुत जरूरी हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अब यह विवाद समाप्त होना चाहिए कि

कब से उन्हें अयोग्य माना जाए? इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन से जुर्माना है, उसे कौन से समय से अयोग्य ठहराया जाएगा और जिसे कारागार की सजा दी गई है उसे 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। वह जेल से रिलीज होने के 6 साल तक और जुर्माना होने पर छः साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं एक बार पुनः सरकार को बधाई देता हूं कि वह चुनाव सुधार संबंधी नियमों में धीरे-धीरे संशोधन कर रही है। धीरे-धीरे करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि रिप्रैजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट पूरी तरह इतना सशक्त हो जाएगा कि कोई अपराधी राजनीति में आने की हिम्मत नहीं करेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि जब आपने विधेयक पर बोलने के लिए मेरा नाम पुकारा था उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

सभापति महोदय : यह ठीक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

महोदय, मैं इस विधेयक पर सरकार को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस आलोचनात्मक समर्थन का मतलब यह नहीं है कि हम विधेयक पर प्रश्न लगा रहे है। हम इस विधेयक के समर्थन के लिए अति गंभीर है। हम आज की आवश्यकता को समझने के लिए गंभीर है। इस संशोधन को लाने के लिए हम सरकार को समर्थन दे रहे है।

अंग्रेजी में एक कहावत है: 'अच्छा हो ही नहीं बल्कि अच्छा लगे भी' राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में अपराधीकरण पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप किसी भी समाज में चले जाइए, आप सार्वजनिक जीवन से जुड़े किसी भी स्थान पर चले जाइये, यदि आज कोई जनता की आंखों में किरकरी बना हुआ है और जिसे नफरत भरी निगाहों से देखती है और बात करती है, दुर्भाग्यवश आज वह राजनीतिज्ञ ही है। उन लोगों के संघर्ष के उन दिनों को देखें जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था और जिन्होंने महान बलिदानों से सम्पूर्ण भारत का राजनीतिक आधार बनाया। उन्होंने कभी राजनीतिज्ञ का स्वप्न नहीं देखा था वे लोकतंत्र की पूजा करने वाले वे लोगों के प्रति समर्पित थे और उन्हें ही एक दिन तिरस्कार की भावना से देखा जाएगा।

दुर्भाग्यवश आज मीडिया विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का केन्द्र बिन्दु यह है कि यदि आप एक न्यायाधीश हैं तो आप एक संत आत्मा वाले पुनीत व्यक्ति है। यदि आप एक पत्रकार हैं तो आप एक असाधारण व्यक्ति है। यदि आप एक नौकरशाह हैं तो आप परिस्थितियों के मालिक हैं किन्तु यदि आप एक राजनीतिज्ञ हैं तो आप गन्दगी हैं। हमें ऐसा समझा जा रहा है और हमसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हमें इस बात की आत्मविवेचना करनी होगी कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी दल कई बार देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के मद्देनजर बाध्य हो जाते है-मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं-कि एक खास परिस्थिति में अवांछित तत्वों से समझौता करने के लिए। परिणामतः विधायिका में 543 सदस्यों में मात्र एक या दो ऐसे व्यक्ति ही उपस्थित हों तो भी वह पूरी परिस्थिति को दागदार बना देते है और लोग समझते हैं कि पूरी विधायिका ही इसी तरह की है। इसी कारण हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं।

हममें से अधिकांश ने कतिपय निष्ठा तथा दृष्टिकोण के साथ राजनीति में प्रवेश किया है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों और यह दृष्टिकोण लोगों की सेवा करने तथा देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने से शुरू होता है। जब मैंने विद्यार्थी आन्दोलन के माध्यम से राजनीतिक दल में प्रवेश किया तो हमारे कुछ अच्छे मित्र थे। कई बार हममें मतभेद होते थे। मैं और बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री एक साथ पढ़े है और हमारे बीच राजनीतिक सिद्धांतों और आदर्शों की लड़ाई होती थी। उन दिनों हमारा सपना था कि हम भाकपा के प्रो. हिरेन मुखर्जी, भाकपा (मा.) के नम्बूदरीपाद, स्वतंत्र पार्टी के श्री मीनू मसानी, श्री कामत, श्री मधु लिमये, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री हुमायूं कबीर और सदन में आने वाले अन्य महान सांसदों की भांति नेता बने। हम अपने मॉक पार्लियामेन्ट के दौरान पण्डित जवाहरलाल नेहरु और उनके सहकर्मियों की नकल किया करते थे। हम देश में इसी प्रकार की स्थिति देखना चाहते हैं। हम इस प्रकार की संसद, विधान सभा और इस प्रकार की राजनीति देखना चाहते थे। हम उन्हें दर्शक दीर्घा से तल्लीन होकर सुना करते थे। जब हम विद्यार्थी थे तो उनके भाषण पढ़ा करते थे और वाद-विवाद की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए संसद पुस्तकालय से हम उनके भाषणों की प्रति तैयार किया करते थे। वे दिन कहां चले गए? किसने उन दिनों को अलविदा कह दिया? मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक तनाव और गतिविधियों के कारण ऐसा हुआ

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है। यदि लोगों को विश्वास हो कि अच्छे लोग राजनीति में आएं तो अच्छे लोगों को राजनीति में आने का लक्ष्य बनाना चाहिए। वे जिस दल में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। यदि दस अच्छे लोग, अच्छे तकनीकीविद्, उत्कृष्ट विद्यार्थी या अधिवक्ता देश की राजनीतिक प्रणाली की अनदेशी किए बिना सेवा करना चाहते हैं तो इससे प्रणाली सुदृढ़ ही होगी। जब मैं एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, मेधावी विधि स्नातक, वकील समुहों के भूतपूर्व नेता, सहकारिता आन्दोलन के नेता को संसद में आते देखता हूं, मुझे भारतीय लोकतंत्र, इसका संविधान समृद्ध और सुदृढ़ होता महसूस होता है। अत: यह राजनीतिक दलों का कर्त्तव्य है कि ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को ढूंढ़े और उन्हें मुख्यधारा में ले आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

मान लीजिए हम एक बेहतर आदमी को चुनते हैं और चुनाव के नामांकन के दिन उन्हें दल के कार्यालय में लाते हैं तो पहली टिप्पणी यह होती है कि यह विश्वविद्यालय से सीधे आए हैं, क्या इन्होंने दल में निचले स्तर पर काम किया है? नहीं। अत: उन्हें केवल एक बुद्धिजीवी या सेना अथवा विधि व्यवसाय से जुड़ा मेधावी व्यक्ति, विज्ञान और तकनीकी के प्रति अपने दृष्टिकोण में विलक्षण व्यक्ति भर माना जाएगा किन्तु वह दल का निचले स्तर पर कार्यकर्त्ता नहीं है। यह प्रथम मानदण्ड है।

दूसरा मानदण्ड यह है कि क्या वह कार्यकर्ताओं का साथ देता है? हम इन मुद्दों के कारण भ्रम में पड़ जाते हैं। कार्यकर्त्ताओं की सेवा के दो पक्ष हैं। पहला, राजनीतिक संघर्ष शुरू करने के लिए कार्यकर्त्ताओं को शिक्षित करना और हिंसात्मक परिस्थिति में कार्यकर्त्ताओं की रक्षा करना।

कई बार कुछ लोग एक दो हिंसात्मक वारदातों में बिना सोचे समझे और बड़े पैमाने पर बन्दूक की ताकत का इस्तेमाल करके दादा बन जाते हैं। कभी-कभी कुछ राजनीतिक दल उसे शक्तिशाली व्यक्ति मान सकते हैं जो उसके लिए मतदान केन्द्र सम्भाल सके और लोगों को डरा सके। इस कारण से उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। राजनीतिक दल सोचते हैं कि वे उसे मंत्री नहीं बनाएंगे किन्तु यदि वह हमसे जुड़ता है तो हमारी ताकत बढ़ेगी। यह सभी राजनीतिक दलों में यह संकल्पना हमारी समस्त राजनीतिक प्रणाली में समझौते की संकल्पना के रूप में परिलक्षित होती है। जिस दिन हम यह समझौता करते हैं, चाहे जितने विधेयक हम ले आएं, हम अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली और अन्य चीजों को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं।

महोदय, श्री राजीव गांधी ने भूतपूर्व राजस्व सचिव श्री नीतिश सेनगुप्ता को टिकट दिया था। किन्तु कुछ अन्य लोग भी वहां से टिकट के प्रत्याशी थे। अत: हमारे कुछ लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया और उनके सिर पर गन्दगी लगा दी। उन्होंने उन्हें नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिया। वे बड़ी कठिनाई से अपना नामांकन पत्र भर पाए। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वे उसका सत्यापन करते किन्तु कार्यकर्ताओं के दूसरे समूह ने कहा कि वे अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हें आना चाहिए। अत: इस प्रकार हमने स्वयं ही प्रणाली को दूषित किया है। अत: इस मुद्दे पर मेरा पहले कहना यह है कि अन्तत: विधान की मूलभावना तब समृद्ध होगी यदि राजनीतिक दल चाहे कुछ भी हो दल के सर्वोत्तम प्रतिभा से राजनीतिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की सोचे।

उस दिन, श्री मुलायम सिंह यादव मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की विरासत के विषय में बता रहे थे। उसमें ऐसे बड़े लोग आते थे जो लोक सभा के संसद सदस्यों से भी अधिक शक्तिशाली थे। उसने कई अच्छे लोग भेजे हैं। वे दिन कहां चले गए? यह मीडिया में आज बातचीत का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश का वह विधान मंडल कहां हैं? भारत की वह संसद कहा है? ऐसा नहीं है कि हम सब मूर्ख हैं। हम भी अच्छे लोग हैं। किन्तु दो-तीन घटनाओं के कारण पूरी प्रणाली पर धब्बा लगता है। अत: तार्किक रूप से विधि में इस प्रकार के प्रावधान निस्संदेह सर्वाधिक न्यायोचित हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह केवल अच्छा होना ही नहीं चाहिए बल्कि अच्छा प्रतीत भी होना चाहिए।

अब उत्तर पर चर्चा करते हैं। मैं आज कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। किन्तु यदि मैं सरकार में एक ऊंचे पद पर हूं और किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में मुझे प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है तो क्या मुझे पद पर बने रहना चाहिए। सरकार की नीयत को न्यायोचित ठहराने के लिए, विधान को न केवल अच्छा होना चाहिए बल्कि इसे अच्छा प्रतीत भी होना चाहिए। क्या यह मेरी अंतरात्मा को नहीं कुरेदता कि सब बातें स्पष्ट होने तक मुझे पद भार त्याग देना चाहिए? मैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और श्री आडवाणी की अत्यधिक प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हवाला कारोबार संबंधी एक छोटे, दुर्भाग्यपूर्ण, अवांछित और दुरूद्देश्य पूर्ण आरोप पर त्यागपत्र दे दिया और कहा कि वे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसे सुलझाया नहीं जाता। ये सारी बातें हैं जहां लोगों को जीता जाता है। लोग ये अधिनियम नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग इन अधिनियमों को पढ़ते हैं? यह आप हम और अदालत में बहस करने वाले लोगों तक ही सीमित होगा। किन्तु लोकतंत्र में लोक सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। जब वे प्रणाली पर निगरानी रखते हैं और देखते हैं तब उन्हें विश्वास होता है। अत: मैंने कहा कि विधान को केवल अच्छा ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसे अच्छा प्रतीत भी होना चाहिए।

इस संदर्भ में, जब हम इस विधान पर चर्चा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया। श्री वी.के. कृष्ण मेनन एक बेईमान व्यक्ति नहीं थे। वे महान व्यक्ति थे और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के महान योद्धा थे। उन दिनों उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध लंदन में कई बैठकें की। वे अत्यन्त सक्षम रक्षा मंत्री थे। किन्तु चीनी आक्रमण के दौरान जब इस सभा में उन पर कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कद्दावर व्यक्तित्व था। पं. जवाहरलाल नेहरू के पास उनको इस्तीफा देने का सुझाव देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पदत्याग किया और श्री वाई.वी. चाव्हान को लाया गया था। क्या हम उस विरासत का अनुसरण कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, आज सुबह डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव से संबंधित एक घटना पर प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि जांच में पारदर्शिता बरती जाए और पुलिस उपायुक्त को दोषी बताए बिना निलम्बित किया जाना चाहिए।

यह टिप्पणी जांच को प्रभावित करने के लिए नहीं है। क्या इसके लिए यह वांछनीय नहीं है कि यदि कोई न्यायालय सरकार में किसी व्यक्ति को प्रथम दृष्ट्या आरोपी पाता है तो उस व्यक्ति को आरोपमुक्त होने तक सरकार का हिस्सा नहीं बना रहना चाहिए? चाहे जो मामला हो, वे सरकार में हो सकते हैं या विपक्ष में, यदि न्यायालय कोई टिप्पणी करता है कि यह व्यक्ति प्रथम दृष्ट्या आरोपी है, या मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता है, तो जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे कोई सार्वजनिक पदधारण नहीं करना चाहिए। यह इस मान्यता को न्यायोचित ठहराता है, ''अच्छा होना काफी नहीं है बल्कि अच्छा प्रतीत भी होना चाहिए।''

क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम एक राजनैतिक रुख अपनाते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह राजनैतिक रुख नहीं है बल्कि तर्क पर आधारित रुख है। मैं अपने एक मित्र श्री चंदूलाल चन्द्राकर को जानता हूं। आज वह जीवित नहीं हैं। वह उस समय मंत्री थे जब श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। एक खबर आयी थी कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार अथवा हमारी पार्टी को सूचना दिए बिना वह निजी दौरे पर ताईवान चले गए, और एक फाइल आयी थी। तब उनसे मंत्रालय छोड़ने के लिए कहा गया था।

इस विधेयक में अर्थदंड लगाने का एक प्रावधान है। कृपया विधि मंत्री जी इसका खुलासा करें। यदि किसी अपराध में, केवल 10 रुपये अथवा 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है और केवल तीन साल की कैद होती है या सिर्फ अर्थदंड लगता है अथवा कैद होती है–तो क्या यह अर्थदंड प्रशंसनीय है। क्या किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए? यह एक अस्पष्ट मामला है जहां मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपको हमें इस बारे में बताना पड़ेगा कि आपका इरादा क्या है। यह गलत है। संसद को भी इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इसे कैसे लागू किया जायेगा।

मैं न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं इस देश में न्यायिक सक्रियता के नाम पर एक या दो वर्षों से एक अनावश्यक और अनुचित उत्साह देख रहा हूं। यह पूर्णत: अनावश्यक है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गन्ना उत्पादकों के मामले में हस्तक्षेप किया। यह जानते हुए कि इस मामले पर भारत सरकार निर्णय ले सकती है, फिर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए यह पूछा कि गन्ना उत्पादकों का क्या होगा। कल न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए पूछेगा कि मैं क्या करूं अथवा वह क्या करेंगे। न्यायालय संसद का मार्गदर्शन करेगा और कहेगा कि ऐसा करें अथवा वैसा करे। यह तो हद है। यदि न्यायालय यह विचार करता है कि कतिपय मामलों में कर्नाटक के कुछ न्यायधीशों की जांच होनी चाहिए और हम इस पर मात्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते है, तो वह कहते हैं कि हम न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका पर हमला नहीं कर रहा हूं। न्यायपालिका भी लोकतंत्र का एक सम्मानित स्तम्भ है। लेकिन यह आभास दिया जा रहा है कि सभी राजनीतिज्ञ चोर और डकैत हैं और पवित्र लोग केवल न्यायपालिका के मंदिर में ही बैठे हुए हैं और वे हम पर मुकदमा चलायेंगे। मैं चेतावनी देता हूं कि यह छवि संविधानिक प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र के विध्वंस का संकेतक है। केवल एक मामले के लिए मैं पूरी न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहरा सकता। ठीक इसी प्रकार, किसी विशेष राज्य के विशेष राजनीतिज्ञ द्वारा किये गये अपराध के लिए यदि न्यायपालिका वकील को बुलाकर उसे यह कहकर सबक सिखाती है कि 'अरे, आखिरकार, वह तो एक राजनीतिज्ञ हैं'', तो यह सारे देश के लिए एक खतरनाक बात है। इस प्रकार के चरित्र हनन से उन्हें रोका जाना चाहिए।

आपने अर्थदंड लगाने का यह अधिकार दिया है। इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि मुझे कैद की सजा नहीं मिली है, मुझे केवल एक आदमी को जुरमाना देना होगा और मैं जुरमाना दे रहा हूं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि इस अर्थदंड के आधार पर भी मुझे अयोग्य ठहराया जा सकता है? यहां मैं सोचता हूं कि आप इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा कर सकते थे अथवा अधिक विशषज्ञ बुलाने और इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज सकते थे–और तत्पश्चात्

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इसे आप यहां ला सकते थे। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि आप जल्दी में क्यों हैं। यदि मैं अब इसका विरोध करता हूं, आप यह कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करने से रोकती है। हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप करते रहिए। लेकिन इसके लिए अलग किसी दिन आपको भुगतना पड़े तो हमको शिकायत मत कीजिए।

मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करूंगा। मंत्री जी ने तीन प्रावधान लाकर बड़ी कृपा की है। सती अधिनियम 1987 को लागू करना एक प्रावधान है। मैं हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी का आभारी हूं।

मैं भी उनकी सरकार में मंत्री भी था। उस समय वह यह कानून लेकर आये थे ...*(व्यवधान)* इसको भी इसके अन्तर्गत लाया गया है इसे सोद्देश्य लाया गया है। मैं राजा राम मोहन राय को नमन करता हूं और संसद को भी उनके योगदान के समक्ष नमन करना चाहिए। वह पहले आदमी थे जिन्होंने गंगा के क़िनारे ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। वह न केवल ब्रिटिश राज के विरोधी थे अपितु वह रूढ़िवादी, धार्मिक, व्यवस्था का गलत अर्थ निकालने वाले और समाज को भ्रमित करने वाले दकियानूसी हिन्दू समुदाय के भी विरोधी थे। मैं नहीं जानता कि कितनी महान पवित्र अभागी माताओं को जोर जबर्दस्ती के कारण मरना पड़ा था। यह सब हिन्दू रुढ़िवादियों का किया कराया है। राजा राममोहन राय उनके विरोध में खड़े हो गये थे। मुझे खुशी है कि अब विधेयक लाया गया है। आपको यह प्रावधान अवश्य लाना चाहिए। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले पर विचार किया।

दूसरा विषय पोटो से संबंधित है। यह न समझें कि मैं यहां राजनैतिक लाभ के लिए यह कह रहा हूं। उदाहरण के लिए, यदि श्री वैको पोटो के अंतर्गत दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो वह छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते और जो भी फैसला हो न्यायालय उन्हें 10 अथवा 20 वर्षों के लिए दंडित कर सकता है। आखिरकार, किसी राजनीतिक प्रणाली में, कभी-कभी पोटों का दुरुपयोग भी हो सकता है। आप मुझसे सहमत हों अथवा सहमत न हों। यदि मैं सत्ता में आ जाऊं तो मैं भी इसका दुरुपयोग कर सकता हूं। इसके लिए, मैं यह कहकर श्री रघुनाथ झा जैसे मित्र से राजनीतिक बदला ले सकता हूं कि राजधानी एक्सप्रेस की तोड़-फोड़ के पीछे उनका हाथ था, और किसी को यह आश्वासन देकर कि यदि वह श्री रघुनाथ झा के विरुद्ध जांच परिणाम दे दे तो उसे जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और उसे पोटो के अन्तर्गत घसीटने के लिए उसे प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए, यह प्रावधान अच्छा तो है लेकिन इन सभी निर्णयों और फैसलों की समीक्षा के लिए एक समिति होनी चाहिए। अन्यथा, मुझे भय है कि इसका राजनैतिक दुरुपयोग किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे अन्य प्रावधान ठीक हैं। आप इसे लाये हैं और मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी। लेकिन मेरी आपसे अंतिम अपील यह है। आप आज अथवा कल अथवा अगले सत्र में ऐसे कानून के बारे में क्यों नहीं सोचते जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव पर प्रहार करता है अथवा ऐसी चेष्टा करता है, चाहे वह मंदिर हो अथवा मस्जिद, न्यायालय की अंतिम जांच के पश्चात् उसे संसद में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष का आधार है। धर्मनिरपेक्षता की एकमात्र गारन्टी यह संसद है। जब तक कि आरोपित व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसे कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कानून ला सकते हैं। चाहे वह हिन्दू मंदिर का मामला हो अथवा ईसाई चर्च का अथवा मुस्लिम मस्जिद का। जो भी दोषी पाया जाए उसे संसद में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। यदि आपके समय में इससे और ठीक न कर दिया जाए तो मैं यह कहूंगा कि यह इरादा सही ही नहीं है अपितु सर्वथा सही है।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए और मुझे संक्षिप्त भाषण देने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस आधार पर इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि इसने कुछ किया है, यद्यपि पूरी तरह से नहीं और इसीलिए मैं अपना सीमित समर्थन दे रहा हूं। प्रबंध के विद्यार्थी के रूप में, मैंने यही पढ़ा है कि एक समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं। इस तरह से, व्यापक चुनाव सुधारों के स्थान पर उन्होंने एक शुरुआत की है। मैं खुश हूं कि कुछ सीमित क्षेत्र को शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जैसा कि मुझसे पहले के वक्ताओं ने सही ही कहा है, यह विभिन्न चरणों को पार कर चुका है। उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुपालन करते हुए चुनाव आयोग ने एक हलफनामा आवश्यक कर दिया है और इस स्थिति के संबंध में सरकार एक अध्यादेश को पुरःस्थापित करने के लिए आगे आयी है। इस अध्यादेश को औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। अब यह कानून का रूप ले रहा है। इस सीमा तक, यह विधेयक अब हमारे सामने है।

महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जो कुछ उच्चतम न्यायालय ने कहा है और जिस किसी बात की निर्वाचन आयोग ने अनुपालन किया है, के बीच बड़ा अन्तर है। मैं निम्नलिखित अन्तर का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस बात को छोड़ दिया गया है। जहां तक परिसम्पत्ति आदि देनदारियों को खुलासा करने का संबंध है, उसमें केवल अभ्यर्थी की परिसम्पत्तियां और देनदारियां ही शामिल की गयी है और पत्नी और आश्रितों की परिसम्पत्तियां और देनदारियां छोड़ दी गयी है। चुनाव से किसके द्वारा दिया जाएगा के स्थान पर किसको दिया जाएगा कर दिया गया है। पूर्व प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष परिसम्पत्तियों और देनदारियों के संबंध में इन सब बातों का खुलासा करना पड़ेगा। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यह दूसरा (संशोधन) विधेयक है। वह किसी अन्य चीज के बारे में बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मुझे पता है। श्री के. मलयसामी, यह वह संशोधन नहीं है। यह तीन या चार अपराधों को शामिल करने हेतु सीमित संशोधन है।

श्री के. मलयसामी : विधेयक के गुणों का उल्लेख करने से पहले मैं कुछ टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और वह की सबसे बड़े कार्यकारी लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम निष्पक्ष चुनावों के आदी हैं। जैसा कि आप जानते हैं महोदय समय-समय पर निष्पक्ष चुनावों का आयोजन आसाम काम नहीं है। 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र में एक किनारे पर पर्वत है, दूसरी ओर समुद्र है, द्वीप तथा घने जंगलों में फैले 5.5 लाख मतदान केन्द्रों में 50 करोड़ मतदाताओं हेतु मतदान का आयोजन बहुत बड़ा कार्य है। ये सभी कार्य हुये हैं। इस तरह के निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र का मूकाधार है। गत पांच दशकों की अवधि के दौरान चुनाव कराये गये हैं और हम इस बात के लिये अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हमने लोकतंत्र में काफी अच्छा काम किया है। मेरे विचार में शुरू के दो दशकों में सब कुछ ठीक रहा। दूसरों का भी ऐसा ही विचार है। निष्पक्ष चुनाव हुये।

तीसरे दशक से क्षरण की शुरूआत हुई जो आज तक जारी है और नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और मूल्यों में गिरावट आई। पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि हर स्तर पर क्षरण और ह्रास हुआ है। न केवल राजनेताओं के मामले में अपितु हर स्तर पर अवधारणा और मूल्य पद्धति में बदलाव आया है। मैं जोर देकर कहता हूं कि हर स्तर पर ऐसा हुआ है। ऐसे में इस व्यवस्था, चुनाव प्रणाली, शासन और अन्य स्थितियों में हमें काफी समझौता करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजनेताओं को आसानी से पकड़ लिया जाता है। इसलिये सभी हमारी और अवमानना की नजर से देखते हैं। दूसरी ओर राजनेताओं और व्यवस्था पर दोषारोपण करने वाले लोग शिक्षित, सुविज्ञ, ज्ञानी है। समाज के उस तबके को राजनीति से दूर रहकर हम पर आरोप लगाने की बजाए राजनीति में आना चाहिये और उसे साफ-सुथरा करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले दृष्टि और मिशन वाले राजनेता थे, उनके पास एक दिशा थी। राजनेताओं समर्पण और समाज सेवा की सच्ची भावना थी। उनमें स्वअनुशासन, बलिदान और सेवा जैसे गुण थे। यह एक पक्ष है। आजकल राजनेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि वे बाहुबल, धनबल, शासनशक्ति, मीडिया शक्ति और माफिया शक्ति से युक्त हैं।

इस तरीके से हमारी पहचान की जा रही है। अब साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण का बोलबाला है। आज यह गंभीर स्थिति व्याप्त है। जिसके लिये कुछ करना होगा। मैं इस तरह की बुराई को रोकने के लिये विधेयक लाये जाने पर सहमत हूं।

मंत्री महोदय, यह काफी नहीं है, मेरा कहना है कि आपको व्यापक स्तर पर चुनाव सुधार करने होंगे। कई समितियां बनीं थी। चुनाव सुधार के कई उपाय किये गये हैं। उसमें और सुधार कैसे हो, व्यवस्था को साफ-सुथरा कैसे बनाया जाये तथा कोशिश यह होनी चाहिये कि हममें से कई लोगों की तरह अच्छे विचार और लक्ष्य वाले शिष्ट और प्रतिष्ठित लोगों को राजनीति की ओर कैसे आकृष्ट किया जाये।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि मुझे यह पता है, मतदान का अधिकार सांविधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार यह लोकतंत्र के सिद्धान्त से उद्भुत एक प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने इसे मूल अधिकार नहीं कहा है। यदि ऐसा है तो क्या इसे मूल अधिकार माना जाये? यह मेरा पहला प्रश्न है। इस पर आपका क्या विचार है।

महोदय, मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं कार्यकारिणी, विधायिका और नौकरशाही

[श्री के. मलयसामी]

के माध्यम से संचालित होने वाली न्यायपालिका और इनकी सहायता के लिये चौथा स्तम्भ भी है। ये तीन स्तम्भ लोकतंत्र के तीन अवयव हैं, उन्हें बिना किसी दूसरे से टकराये अपने कक्ष में परिक्रमा करनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका विधायिका और कार्यकारणी के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करती प्रतीत है। यह और शक्तियां हथिया रही है। जैसाकि श्री दासमुंशी ने ठीक ही कहा है कि इस सक्रियता की जरूरत नहीं है। कई बार कहा जाता है कि न्यायपालिका सक्रियता से अतिसक्रियता के दौर से पहुंच गई है केवल इतना ही नहीं है। ये केवल अतिसक्रियता पर ही नहीं रुकते अतिसक्रियता से वे कभी-कभी आतंकवाद पर भी पहुंच जाते है। कई लोग यही कहते हैं। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या उच्चतम न्यायालय को सभा को विधान संबंधी निर्देश देने का अधिकार है; क्या इसके पास विशेष तरीके से विधान बनाने संबंधी हमें निर्देश देने का अधिकार है।

सभापति महोदय : उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इसके पास विधान बनाने हेतु संसद को बाध्य करने का अधिकार नहीं है।

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं स्पष्टीकरण देने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उस बिन्दु के बारे में भी मुझे माननीय मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहिये। तदुपरान्त मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनदेशी अपेक्षित या परामर्श योग्य है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आता हूं। यह अधिनियम के अन्तर्गत खुलासे के बारे में है ...*(व्यवधान)*

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इससे सभापति महोदय को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय : विधेयक काफी सरल है। भ्रष्टाचार, सती आदि के बारे में प्रावधान दिये गये हैं।

श्री के. मलयसामी : मेरे विचार से कई अनियमिततायें हैं अयोग्यता शुरू होने की अवधि निर्गत तिथि से शुरू होकर 6 वर्ष के बाद तक जाती है। मैं अपने की सहयोगियों के विचार से सहमति व्यक्त करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि यह सच है या नहीं। अर्थदण्ड के मुद्दे पर भी मैं पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमति जताता हूं।

इसके साथ ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, जनप्रतिनिधि संशोधन विधेयक माननीय कानून मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और चुनाव आयोग द्वारा लिये गये अव्यवहारिक निर्णयों पर पूरी तरह से विचार-विमर्श करने के बाद इस विषय में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से प्रश्नगत विधेयक का प्रारुप तैयार किया गया था।

अपराह्न 3.50 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

बहुत सारी बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि माननीय सदस्य, श्री प्रियंरजन दासमुंशी जी ने सारे तथ्य सदन के समक्ष रख दिये हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से कुछ बातें कहना चाहता हूं। राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में हमारी आरम्भ से यही राय रही है कि राजनीतिक अपराधीकरण को राजनीतिक दल ही रोक सकते हैं, कानून नहीं और कानून के माध्यम से यदि इसे रोका जाएगा, तो इसका दुरुपयोग होगा। हम इस बात को बार-बार नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन यह कानून बनने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। संयुक्त अधिवेशन में हमने पोटो के बारे में भी यही कहा था। हम बार-बार निवेदन करना चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। श्री वैको जी ने कहा था कि पोटा विधेयक का विरोध करने वाले विरोधी हैं, लेकिन हमने सबसे पहले कहा था कि आपके ऊपर उसका सबसे पहले दुरुपयोग होगा और वही हुआ। दुर्भाग्य से श्री मुरासोली मारन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी कामना है कि वे जल्दी स्वस्थ हों। उन्होंने सबसे पहले रासुका का समर्थन किया था और रासुका का दुरुपयोग सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ हुआ। कानून मंत्री जी, राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए-खतरे की घंटी इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है जो इस विधेयक को लाए हैं। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं।

जहां तक अपराधीकरण रोकने का सवाल है, जनता की निगाह में जो अपराधी है, वह अपराधी है। सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि वह जनता की नजर में अपराधी है। उनको यदि राजनीतिक दल टिकट न दें तो यह समस्या स्वत: ही समाप्त हो जायेगी। हम तो यहां तक समझते हैं-आप समझते हैं कि हम गलत कह रहे हैं और हम समझते हैं कि आप गलत कह रहे

हैं–कि हमारे जितने उम्मीदवार हैं, उनकी सूची दे दें कि ये लोग अपराधी हैं और हम आपकी सूची दे दें, तो उस पर विचार कर लिया जाए। हम यहां तक बहस करने के लिए तैयार हैं, तथा यहां तक तैयार हैं कि परस्पर विचार कर अपराधी चिन्हित करें और उन्हें टिकट न दें। लेकिन कानून के माध्यम से अपराधीकरण को रोकना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी और हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि चुनाव लड़ने के लिए लोगों को कलैक्टर साहब, एसपी साहब के पैर छूने पड़ेंगे कि हम पर कृपा रखिए, कोई झूठा गंभीर मुकदमा दर्ज मत कीजिए। कोई मुकदमा दर्ज हो गया, तो हम चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। ऐसी स्थिति में हम फिर किसी भी अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतान्त्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अभी माननीय सदस्य देवेन्द्र प्रसाद यादव जी की पिटाई हो गई। अगर ज्यादा लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ, जैसा कि पहले कानून है, मामला दर्ज हो जाएगा और नाराज होकर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपने यह विधेयक लाकर अच्छा काम किया है। पहले तो बिना सोचे-समझे कानून पास होते रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने बहुत सोच-समझ कर सभी दलों की सहमति से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और हम इसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम इस बात को फिर दोहराना चाहते हैं कि यह समस्या स्वत: ही हल हो जाएगी, अगर राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दें। हम देख रहे हैं, जिनको हम अपराधी समझते हैं, कानून विरोधी समझते हैं, दासमुंशी जी ने सही बात कही, उन्हें एक प्रदेश की सरकार सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है।

हमें और आपको अपराधीकरण रोकने के लिए ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए तो स्वत: ही राजनैतिक अपराधीकरण रूक जाएगा। यह संकल्प सदन को लेना चाहिए, लेकिन कानून के माध्यम से नहीं।

महोदय, आज भी राजनैतिक व्यक्ति आम जनता की सेवा सबसे ज्यादा करते हैं और ज्यादातर राजनैतिक नेता बिना स्वार्थ और लोभ के जनता की सेवा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना के पात्र वही होते हैं। ये आलोचना ऐसे राजनैतिक लोग करते हैं, जिनका जनसेवा से कहीं भी कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए हम लोगों पर अनावश्यक और गंभीर आरोप लगा कर अपना नाम छपाते हैं। हम लोग अगर मीडिया में भी कोई सकारात्मक बात कहेंगे तो वह उतनी नहीं छपेगी, जितनी माफियाओं के बारे में कहानियां लिखी जाती हैं। आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी इस सदन के आदर्श सदस्य हैं, इन पर कोई आर्टीकल नहीं लिखा जाएगा और अपराधियों पर आर्टीकल लिखा जाएगा। सबसे ज्यादा आलोचना के पात्र हम और आप राजनैतिक लोग हैं और इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि इस मुहिम में राजनैतिक व्यक्ति ही सबसे ज्यादा आगे होते हैं, इसमें हम और आप सभी आ जाते हैं।

महोदय, हमने कई बार सदन में कहा कि अगर किसी भी एक माननीय सदस्य पर अन्याय हुआ है, हमने परम्परा देखी है। पूरा सदन उस अन्याय के विरोध में खड़ा हो जाता था। प्रियरंजन दासमंशी जी, रघुनाथ झा जी और हम भी कहते हैं। हम लोगों ने किसके नेतृत्व में राजनीति शुरू की थी। हमारे और आपके कौन आदर्श थे–आचार्य जी, जयप्रकाश जी और डा. राममनोहर लोहिया जी। हम लोगों ने इनके नेतृत्व में छात्र जीवन से ही संघर्ष किया है और जेल गए है।

अपराह्न 3.57 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, हमें उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 13 साल की उम्र में ही हमें जेल में जाना पड़ गया था। हम उनसे इतना प्रभावित थे कि किसानों पर सिंचाई टैक्स बढ़ा दिया गया और 13 साल की उम्र में ही समाजवादी आंदोलन में जेल में चले गए। यह बात अलग है कि हमें 28 घंटे की सजा मिली तथा अन्य लोगों को दो महीने की हुई। हमारे देश के जो आदर्शवादी लोग थे हम भी उनके विचारों को सुनकर तथा समाचार-पत्रों में पढ़ कर, तथा उनसे प्रभावित होकर जेल में गए थे और राजनीति में आए थे। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में माफियाओं को टिकट मिलेगा और वे सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आज हम कहते हैं, कानून मंत्री जी और उप-प्रधानमंत्री जी, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है कि सबसे ज्यादा नौकरशाह और पुलिस माफियाओं की मदद करते हैं। इस कानून में सोच-समझ कर सुधार करें ताकि अच्छे लोग चुनाव लड़ने से वंचित न रह जाएं। जब हम जाते हैं तो पर्चे की जांच-पड़ताल होती है और उसी रात को दो संगीन केस हम लोगों के विरुद्ध लिख दिए जाते हैं तथा उसी पर एतराज होता है कि पर्चा खारिज किया जाए, इन पर दो संगीन केस हैं। यह सुझाव किस ने दिया, जिनको धरातल का ज्ञान नहीं है। वे लोग तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जिन्हें पुलिस की भूमिका का अनुभव नहीं है। उस स्थिति में वह सबसे बड़ा दारोगा हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। आज जो कहा गया वह सही है, विधानसभा की बात छोड़ दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा के कुल मिला कर लगभग 786 सदस्य

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हैं और इनमें से मुश्किल से दो प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी छवि खराब है किन्तु दूसरे क्षेत्रों में चाहे नौकरशाही हो और चाहे उद्योग जगत हो उनकी छवि की क्या स्थिति है इस बारे में आपने कभी सोचा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको कितना समय और लगेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच-दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं चर्चा पहले लेना चाहता हूं। आप बाद में भी बोल सकते हैं क्योंकि दूसरी चर्चा मुझे नियम के अनुसार चार बजे लेनी पड़ेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो इससे सहमत हैं और समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ व्यावहारिक तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। जिन लोगों का संबंध राजनीति से और धरातल से बिल्कुल नहीं है ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का समूह जाकर कहीं कह दे और उनके कहने पर कानून इस तरह का बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भुगत चुके हैं। राजनीति में हमें किन-किन चीजों का सामना करना पड़ता है, वह हमें ही पता है। नौकरशाही और उद्योग-जगत की क्या स्थिति है, इस पर भी विचार करना चाहिए।

ये लोग एक मिनट के लिए भी अपने स्वार्थ से अलग कोई काम नहीं करते हैं। उनके कहने पर हम लोगों को गाली दी जाए, उनके कहने पर राजनीतिज्ञों की आलोचना की जाए, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे माननीय सदस्यों को इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरा कहना है कि राजनीतिज्ञों की इनकी चाल में फंसने से बचना चाहिए। ये दो संशोधन बहुत आवश्यक हैं। ये बहुत खतरनाक कानून आपने इसमें शामिल कर दिये हैं। सर्वदलीय बैठक में हमारे जो प्रतिनिधि गये थे, उनसे मैंने सारी जानकारी ली, लेकिन ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिये। केवल नाममात्र का जुर्माना होने पर भी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान इसमें है, जिसका दुरुपयोग खासतौर से भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है। सब जानते हैं कि माननीय उप प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि नैतिकता के नाते मैं सदन में नहीं आऊंगा जब तक कि मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने गलत फंसाया था उसके लिए क्या सजा है? ऐसे कितने ही लोग थे जिनका सारा जीवन बर्बाद हो गया। एक बार और माननीय उप-प्रधान मंत्री जी इतने भावुक हो गये थे कि उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोगों पर भी इतना गंभीर हवाला का आरोप है। उस समय भी हमें विश्वास नहीं था कि उपप्रधानमंत्री जी उसमें आप सम्मिलित होंगे।

इन्कम-टैक्स अधिकारी जरा भी नाराज हो जाए तो जुर्माना किसी पर भी कर देगा, हम लोग उसकी मंशा जान भी नहीं पायेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे तथा 6 साल के लिए चुनाव के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह राय किसने आपको दे दी? यह तो पहले से भी ज्यादा आपने खतरनाक स्थिति कर दी। इसलिए इसमें संशोधन करना चाहिए और इसे विधेयक से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसे मामले में दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो भी चुनाव के अयोग्य माना जाएगा-ऐसे पहले से ही प्रावधान था। अब कोई इन्कम-टैक्स अधिकारी नाराज हो जाए तो सोर्स से अधिक आय का आरोप लगाकर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन वह तबाह कर सकता है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके इसमें संशोधन किया जाए। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं और कानून मंत्री जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और अनुरोध करते हैं कि कृपया संशोधन स्वीकार कर लीजिए।

माननीय प्रणव मुखर्जी जी ने जो ड्राफ्ट बनाकर दिया था उसमें सब तय हो गया था, फिर उसमें यह कहां से जोड़ दिया-ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सर्वदलीय बैठक हो गयी और उसमें सारा निर्णय हो चुका है, तो यह नहीं जोड़ना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं लेकिन साथ ही यह कहना चाहते हैं कि धर्म-निरपेक्षता का स्वरूप, हमारे देश को संविधान द्वारा दिया हुआ है और जो धर्म-निरपेक्षता को समूल नष्ट करना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। यह बात भी इसमें आनी चाहिए। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आंतरिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा नियम 193 के अंतर्गत शुरू हो रही है।

श्री प्रबोध पण्डा जी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय क्या मैं एक बात कहूं? हम इस चर्चा की अनुमति देने के लिये आपके प्रति आभारी हैं। यह उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिस पर सभा में चर्चा

होनी चाहिये। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद यह अगला महत्वपूर्ण मामला है। मुझे शंका है कि आज उपलब्ध समय पर्याप्त नहीं होगा। यदि सरकार इससे सहमत हो तो इस मामले पर अगले दिन भी चर्चा कर सकते हैं।

ऐसा इसलिये क्योंकि इस पर पूरी चर्चा शुरू हो सकती है। तू-तू मैं-मैं में हमारी रुचि नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने और लांछन लगाने में हमारी रुचि नहीं है। संगठित तरीके से चर्चा होनी चाहिये। मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुरोध मान लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सुझाव पर सरकार को कोई आपत्ति है?

उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री मुझे बता रहे थे कि कुछ अन्य विधायी कार्य है जिसे वे सोमवार को पारित कराना चाहेंगे। अत: यदि हमें चर्चा को जारी रखना है, तो हम इसे मंगलवार को जारी रख सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मेरी जानकारी के अनुसार मंगलवार यानि 17 दिसम्बर को हम विनिवेश पर चर्चा कर रहे है। इसके लिये 17 दिसम्बर की तिथि तय की गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बीच, मैं संसदीय कार्य मंत्री के साथ इस पर चर्चा करूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, हम सरकार की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम समायोजित करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरुर): महोदय, हम इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। कृपया हमें इस विधेयक पर बोलने के लिए कुछ और समय दे।...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : फिर तो यह मंगलवार को भी वाद-विवाद चलना है और आज यह समाप्त होगा भी नहीं। वैसे तो अधिकांश वक्ता इस विधेयक पर बोल चुके है। यदि हम इस वाद-विवाद को आज अपराह्न 4.30 बजे तक समाप्त कर लेते हैं तो हम नियम 193 के अधीन अपराह्न 4.30 बजे तक चर्चा शुरू कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो ऐसा किया जा सकता है। हम आज अपराह्न 4.30 बजे तक विधेयक पर चर्चा समाप्त करना चाहते है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : फिर तो विधेयक पारित हो जायेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए हम अपराह्न 4.30 बजे तक नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते है। श्री प्रबोध पण्डा, कृपया बैठ जाइए। हम अपराह्न 4.30 बजे चर्चा शुरू करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी विधेयक पर बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हम मात्र दूसरा संशोधन पर चर्चा कर रहे है। सैद्धांतिक तौर पर इस संशोधन को कोई भी स्वीकार कर सकता है।

मुझे खुशी है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी यहां उपस्थित हैं और हम लंबे समय से कहते रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके चुनाव सुधार के प्रश्न को सुलझाने का प्रयास हो। हमेशा थोड़े-थोड़े संशोधन हुए हैं जो सामने है। हमारे चुनाव संबंधी कानून में प्रमुख मुद्दा या मुख्य खामी को इस तरीके से नहीं सुलझाया जा रहा है जिससे कि पूरी स्थिति में व्यापक बदलाव आए। रिपोर्टों का अभाव है। मुझे जगन्नाथ राव समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कुछ छोटे मुद्दों को छोड़कर इन समितियों की सभी रिपोर्टों सर्वसम्मत रही है। इसका अर्थ है कि इस देश के राजनीतिक चिंतन का संपूर्ण दायरा सर्वसम्मत निर्णय का रहा है।

हमारे सांविधिक कानून में समावेशन के उद्देश्य हेतु एक अन्य प्रस्ताव सामने आया है। लेकिन माननीय मंत्री जी अब भी हमसे सहमत होंगे कि राजनीति में अपराधीकरण का प्रश्न एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसीलिए हम में से किसी ने यह नहीं चाहा कि इस समस्या से निपटने में सबका प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा-शक्ति प्रदर्शित हो। यह हमारी राजनीति में यह गंभीर और कठिन मुद्दा बनता जा रहा है। यह बेहद क्षोभ का विषय है कि आजादी के पचासवीं स्वर्ण जयंती मनाने के बाद सभा से अपराधियों को बाहर रखने के लिए एक कानून नहीं बन पाया।

हम एक बार फिर एन.एल. वोहरा समिति की रिपोर्ट की याद दिला सकते है। माननीय श्री एल.के. आडवाणी विपक्ष में थे। हम सभी ने इसकी आलोचना की थी और इस गंभीर स्थिति के बारे में उल्लेख किया था और जिसका एन.एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि किस तरह कुछ लोगों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

द्वारा इस व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा था जिनका हमारे संघीय ढांचे की बुनियादी सिद्धांतों के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी और जन सेवा का प्रश्न उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था।

लेकिन आज हम कहां है? क्या सचमुच हमने उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है? ऐसा क्यों है कि अपराधी सभा में आने को इच्छुक हो रहे है? हमें यह क्यों चिल्लाना पड़ता है कि माफिया राजनीतिक व्यवस्था पर हावी हो रहे हैं? जहां तक राजनीति का प्रश्न है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पाते हैं कि राजनीति उन्हें उनके लूटपाट को बढ़ावा देने के लिए एक जरिया प्रदान करती है। यह धन कमाने का एक जरिया बन गया है। इस देश में भ्रष्टाचार को महिमा मंडित किया गया है। यह बेहद दुख का विषय है कि और हम सभी इस क्षोभ से आश्वस्त है कि हमारे संविधान को स्वर्ण जयंती के बाद हमें अपराधियों को बाहर रखने के लिए एकमत होना होगा।

हमें दूसरे विधेयक पर बहुत कुछ बोलना है। बेशक, हम उससे सहमत है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यहां पोटा के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आतंकवादियों को महिमामंडित अथवा समर्थन करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हमारे परम मित्र श्री वैको इसके दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। मुझे खुशी है कि माननीय उप प्रधानमंत्री यहां उपस्थित है। यदि वे चाहे तो हमें हस्तक्षेप करके यह बता सकते हैं कि 'पोटा' इस देश में आतंकवाद से निपटने में किस तरह सक्षम हुआ।

मैं जानता हूं कि 'पोटा' के अंतर्गत जब तक किसी पर दोष-सिद्ध नहीं हो जायेगा, तब तक उस व्यक्ति को निरुद्ध किये जाने मात्र से अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। लेकिन श्री वैको का क्या हुआ? जिम्मेदारी उसी की होगी आखिरकार उस पर मुकदमा चलेगा और जिम्मेदारी उसी की होगी और वह जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता, जो इतना आसान नहीं है। फिर उसकी रिहाई के बाद छह वर्ष के लिए उसे अयोग्य करार दे दिया जायेगा। बेशक मैंने कोई संशोधन नहीं किया है लेकिन मैं सरकार सहित विभिन्न पार्टियों के अपने सभी मित्रों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे किसी मंच पर नहीं उठाएं जिसके लिए यह जगह उपयुक्त न हो।

यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि हममें से कई लोगों के दुख की बात है कि अभी भी सती प्रथा कहीं-कहीं विद्यमान है और हमने वर्ष 2002 में अनेक बातों को समाविष्ट करने का प्रयास करे तथा इसे और कठोर बनाये। यह पहले ही शामिल किया जा चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को ही ले। इसे और अधिक कठोर बनाना होगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अन्य विधेयकों में कुछ अन्य बातों को शामिल किया जाना है लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता जो विशेषकर उप प्रधान मंत्री की उपस्थिति में हमें अवसर दिया गया है। यह हर किसी व्यक्ति ने महसूस किया है कि राज्य द्वारा वित्तपोषण से काले धन पर निर्भरता या धन अर्जित करने की भ्रष्ट प्रक्रिया को कम किया जा सकता है।

जैसे ही श्री लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने उन्होंने एक समिति गठित की। हमने इसकी सराहना की है। श्री इंद्रजीत गुप्ता के अलावा इस सभा में सबसे अधिक अनुभव प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की।

मुझे उनके अधीन काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने सर्वसम्मत रिपोर्ट सौंपी है। कहां है? मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री हस्तक्षेप करेंगे। मुझे आपत्ति नहीं है। मैं उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद कानून और विधि मंत्रालय हमारा मार्ग-निदेशन कर सकता है और एक ऐसा विधेयक भी है जिसने चुनावों के वित्त पोषण के संबंध में इंद्रजीत गुप्ता की रिपोर्ट के साथ-साथ कुछ अन्य प्रस्तावों को समाविष्ट किया है।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : यह स्थायी समिति के पास लंबित है। यह अभी तक सामने नहीं आया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे अफसोस है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अब गुजरात के उनके दौरे के बाद माननीय विधि और न्याय मंत्रालय के पास कुछ-कुछ समय है। ...*(व्यवधान)* मैंने उन्हें वहां और माननीय उप प्रधानमंत्री को भी देखा है। अतः यह मामला लगभग तीन वर्षों से लंबित है। तत्पश्चात् दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव भी लंबित है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इसे स्थायी समिति से प्राप्त करना अभी शेष है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ प्रगति हुई है।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : बहुत कुछ प्रगति हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लंबित है।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : यह स्थायी समिति के समक्ष है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम कुछ विधेयकों को बिना स्थायी समिति के पास भेजे पारित कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : यह अपवाद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमती सुषमा स्वराज ने सप्रतिबन्ध अभिगमन माध्यम के संबंध में केबल टेलीविजन (विनियमन) संशोधन विधेयक पाने के लिए हम सभी को राजी किया है। दूसरी सभा में अन्य लोगों द्वारा मेरी निन्दा की जा रही है कि हमने इसे स्थायी समिति में भेजे बिना पारित करने की कैसे अनुमति प्रदान कर दी। इसलिए भारी मुश्किल के बिना इसे वे सहमत कर सकते थे।

मैं कह रहा हूं कि कठोर दंड दिया जाए। मुझे आपत्ति है कि इस देश में हम जो स्थिति देख रहे हैं कि जो लोग वास्तव में कारावास में है वे भारी मतों से जीत रहे हैं। यह विरोधाभास है। जितना ज्यादा वे कारावास में रहते है उन्हें भारी बहुमत मिल रहा है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि राजनीतिक दुष्प्रचार अथवा राजनीतिक गतिविधियों की संपूर्ण प्रणाली बिगड़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण माफिया का दबदबा अथवा धन शक्ति है। इसलिए अन्य बहुत सारी बातें भी है। अत: मैं कह रहा हूं कि इसे कोई व्यक्ति हल्के फुल्के तरीके से ले सकता है लेकिन सभा में सभी पार्टियों के लोगों से मेरी अपील है कि यदि हम सचमुच में इस देश में सरकार है। संसदीय स्वरूप बनाए रखने में मेरा विश्वास है तो इसे कुछ करना होगा। हमारे राजनीतिक विचार चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जानते है कि भारत में आज इसका कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में मैं पर्शियल लिस्ट सिस्टम का अनुयायी हूं और एक जमाने में श्री लालकृष्ण आडवाणी भी अनुयायी थे। मैं नहीं जानता हूं कि उनका अभी इसमें विश्वास है या नहीं। मैं तो यही समझ पाया कि यही एक बात है जो माफिया के प्रभाव अथवा धन के शक्ति के प्रभाव को कम कर सकती है।

एक सिफारिश और है लेकिन इसकी कौन परवाह करता है। मामलों को हल्के फुल्के तरीके से ले रहे हैं। इससे अच्छा प्रचार मिलेगा और हमारे महत्वपूर्ण विधि और न्याय मंत्री जो बिना कंपनी कार्य विभाग के है और हम यह कहें कि वे सचमुच राजनीति से अपराधियों का सफाया करने में कितने चिन्तित है, वे मंत्री महोदय कुछ भी नहीं कर रहे है। अच्छा होता यह कुछ किया जाता और हम कुछ करें लेकिन लोगों को विशिष्टता से वंचित न करें।

इसके पश्चात् इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था अपराधीकरण से मुक्त हो जाएगी। उस सीमा तक मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु बहुत कुछ और किये जाने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि जहां कहीं भी यह विधेयक है, और संभवत: यह गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के पास है, स्थायी समिति के माननीय सभापति और सदस्य इसमें तेजी लाने का प्रयास करेंगे। हां, मैं नहीं चाहता कि वे शीघ्रता करें और मैं उनका क्षेत्राधिकार सुरक्षित चाहता हूं।

हमने दिखाया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में वास्तव में एकजुट हो सकते हैं। कल ऐसी घटना की वर्षगांठ है जो कि भारतीय गणतंत्र के लिए बड़ी त्रासदी साबित हो सकती थी। सभा के सभी पक्ष इसकी निंदा करने हेतु और अपना जीवन गंवाने वाले उन युवा निर्दोष लोगों को सम्मान देने के लिए खड़े हो गए थे। बहुत से मामलों में हमने एक साथ मिलकर कार्य किया है।

यदि यह व्यवस्था समाप्त हो जाती है। यदि इस देश में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली प्रभावित होती है तो मुझे नहीं पता कि भविष्य क्या है। क्या विकल्प है? हां, राष्ट्रपतीय प्रणाली श्री आडवाणी का बड़ा पसंदीदा विषय है। यहां तक कि यह राष्ट्रपतीय प्रणाली भी राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त नहीं कर सकती। वहां यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी और राष्ट्रपति को हरेक चीज से मुक्त रहना पड़ेगा।

इसलिए, महोदय, मेरा सरकार और यहां के सभी दलों से अनुरोध है और हरेक सामान्यत: इससे सहमत भी होगा कि अब समय आ गया है कि हम सतह पर न कुरेदें और हम इस पर उचित ध्यान देने का प्रयास करें। यह शर्म की बात है कि भारत जैसा देश जिसकी इतनी आर्थिक परम्पराएं प्रतिभा और इतिहास है वह आज चिल्ला रहा है कि हम पर अपराधी हावी हो गए हैं, माफिया हम पर शासन करने का प्रयास कर रहा है और सम्पूर्ण राजनैतिक परिदृश्य को कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जिनके दिल में देश का हित नहीं है। हमें इस संकट से छुटकारा पाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं सोचता अथवा कहता। किसी राजनैतिक दल को ऐसे उम्मीदवार को क्यों नामनिर्दिष्ट करना चाहिए। हालांकि, हम सूचियों में देखते हैं कि बहुत से उम्मीदवार हैं जिन्हें माफिया अथवा अपराधी अथवा हिस्ट्रीशीटर कहा जा सकता है। राजनैतिक दल घोषणा क्यों नहीं करते कि चाहे जो भी हो जाए हम किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नामनिर्दिष्ट नहीं करेंगे जो दागी होगा। फिर, यह बात नहीं हो सकती। शायद एक या दो निर्दलीय उम्मीदवार बलपूर्वक अथवा किसी अन्य विधि से निर्वाचित हो सकते हैं परन्तु वह नियम की बजाय अपवाद स्वरूप होगा। आज, हमारे पास एक सूची है

...(व्यवधान)

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सभी दलों में आचार संहिता क्यों नहीं हो सकती?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे पास बहुत सी आचार संहिताएं हैं परन्तु उनका कौन पालन करता है? यहां तक कि कानून का भी पालन नहीं हो रहा है तो आचार संहिता की क्या बात है। यदि आचार संहिता का पालन होता तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अत: आचार संहिता से मदद नहीं मिलेगी। मैं सभी दलों की ओर से सैद्धान्तिक रवैया चाहता हूं और सैद्धांतिक कार्यवाही चाहता हूं। महोदय, मुझे विश्वास है कि मैं आपसे इस मामले में नेतृत्व करने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि आपके पास ऐसी सीट है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण पद है जो आपके पास है। अत: यदि आप नेतृत्व करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से चर्चा का उत्तर देने के लिए अनुरोध करने की सोच रहा था। हालांकि, दो या तीन और वक्ता हैं और यदि वे जोर नहीं देते तभी अपराह्न 4.30 बजे तक चर्चा पूरी हो सकती है। क्या मैं अब माननीय मंत्री महोदय से चर्चा का उत्तर देने का अनुरोध कर सकता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूं। आप ऐसी असंसदीय जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमें इसी विधेयक पर विचार करना चाहिए। विधेयक विचारार्थ स्थायी समिति तक भी नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैंने सभा के रवैये को भांप लिया है।

श्री जी.एम. बनातवाला : हमने हमेशा सहयोग किया है परन्तु मैं कहता हूं कि यह जल्दबादी एक असंसदीय जल्दबाजी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तीन और वक्ता हैं और चर्चा को किसी और दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह अलग चीज है। आप इसका नियमन कर सकते हैं और हम बुरा नहीं मानेंगे। तथापि, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला आपको जानकारी है कि कुछ मिनट पूर्व ही सभा सहमत थी कि इस चर्चा को आज पूरा कर लिया जाए। अत: मैंने उसका सुझाव दिया था।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, क्या यह सदस्यों की कीमत पर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, जब मैं बोल रहा हूं तो आपके लिए खड़ा होना असंसदीय है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, कृपया हमारी बात भी सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं इस चर्चा को बाद में जारी रखूंगा और अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मुझे बोलने के लिए केवल पांच मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर बोलने का अवसर दिया जाएगा, परन्तु आज नहीं।

हां, अब श्री जी.एम. बनातवाला बोलेंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के सिद्धांत का अनुमोदन और समर्थन करता हूं यद्यपि महत्वपूर्ण ब्यौरों के बारे में कुछ मतभेद हैं। जहां तक विधेयक के सिद्धांत का प्रश्न है तो मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, सबसे पहले, मैं बताना चाहता हूं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आधार है लोगों, नागरिकों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। यह अजीब बात है कि वोट डालने तथा चुनाव लड़ने का यह अधिकार जो कि लोकतंत्र का आधार है, हमारे देश में मौलिक अधिकार नहीं है। यह केवल कानूनी अथवा सांविधिक अधिकार है जो एक अधिनियमन की दया पर निर्भर है और वह भी संसद में साधारण अल्पकालिक बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। यह बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए, मैं पहले इस बात की जरूरत पर जोर देना चाहता हूं कि किसी निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी को एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक के प्रावधान पर आने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसके अंतर्गत उन अपराधों को जोड़ा जाना है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। कतिपय अधिनियमनों के अंतर्गत अपराधों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि केवल एक कानून के द्वारा ही राजनीति के अपराधीकरण के प्रश्न या मुद्दे का पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सकता। दो चीजें आवश्यक हैं।

महोदय, सबसे पहले पूरी स्थिति के संबंध में सरकार की ओर से राजनीतिक इच्छा और पूर्णतया गैर पक्षपाती रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है। हम इस तथ्य को देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कानून को चुनौती दे रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में साम्प्रदायिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं और वे पूरी तरह बचकर निकल जाते हैं क्योंकि वे उसी दल अथवा किसी परिवार से होते हैं जैसे कि सत्ताधारी दल। यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती है यदि उन्हें न्यायालय में नहीं लाया जाता है और दोषसिद्धि नहीं होती है तो उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए इस विधेयक के प्रावधान कार्य नहीं करेंगे। इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, जहां शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए वहीं यह भी आवश्यक है कि जो जघन्य अपराधों के दोषी हैं उनकी गतिविधियों की ओर से आंखे मूंदने की बजाय उन पर अभियोजन चलाया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और पक्षपात रहित रवैया अपनाया जाना चाहिए। जब उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, जब उन पर अभियोजन चलाया जाता है और दोषसिद्धि होती है तब उनकी अयोग्यता का प्रश्न आएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम अब आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : जब भी यह चर्चा पुन: कराई जाए तो मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको चर्चा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, हमें इस विधेयक पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें केवल दस मिनट और लगेंगे। श्री बनातवाला के बाद मैं इस विषय पर अंतिम वक्ता हूं। हम इसे समाप्त कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो केवल दो सदस्यों-श्री बनातवाला और श्री सिमरनजीत सिंह मान को बोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे और हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी कर सकते हैं। परन्तु यह सभा पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा भी सूची में नाम है। असली में तो बिल में हम ही भेद खोलने वाले हैं। हम भी बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूं। आप दो-तीन मिनट में पूरा करना चाहते हैं तो हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, कल शुक्रवार है। अब यह संभव नहीं होगा क्योंकि हरेक उठेगा और समय की मांग करेगा।

अध्यक्ष महोदय : इन तीन माननीय सदस्यों ने अपना नाम पहले ही दे दिया था। इसलिए, मुझे उनको बोलने की अनुमति देनी होगी। किसी और वक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैं सोचता हूं कि इसे आज पूरा करना ठीक होगा। दो-तीन मिनट में अपनी बात कहिए।

मेरे विचार से सभा यही चाहती है।

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। एक तरफ हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जिसके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति और निष्पक्ष दृष्टिकोण हो और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संसदीय मर्यादाओं का आदर करें। तभी हमारे पास एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संसदीय मर्यादाएं और लोकतांत्रिक परंपरा इस बात की मांग करती हैं कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा तय किए गए गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो तो उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दोष सिद्धि तो बाद की बात है। यदि न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए जाते

[श्री जी.एम. बनातवाला]

हैं तो मर्यादा का तकाजा है कि उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मर्यादा का तकाजा है कि यदि कोई वर्तमान संसद सदस्य अथवा विधायक या मंत्री है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।

फिर भी यह अफसोस की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन ऐसे मंत्री कैबिनेट में हैं जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के जघन्य अपराध में आरोपित हैं। किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया। मर्यादा की बात देखिए केवल एक नहीं दो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय ने आरोप तय करने शुरू किए थे लेकिन उसमें कुछ तकनीकी दोष थे। इसलिए, हम देखते हैं कि यहां दो बातों की आवश्यकता है। पहली ऐसी निष्पक्ष सरकार की जो यह देखे कि अयोग्य साबित करने वाले इस प्रकार के कानूनों को तोड़ने वालों को सजा मिले और कोई उनकी अनदेखी न करे और दूसरी हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं का सम्मान करें।

अपराह्न 4.34 बजे

[श्री **बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अनेक महत्वपूर्ण आयोगों जैसे अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, संबंधित नागरिक अधिकरण यह कहते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति, यहां तथापि किसी राज्य का मुख्य मंत्री भी जनसंहार के लिए जिम्मेदार है और जनसंहार के आरोपी व्यक्ति खुले में घूम रहे होते हैं और वे न केवल चुनाव अभियान में हिस्सा लेते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी करते हैं। लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है। मैंने इस विषय पर संशोधन की सूचना भी दी है।

समयाभाव के कारण अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए आतंकवाद निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध को भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जाए।

आतंकवाद निवारण अधिनियम के संबंध में हमारा दृष्टिकोण सुविदित है। समझने में यह गलती नहीं की जानी चाहिए कि हम आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं। मैंने अपनी बात उसी समय रखी थी जब यह विधेयक इस सभा और संयुक्त अधिवेशन में रखा गया था। लेकिन आतंकवाद निरोधक अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि स्थापित सिद्धांतों, मर्यादित सिद्धांतों और न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

इस प्रकार के कानून को निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसमें वह भी सम्मिलित किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं अभी अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

महोदय, इस विधेयक को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। यह भी देखने की आवश्यकता है कि साधारण सिद्धदोष के लिए नाम मात्र के जुर्माना का परिणाम अयोग्यता न हो। अनेक तत्व हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि यह सभा और सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण कानून पर बोलने का मुझे कुछ समय दिया।

विधि मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि सरकार ने राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ 13.9.2001 को बातचीत की थी लेकिन मेरा कहना है कि शिरोमणि अकाली दल के सिक्ख सदस्यों को सर्वदलीय बैठक में कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया जबकि हमने इसके लिए अध्यक्ष और प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था।

मैं आपको भारतीय नेताओं द्वारा सिक्खों के साथ किए गए वादों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 28 से 30 दिसम्बर, 1929 तक कांग्रेस के लाहौर सत्र में माननीय मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने अकाली नेताओं से बात की थी और यह वादा किया कि सिक्खों के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और इसके नेताओं ने सिक्खों को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी संविधान में ऐसा कोई हल कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगा जिससे सिक्खों को पूर्ण संतुष्टि न मिले।

15 जुलाई, 1934 को पुन: सिक्खों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय एम.के. गांधी से मिला और उन्होंने सिक्खों को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस ऐसा कोई संविधान स्वीकार नहीं करेगी जिससे सिक्ख संतुष्ट न हों।

महोदय क्या हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव होगा? ये वादे ऐतिहासिक हैं। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान परम्पराओं और लोगों से किए गए वादों के अनुसार चलता है। माननीय मोतीलाल नेहरू और माननीय एम.के. गांधी द्वारा किए गए वादे कानून की तरह ही शक्तिशाली हैं। जब हम संसद में बोल रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में मामले पर बहस कर रहे हैं तो क्यों न संविधान सभा में वाद-विवाद का उल्लेख

करें? क्योंकि सिक्खों को विश्वास में नहीं लिया गया और हमारे दो प्रतिनिधियों सरदार भूपिन्दर सिंह मान और सरदार हुकूम सिंह ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए वादों को तोड़ा गया था।

महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि 'पोटा' और 'टाडा' का प्रयोग अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किया जाता है। मैं स्वयं इस समय पटियाला हाउस में 'टाडा' के अन्तर्गत लगे आरोप का सामना कर रहा हूं। 'टाडा' और 'पोटा' के अंतर्गत ये आरोप बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लगाए हैं। भारत सरकार भी अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी पूर्वाग्रह ग्रस्त है कि 'एम्नेस्टी इंटरनेशनल' और 'इन्टरनेशनल कमेटी आफ दी रेडक्रास' को भी पंजाब, गुजरात, पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करने की अनुमति नहीं है।

महोदय, जैसा कि श्री जी.एम. बनातवाला ने कहा है, यदि अयोग्यता घोषित की जाती है, तो हम अल्पसंख्यकों को भी जेनेवा और यू.एन. संधियों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुकरण करना चाहिए।

उदाहरण के लिए यदि संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार 'कनवेंशन आफ द पनिशमेंट आफ दि क्राइम आफ जिनेसाइड' 1948 को कानूनी रूप दिया गया होता, तो 1984 में सिक्खों के ऊपर अत्याचार नहीं होता और न ही उनका जनसंहार होता और गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार नहीं होता। पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर में जो हो रहा है वह नहीं होता। हमारा यह भी कहना है कि 1966 के 'आफशनल प्रोटोकोल टू दी इन्टरनेशनल कवनेन्ट आन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स' पर भी हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे स्थानीय कानून में शामिल किया जाना चाहिए। एक अन्य संधि है 1972 की विश्व संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से संबंधित संधि। इन संयुक्त राष्ट्र संधियों के अनुरुप कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया है? यदि विधेयक लाया गया होता तो बाबरी मस्जिद और स्वर्ण मंदिर खंडहर नहीं बनते। हमारे पास 1984 की उत्पीड़न और अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार या दण्ड के अमानवीय तरीके से संबंधित संधि भी है। लेकिन कल ही श्री देवेन्द्र यादव को क्रूर तरीके से प्रताड़ित किया गया। स्वयं मुझे भी प्रताड़ित किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में किसान मारे गए हैं। यदि ये कानून बनाए जाएं और लोगों को सजा दी जाए तो निश्चय ही अल्पसंख्यकों का संविधान में विश्वास बढ़ेगा। हमारे पास 1984 का मृत्यु का सामना कर रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी को सुनिश्चित करने वाला और 2001 का रोम का कानून भी है जिसके अनुसार पर देश में अन्तरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई है। इन संधियों का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है?

मेरे विचार में अधिकांश भारतीय नेतृत्व ने जनसंहार करने का अपराध किया है और यदि वे कानून बनाएंगे तो वे रोम के कानून में स्वयं करेंगे। शायद आपको याद होगा कि चिली के राष्ट्रपति पीनोने को ब्रिटेन में एक मजिस्ट्रेट के वारंट जारी करने पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि वे जातिसंहार के अपराध से बच जाएं तो कभी भी यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने पर उन्हें जातिसंहार के अपराध में इसी प्रकार के वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को लाने एवं तैयार करने वालों का इरादा भारत की विधायिका में अपराधियों, धूर्तों और दुर्जनों के प्रवेश को रोकना नहीं बल्कि भारत के अल्पसंख्यकों की प्रगति एवं इनके इन प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश को रोकना है। इसलिए मेरा दल शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर और मैं इस पक्षपातपूर्ण संशोधित कानून के लाए जाने का विरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे देश के अल्पसंख्यकों को कानूनी सहमति मिलने तक रोके रखें क्योंकि इससे उनका देश का कानून बनाने वाली ऐसी सभाओं में प्रवेश करने का अधिकार छिनने जा रहा है। अपने वर्तमानस्वरूप में यह एक पक्षीय, भेदभाव वाला और पक्षपातपूर्ण विधेयक हैं। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, किसानों पर फायरिंग के सिलसिले में सरकार को बयान देना था, वह कब होगा?

सभापति महोदय : छः बजे स्टेटमेंट देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : कौन देंगे?

सभापति महोदय : खाद्य मंत्री जी देंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इसका नाम लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 है। प्रथम को छोड़कर सैकिंड अमेंडमेंट कैसे आ गया?

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मैंने शुरू में ही उल्लेख कर दिया है कि यह गलती से टाइप हो गया है और मैंने उसके लिए सरकारी संशोधन पेश कर दिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गलती से आ गया है। इसमें सरकारी संशोधन हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकारी संशोधन आया है तो इस बिल के मूवर माननीय के. जना कृष्णामूर्ति इसे लाए हैं। दूसरे संशोधन को हटाने के लिए श्री रवि शंकर जी का संशोधन आ गया।

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): विधि राज्य मंत्री हैं, इसलिए आग्रह कर दिया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बड़े मंत्री को ठीक करने के लिए छोटे मंत्री इसे लाए हैं। क्या प्रोपराइटरी का सवाल है?

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय जब मैंने विधेयक पेश किया था तब वह उपस्थित नहीं थे और यदि वह उपस्थित थे तो शायद उन्होंने मुझे उचित तरीके से नहीं सुना।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसा लगता है कि दोनों में राजनीति के अपराधीकरण को हटाने में कान्टैस्ट है। इस संशोधन और दूसरे संशोधन में बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। माननीय मलय स्वामी जी पहले संशोधन पर बोलने लगे। इससे भेद खुलता है इस सरकार का कि राजनीति के अपराधीकरण पर इनकी सोच क्या है? ये राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए विधेयक लाए हैं। इस विधेयक में क्या कुछ दम है? किसी को 10 वर्ष की सजा हो जाए। सजा के दिन से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाए। मान लो कि वह जेल में है और चार वर्ष तक जेल में ही रहेगा। इस कानून के अंतर्गत अयोग्यता 6 वर्ष तक होगी। वह चार वर्ष से जेल में है तो उसके बाद वह चुनाव लड़ने का हकदार हो जाता था। आप जो पहले के बिल में रखे थे उस पर हम पहले बोल चुके हैं। यह ठीक है कि राजनीति में अपराधीकरण देश की प्रमुख समस्या है। लोकतंत्र का मतलब है वोट का राज। इसलिए जब तक वोट प्रणाली में सुधार नहीं होगा, तब तक यह चलता रहेगा। अभी एक माननीय सदस्य पांच ''एम'' यानी मनी, मसल, मदिरा और न जाने क्या-क्या कह रहे थे। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक कंप्रीहैंसिव विधेयक चुनाव सुधार के बारे में लाना चाहिए। आप में इच्छा-शक्ति हो तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता केटी और वोहरा कमेटी की जो रिपोर्टें हैं कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों और अफसरों का जो नैक्सस है, उसको खत्म करने वाला विधेयक आना चाहिए। इन्होंने कहा है जिसको जुर्माना लगे यानी जिस दिन दोष सिद्ध होगा, उससे 6 वर्ष तक वह चुनाव के अयोग्य हो जाएगा। जिसको जेल काटने की सजा होगी और वे जेल काट लेंगे और जेल से निकलेंगे, उस दिन से 6 वर्ष तक अयोग्य रहेंगे। बिल का मूल उद्देश्य यही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट अगर सजा दे दे, जिला-कोर्ट सजा बढ़ाती या कम करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सजा घटाती, बढ़ाती और खत्म करती है। ऐसे में आप किस कोर्ट की सजा मानेंगे? जिला कोर्ट ने यदि किसी को दस वर्ष की सजा दे दी लेकिन हाई कोर्ट में अपील कर दी और वहां सुनवाई हो रही है तो सिद्ध दोष किस दिन से मानेंगे, उसमें कौन सी प्रक्रिया लागू होगी और किस कोर्ट की सजा मानेंगे? सजा देने के न्यायालय के तीन स्तर हैं। तीनों स्तरों में किस स्तर में 6 वर्ष की सजा मानेंगे? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई पेच जरूर है।

मेरा आखिरी सवाल है कि जिस के ऊपर जुर्माना होगा, वह भी छः वर्ष तक डिसक्वालिफाई होगा और जिस को जेल होगी वह भी छः वर्ष तक डिसक्वालिफाई होगा। जो अपराधी नहीं है, उसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है क्योंकि अनेक तरह के कानून होते हैं। न्यायिक प्रणाली के हिसाब से यह विधि सम्मत नहीं लगता है। जो जुर्माना देगा, वह भी छः वर्ष तक और जो जघन्य अपराध का कसूरवार होगा, वह भी छः वर्ष क डिसक्वालिफाई हो जाएगा। क्या छः वर्ष की सजा काटने के बाद वह भला आदमी हो जाएगा? यह सरकार की डिक्शनरी में होगा। सरकार की इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है जिससे चुनावों में सुधार हो और लोकतंत्र मजबूत हो।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, समता पार्टी की ओर से किसी भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा का नाम बुलाया था लेकिन वह उपस्थित नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री के.जना कृष्णामूर्ति : सभापति महोदय, मैं अपना उत्तर बहुत संक्षेप में दूंगा। मैं इस विधेयक में संशोधन करने के संबंध में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। कई सदस्यों ने अन्य विधेयकों को ध्यान

में रखकर तर्क प्रस्तुत किए है। प्रसंगवश, मैं अंत में बोलने वाले माननीय सदस्य की शंका दूर करूंगा।

हमने चर्चा के लिए विधेयक पुर:स्थापित किया था। लेकिन उस पर बिलकुल भी चर्चा नहीं हो सकी। इसे पिछले सत्र के दौरान केवल परिचालित किया गया था। इसलिए, यह लोक प्रतिनिधित्व (पहला संशोधन) विधेयक बन गया। इस सत्र में, जब हम इस विधेयक को लेकर आए तो इसे लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक के रूप में पुर:स्थापित किया जाना था। यह अपने आप में दूसरा संशोधन नहीं है, बल्कि यह लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक है। हमारे मन में कोई शंका नहीं है और कम से कम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच कोई शंका नहीं है।

अपराह्न 4.54 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यह बहुत साधारण संशोधन है न कि उतना जटिल जितना कई सदस्यों ने इसे मान रखा था। कतिपय अपराधों के लिए अधिनियम की धारा 8 का शीर्ष स्वयं 'अनर्हता और दोषसिद्धि' है। मैं अब धारा 8 पुर:स्थापित नहीं कर रहा हूं। यह धारा पिछले अनेक वर्षों से संविधि संग्रह में रही है। हम इस संशोधन के द्वारा जो कार्य करना चाह रहे हैं वह यह है कि धारा 8(1) के अंतर्गत यदि किसी की सजा होती है तो कारावास, सजा की अवधि सहित अनर्हता के वर्षों की कुल संख्या सिर्फ छह वर्ष होती है।

दूसरी तरफ, धारा 8(2) और 8(3) के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति को सजा दी जाती है तो सजा की अवधि कारावास और अनर्हता की अवधि छह वर्षों की होगी। इसमें सही अंतर था। इसी अर्नहता की एक धारा के अंतर्गत सजा की अवधि कुल सजा और छह वर्ष से अधिक है जबकि उप-धाराओं (2) और (3) तथा धारा 8(1) के अंतर्गत कुल सजा छह वर्ष होती है।

इसलिए यह असंगति उत्पन्न हुई। यदि एक व्यक्ति को धारा 8(1) के अंतर्गत सजा दी जाती है तो छह वर्ष की अनर्हता समाप्त हो जाती है और वह जेल में रहते हुए, वह चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री पटनायक ने न्यायाधीश रहते हुए उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए विसंगति को स्पष्ट किया था कि इसका इसी धारा 8 के अंतर्गत किस प्रकार लिया जा सकता है। इसलिए, संसद को विसंगति दूर करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। इस संशोधन में यही प्रयास किया गया है और इस पर कार्य के दौरान हमने आतंकवाद निवारण अध्यादेश अथवा एक अथवा दो अन्य उल्लिखित अधिनियम लाने का प्रयास किया।

मैं आतंकवाद निवारण अध्यादेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस सभा ने आतंकवाद निवारण अध्यादेश पर चर्चा की है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा यह एक अधिनियमन किया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय तमिलनाडु से हैं, इसलिए उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि आतंकवाद निवारण अध्यादेश तमिलनाडु में लागू किया जा रहा है। मुझे इसकी जानकारी है। यह सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी है। यह मामला न्यायालय में है। हम यहां आतंकवाद निवारण अध्यादेश को पुर:स्थापित नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यह है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके छह वर्ष की सजा सुनाई जाती है, तो क्या उसे अधिकृत किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यहां सिर्फ यही प्रश्न है। इसलिए, हमने आतंकवाद निवारण अध्यादेश की इसमें यह देखने के लिए शामिल किया कि क्या अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को आतंकवाद निवारण अध्यादेश के तहत छह अथवा आठ अथवा दस अथवा अन्य वर्षों की तथा शेष वर्ष जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है और यदि हम धारा 8(1) के अंतर्गत संशोधन नहीं करते हैं तो असमय क्या होगा? छह वर्ष बाद आतंकवाद निवारण अध्यादेश के तहत सजा पूरी करने के बाद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो सवाल पूछा था, मंत्री जी उस पर नहीं बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लोअर कोर्ट की सजा मानी जायेगी या अंतिम अदालत की सजा मानी जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप उनका प्रश्न समझ गए हैं।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, कृपया मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिए और इसके बाद मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न की सुना है?

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मैं अपने जवाब के अंत में उनका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी करने में कितना समय लेंगे? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे आंतरिक सुरक्षा के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत अन्य चर्चा शुरू करवानी है।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मैं अपनी बात दस से पंद्रह मिनट के भीतर पूरी करूंगा।

यह संशोधन सिर्फ यह देखने के लिए है कि क्या धारा 8(1), 8(2) और 8(3) उसी क्रम में हैं। उचित कानूनी प्रक्रिया से न्यायालय द्वारा जो भी सजा दी जाती है वह दंडादेश की अवधि, चाहे जो भी हो और साथ ही छह वर्ष की अनर्हता होगी। ऐसा धारा 8(1) में नहीं था। यह संशोधन इसको सही करने का प्रयास कर रहा है॥

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभुनाथ सिंह ने यह पूछा था कि क्या लोअर कोर्ट की सजा मानी जायेगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इसका जवाब बाद में देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपील का महत्व है या नहीं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बाद में इसका जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह पूछना चाहते हैं कि यदि अपील एडमिट है तो उस परिस्थिति में सरकार क्या करने जा रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मेरे पास न्यायालय के निर्णय की एक प्रति है। मैं उसका उद्धरण दूंगा। आपने प्रश्न पूछा है कि यह लोअर कोर्ट का निर्णय है या हायर कोर्ट का *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सरकार को उत्तर देना चाहिए, कोर्ट का जजमेंट क्या होता है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। यह मामला दिनांक 13.8.2001 को हुई सर्वदलीय बैठक में उठा और उस सर्वदलीय बैठक में उस पर सर्वसम्मति हुई थी। मैं इस साल हुई सर्वदलीय बैठक की बात नहीं कर रहा हूं। यह बैठक दिनांक 13.9.2001 को हुई थी।

उपर्युक्त बैठक में हुई सर्वसम्मति इस प्रकार थी:

"अनर्हता अवधि के शुरू होने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों को उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) और (3) के समकक्ष माना जाए।"

यह संशोधन सिर्फ यह कार्य करता है। इससे अधिक कुछ नहीं। हम सिर्फ दो अतिरिक्त विषय लाए हैं। हम आतंकवाद निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाए हैं। यदि एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3(8)(ख) के अंतर्गत दो वर्ष और अधिक की सजा दी जाती है तो वह दोषसिद्धि और छह वर्ष की अवधि से अनर्हीकृत कर दिया जाता है। हम इस संशोधन को लाकर जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि उस व्यक्ति के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के लिए भी सजा दी जाती है तो दोषसिद्धि और छह वर्ष की अवधि लागू होगी। इसलिए इस छोटे संशोधन द्वारा पूरे मामले में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसी धारा में दो उपधाराओं के बीच असामंजस्य न रहे।

निर्णय के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था। सरकार का विचार हमेशा यह रहता है कि जब कभी एक व्यक्ति को निचली अदालत में सजा सुनाई जाती है, और उसके मामले को अपील के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में ले जाया जाता है, अपील वाला न्यायालय, जो भी हो, अंतत यदि उस सजा की पुष्टि हो जाती है अथवा सजा कम हो जाती है, तो यह निचली अदालत की दोषसिद्धि के आधार पर होती है। इसी स्थिति को उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि एक आपराधिक मामले में अपील में विमुक्ति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती है तथा निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि दोषसिद्धि

पर लगा कलंक और कठोर निलंबन पूरी तरह समाप्त कर दिया हैं और इसका अर्थ यह नहीं है कि एक न्यायालय में अपील के समय उसे रद्द न करने तक निचली अदालत के दोषसिद्धि दण्डादेश के सत्य को समाप्त नहीं कर दिया जाता है। इस विषय पर कानून एकदम स्पष्ट है। इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं हैं।

लगभग सभी सदस्यों और दलों ने सामान्यत: इस विधेयक का समर्थन किया था। कुछ सदस्यों ने शायद यह कहा है कि वे आलोचनात्मक समर्थन दे रहे हैं। कुछ सदस्यों ने शायद यह कहा है कि वे सामान्य समर्थन दे रहे हैं। वे कहते हैं "मैं इसकी आत्मा का समर्थन करता हूं, लेकिन और इसके साथ एक या दो सुझाव देता हूं।" मैंने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और अभिप्राय अति सीमित है। ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं धारा (8) को विचार-विमर्श के लिए पुर:स्थापित कर रहा हूं। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मुझे पक्का विश्वास है कि सभा अपने आप में पूर्ण संशोधन को अपना पूरा समर्थन देगी। इस संबंध में कुछ अन्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। संयोगवश, श्री सोमनाथ चटर्जी यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कई अन्य विधेयकों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि छह विधेयक लंबित पड़े हैं। जब भी कार्यमंत्रणा समिति के पास समय होगा, तो ये सभी विधेयक यहां लाए जाएंगे। कुछ विधेयक स्थायी समिति की सिफारिशों सहित प्राप्त हुए हैं। एक या दो विधेयक अभी भी स्थायी समिति के पास लंबित पड़े हैं। हम हर विधेयक पर विचार-विमर्श करेंगे। यहां पर व्यक्त किए गए अनेक तर्क और विचार इस विधेयक की अपेक्षा इन विधेयकों से अधिक संबंधित हैं।

इसलिए, मैं चाहता हूं तथा मैं अनुरोध करूंगा कि यह सभा इस संशोधन का सर्वसम्मति से समर्थन करे ताकि इस संशोधन को सभा में लाने के उद्देश्य का ध्यान रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि निचली अदालत की सजा को सजा माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपका प्रश्न जानते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : एक कन्फ्यूज़न है कि निचली अदालत की सजा माना जाएगा तो अपील में अगर हाई कोर्ट में पन्द्रह साल तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ और छ: साल ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है, मंत्री जी चाहते तो उत्तर देते।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारे सवाल का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आपने दो बार प्रश्न पूछा। मंत्री जी चाहते तो उत्तर दे सकते थे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है, इसे क्लीयर करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2

1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला : जी हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2,

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए-

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी-

(2क) जहां जांच आयोग अधिनियम के अधीन गठित जांच आयोग निर्णय देता है कि यह सिद्ध करने का पर्याप्त साक्ष्य है कि व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए छह मास से अन्यून के कारावास का दण्डादेश अंतर्ग्रस्त हो सकेगा, वहां संबंधित व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए, जब तक कोई समुचित न्यायालय संबंधित व्यक्ति को अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराता है अथवा दोषमुक्त करता है, किसी निर्वाचन प्रक्रिया अथवा अभियान में भाग लेने के लिए निरर्हित होगा।

(2ख) जो कोई उपधारा (2क) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।" (1)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रविशंकर प्रसाद सरकारी संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वह संशोधन क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): यह पहला विधेयक है, दूसरा नहीं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

''(दूसरा संशोधन)'' के *स्थान* पर (संशोधन) *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

''(दूसरा संशोधन)'' के *स्थान* पर (संशोधन) *प्रतिस्थापित* किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, श्री बनातवाला मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सिक्ख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। विधेयक अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। यह जातीय संहार है। इसलिए, मुस्लिम और सिक्ख समुदाय इसे अस्वीकार करते हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.07 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आंतरिक सुरक्षा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। श्री प्रबोध पण्डा बोलेंगे।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, आज 12 दिसंबर है। कल हम संसद पर हमले की वार्षिकी मनाने जा रहे हैं, पवित्र मंदिर पर हमला, संसदीय जनतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला। उस दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपने देश के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले पर चर्चा शुरू करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह समस्या अभी उत्पन्न नहीं हुई है। यह एक दीर्घकालीन समस्या है। हमारा देश इस समस्या का स्वतंत्रता के समय से ही सामना कर रहा है। राष्ट्रपिता, बापूजी की हत्या आर.एस.एस. के लोगों ने की थी। अब, आर.एस.एस. के अनुयायी सत्ता में हैं। हमारे देश को हत्यारों के हाथों दो प्रधानमंत्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में, कर्नाटक में श्री नागप्पा की हत्या कर दी गई। हमने पंजाब, दिल्ली और मुम्बई में आतंकवादी माहौल को देखा है। स्वयं दिल्ली में ही, हमने दिल्ली में आपात काल जैसी स्थिति देखी है। लेकिन अब आंतरिक सुरक्षा की समस्या और गंभीर हो गई है। यह क्षैतिज है। यह हमारे समूचे देश में फैल गई है। गत एक वर्ष के दौरान हमने जम्मू कश्मीर विधान सभा के परिसर पर हमला देखा। हमने कालूचक, काजिम नगर, कलकत्ता में अमेरिकन सेंटर, अक्षरधाम मंदिर, रघुनाथ मंदिर, दिल्ली में अंसल प्लाजा और ऐसे ही कई अन्य स्थानों पर आतंकवादी हमला देखा है।

अब, आम नागरिकों, तीर्थ स्थलों और जवानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। पिछले तीन-चार वर्षों की तुलना में अब राष्ट्र आंतरिक रूप से अपने आप को कम सुरक्षित पाता है, और मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा तब है, जब नार्थ ब्लाक में स्व-प्रमाणित ''देश भक्त'' मौजूद हैं।

महोदय, इस तरह के खतरों के स्रोत क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है:

> ''धार्मिक कट्टरवाद, अवैध स्वापक व्यापार, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी, सीमा पार से होने वाले घुसपैठ और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को शह देने के कारण आंतरिक सुरक्षा संबंधी उत्पन्न नए खतरे वर्तमान प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करते हैं।''

इसके अलावा, हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि खतरे विभिन्न प्रकार के उग्रवाद के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 20 नवम्बर, 2002 को एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय गृह मंत्री ने कहा:

> ''17 राज्यों में उग्रवादी हमले हुए हैं। वे हैं, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। घटनाओं की संख्या 5,626 है।''
>
> यह उत्तर माननीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया था।

महोदय, संवैधानिक उपबंधों की दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों पर है। संविधान कानून के शासन का आधार प्रदान करता है। इसलिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखनी चाहिए। जब हम विधान को इस संदर्भ में लेते हैं, मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे पास, पोटा और कठोर कानून सहित और कई विधान मौजूद हैं। इसलिए, इस बात में कोई दम नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त विधान नहीं हैं। हम सब देख रहे हैं कि पोटा का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। पोटा संबंधी चर्चा के दौरान, हमने आशंका व्यक्त की थी कि अधिकांश मामलों में इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने में किया जाएगा।

महोदय, जहां तक न्यायपालिका का संबंध है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि आपराधिक न्याय की धीमी गति गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए, मैं मुख्यत: कार्यपालिका, विशेष रूप से सरकार पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी आम तौर पर गृह मंत्रालय की है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और अंतत: परिणामों से उसे ही निपटना है।

जहां तक इस मंत्रालय के कार्यकरण का संबंध है, यह बहुत निराशाजनक है। कृपया मुझे मंत्रियों के समूह की एक रिपोर्ट से उद्धृत करने की अनुमति दीजिए। इसमें कहा गया है:

> ''आंतरिक सुरक्षा के खतरों के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की योग्यता पिछले वर्षों में कम हुई हैं और इसे मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है।''

हमारा एक करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़ा राष्ट्र है। गृह मंत्री से साहसपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाए जाने की आशा करता है। यदि मंत्री स्वयं जघन्य अपराध करने का आरोपी हो तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए, यह हमारे राष्ट्र और देशवासियों पर कलंक है। यह इस संसद पर भी कलंक है। केवल गृह मंत्री ही नहीं बल्कि मानव संसाधन मंत्री और कोयला और खान मंत्री कुमारी उमा भारती अनेक घोटालों में शामिल हैं। उन पर विभिन्न स्थानों पर आरोप दर्ज किए गए हैं।

जब हम रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, तो हम मंत्रालय पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। परन्तु तहलका के आरोपी व्यक्ति ने अनैतिक रूप से मंत्री पद संभाला हुआ है *...(व्यवधान)* वह मामला अभी भी लम्बित हैं। हम सीमा पार से आतंकवाद की बात

[श्री प्रबोध पण्डा]

कर रहे हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि आतंकवाद मुख्य खतरा है। यह बिल्कुल सही है कि खतरा आतंकवादियों से आता है। परन्तु रक्षा मंत्रालय आतंकवादियों-जेहादियों की घुसपैठ के बारे में भी पता नहीं लगा पाया। उन्होंने हथियारों सहित घुसपैठ की और हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा किया। अंततोगत्वा, हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े और उन्हें बाहर खदेड़ा तथा उन स्थानों का वापस लिया।

अब, वही मंत्रालय कफन घोटाले में शामिल है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो इन सबको कैसे बनाए रखा जाएगा।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किया गया है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच 20 कि.मी. के सीमा क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिकांश आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे? केन्द्र सरकार की भूमिका निराशाजनक है। उन्होंने इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाया है। उनकी भूमिका से मणिपुर और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भारी हिंसा हुई है। इसकी सबको जानकारी है। पूर्वोत्तर राज्यों की वास्तविक सभा स्थलों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में कुछ आतंकवादी शक्तियां स्वयं की उल्फा के साथ जोड़ रही हैं और 'कामतापुरी' के लिए नारे लगा रही हैं। उनका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल का दिशाखन। यह आश्चर्यजनक है कि राजग सरकार का एक सहयोगी राजनीतिक हितों के लिए कामतापुरी के लोगों का समर्थन कर रहा है।

कर्नाटक में स्थिति बहुत खतरनाक है। संगठित अपराध से खतरा है। कुछ मिनट पूर्व विधेयक पर चर्चा में ही इस सम्माननीय सभा में माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुसंगत और महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया था। इस विशेष स्थिति में राजनीति का अपराधीकरण सबसे खराब अनुपात में पहुंच गया है। बहुत से अपराधी सुरक्षा कवच का भी लाभ उठा रहे हैं। 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 16 जून, 2002 को निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया है:

> ''राजनाथ सिंह के शासन के दौरान उ.प्र. में लगभग 1400 राजनेताओं को विशेष सुरक्षा कवर प्राप्त था जिनमें बहुत से आपराधिक रिकार्ड वाले थे।''

ऐसा हो रहा है। राज्य पुलिस सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्राधिकरण है। कानून और व्यवस्था को प्रभावी रूप से बनाये रखने की इसकी विफलता ने न केवल सरकार की विश्वसनीयता कम कर दी है अपितु अपराधिक तत्वों की भी हिम्मत बढ़ा दी है। इसलिए, राज्य पुलिस बलों को मजबूत और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। 12 लाख से अधिक रक्षा स्वयंसेवक हैं। देश में छः लाख होमगार्ड हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियमित बल माना जाना चाहिए।

गृह मंत्री को विद्यमान पुलिस अधिनियम को बदलने हेतु राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्ध सैनिक बलों की छह श्रेणियां हैं। उनकी कुल संख्या लगभग 5,37,000 है। वे उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने में, सीमा पर निगरानी रखने और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्य सरकारें बार-बार अपनी समस्याओं से निपटने हेतु अधिक बलों की मांग करती रही हैं परन्तु उसके बजाय वर्तमान सरकार स्थिति का राजनीतिकरण कर रही है। केवल यही नहीं वे अपना विध्वंसक खेल जारी रखने के लिए धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। यही मेरा मुख्य आरोप है। मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। हमने गुजरात में क्या देखा? आज चुनाव हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि गुजरात के लोग इसका निर्णय करेंगे। एक या दो दिन में परिणाम आ जाएगा।

पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री छद्म-धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कर रहे थे। हां, छद्म धर्मनिरपेक्षता है। यदि हम लश्कर-ए-तैयबा की बात करते हैं, यदि हम जैश-ए-मोहम्मद की बात करते हैं, यदि हम तालिबान ग्रुप की बात करते हैं तो हां वे छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं। वे छद्म धर्मनिरपेक्षता का अनुकरण करते हैं। यदि आप उन्हें निशाना बनाते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हिंदुत्व ब्रिगेडों का क्या करें?

क्या यह छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं हैं। तालिबान और जेहाद इस्लाम नहीं हैं बल्कि नहीं यह हिंदुत्व हिंदुवाद नहीं हैं। हिंदुवाद हमें सहिष्णुता सिखाता हैं, हिंदुवाद हमें एकता सिखाता है। इस प्रकार का कट्टरवाद आतंकवाद है। गुजरात में जो हुआ वह राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद था। क्या यह हमारे देश के लिए खतरा नहीं है? उड़ीसा विधान सभा में जो हुआ वह हिंदू कट्टरवादियों द्वारा तोड़फोड़ थी। ताजमहल परिसर में जो हुआ वह कट्टरवादियों द्वारा तोड़फोड़ थी। यह आश्चर्यजनक है कि माननीय उप प्रधान मंत्री ने स्वयं इन ताकतों को संबोधित किया था और बढ़ावा दिया था। क्या यह उनका अनुग्रह नहीं था? क्या इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में मदद मिलती है?

यह सरकार स्वयं को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन की सरकार कहती है। वे अपने को 'राष्ट्रीय' कह रहे हैं जबकि वे राष्ट्र विरोधी नीतियों को अपना रहे हैं। वे अपने को 'जनतांत्रिक' कह रहे हैं जबकि वे सभी तरह की जनतंत्र विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। वे अपने को एक गठबंधन कह रहे हैं जबकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छिपी हुई कार्यसूची का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक संकेत है।

हमें अपने प्रचुर अनुभव पर गर्व है और हम अपनी परम्पराओं पर गर्व है। हमारी अभूतपूर्व शक्ति और गौरवशाली इतिहास है। हमारे पास सामान्य स्थिति, शांति और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए पर्याप्त बल और आसूचना नेटवर्क है परन्तु इस मंत्रालय ने और पुलिस बटालियन बनाने तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और बजटीय आवंटन निर्धारित करने की बजाय देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं किया।

जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रभावी शासन होना चाहिए। शुरूआत में इस सरकार ने राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि वे कम-से-कम प्रभावी शासन देंगे परन्तु अब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। प्रभावी शासन एक स्वच्छ छवि और राज्यों के साथ उचित समन्वय होना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे स्थिति का मुकाबला कर सकें। इस संबंध में मेरा ठोस प्रस्ताव इस प्रकार हैं। अंतर-राज्यीय परिषद की नियमित बैठकें होना बहुत जरूरी है, आम सहमति बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए, देशभक्ति और समाजवाद की भावनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रकृति को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं और सभी प्रकार की धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने 'सिमी' पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बहुत सही है परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। उनकी गतिविधियों का यहां सभी माननीय सदस्यों को पता है। इसलिए, मेरी मांग है कि हमारे देश में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

महोदय, सभी तरह की धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को आधुनिक किया जाना चाहिए और खुफिया नेटवर्क में सुधार करके इसे सबल बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मैं मात्र दो बातों का उल्लेख करूंगा।

पहली बात तो यह है कि बलों और पुलिस के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। संसद पर हमले के मामले में हमने देखा है कि समन्वय का अभाव रहा। पुरूलिया से विमान से गिराये जाने के मामले में हमने देखा है कि समन्वय का अभाव रहा। यह बात गृह विभाग द्वारा स्वीकारी गयी है और यह प्रेस में भी छपी थी।

मेरा छठी और अंतिम बात यह है कि विभिन्न राज्यों और जगहों की सामाजिक-आर्थिक और जातीय समस्याओं के निराकरण पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक समस्याओं के निराकरण के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात पर सघन विचार-विमर्श होना चाहिए।

महोदय, हमारी आंतरिक सुरक्षा बड़ी खराब है और यह सरकार के हाथों में सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए यदि हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है तो इस सरकार को भगाना होगा।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): अध्यक्ष जी, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा चल रही है और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह चर्चा 13 दिसम्बर की पूर्व संध्या पर चल रही है। इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक इतिहास का 13 दिसम्बर काला दिन है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, इस देश का कोई आदमी भूल नहीं सकता है।

संसद इस देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर है और इस पर किसी शत्रु की निगाह पड़े, इस पर कोई हमला करे तो इस देश को बहुत चोट पहुंचती है और इसे देश बर्दास्त नहीं कर सकता है। मैं श्रद्धापूर्वक उन दिवंगत आत्माओं को पुन: श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की कीमत पर इस संसद के सम्मान की रक्षा की, जिन्होंने स्वयं अपनी जान गवाई, स्वयं को दांव पर लगा दिया, ऐसे शहीद सिपाहियों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। इस देश को ऐसे वीर सिपाहियों पर गर्व है। जिन अवसरों की चर्चा माननीय पण्डा जी ने की है मुझे ऐसे अवसरों पर बड़ा गर्व का अनुभव होता है। जब उन स्थलों का मान, उन स्थलों की पवित्रता की रक्षा में हमारे देश के सैनिकों, सिपाहियों और नौजवानों ने अपने प्राणों की कभी परवाह नहीं की। चाहे वह अक्षरधाम हो, रघुनाथ मंदिर हो या फिर दूसरे स्थल हों, हमारे देश के दुश्मनों ने जब भी इन स्थानों को अपवित्र करने की कोशिश

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

की तो हमारे सिपाहियों ने अपने प्राणों की कीमत पर दुश्मनों की मंशा को विफल कर दिया। देश प्रेम को उसी चेतना, साहस और संकल्प ने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखा है। जब तक यह चेतना और भावना कायम रहेगी, तब तक हमारा राष्ट्र का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और हमारा राष्ट्र अपने सम्मान और मर्यादा के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

महात्मा बुद्ध और महावीर के देश में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, यह अच्छी बात नहीं है। भारत ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया है।

श्री रामजीलाल सुमन : क्या आप गांधी को भी याद करते हैं?

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अभी तो मैं महावीर और महात्मा बुद्ध तक ही पहुंचा था आप बीच में आ गये। कम से कम गांधी जी तक पहुंचने तो देते। जितना आप गांधी जी को याद करते हो, उससे ज्यादा मैं गांधी जी को याद करता हूं और लोहिया जी को भी याद करता हूं जिनको आप प्राय: भूल जाते हैं।

हमने केवल याद ही नहीं रखा है, ...*(व्यवधान)* यदि आपको ऐसा चर्चा करनी है तो बाहर बैठ कर चर्चा कर लेते हैं। संसद में इस तरह बहस नहीं होती।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमें जो सांस्कृतिक विरासत मिली है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हिंसा के लिए कोई अवसर नहीं है। हिंसा की निन्दा हमेशा इस देश ने की है। इसलिए अहिंसा परमोधर्म: की बात हमने हमेशा कही है, अशोक चक्र को संसद और सरकार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया है। हिंसा किसी प्रकार की हो वह यहां की जन स्वीकृति नहीं है। राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं है, सामाजिक स्वीकृति नहीं है, धार्मिक स्वीकृति नहीं है कोई इसे स्वीकार नहीं करता। हमें दो पड़ोसी देश मिले। पहले एक था लेकिन दो हो गए। उन दोनों ने यह संकल्प कर लिया है कि न हम सुखी रहेंगे और न पड़ोसी को सुखी रहने देंगे। उन्हें इस देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती है, इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा अच्छी नहीं लगता, वह इस देश की लोकतांत्रिक प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देश में चाहे आतंक, आईएसआई संस्थाओं द्वारा चलाया जाता हो, अथवा किसी अन्य के द्वारा वह हमें बर्दाश्त नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य पंडा जी ने सिम्मी की चर्चा की। सिम्मी की तुलना वह जिस से कर रहे थे, मैं समझता हूं कि यही एक ऐसी हमारी कमजोरी है, देश के सामने जो चुनौती है उससे निपटने के लिए राष्ट्र को तैयार करने की बजाय, अपने को तैयार करने की बजाय, हम हर चुनौती को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम राजनीतिक लाभ दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं लेकिन पूरे सदन, राष्ट्र और देश के सामने जो चुनौती है, उस पर चर्चा करते समय हमारे सामने देश, राष्ट्र, संविधान की रक्षा का संकल्प होना चाहिए लेकिन हम इससे हट जाते हैं। हर चर्चा को राजनीतिक मोड देने की कोशिश करते हैं। जो संदेश इस सदन से जाना चाहिए वह न देश को जाता है, न उन अपराधियों को जाता है, न उन दुष्टों को जाता है, न उन पापियों को जाता है, न उन आतंकवादियों को जाता है जिन को हम यह संदेश इस सदन से देना चाहते हैं। एक संदेश यहां से जाना चाहिए। क्या 13 दिसम्बर को संसद पर जो हमला हुआ वह किसी पार्टी पर हमला था, किसी सरकार पर हमला था? वह किसी पार्टी और सरकार पर हमला नहीं था। वह देश पर हमला था, देश की संवैधानिक मर्यादा पर हमला था, देश की आस्था पर हमला था। उसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। सदन ने एक स्वर से इसकी निन्दा की थी। उसे आगे की चर्चाओं में उसे कायम रखना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में जिस तरह एक होकर खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई कमी आती है तो तकलीफ होती है।

पाकिस्तान ने कई बार लड़ाई लड़ी और खुली लड़ाई लड़ी लेकिन वह हर लड़ाई में हारे हैं। वह किसी लड़ाई में जीते नहीं है। उन्होंने छल, छद्म, चोरी और कपट का जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते से वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह हमें बरबाद करने की कोशिश कर रहा है। वह हमारी आंतरिक सुरक्षा को नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस देश का इरादा इतना कमजोर नहीं है। हम भले ही राजनीतिक कारणों से अलग-अलग बहस करते हों, अलग-अलग बातें कहते हों लेकिन महसूस एक जैसा करते हैं कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें हम सभी एक होते हैं। मुझे याद है कि रघुनाथ मंदिर पर हमले की घटना पर जब चर्चा हो रही थी तो हमारे देश के एक बड़े नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला क्यों नहीं होता है? यह सब का इरादा है और सभी चाहते हैं कि ऐसे ठिकानों पर हमला हो।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): लेकिन आपकी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप अभी आए हैं। थोड़ा रैस्ट करिए। बाद में बोलिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : दिक्कत यह है कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो यह भी खड़े हो जाते हैं और जब मैं बैठता हूं तो यह भी बैठ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह एक राष्ट्रीय चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे आज भी आसाम वे चुनाव याद हैं, जो आतंकवाद के साये में हुए थे। उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उन सबको पता है कि उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। पंजाब में चुनाव हुए थे, वहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी चुनाव हुए थे, उसकी इनसे तुलना होनी चाहिए कि कश्मीर में जो मतदान हुआ, उसमें जो मत पड़े, वे आसाम और पंजाब की तुलना में ज्यादा थे या नहीं। यहां तक कि वहां जो सरकार बनाने वाली पार्टियां है, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव निष्पक्ष और निर्भीकता से हुए हैं और उस मतदान से लोगों में विश्वास बढ़ा है।

अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा कि वहां लोगों ने एक उग्रवादी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह से वहां लोगों की हिम्मत बढ़ी है और इस बढ़ती हुई हिम्मत की दाद देने की जगह अगर हम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो जो उनका उत्साह बढ़ रहा है, वह नहीं बढ़ेगा। उनके मन में भी राजनीति आ जायेगी। इसलिए हमें इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए।

अभी हमारे आदरणीय बंधु महात्मा गांधी के बारे में कह रहे थे। मैं महात्मा गांधी को प्रणाम करता हूं, प्रतिदिन प्रणाम करता हूं और करता रहूंगा। ...*(व्यवधान)* उसके लिए हमें आपकी नेक सलाह नहीं चाहिए। मैं राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी को प्रणाम करता रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस संस्था का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां महात्मा गांधी की प्रार्थना की परम्परा आज भी कायम है। जब सवेरा होता है तो पांच बजे प्रार्थना के शब्दों से सवेरा होता है। परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश इसके लिए जाना जाता है। वह प्रार्थना हम अभी भी कायम रखे हुए हैं। वह नियम नहीं टूटा है। हम आज भी जब सवेरे पांच बजे उठते हैं तो प्रार्थना करने के बाद घूमने जाते हैं। हमने गांधी जी को स्वीकार किया है, हमने गांधी जी को आत्मसात किया है। लेकिन इस देश में जब महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आर.एस.एस. पर उंगली उठाई जाती है। जिसकी जांच की सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिसके बारे में जानकारी हो चुकी है। संघ गांधी हत्या के लिए जिम्मेवार नहीं है। अजीब लगता है कि संसद में कुछ स्थायी अंतरे हैं, जो हर संगीत के साथ जरूर गाये जायेंगे। वह बाजा जरूर बजेगा। यह स्थायी अंतरा अच्छा नहीं है। हमें समय के साथ सही बात समझनी चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी ही नहीं, माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी दूसरी गांधी थीं, जिनकी हत्या हुई। माननीय श्री राजीव गांधी तीसरे गांधी थे, जिनकी हत्या हुई। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आप आर.एस.एस. पर लगाकर अपने हाथ साफ कर सकते हैं। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की हत्या को यह देश नहीं भुला सकता। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, क्योंकि राष्ट्र में वे आतंकवाद के लिए एक चुनौती बने थे, आतंकवाद के लिए एक चैलेंज बने थे। इसलिए उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज भी अली नाम का एक आतंकवादी बंगलौर में पकड़ा गया है, जिसने चेन्नई में आर.एस.एस. के कार्यालय पर हमला किया था। जैसे यहां हमला हो रहा है, वैसा नहीं, उसने बम से हमला किया था।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): आप भी तो हमला कर रहे हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : हमने अभी तो किसी पर हमला शुरू नहीं किया है, जब आयेगा तब देखियेगा। उसने कबूल किया है और उसकी डायरी में जो नाम पाये हैं उनमें प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अनेकों लोगों के नाम उनकी हिटलिस्ट में हैं। अभी इनके इरादों में कहीं कोई कमी नहीं आई है। वे अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन उन पर हमारे सुरक्षा बलों की नजर है। ऐसे दो सौ से ज्यादा लोग ठिकाने लगाये जा चुके हैं। जो लोग बचे है उन पर नजर है, वे बचकर नहीं जा सकते। यह लड़ाई केवल दिन की लड़ाई नहीं है। मैं कह रहा था कि प्रधान मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्री की जिंदगी दांव पर लगाई जा चुकी है। जो इतनी बड़ी लड़ाई है, उसे कुछ मिनटों या घंटों में निपटा देने की बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंच, सरपंच बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वार्ता कीजिए। वार्ता अपराधियों से, वार्ता आतंकवादियों से, वार्ता उससे जिसकी नीयत खराब है, वार्ता उससे जिसके इरादों में भारत एक दुश्मन है, उसे बर्बाद करना है, हम उससे वार्ता करें। बड़े देशों को सीखना चाहिए कि हम अपराधियों से वार्ता क्यों करे। जो हमारी संसद को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारी विधान सभाओं को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारी मस्जिदों को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे गुरुद्वारों को नहीं छोड़ते हैं, क्या हम ऐसे लोगों से वार्ता करें।

अवसर आने पर उनसे उसी तरह से निपटना चाहिए। उनसे निपटने का इरादा बनाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उन पर

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

नजर नहीं है। उन पर नजर है और उन पर नजर इसलिए रखी जा रही है कि अवसर पर आने पर उनसे निपटा जाएगा।

महोदय, सार्क सम्मेलन होने वाला था, लेकिन अब वह नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान सार्क सम्मेलन चाहता, तो भारत से बात करता और कम से कम उन 20 लोगों को वापस करता जो हमारी संसद पर हमला करने के लिए उत्तरदायी हैं और जिनकी सूची भारत ने दी थी। यदि ऐसा होता, तो निश्चित रूप से वार्ता के बारे में सोचा जा सकता था। कोई पंच बने और जिनकी नीयत साफ नहीं है, उनसे वार्ता करने के लिए दबाव डाले, तो भारत उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिनकी नीयत साफ हो, उनसे वार्ता की जा सकती है, लेकिन जिनकी नीयत साफ नहीं है, उनसे कैसे वार्ता की जाए और कैसे उन पर भरोसा किया जाए?

महोदय, हमारी नीयत साफ है और हम अपने पड़ौसियों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। हम अपने पड़ौसियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं और यह हमारी आज की नीयत नहीं है यह सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है। हमारी यह परम्परा शताब्दियों से चली आ रही है कि हम अपने पड़ौसियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ौसी हमें परेशान करने के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हिंसा के हथियार छोड़ कर वार्ता की मेज पर आना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वार्ता के लिए लोग नहीं आए हैं। कई संस्थाएं आई हैं। बी.ई.एल.टी., बोडो लिबरेशन टाइगर्स इस हेतु तैयार हैं। नार्थ ईस्ट में एन.एस.सी.एन. वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने अपने इरादे बदले हैं।

महोदय, कश्मीर में भी माननीय मुफ्ती साहब से हम कहना चाहेंगे कि वे केन्द्र के साथ-साथ मिल-बैठ कर बात करें और जो लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, जिन्हें लगे कि वे भारत के संविधान में विश्वास कर सकते हैं, जिनके बारे में लगे कि ये भारत के लोकतंत्र के पक्षधर हो सकते हैं, उनसे वार्ता करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन महज चुनावी घोषणाओं और वायदों को पूर्ण करने हेतु आतंकवादियों को जेलों से रिहा कर दिया जाए, यह परम्परा गलत है। फिर चाहे वह अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया या कंधार में 300 यात्रियों की सुरक्षा के आतंकवादी और अपराधियों को छोड़ा गया, यह अच्छा नहीं है। हम पक्का इरादा रखें और ऐसे अपराधी और आतंकवादियों को कदापि न छोड़ें, चाहे हमारे देश के कितने ही लोग शहीद हो जाएं ताकि एक बार आतंकवादियों को भी मालूम हो कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से भारत सरकार डरने वाली नहीं है। उन्हें तो पिस्सू की तरह, खटमल की तरह मसलकर खत्म कर देना चाहिए। यही कामयाबी का एकमात्र रास्ता है। ऐसा पक्का इरादा ही कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है।

महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि पूर्व-पश्चिम से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इस देश को भारी चुनौतियां मिल रही हैं, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि नेपाल में भी स्थिति अच्छी नहीं है। नेपाल का बार्डर भारत के साथ लगता है। मैं कुछ ही दिन पहले नेपाल के बार्डर पर बिहार में बेतिया, बगहा और मोतीहारी इन तीन जिलों के सीमावर्ती गांवों में गया था। वहां मुझे बताया गया कि नेपाल की सीमा से लोग आते हैं और औरतों तथा आदमियों को उठा ले जाते हैं। अब हमारी तीनों सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है।

महोदय, मुझे मेरे मित्र माफ करेंगे और मेरी इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों की पाकीजगी बनी रहनी चाहिए। उनमें विज्ञान, गणित और अन्य विषय पढ़ाए जाने चाहिए। नेपाल की तराई में इनकी तादाद बेतहाशा बढ़ रही है जिससे सन्देह पैदा हो रहा है। मैं तीन बातें पूछना चाहता हूं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है और कौन पढ़ता है। इनको चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। यह चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि किसी सम्प्रदाय या भाषा विशेष के कितने मदरसे देश में कहां-कहां चल रहे हैं। इसके लिए बाकायदा मदरसों का पंजीकरण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो नेपाल की तराई में इस तरह से रातोंरात इनका बढ़ना सन्देह और डर पैदा करता है। मैं माननीय गृह मंत्री एवं उप प्रधान मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सम्प्रदाय की शिक्षा संस्थाओं की प्रामाणिकता न हो और उनका इस्तेमाल कोई गलत ढंग से करे, यह ठीक नहीं है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): शिशु मंदिरों के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। शिशु मंदिरों का भी परीक्षण होना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वे उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेश से बाकायदा मान्यता लेते हैं, उनका पंजीकरण होता है। अखिलेश जी, आपके क्षेत्र में भी हैं। हम चलकर आपके साथ बात कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : भारत और नेपाल की सीमा पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं आदरणीय स्वामी जी को चुनौती देता हूं कि वे चलें। उत्तर प्रदेश में आज उनकी सरकार है और केन्द्र में भी उनकी सरकार है। इस सदन के माध्यम से मैं बार-बार यह मांग करता रहा हूं कि कौन से मदरसे आई.एस.आई. के अड्डे हैं, कौन से मदरसे अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं, यह सरकार उन मदरसों को चिन्हित करे। *...(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम और ये कौन होते हैं। सरकार उनकी देखभाल करे। ये कौन होते हैं, इनकी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : एक कौम विशेष को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह के घिनौने आरोप लगाएंगे तो यह समाज और देश *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मदरसों के लिए पैसा कहां से आता है, यह बताएं। यह देश को मालूम होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): ये रास्ता बताएं कि कैसे प्रमाणित होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अच्छी तरह से चर्चा शुरू हुई है। अखिलेश जी, यदि आपको कुछ कहना है तो बाद में जब आपका भाषण होगा, तब कह सकते हैं। लेकिन यह सही नहीं होगा कि जब एक माननीय सदस्य यहां अपने विचार रखते हैं, उनका विरोध करने की भी सदन में एक पद्धति है। ऐसा कैसे चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इस संगठन को बाहर से कितना पैसा मिल रहा है *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आडवाणी जी उप प्रधान मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री भी हैं। अच्छा हो कि ये लोग जो बोल रहे हैं, उसके बजाए यह बताएं कि फलां-फलां मदरसे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। हम मान लेंगे, वरना शिशु मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से पैसा आता है, क्या-क्या हो रहा है और कौन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : शिशु मंदिरों में क्या होता है, आप बोलिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप अपना भाषण पूरा कीजिए। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मुलायम सिंह जी का प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार है। मैं चाहता हूं कि दोनों का रजिस्ट्रेशन, दोनों का पैसा कहां से आता है, इसका हिसाब हो जाए। *...(व्यवधान)* मैं यहीं जानना चाहता हूं कि मदरसों के नाम लेते ही परेशानी क्यों हो गई। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या इस तरह से आरोप लगा कर आतंकवादियों से लड़ेंगे। आप एक विशेष समुदाय के साथ इस तरह करेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): किसी समुदाय का नाम नहीं लिया है। अगर कोई देशद्रोही हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में अच्छी व स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। *...(व्यवधान)* अगर आतंकवादियों से मुकाबला करना है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनादि साहू : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आई.एस.आई. की ऐक्टीविटीज नेपाल में ज्यादा है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सारे देश को विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर एक समुदाय के साथ विश्वासघात करेंगे तो आप क्या, हिन्दुस्तान में कोई भी आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकता। *...(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में संसदीय दल बना दिया जाए। वे जांच कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देख कर बोलिए और अपना भाषण पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अध्यक्ष जी, एक खतरनाक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं हरेक को इजाजत नहीं दे सकता।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : केवल हथियारों की बात नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अगर इनके पास कोई निश्चित जानकारी है तो दें। ये इस तरह के आरोप नहीं लगा सके। बगैर तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने खाली यह कहा है कि मदरसों की आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : मुसलमानों की नीयत पर इसी प्रकार ये शक करते रहे तो यह देश टूटने की संभावना पैदा हो जायेगी। ये रोज-रोज मुसलमानों की नीयत पर शक करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, यह देश, तोड़ने का काम होगा। *...(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मुसलमानों का किसने नाम लिया? *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आप क्या बात करते हो। *...(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया : आपने क्या मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है? आप चेयर को देखकर बात करिये। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : नहीं, ठेका तो तुम्हारा है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : पाकिस्तान में मदरसों के बारे में कार्रवाई हुई है। *...(व्यतधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, आप भी बैठिये। जब आपका समय आयेगा तो आप भाषण करना। मैं आपको भी अवसर देने वाला हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : हम मुसलमानों पर कब तक अविश्वास करेंगे? *...(व्यवधान)* हम आतंकवाद से लड़ेंगे और मुसलमानों की नीयत पर शक करेंगे तो कैसे काम चलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोटी सी एक बात मेरी भी सुनिये।

[अनुवाद]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : सैन्य बलों के संयुक्त कमाण्डरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था "आतंकवाद हमारी सुरक्षा को खतरा मात्र जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि देश में और भी कई जगह है। प्रौद्योगिकी ने अब गहन क्षमता वाले रासायनिक और जैविक हथियार बना दिये है जिन्हें निष्क्रिय करना कठिन है।"

[हिन्दी]

ऐसी चीजें बनाई गई और अगर हमें आन्तरिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है तो हमें न केवल अपने नेटवर्क को मजबूत करना है, बल्कि नेटवर्क मजबूत करने के साथ सुरक्षा बलों को संसाधनों से सम्पन्न करने के साथ उन्हें जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोलोजिकल इक्विपमेंट्स बनाये जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी को कैसे ट्रेस आउट किया जाये, कैसे इसके लिए टैक्नोलोजी उपलब्ध होनी चाहिए, इसे सोचना है। देश में डिस्ट्रैस पैदा करने के लिए बायोलोजिकल इक्विपमेंट बनाये जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से

तमाम देश के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आतंकवाद इस राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती है और हमें एक अरब लोगों को एक साथ खड़े होकर इस आतंकवाद की चुनौती का सामना करना है। आतंकवाद न केवल भारत से समाप्त हो, बल्कि विश्व से खत्म हो, यह जिम्मेदारी भारत के लोगों को लेनी है।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को यहां बुलाया है। सुबह यहां सदन में जो विषय खड़ा हुआ था, सदन में किसानों की चर्चा हुई थी, किसानों की इस अवसर पर हत्या हो गई, इस विषय पर मंत्री जी निवेदन कर रहे हैं, उन्हें निवेदन करने दो।

इस विषय की चर्चा आज नहीं होगी। इस विषय की चर्चा अब मंगलवार को होगी। मंत्री जी के निवेदन के बाद सदन की कार्यवाही आज के लिए एडजर्न होगी।

अपराह्न 5.59 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गन्ना किसानों द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए आन्दोलन

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष जी, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में गन्ना किसानों से संबंधित विषयों के बारे में चले आन्दोलन के संदर्भ में राज्य सरकार से आज दिनांक 12.12.2002 को सूचना प्राप्त हुई है। इसके अनुसार, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिनांक 2.12.2002 से गन्ने का मूल्य बढ़ाने आदि के बारे में मुंडेरवा चीनी मिल के गेट पर धरना दे रहे थे। दिनांक 10.12.2002 को थाना मुंडेरवा में 50 कार्यकर्ताओं और थाना गौर में 17 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इन गिफ्तारियों के प्रति कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 को जब अपर पुलिस अधीक्षक स्थल पर पहुंचे तो पुलिकर्मियों के साथ मारपीट की गई तथा उनके सरकारी वाहन को जला दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने पर ये सभी लोग भाग खड़े हुए और आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज की एक बस में आग लगा दी। इसके कुछ समय बाद, तीन किलोमीटर की दूरी पर एल.आर.पी. बाइपास पर रोडवेज की दो और बसों को जला दिया तथा अन्य वाहनों पर पथराव किया व तोड़-फोड़ की। पुलिस ने इन स्थानों पर कार्यकर्ताओं का पीछा किया तो कार्यकर्ता विभिन्न दिशाओं में भाग खड़े हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने कस्बे के जल निगम स्टोर केबिन वे एक बीज गोदाम में भी आग लगाई। पुलिस ने उनका पीछा किया और आग पर काबू पाया गया। कार्यकर्ता गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन पर बैठ गए तथा रेलवे पटरी को क्षति पहुंचाई गई, जिससे रेल यातायात करीब पांच घंटे तक बाधित रहा।

सायं 6.00 बजे

राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार कार्यकर्ता लगातार पुलिस बल पर पथराव करते रहे और भीड़ में से कुछ लोग फाइरिंग भी करते रहे। इस घटना में पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर और अपर पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उप-निरीक्षक तथा कुछ आरक्षी घायल हुए। उप-निरीक्षण के सिर में चोट आने के कारण उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस भगदड़ में, भीड़ के हटने के बाद एक व्यक्ति मृत पाया गया जिस पर फायर आर्म की चोटें लगी थीं जो संभवत: फीड़ के किसी के द्वारा फायर करने से लगी होंगी। इस सिलसिले में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों, चीनी उद्योग की एसोसिएशनों तथा गन्ना किसान संगठनों से परामर्श करने के पश्चात् गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। तथापि, अधिकांश चीनी मिलें या तो राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए मूल्य अथवा सम्मत मूल्य अदा करती हैं जो कि सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अक्सर अधिक होता है। चीनी मौसम 2001-2002 के दौरान, उत्तर प्रदेश के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.05 रुपए से 81.76 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था, जबकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में गन्ने का मूल्य 92.50 रुपए से 100.00 रुपए प्रति क्विंटल के बीच अदा किया गया।

वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए भारत सरकार ने 8.5 प्रतिशत की मूल ''रिकवरी'' पर 64.50 रुपए प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा की है, जिसमें उक्त स्तर से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अधिक की ''रिकवरी'' पर 0.76 रुपए का प्रीमियम देने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 12 नवम्बर, 2002 को यू.पी. स्टेट शुगर निगम व सहकारी चीनी मिलों के लिए पिछले वर्ष के मूल्यों का स्तर कायम रखा जिस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किए।

[श्री शरद यादव]

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों ने, पहले के वर्षों की तुलना में, कुछ देरी से पेराई कार्य आरम्भ किया है। दिनांक 12.12.2002 को स्थिति के अनुसार, राज्य में कार्यरत 101 चीनी मिलों में से 81 चीनी मिलों ने पेराई कार्य आरम्भ कर दिया है।

अध्यक्ष जी, इसके अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज सुबह जब यह मामला उठा था तो प्रधान मंत्री जी खुद आए थे। उन्होंने इस सवाल पर हस्तक्षेप किया था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग काफी बड़े संकट में है। इसका रास्ता और उपाय निकालने के लिए मैंने इस बयान के पहले प्रधान मंत्री जी से बात की थी। मैंने उनसे विनती की है जो चीनी उद्योग के इलाके हैं, जहां गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर जो बकाया राशि है, उसका समाधान किया जाए। हमने बफर स्टाक बनाया है और कुल 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसमें से 786 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। यह कोई छोटी राहत नहीं है। हम इस बकाया राशि को देने की पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पहली बार 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया गया है। हमने शूगर डवलपमेंट फंड से गन्ने के विकास के लिए और मिलों के आधुनिकीकरण के लिए मदद की है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यह उद्योग संकट में है। इसके बारे में मैंने आज ही प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है। वे स्वयं यहां मौजूद थे, आप नहीं थे, उपाध्यक्ष जी थे। प्रधान मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए यहां पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था। यह मामला किसानों से वास्ता रखता है। गन्ना उत्पादक किसानों की दिक्कतें हैं और चीनी उद्योग भी दिक्कत में है। इसमें निश्चित तौर पर मदद करके इस दिक्कत को दूर करना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से सदन में निवेदन किया। प्रधान मंत्री जी भी उतने ही चिंतित हैं। इस बयान के पहले दो बार मेरी उनसे बात हुई है। सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप प्रोसीजर जानते हैं। इस विषय पर चर्चा हो सकती है। आप छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इजाजत दे रहा हूं लेकिन भाषण मत करिए। आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, आप पूछ सकते हैं। मैं इजाजत दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सर, मैं आधा मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमें भी एक मिनट का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। सुमन जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह माननीय मंत्री जी का बयान है। इसमें कहा गया है कि भगदड़ में भीड़ के हटने के बाद एक व्यक्ति मृत पाया गया जिसे फायरिंग में चोट लगी थी और जो संभवत: भीड़ में किसी के द्वारा फायर करने से लगी होगी। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि परसों देवेन्द्र प्रसाद यादव वाला मामला उठा था और उसमें गृह मंत्री जी ने बयान दिया। उसमें कहा गया था कि उन्होंने उप राज्यपाल, गृह सचिव और पुलिस आयुक्त से बात करके यह कहा कि वहां पुलिस ने कोई फायर नहीं किया, लाठी नहीं चलाई। यह बयान भी राज्य सरकार से पूछकर दिया गया है। राज्य सरकार में डीआईजी ने कल ही कहा था, आज ही कहा है कि फायर से किसी की मौत नहीं हुई है। *...(व्यवधान)* फायर से मौत हुई है और सरकार तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है। दिनांक दो दिसम्बर से लोग बराबर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां कोई फायरिंग क्यों नहीं हुई? तब वहां लोगों की हत्या क्यों नहीं हुई? यह बहुत गंभीर मामला है। किसानों के साथ अन्याय हुआ है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस बयान का सत्यता से कोई संबंध नहीं है। संसद की एक समिति भेजिए जो पूरे तथ्यों की जांच करे और इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहां दो दिसम्बर से प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे थे तो कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से वहां फायरिंग हो गई और तीन किसानों को मार डाला गया? सरकार जान-बूझकर तथ्यों को छुपा रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए। भाषण मैं यहां करने नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, सुमन जी ने जो बात कही है, आज सुबह जब यह मामला उठा था तो अखबार में तीन किसानों की मृत्यु का शोकपूर्ण समाचार मैंने भी पढ़ा और मैं मानता हूं कि वहां समस्या है। जो बकाया है, वह एक या दो साल का नहीं है। तीन-तीन, चार-चार साल का बकाया है तो निश्चित रूप से जब सदन में सभी लोगों ने सवाल उठाया तो फिर

इसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सारी घटना पर वक्तव्य आज शाम को देंगे और मेरे पास कोई दूसरा आधार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यहां की घटना हुई थी, संसद के सामने, उसके बारे में, इसलिए कि पुलिस भी इनके हाथ में है। यहां हमारे साथ में कोई चीज नहीं है। हमें तो सूचनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलेंगी। ...*(व्यवधान)* उनसे ही जानकारी करके मैंने सूचना आपको दी है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह सुबह ही सरकार से सूचना आई है और इतनी सूचना गलत नहीं हो सकती कि एक आदमी की मृत्यु ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : शरद जी, हम और आप एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कौन सी ऐसी बात कही है? ...*(व्यवधान)* आप बताइए। मेरे पास कौन सा आधार है जिस पर मैं बोलूं? आपने कहा कि बयान देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : क्या आप खुद इस बयान से संतुष्ट हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, मैं समझता था कि आप ऐसे बयान को देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि इनका संस्कार रहा है किसान के प्रति कहीं गिट्टी, मिट्टी, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन इनका भाषण सुनने पर-बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जानकारी अपूर्ण है अगर यह बात है कि भीड़ के लोगों से हत्या हुई है तो आपको यह भी बयान देना चाहिए कि किसान हथियार लेकर आये थे। क्या किसान हथियार लेकर आए थे? दूसरी बात, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान जैसा सीधा-सादा और शांतिप्रिय हिन्दुस्तान का कोई दूसरा वर्ग नहीं है। किसान का कोई संगठन नहीं है। यूनियन के नाम पर थोड़ी-बहुत पश्चिमी जिलों में बात बन गई है वर्ना किसान का कोई संगठन नहीं है। जहां यह घटना हुई है, अगर आप याद करेंगे और आपकी जानकारी के लिए कह रहे हैं कि बस्ती के समीप में ही गोरखपुर जनपद है, जो चौरी-चौरा कहलाता है। एक दर्जन से ज्यादा आजादी की लड़ाई में किसान ही शहीद हुए थे और एक-एक करके किसान ने शहीद होते हुए राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था और उसके कारण महात्मा गांधी जी ने आंदोलन ही स्थगित कर दिया। समीप में ही मऊ और आजमगढ़ है जहां यह घटना हुई है। वहां मधुवन में भी इसी तरह एक-एक करके किसान थाने पर चढ़ता गया और शहीद होता गया और झंडा फहराता गया तथा आखिर में किसानों ने झंडा फहरा ही दिया।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी आंदोलन में कभी किसान हथियार लेकर नहीं जाता है, चाकू लेकर नहीं जाता है, डंडा लेकर नहीं जाता है। वहां अगर हिंसा हुई है, बसें जली हैं, तो इस काम को करने के लिए मजबूर किसने किया? 850 करोड़ रुपया के भुगतान का बकाया है। जिन किसानों का सरकार पर कर्जा है, वे जेलों में बन्द हैं। अत्याचार हो रहा है। जिनके पास यह 850 करोड़ रुपया है, वे बैंकों से उस पर ब्याज ले रहे हैं। वे रुपया नहीं दे रहे हैं, उनको ब्याज मिल रहा है या बैंकों में ही जमा हो रहा है। वे इससे रोजगार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ब्याज भी नहीं मिलेगा। मूल्य के आधार पर किसानों को घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 850 करोड़ रुपए के भुगतान का आप इन्तजाम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार भुगतान नहीं कर रही है, तो केन्द्रीय सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पार्कों के विकास में लगी हुई है। चौराहों का परिवर्तन कर अपने चुनाव चिह्न लगा रही है और प्रधान मंत्री उनको देखने के लिए जायेंगे, दर्शन करने के लिए जायेंगे। किसानों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई वहां लगेगी और प्रधान मंत्री उसको देखने के लिए जायेंगे और देखकर खुश होंगे। अय्याशी के लिए अड्डे बन रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार पैसा देने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट का बहाना लगाकर आप जिम्मेदारी से नहीं हठ सकते हैं। हमें खुशी है कि आपने पंजाब के किसानों की मदद की थी। हमें खुशी है कि आपने आंध्र प्रदेश के किसानों की मदद की थी। क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद नहीं कर सकते है? ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): बिहार के किसानों की भी।

श्री मुलायम सिंह यादव : बिहार ही नहीं, मैं पूरे देश के किसानों की बात कह रहा हूं। देश में 76 फीसदी जनसंख्या किसानों की है। इनमें से 72 फीसदी लोगों के पास खेती है और 4 फीसदी खेतिहर मजदूर हैं। सरकार इस तरह से 76 फीसदी लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। आप निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोली चलवायेंगे और गोली का समर्थन करेंगे। खाद्य मंत्री जी आपके जैसे संस्कार हैं, किसान मजदूरों के लिए आपने काम किया और मिट्टी काटने वाले व हल चलाने वाले लोगों के लिए काम किया, आपने ऐसा बयान देकर बहुत पाप किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सभी सदस्यों के प्रश्न होने के बाद उत्तर दे दीजिए, तो ठीक रहेगा। सबका एक साथ जवाब दे दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को चांस नहीं दे सकता हूं। एक-एक माननीय सदस्य को दे सकता हूं, नहीं तो पूरी डिबेट शुरू हो जाएगी।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की यह घटना है, इसलिए दो मिनट के समय के लिए कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों को लेकर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मौके पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि विषय गम्भीर है, इसलिए इजाजत दे रहा हूं। आप भाषण मत कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम भाषण नहीं दे रहे हैं। हम भाषण नहीं देते हैं, आप जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह से जानता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश में गोली चली है और उस समस्या से संबंधित सवाल इस सदन में उठाया गया था। उस समय प्रधान मंत्री जी मौजूद थे, जिस समय यह सवाल सदन में उठाया था। प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया। हमें विश्वास है कि जिस तरह से समस्या की गम्भीरता को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि बैठक करके किसानों की समस्याओं का निदान करेंगे। हमें विश्वास है कि वे जरूर निदान करेंगे।

महोदय, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। गन्ना किसानों की समस्या जहां-जहां भी गन्ने का उत्पादन होता है, जहां-जहां भी चीनी मिलें हैं, हर जगह की एक ही समस्या है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार और महाराष्ट्र हो, सभी जगहों की एक ही समस्या है। हम विश्वास करते हैं कि प्रधान मंत्री जी जरूर कठोर कदम उठायेंगे, गम्भीर कदम उठायेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है, जैसा अभी माननीय मंत्री जी अपने बयान में कह रहे थे कि वहां की राज्य सरकार ने इनको सूचना दी है कि जो गोली चली है, वह भीड़ में से किसी ने गोली चलाई है, यानि यह बात बिलकुल प्रमाणित होने जा रही है कि एक तरफ पुलिस ने निहत्थों पर गोली चलाई और दूसरी तरफ पुलिस साजिश करके कुछ किसानों को उस घटना में फंसाने जा रही है और गिरफ्तार करने जा रही है। इस बयान से यही इंगित हो रहा है।

गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस ढंग की चर्चा राज्य सरकार करती है, जैसा अभी प्रतिवेदन में पढ़ कर मंत्री जी ने सुनाया कि भीड़ में गोली चली तो कल किसान गिरफ्तार होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस मामले पर अपने स्तर से पहल करें। निहत्थे और निर्दोष किसानों पर जिन लोगों ने गोली चलाई, हम यह नहीं कहते कि हाउस की कमेटी बना दीजिए, क्योंकि हाउस की कमेटी कितने मामलों में बनाएंगे, लेकिन यह घटना बिलकुल प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार जानबूझ कर किसानों के विपरीत काम करती है और किसानों पर गोलियां चलवाती है। क्या गृह मंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करते हुए राज्य के किसानों के हित में काम करेंगे ताकि कोई किसान गिरफ्तार न हो और जो दोषी पुलिस वाले हैं, जिन्होंने गोली चलाई है उन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे, उन्हें निर्देश देंगे, क्या ऐसा आप कर सकते हैं, यह हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से दो बातें मंत्री जी से कहनी है। आज सुबह जब मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो इन्होंने कहा था कि यह मामला समर्थन मूल्य का है, इसलिए यह कोर्ट में तय नहीं हो सकता। इस बात को सरकार भी महसूस करती है और सच्चाई यह है कि समर्थन मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और चीनी मिल-मालिकों में एक अंदरूनी समझौता हुआ है कि अगर आप समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते तो आप हाईकोर्ट से स्टे ले आइए, हम उसमें ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मूल मुद्दा यह है जिसके कारण से डेढ़ महीने तक समर्थन मूल्य का मामला तय नहीं हो पा रहा है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रधानमंत्री जी ने भी यह महसूस किया और अपने वक्तव्य में कहा कि मामला कोर्ट से तय नहीं हो सकता। आज जब मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं, बड़े टाल-मटोल का वक्तव्य दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी सरकार ऐसा करेगी। हम लोगों ने मंत्री जी से मांग की थी कि इस मामले में राज्य

सरकार चीनी मिल-मालिकों और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाए और 24 घंटे के अंदर उसकी मीटिंग कराई जाए। मीटिंग करके इस मुद्दे को तय किया जाए कि वास्तव में समर्थन मूल्य पर वे कब से गन्ना लेना शुरू करें और हाई कोर्ट से अपना केस वापिस लें। इसका जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, केवल सरकार का टाल-मटोल वाला जवाब आ गया कि बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था की जाएगी। गन्ना किसानों का अरबों रुपया इन चीनी मिलों पर बकाया है। उसके संबंध में मंत्री जी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अगर पूरे पैसे राज्य सरकार नहीं दे सकती तो केन्द्र सरकार कुछ अनुदान दे, कुछ मदद करे ताकि गन्ना किसानों को आधा या कुछ बकाया तो कम से कम मिले। इन्हीं चीजों को लेकर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन रुकेंगे नहीं। जहां तक गोली चलाने की बात है और इससे दो, तीन या चार लोग मरे हैं। हम राज्य सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं कि वे अपनी सारी कमजोरियों को उजागर करेंगे और उन्होंने रिपोर्ट सही भेजी होगी। इनके आईजी, डीआईजी ने, जिस तरह से राज्य सरकार ने मैनेज किया होगा उसी तरह की रिपोर्ट बन कर आ गई। हम उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते, लेकिन मंत्री जी से हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि अगर वास्तव में गोली कांड की जांच करनी है तो राज्य सरकार को निर्देशित करें कि उसकी न्यायिक जांच हो कि किन परिस्थितियों में गोली चली है। *...(व्यवधान)* किस तरह किसानों के साथ व्यवहार किया है। इन सब बातों का मंत्री जी जवाब दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है और सदन को सूचित किया है कि दो दिसम्बर से वहां आंदोलन, धरना चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उन सभी की संख्या के विषय में भी इन्होंने कहा है और यह भी स्वीकार किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हाल ही में हुआ, जिसके चलते परिस्थिति उलझ गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिए, मैं भाषण देने की इजाजत बिलकुल नहीं दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम जानना चाहते हैं कि जब बफर स्टाक का फैसला हुआ है, चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए 20 लाख टन का बफर स्टाक का फैसला तुरंत हो गया और किसान के खिलाफ होई कोर्ट का फैसला हो गया। जब वहां गोली चली है तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति मरा है, तीन नहीं मरे हैं, भीड़ में गोली चली है। इस तरह से मामला नहीं सुलझता।

इसी तरह का कांड बिहार में होने जा रहा है। चूंकि बिहार और यू.पी. जुड़े हुए हैं। इसलिए जो यू.पी. में मूल्य तय हों वही बिहार में तय हों। यदि यू.पी. में 90-95 रुपए दाम तय होते हैं तो बिहार में भी इतने ही मूल्य तय होने चाहिए। इस पर तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वहां किसानों पर जो गोलियां चलीं। यह लाठी और गोली की सरकार हो गई है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना नीति के अनुसार चीनी मिल मालिक 30 दिन के अन्दर गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं करेंगे तो क्या उन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा? मुंडेरवा में जो किसान आन्दोलनरत थे और आपके कथनानुसार चार वर्षों से उनका गन्ना मूल्य बकाया था, क्या सरकार ने उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया था या नहीं? उत्तर प्रदेश में गत वर्ष गन्ने के मूल्य 95 रुपए और 100 रुपए क्विंटल थे। सरकार और किसानों के बीच में एक बात तय हो गई थी कि यदि पिछले वर्ष के बराबर इस साल गन्ना मूल्य मिल जाए तो हम कम से कम इस साल उस रेट पर गन्ना दे देंगे। मिल मालिकों का यह कहना है कि हम 95 रुपए 100 रुपए में दे नहीं सकते। उत्तर प्रदेश और यू.पी. दो सीमावर्ती राज्य हैं। हरियाणा में गन्ने का मूल्य 110 रुपए क्विंटल है। ऐसे में हरियाणा के चीनी मिल मालिकों को कैसे पड़ता पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को कैसे नहीं पड़ता पड़ रहा है? क्या इसकी जांच करायी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अपना उत्तर दें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलनरत थे फिर कौन सी परिस्थिति 11 तारीख को पैदा हुई कि पुलिस ने वहां गोलियां चलायी, बसों को जलाया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न से बाहर जाएंगे तो मैं मंत्री को बुला लूंगा। केवल एक प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावुर): महोदय, पिछले वर्ष सभी राज्य सरकारों ने समर्थन मूल्य दिया था। परन्तु इस वर्ष किसान अचानक अपने समर्थन मूल्य छोड़ रहे है। किस तरह से वे खेती के खर्च का प्रबंध करेंगे?

दूसरा, सम्पूर्ण भारत में चीनी का मूल्य समान है। उसमें कोई अंतर नहीं है। मिल मालिक किसानों को जो रिकवरी की गई है

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

के हिसाब से कीमत देते है। हरियाणा में, वे 1100 रु. प्रति क्विंटल दे रहे है ...*(व्यवधान)* सरकार मुख्यमंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुला सकती? यदि वह बैठक बुलायी जाती तो मुख्यमंत्रियों की मिल मालिकों से मिल सकते है और आवश्यकताओं की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* आज, सरकार, मिल मालिकों को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को बेच रही है। भविष्य में हम स्थिति कैसे नियंत्रित करेंगे? राज्य सरकारें वित्तीय सहायता देने में समर्थ नहीं है। अत: केन्द्र सरकार को समर्थन मूल्य देने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार और मंत्री जी के बयान से बहुत पीड़ा पहुंची है। इस हाउस में मैंने जीरो आवर में 21 तारीख को इस मामले को उठाया था और सरकार से आग्रह किया था किसान बहुत पीड़ित हैं और परेशानी में हैं। अगर सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम नहीं उठाये तो वहां हालत और खराब हो जायेगी। मैंने नवम्बर के लास्ट वीक में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कि गन्ना किसानों की हालत बुरी है और उससे उनकी हालत बिगड़ जाएगी। मैंने एक महीना पहले इसी सदन में जीरो आवर में सरकार के ध्यान में यह बात लायी थी। हरियाणा में सौ रुपये मिल रहे हैं लेकिन आप 50 भी देने को तैयार नहीं हैं। किसान के साथ ऐसा अन्याय न हो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप शुरू करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलत न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल जी, रघुवंश प्रसाद जी और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मुझे भी इस पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, मैंने बहुत लोगों को बोलने की इजाजत दी है जबकि प्रोसिजर में ऐसा नहीं है। मैंने इस मामले को महत्वपूर्ण जान कर परमिशन दी।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : मुझे महाराष्ट्र के किसानों के बारे में कहना है।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र के किसानों के बारे में उनसे चर्चा करूंगा। मैं आपको ले जाकर चर्चा करूंगा।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर एक बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही। मैं इस बात को मानता हूं कि एक किसान की वहां मृत्यु हुई है। वह मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है या किसी दूसरे की गोली से हुई है, मैं इस गोली के विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह अफसोस और दिक्कत की बात है। अभी जायसवाल जी ने कहा कि जो बफर स्टाक है, जैसे 1100 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है, उसकी चिंता है तथा जो एरियर्स बाकी हैं, उसकी चिंता है और आगे इंडस्ट्रीज कैसे चले, इसकी भी चिंता है। अभी जो 1100 करोड़ रुपये किसानों के बकाया हैं, उसके लिए सरकार ने शुगर डेवलपमैन्ट फंड में इसी सदन में अमैन्डमैन्ट कराया है। जो बफर स्टाक 778 करोड़ रुपये का है, वह पूरा का पूरा कानून के तहत किसानों के हाथ में जायेगा, यह सीधा केन ग्रोअर्स को जायेगा। जायसवाल जी 1100 करोड़ रुपये की रकम में से 778 करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मंत्री जी आपने यह घोषित किया है कि 15 तारीख तक मिलें चालू हो जायेंगी, लेकिन क्या मिलें समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदेंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अभी बीच में मत बोलिये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं मंत्री जी की प्रशंसा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बीच में प्रशंसा मत कीजिए, मंत्री जी आपका उत्तर चाहिए। अभी बीच में कोई प्रश्न नहीं होगा। आप मेरी तरफ देखकर उत्तर दीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि 1100 करोड़ रुपये की जो रकम में से हमने अभी जो इंतजाम

किया है, वह कम नहीं है। इंडस्ट्रीज में दिक्कत एक सूबे में नहीं है, सब में है। उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ से जो प्रयास हो सकता था, वहां 101 में से 81 मिलें है और 15 तारीख तक सारी मिलें खुल जायेंगी। जहां तक एरियर्स और इन सारी समस्याओं का सवाल है, उसके बारे में प्रधान मंत्री ने और मैंने स्वयं आपके माध्यम से सदन को बताया कि मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप यह कह सकते हो कि जो गन्ना उत्पादक इलाके हैं, जहां शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वहां के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात करेंगे। क्योंकि पी.डी.एस. पर ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, मेरा सुझाव होगा कि उसमें यदि इस मामले को उठा दिया जाए तो उससे ज्यादा सहूलियत होगी। निश्चित तौर पर इस समस्या के प्रति भारत सरकार चिंतित है और क्या हो सकता है, हमने किया भी है और आगे भी हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2002/ 22 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.29.17/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।